

जिला आपदा प्रबन्धन योजना जिला – जालोर

वर्ष 2017

जिला प्रशासन
व
आपदा प्रबंधन केन्द्र (EOC)
जालोर

विषय –सूची

अध्याय	प्रस्तावना	पृष्ठ संख्या
0	जालोर जिला—एक नजर	4—9
1	जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के उद्देश्य	10—11
1	आपदा प्रबंधन एक्ट 2005	12—68
2	अध्याय—2 जिले की विपदा, जोखिम की संवेदनशीलता, जोखिम से निपटना	69—81
2	जिले में मुख्य अन्य सम्भावित आपदाएँ व कार्य योजना	
2	सूखा	82—86
2	बाढ़	86—91
2	सड़क दुर्घटना	91—95
2	अग्नि दुर्घटना	95—101
2	भूकम्प	101—105
2	साम्प्रदायिक तनाव	105
2	ओलावृष्टि	105
2	रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएँ	106
2	ताप (लू) व शीतघात	107—108
2	शीतघात	100—101
2	आतंकवाद/बम विस्फोट	108—112
3	अध्याय—3 Institutoal Arrangement for DM	112
4	अध्याय—4 Prevention and Mitigation Measures	113
5	अध्याय—5 Preparedness and Mitigation Measures	113
6	अध्याय—6 Capacity Building and Training Measures	114
7	अध्याय—7 Response and Relief Measures	114
8	अध्याय—8 Reconsutruction, Rehabilitation and Recovery	115
9	अध्याय—9 Fincial, Respires for implementation of DDMP	115
10	अध्याय—10 Procedured and methodology for monitoring evalnution, updation and maintaintenance of DDMP	116
11	अध्याय—11 Coordination Mechanism for implementation of DDMP	116
12	अध्याय—12 Standard Operating Procedures (SOPs) and Checklist	117—118
13	अध्याय—13 Miscellaneous	119—120
संलग्नक	संलग्नक परिशिष्ट 1 से 55	121—225
	परिशिष्ट — 1 पंचायत समितिवार प्रभारी अधिकारी/सहायक प्रभारी अधिकारी	121
	परिशिष्ट — 2 ई0ओ0सी0 प्रयोजनार्थ उपलब्ध सामग्री का विवरण	121
	परिशिष्ट — 3 रेत के कट्टों की व्यवस्था	122
	परिशिष्ट — 4 बाढ़ से प्रभावित होने वाले प्रमुख सड़क मार्ग	123
	परिशिष्ट — 5 बाढ़/अतिवृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों के लिए विस्थापित स्थल	123
	परिशिष्ट — 6 जालोर जिले के नजदीकी जिलों में प्राईवेट नावों का विवरण	124
	परिशिष्ट —7 गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के अधीन होम गार्ड्स का विवरण	125
	परिशिष्ट — 8 ग्रामीण स्तर पर ग्रामवार/तहसीलवार तैराकों का विवरण	126—128
	परिशिष्ट — 9 वाटर टैंकर्स मालिकों का उपखण्डवार विवरण	129—130
	परिशिष्ट — 10 जनरेटर मालिकों का विवरण	131

परिशिष्ट – 11 सहायता विभाग के सर्च एवं रेस्क्यू उपकरण	132
परिशिष्ट – 12 भारत स्काउट गाईड केन्द्र तथा उपलब्ध सामग्री का विवरण	133
परिशिष्ट – 13 गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के पास उपलब्ध बाढ़ राहत सामग्री	134
परिशिष्ट –14 जवाई नदी से प्रभावित होने वाले ग्रामों का विवरण	134
परिशिष्ट – 15 जवाई बांध/नदी के अधीन आने वाले बांधों का विवरण	135
परिशिष्ट – 16 अवरुद्ध होने वाले मार्गों का डाईवर्जन की स्थिति	136
परिशिष्ट – 17 कन्वेक्टर एवं लोडर मशीनरी का विवरण	136–137
परिशिष्ट – 18 मुख्य कोजवे, सबमर्सिबल ब्रीज की सूची	137
परिशिष्ट – 19 9.500 मीटर से अधिक लंबाई के मुख्य सड़क जो नदियों से कोसिंग है	137
परिशिष्ट – 20 एम्बुलेंस सेवा	138
परिशिष्ट – 21 जिले में स्थित निजी चिकित्सा संस्थानों का विवरण	138–139
परिशिष्ट – 22 मेडिकल स्टोर्स की सूची	139–142
परिशिष्ट – 23 चिकित्सा संबंधी उपकरणों की सूची	142–144
परिशिष्ट – 24 स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाएँ	144
परिशिष्ट – 25 पुलिस जाब्ता	144
परिशिष्ट – 26 पुलिस वाहन उपलब्धता	145
परिशिष्ट – 27 पुलिस लाईन जालोर में उपलब्ध सामग्री	145
परिशिष्ट – 28 ई.ओ.सी. प्रयोजनार्थ उपलब्ध वायरलेस	145
परिशिष्ट – 29 जिले में उपलब्ध वायरलेस संचार व्यवस्था	146
परिशिष्ट – 30 थोक व रिटेलर स्तर पर खाद्यान्न,केरोसीन,एजपीजी गैस रिजर्वस्थिति	147
परिशिष्ट – 31 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत भण्डारन की स्थिति	148
परिशिष्ट – 32 उचित मूल्य दुकानों की स्थिति	148
परिशिष्ट – 33 गैस एजेसी स्तर पर रिजर्व गैस सिलेण्डर की स्थिति	149–150
परिशिष्ट – 34 केरोसीन रिजर्व स्टॉक का विवरण	151
परिशिष्ट – 35 जिले में थोक व्यापारियों का विवरण	151
परिशिष्ट – 36 जिले में स्थित पेट्रोल पम्पों का विवरण	152–154
परिशिष्ट – 37 जिले में स्थित हलवाई	155–156
परिशिष्ट – 38 किराणा थोक व्यापारी	156–157
परिशिष्ट – 39 सब्जी विक्रेता	158
परिशिष्ट – 40 जिले में पंजीकृत एम्बुलेन्स वाहनों की स्थिति	159–161
परिशिष्ट – 41 4 बाई 4 वाहनों की सूची	162–166
परिशिष्ट – 42 टिम्बर , जेसीबी वाइनों की सूची	167–174
परिशिष्ट – 43 भारत स्काउट गाईड के आपदा प्रबन्धन केन्द्र	175
परिशिष्ट – 44 वन मण्डल का प्रशासनिक ढांचा	175
परिशिष्ट – 45 बाढ़ से प्रभावित निचले क्षेत्र एवं ठहराव स्थल	176
परिशिष्ट – 46 भामाशाह,चेरीटेबल ट्रस्ट एवं स्वयंसेवी संगठन	177–178
परिशिष्ट – 47 एनसीसी,एनएसएस एवं स्काउट्स	178
परिशिष्ट – 48 टेन्ट व्यापारियों की सूची	179
परिशिष्ट –49 रानीवाडा डेयरी के दूध समितियों का विवरण	179
परिशिष्ट – 50 जालोर जिले में हुई वर्षा का विवरण 1951 से 2016 तक	180–181
परिशिष्ट – 51 नदियों से प्रभावित क्षेत्रों की सूची	182
परिशिष्ट – 52 सिंचाई विभाग के बांध एवं उससे प्रभावित होने वाले ग्रामों की सूची	183
परिशिष्ट – 53 पं०समिति के बांध ,एनीकट व खडीन की सूची	184–186
परिशिष्ट – 54 जिला, जालोर के महत्वपूर्ण दूरभाष नंबरों की सूची	187–217
परिशिष्ट – 55 भू.अ.निरीक्षक वृत्त तथा पटवार मण्डलों की सूची दूरभाष नंबर	218–225

जालोर जिला-एक नजर

जिले का कुल क्षेत्रफल		10566.11 वर्ग किमी.									
जिले की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011)		पुरुष				महिला		योग			
		936634				892096		1828730			
जिले मे कुल साक्षरता प्रतिशत		(पु.) 64.07%				(म.) 38.73%		(कुल) 55.58%			
उपखण्ड मुख्यालय		तहसील	पंचायत समिति		नगरपरिषद / नगरपालिका	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	पटवार मण्डल	भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र	ग्राम (आ.)	ग्राम (गै. आ.)
9		9	8	ग्रा.पं. कुल सं.	1/2	274	813	285	71	806	7
1	जालोर	जालोर	जालोर	28	जालोर भीनमाल सांचोर						
2	आहोर	आहोर	आहोर	41							
3	सायला	सायला	सायला	40							
4	भीनमाल	भीनमाल	भीनमाल	36							
5	बागोड़ा	बागोड़ा	जसवन्तपुरा	29							
6	जसवन्तपुरा	जसवन्तपुरा	रानीवाड़ा	33							
7	रानीवाड़ा	रानीवाड़ा	सांचोर	36							
8	सांचोर	सांचोर	चितलवाना	31							
9	चितलवाना	चितलवाना	योग	274							

जालोर जिला एक नजर

राजस्थान के दक्षिण-पश्चिम में स्थित जालोर जिला आकाश की ऊँचाईयों को मापने वाले स्वर्णगिरी दुर्ग के आंचल के चारों ओर मत्स्याकार रूप में फैला हुआ है। जालोर

जिला राजस्थान राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में 24.48''58 उत्तरी अक्षांश से 25.48''37' उत्तरी अक्षांश तथा 71.7' पूर्वी देशान्तर से 75.5''53' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित हैं। जिले का कुल क्षेत्रफल 10,566.11 वर्ग किलोमीटर हैं। जिले की उत्तर पश्चिम सीमा बाड़मेर जिला, उत्तर पूर्वी सीमा पर पाली जिला, दक्षिणी पूर्वी सीमा पर सिरोही जिला तथा दक्षिण में गुजरात राज्य की सीमा लगती हैं।

भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से जिले का अधिकांश भाग चतुर्थ युगीन व अभिनूतन कालीन जमावों से आच्छादित हैं। ये जमाव वायु परिवहित रेत (बालू) नवीन कछारी मिट्टी, प्राचीन कछारी मिट्टी तथा ग्रिड के रूप में जिले के अधिकांश धरातल पर दृष्टिगोचर होते हैं। चट्टानों में मालानी ज्वालामुखी तथा जालोर ग्रेनाइट प्रमुख हैं।

शुष्क एवं अर्द्ध शुष्क जलवायु वाला जिला होने के कारण यहां वार्षिक एवं दैनिक तापान्तर अधिक रहता हैं। वर्षा का वार्षिक औसत 43.4 सेन्टीमीटर हैं। जनवरी सबसे ठण्डा महिना होता हैं और न्यूनतम तापमान 1 या 2 डिग्री सेन्टिग्रेड से नीचे चला जाता हैं। मई जून में तापमान सर्वाधिक ऊंचाई पर रहता हैं। औसत दैनिक उच्चतम तापमान 42 या 45 डिग्री सेन्टिग्रेड रहता हैं। जालोर की समुद्रतल से ऊंचाई 173.73 मीटर है।

जनसंख्या (वर्ष 2011)

जालोर जिले की जनगणना वर्ष 2011 के तहत 18 लाख 30 हजार 151 है जिसमें पुरुष जनसंख्या 9 लाख 37 हजार 918 एवं स्त्री जनसंख्या 8 लाख 92 हजार 233 है वही लिंगानुपात 951 एवं बाल लिंगानुपात जीरो से छः वर्ष तक 891 है। जनसंख्या घनत्व 172 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जिले में कुल साक्षरता 55.58 प्रतिशत है जिसमें पुरुष साक्षरता 64.07 प्रतिशत एवं स्त्री साक्षरता 38.73 प्रतिशत है।

तहसील स्तर पर जनसंख्या

क्रं.सं.	तहसील नाम	जनसंख्या			
		कुल व्यक्ति	पुरुष	महिला	अन्य
1.	सायला	176824	90214	86609	1
2.	आहोर	223208	110765	112443	0
3.	जालोर	210468	107292	103176	0
4.	भीनमाल	254816	128594	126221	1
5.	बागोडा	151301	78185	73116	0
6.	सांचौर	454760	237135	217619	6
7.	रानीवाड़ा	206871	106639	100231	1
कुल ग्रामीण		1678248	858824	819415	9
8.	आहोर (CT)	16873	8602	8271	0
9.	जालोर (M)	54185	28465	25716	4
10.	भीनमाल (M)	47954	24903	23051	0
11.	सांचौर (M)	32891	17111	15780	0
कुल शहरी		151903	79081	72818	4

प्रशासनिक ढांचा

प्रशासनिक दृष्टि से जालोर जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर कार्यालय तथा विभिन्न जिला स्तरीय कार्यालय स्थित हैं। जिले को सात उपखण्डों आहोर, जालोर, सायला, बागोडा, भीनमाल, रानीवाडा, सांचौर में विभक्त किया गया है। वर्ष 2013 में मुख्यमंत्री बजट घोषणान्तर्गत 2 नवीन उपखण्ड जसवन्तपुरा व चितलवाना तथा दो उप तहसील जीवाणा एवं रामसीन नव सृजित की गई है ।

जिले में राजस्व प्रशासन की दृष्टि से जालोर, आहोर, सायला, भीनमाल, रानीवाडा, सांचौर, जसवन्तपुरा, बागोडा व चितलवाना सहित 9 तहसील कार्यालय हैं तथा विकास गतिविधियों के संचालन के लिए आहोर, जालोर, सायला, भीनमाल, जसवन्तपुरा, रानीवाडा, सांचौर तथा चितलवाना कुल 8 पंचायत समितियां हैं। जिले में कुल 274 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें राज्य सरकार द्वारा दिनांक 05/11/2014 को विकास को गति देने के लिए 10 ग्राम पंचायतों का नवसृजन किया गया है यथा—

नाम पंचायत समिति	नवसृजित ग्राम पंचायत
भीनमाल	(1) नया मोरसीम
सायला	(1) तेजा की बैरी, (2) डाबली
रानीवाडा	(1) मैत्रीवाडा, (2) भाटीप, (3) आलड़ी
सांचौर	(1) दुगावां, (2) सेड़िया, (3) लाछीवाड़
चितलवाना	(1) सहु व डहुकियों की ढाणी

जिले में 809 राजस्व ग्राम है । राजस्व की दृष्टि से जिले में 285 पटवार मंडल, 71 भू0अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र तथा 802 आबाद एवं 7 गैर आबाद ग्राम है।

राजनैतिक दृष्टि से जालोर व सिरोही जिला एक संसदीय क्षेत्र है वही जालोर जिले में पांच विधान सभा क्षेत्र यथा आहोर, जालोर, भीनमाल, रानीवाडा व सांचौर है जबकि जालोर नगर परिषद क्षेत्र है तो भीनमाल व सांचौर नगर पालिका क्षेत्र है । वर्ष 2013 में हुए विधान सभा आम चुनावों के दौरान जिले में 4 विधान सभा क्षेत्र यथा आहोर, जालोर, भीनमाल व रानीवाडा से भारतीय जनता पार्टी एवं सांचौर से इंडियन नेशनल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए है ।

पुलिस व्यवस्था

जालोर जिले में पुलिस व्यवस्था के तहत जिला मुख्यालय पर पुलिस अधीक्षक व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय है जबकि भीनमाल में अतिरिक्त अधीक्षक का नवीन पद सृजित हुआ है वही जालोर, भीनमाल व सांचौर में उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा जिले में 15 पुलिस थाने एवं जालोर जिला मुख्यालय पर महिला पुलिस थाना कार्यरत है इसी प्रकार जालोर में एक भ्रष्टाचार निरोधक कार्यालय, 10 पुलिस चौकिया, 3 जेले, उप पुलिस अधीक्षक अजा—जजा कार्यालय स्थापित है ।

न्यायिक व्यवस्था

जिले में न्यायिक व्यवस्था के तहत जालोर जिला मुख्यालय पर जिला सत्र न्यायाधीश कार्यालय है वही जालोर में 1 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं 1 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय है जबकि जालोर में 2 अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीनमाल व सांचौर में एक—एक अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय है वही जिले में 4 मुंसिफ मजिस्ट्रेट कार्यालय है ।

चिकित्सा व्यवस्था

चिकित्सा व्यवस्था के तहत जिला मुख्यालय पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय है वहीं आठ ब्लॉकों पर 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 69 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 408 सब सेन्टर, 1 क्षय निवारण केन्द्र है वहीं आयुर्वेद व्यवस्था के तहत जिले में 3 आयुर्वेद चिकित्सालय एवं 72 डिस्पेन्सरियाँ हैं वहीं जिले में 4 होम्योपैथिक चिकित्सालय हैं वहीं जिला मुख्यालय पर एक नवीन ट्रौमा सेन्टर भवन बना हुआ है ।

शिक्षा व्यवस्था

जालोर जिले में वर्तमान में जालोर में दो व भीनमाल में एक राजकीय महाविद्यालय संचालित है वहीं जिले में 263 सीनियर हायर सैकण्डरी, 73 सैकण्डरी, 572 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 1052 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं जबकि एक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) तथा जालोर व रानीवाडा में आईटीआई है । इसी प्रकार निजी शिक्षण संस्थानों की दृष्टि से जालोर व भीनमाल में बीएड कॉलेज तथा जालोर में विधि कॉलेज चल रहे हैं । सांचौर में एक निजी महाविद्यालय भी चल रहा है ।

जालोर जिले में वर्तमान में जसवन्तपुरा में जवाहर नवोदय विद्यालय संचालित हो रहा है वहीं शिक्षा सत्र 2013 से जालोर नगर में ही शिवाजी नगर विद्यालय में केन्द्रीय विद्यालय का संचालन प्रारम्भ होना प्रस्तावित था । इसी प्रकार जालोर बिशनगढ में निजी पोलोटेनिक कॉलेज भी चल रहा है

कृषि उत्पादन

जालोर जिले में कृषि उत्पादन के तहत प्रमुख पैदावारों में बाजरा, गेहूँ, मूंग, मोठ व चने की फसले हैं वहीं ईसबगोल जिसे घोडा जीरा कहते हैं तथा सरसों का उत्पादन प्रमुखता है । जिले में खरीफ व रबी आधारित फसले होती हैं ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

जालोर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले में 620 उचित मूल्य की दुकानों हैं जिनमें शहरी क्षेत्र में 60 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 560 दुकानें संचालित हो रही हैं। जिले में एपीएल योजना के तहत राशन कार्ड 3 लाख 66 हजार 629 हैं वहीं बीपीएल योजना के तहत 67 हजार 145 तथा स्टेट बीपीएल राशन कार्ड 21 हजार 431 तथा अन्त्योदय अन्न योजना के कार्ड धारक 29 हजार 917 हैं । जिले में एलपीजी गैस के तहत जालोर में 2 एजेन्सी तथा भीनमाल, सांचौर, रानीवाडा व आहोर में 1-1 गैस एजेन्सी हैं वहीं सियाणा, सायला, रामसीन, भालनी, धुम्बड़िया, निम्बावास, धानसा, उम्मेदाबाद व सुराणा ग्राम में राजीव गांधी ग्रामीण गैस एजेन्सी सहित जिले में कुल 15 गैस एजेन्सी हैं जिनके माध्यम से जिले में 1 लाख 21 हजार 629 उपभोक्ता हैं जिनमें से 69 हजार 600 एसबीसी व 52 हजार 29 डीबीसी गैस धारक हैं ।

ग्रेनाईट उद्योग –

जालोर जिले में ग्रेनाईट उद्योग पूर्णतया विकसित अवस्था है जालोर शहर के 3 अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों में आज लगभग 800 ग्रेनाईट इकाईयाँ हैं वहीं बिशनगढ, भागली, बागरा, सियाणा, आकोली व रामसीन में गैर व मान्यता प्राप्त लगभग 100 अतिरिक्त ग्रेनाईट इकाईयाँ स्थापित हैं जिसमें कुल अनुमानित 2 हजार करोड का निवेश हो रखा है । जालोर में ग्रेनाईट की विभिन्न किस्म की टाईल्स तैयार की जाती हैं।

जिले की लोक संस्कृति

जालोर की प्रमुख लोक संस्कृति में जालोर का गैर नृत्य प्रमुख है जिसमें आहोर तहसील क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों के लोक कलाकारों ने गैर व ढोल नृत्य के माध्यम से अपनी लोक कलाओं का प्रदर्शन किया है वही नवरात्रि के दौरान डांडिया नृत्य, होली पर महिलाओं का लूर नृत्य एवं पुरुषों द्वारा बजाया जाने वाला चंग नृत्य तथा गैर नृत्य प्रमुखता से लिये हुए हैं ।

जिले का हस्तशिल्प

जालोर जिले में हस्तशिल्प उद्योग के अन्तर्गत लेटा का खेसला, भीनमाल व सांचौर का ऊनी पट्टू व दरी पट्टी जालोर व आहोर पंचायत समिति के अनेक ग्रामों में मिट्टी के खिलोने, जालोर, भीनमाल व रानीवाडा क्षेत्र में चमड़े की जूती आदि प्रमुख रूप से बनाई जाती है । इसी प्रकार जालोर के ग्रेनाइट की घड़िया, चकले, नेम प्लेट, खरल, एसट्रे एवं टेबले आदि भी बनाई जाती है तो जालोर में लकड़ी के खिलोने व पुराने फर्नीचर का निर्माण भी किया जाता है।

जालोर जिले के दर्शनीय स्थल

जालोर जिले में जालोर दुर्ग एवं तोपखाना पुरातात्विक विभाग द्वारा संरक्षित धरोहर है वही अन्य दर्शनीय स्थलों में सुन्धा माता मंदिर, सिरा मंदिर, सेवाडा का पातालेश्वर शिव मंदिर, भीनमाल का 72 जिनालय व वाराहश्याम का मंदिर, मांडोली का गुरु मंदिर, रामसीन में आपेश्वर का शिव मंदिर, मोदरा का आशापुरी मंदिर, मांडवला का जहाज मंदिर, भांडवपुर का जैन तीर्थ, जालोर का कीर्ति स्तम्भ व नंदीश्वरद्वीप तीर्थ, बिशनगढ का कैलाशधाम, सांचौर के सिद्धेश्वर का सती दाक्षायणी का मंदिर आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं ।

जिले की महत्वाकांक्षी परियोजनाएँ

नर्मदा नहर परियोजना

नर्मदा नहर गुजरात के सरदार सरोवर बांध से 458 कि.मी. से चलती हुई राजस्थान के जालोर जिले के सांचौर तहसील क्षेत्र के सीलू ग्राम में पहुँची है जहाँ से विभिन्न वितरिकाओं के द्वारा जालोर व बाडमेर जिले को सिंचाई सुविधा मुहैया हो रही है । नर्मदा नहर से जिले में सिंचाई व पेयजल के लिए अलग-अलग योजनाओं को स्वीकृत किया गया है जिसमें प्रमुख इस प्रकार है ।

एफआर प्रोजेक्ट

नर्मदा नहर 'ट्रांसमिशन मेन-1 (एफआर) आर.डी. 44.22- बागोडा-जालोर- " आहोर नामक प्रोजेक्ट 303.38 करोड का स्वीकृत किया गया जिसमें नर्मदा नहर से जालोर जिले के 281 गांव एवं जालोर शहर को पेयजल उपलब्ध करवाया जाना है जिसके अन्तर्गत अब तक तेतरोल से बागोडा एवं बागोडा से उम्मेदाबाद तक अब तक 56.28 किलोमीटर पाईप लाईन बिछाई जाकर उसे जोडा जा चुका है वही उम्मेदाबाद से आहोर तक डी.आई. पाईप बिछाने का कार्य प्रगति पर है तथा अब तक 271.04 करोड रूपयें व्यय हो चुके हैं ।

डीआर प्रोजेक्ट

नर्मदा नहर 'ट्रांसमिशन मेन-1 (डीआर) आर.डी. 16.00-सांचौर- रानीवाडा कल्ला- जसवन्तपुरा नामक प्रोजेक्ट 129.63 करोड का स्वीकृत किया गया है जिसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मंत्री के बजट घोषणा 2012 में इस कार्य के लिए 223 करोड की घोषणा की गई । डीआर योजना के तहत जालोर जिले के 138 गांव एवं सांचौर शहर को पेयजल उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है ।

ईआर प्रोजेक्ट

जालोर जिले के 256 गांवों एवं भीनमाल शहर हेतु के लिए पेयजल व्यवस्था के लिए ईआर प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है जिसके लिए 950 करोड रूपयों की योजना स्वीकृत हुई हैं । माननीय मुख्य मंत्री के बजट घोषणा 2013 के तहत घोषणा अनुसार परियोजना का प्रारम्भिक कार्य प्रारम्भ किया जाना है ।

नर्मदा पर आधारित विभिन्न पेयजल परियोजनाओं पर वर्ष 2006-2007 से वर्ष 2012-2013 माह अप्रैल, 2013 तक 291.01 करोड रूपयों का व्यय किया जा चुका है ।

बाण्डी सणधरा सिंचाई परियोजना

जालोर जिले में बाण्डी सणधरा सिंचाई परियोजना 3702 लाख की स्वीकृत है। जिसके तहत बाण्डी सणधरा मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण गांव सणधरा तहसील भीनमाल पंचायत समिति जसवन्तपुरा जिला जालोर के पास बाण्डी नदी पर प्रगतिरत हैं। कार्य के पूर्ण होने पर 3478.00 हैक्टर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी ।

जिले की प्रमुख समस्यायें

जालोर जिले की प्रमुख समस्याओं में जालोर जिले में उपलब्ध पीने के पानी में फ्लोराईड्स की अधिकता होने के कारण यहाँ के निवासियों में फ्लोरोसिस की बीमारी है जिसके कारण 50 वर्ष से अधिक के लोगों के घुटनों में दर्द या घुटनों का टेढ़ा-मेढ़ा हो जाना सामान्य है । इसी प्रकार जालोर जिले के प्रवासी बन्धु दक्षिण भारत में व्यवसाय करते रहते हैं तथा जिले में ब्रोडगेज बन जाने के बावजूद भी रेल परिवहन व्यवस्थाओं की कमी महसूस हो रही है वही जालोर जिले के ग्रेनाईट पत्थर की स्लरी भी एक प्रकार की समस्या है जिसका निदान किया जाना है ।

(Chapter) अध्याय-1

1.1 जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के उद्देश्य

पृथ्वी एवं प्रकृति की शुरुआत से ही मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए प्रकृति से संघर्ष कर रहा है। भले ही मनुष्य ने सामाजिक, वैज्ञानिक व तकनीकी के क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली है, परन्तु आज भी प्राकृतिक आपदाएं एवं अन्य आकस्मिक घटनाएँ मनुष्य के नियंत्रण में नहीं हैं। कल युग में प्रौद्योगिक और आद्योगिक विकास ने मनुष्यकृत आपदाओं के लिए नये द्वार खोल दिए हैं जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रतिवर्ष विश्व के कई भागों में एक या अधिक प्रकार की आपदाओं के कारण विनाशकारी प्रभाव पड़ता है जिससे जान व माल का काफी नुकसान होता है।

भारत देश भी प्राकृतिक आपदा यथा बाढ़/चक्रवात, भूकम्प सूखा, ओलावृष्टि, लू-तापघात आदि से ग्रस्त है जिनसे मानव जीवन को अधिकतम क्षति होती है। सूखा व बाढ़ जैसी आपदाओं से फसल और वनस्पति को भारी नुकसान के अलावा पशु धन के साथ-साथ निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तियां भी नष्ट हो जाती हैं। 1999 में उड़ीसा में आये तूफान , 2001 में गुजरात का भूकम्प तथा वर्ष 2013 में उत्तराखण्ड में आई बाढ़ त्रासदी विनाश के ताजे उदाहरण हैं। इसके साथ ही देश एवं विदेश में बाढ़ एवं तूफान जैसी आपदाएँ आज कल आम हो गयी है। जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना बनाने के उद्देश्य निम्न हैं:-

- (1) जिला में संभावित आपदाओं से होने वाले खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर पूर्व तैयारियों की समीक्षा कर निर्धारित करना।
- (2) जिले में विद्यमान विभिन्न आपदा नियंत्रण मूलभूत सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका जिला प्रशासन की क्षमता बढ़ाने में उपयोग करना।
- (3) अपना न्यूनीकरण (Minimisation) के विभिन्न पहलूओं को क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।
- (4) जिले में पूर्व में हुई आपदाओं का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में उनसे निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना।
- (5) आपदा के आने पर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही का क्रियान्वयन करना।
- (6) राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबंधन औजार बनाना।

निश्चित योजना के अभाव में आपदा आने पर कार्यों का समन्वय सुचारु रूप से नहीं हो पाता। किसी एक कार्य पर अत्यधिक ध्यान दे दिया जाता है तथा अन्य कार्य जो की अत्यन्त महत्वपूर्ण

होते हैं उनको बिल्कुल भुला दिया जाता है। ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति-आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं:-

- (क) आपदा संबंधी कार्यों के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।
- (ख) इससे संबंधित समस्त विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
- (ग) कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण करना।
- (घ) उपलब्ध सुविधा और स्रोतों की सूची तैयार करना।
- (ङ) स्रोतों के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।
- (च) सभी सहायता कार्यों का पारस्परिक समन्वय करना।
- (छ) राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

गुजरात के भुज में 26.1.2001 को आये विनाशकारी भूकम्प से हुई त्रासदी व जानमाल के भारी नुकसान से पूरे देश को जूझना पड़ा था। इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 16 फरवरी 2001 को राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी विभिन्न बिन्दुओं पर विचार किया गया। मुख्य सचिव महोदय ने पिछले साल की तीन मुख्य आपदाओं भरतपुर के आयुध डिपो में आग, बीकानेर के लुण्करणसर में बाढ़ तथा पिछले साल के सुखे के अनुभवों के आधार पर जानकारी देते हुए बताया कि संचार व्यवस्थाओं की असफलता, प्रशासनिक समन्वय की कमी, प्रेस तक सही सूचना का अभाव तथा उपलब्ध संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग न होने के कारण कार्यवाही में देरी होती है। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य एवं जिला स्तर पर इन आपदाओं से निपटने व बेहतर प्रबन्धन के लिए आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की जाये ताकि बिना विलम्ब के कार्यवाही की जा सके। आपदा प्रबन्धन योजना में प्रत्येक विभाग की आपदा पूर्व, आपदा के दौरान व आपदा के बाद उनकी भूमिका तथा उपलब्ध संसाधनों का व्यापक उल्लेख होगा। जिससे प्रतिक्रिया के समय को कम करके आपदा को नियंत्रित किया जा सके।

उत्तराखण्ड राज्य में 16 एवं 17 जून, 2013 में घटित प्राकृतिक आपदा बाढ़ त्रासदी से भी प्रदेश के साथ-साथ पूरे देश को भी इस आपदा से जूझना पड़ा था। मानव क्षति, पशु क्षति, सम्पदा क्षति भारी तादाद में हुई थी, जो कि एक ताजा उदाहरण ही कहा जा सकता है।

1.2 AUTHORITY AND THE DISASTER MANAGEMENT ACT, 2005

For prevention and mitigation effects disasters and for undertaking a holistic, coordinated and prompt response to any disaster situation it has been decided by the government to enact a law on disaster management to provide for requisite institutional mechanisms for drawing up and monitoring the implementation of the disaster management plans, ensuring measures by various wings of Government. To achieve this objective the disaster management Bill was introduced in the parliament.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

- 1- The Government has decided to enact a law on disaster management to provide for requisite institutional mechanisms for drawing up and monitoring the implementation of the disaster management plans, ensuring measures by various wings of Government for prevention and mitigating effects of disasters and for undertaking a holistic, coordinated and prompt response to any disaster situation.
- 2- The Disaster Management Bill, 2005 provides for setting up of a National Disaster Management authority under the chairmanship of the Prime Minister, State Disaster Management Authorities under the chairmanship of the chief ministers and District Disaster Management Authorities under the chairmanship of district Magistrates. The Bill also provides for concerned ministries or Departments to draw up Department wise plans in accordance with the National Disaster Management plan. It provides for constitution of a National Disaster Response Force and setting up the National Institute of Disaster Management. The Bill provides for the constitution of the National fund for Disaster Response and the National fund for disaster Mitigation and similar funds at the state and District levels. The Bill provides for specific role for local Bodies in disaster management including Panchayati Raj Institutions as well as Urban Local Bodies like municipalities.
- 3- The proposed enactment will facilitate effective steps for the mitigation of disasters, prepare for and coordinate effective response to disasters, as also matters connected therewith or incidental thereto.

- 4- The Bill seeks to Achieve the above objects. ACT 53 OF 2005

The Disaster Management Bill having been passed by both the house of parliament received the assent of the president on 23rd December, 2005 it came on the statute Book as THE DISASTER MANAGEMENT ACT, 2005 (53 OF 2005)

THE DISASTER MANAGEMENT ACT 2005 (53 OF 2005)
[23rd December, 2005]

An Act to provide for the effective management of disasters and for matters connected therewith or incidental thereto. Be it enacted by parliament in the Fifty-sixth Year of the republic of India as follows:-

CHAPTER 1 PRELIMINARY

(1) Short title, extent and commencement:- (1) This Act may be called the Disaster Management Act, 2005

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force on such date as the central Government may, by notification in the Official Gazette appoint, and different dates may be appointed for different provisions of this Act and for different states, and any reference to commencement in any provision of this Act in relation to any state shall be construed as a reference to the commencement of that provision that state.

2. Definitions- In this Act unless the context otherwise requires-

(a) "affected area" means an area or part

(b) "capacity - building" includes-

(i) Acquiring or creating resources identified under sub-clause

(ii) (iii) organization and training of personnel and coordination of such training for effective management of disasters,

(C) "Central Government" means the ministry or Department of the Government of India having administrative control of disaster management;

(D) "Disaster" means a catastrophe, mishap, calamity or grave occurrence in any area. arising from natural or man made causes, or by accident or negligence which results in substantial loss of life or human suffering or damage to, and destruction of property, or damage to, or degradation of, environment, and is of such a nature

or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area;

Disaster Management Act, 2005

(e) "disaster management" means a continuous and integrated process of planning organising, coordinating and implementing measures which are necessary or expedient for-

(i) Prevention of danger or threat of any disaster;

(ii) Mitigation or reduction of risk of any disaster or its severity or consequences;

1 Sections 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 75, 77 and 79 came into force on 28-7-2006, tilde S.O. 1216 (E), Dated 28 th July, 2006

section 7, 9, 11, 12, 13, 35, 37, 42, 43, 49, 50, sub-section (1) of section 70 and section 76 came into force on 30-10-2006 sections 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 sub- section (2) of section 70, section 71, 72, 73, 74, 78 and 79 shall come into force on 1-8-2007, vide

S.O.0.722 (E), Dated 7 th May, 2007 Sections 44 and 45 come into force on 17-3-2008, vide SO. 517 (E) dated 17 th, 2008.

[Sec. 2]

- (iii) Capacity building;
 - (iv) preparedness to deal with any disaster;
 - (v) prompt response to any threatening disaster situation or disaster;
 - (vi) assessing the severity or magnitude of effects of any disaster;
 - (vii) evacuation, rescue and relief;
 - (viii) rehabilitation and reconstruction;
 - (f) "District Authority" means the District Disaster Management Authority constituted under sub-section (1) of section 25;
 - (g) "District plan" means the plan for disaster management for the district prepared under section 31;
 - (h) "Local Authority" includes panchayati Raj institutions, municipalities, a District board, cantonment board, town planning authority or Zila parishad or any other body or Authority, by whatever name called, for the time being invested by law, for rendering essential services or, with the control and management of civil services, within a specified local area;
 - (i) "mitigation" means measures aimed at reducing the risk, impact or effects of a disaster or threatening disaster situation;
- Disaster Management Act, 2005 [Sec. 2]
- (i) "National Authority" means the National Disaster Management Authority established under sub-section (1) of section 3;
 - (K) "National Executive committee" means the executive committee of the National Authority Constituted under sub-Section (1) of section 8;
 - (1) " National Plan" means the plan for disaster management for the whole of the country prepared under section 11;
 - (m) "Preparedness" means the state of readiness to deal with a threatening disaster situation or disaster and the effects thereof;
 - (n) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act
 - (o) "reconstruction" means construction or restoration of any property after. a disaster;
 - (p)" resources" includes manpower, service materials and provisions;
 - (q) "state Authority" means the state disaster management Authority established under sub-section (1) of section 14 and includes the Disaster Management Authority for the union Territory constituted under that section;
 - (r) "state Executive committee" means the executive committee of a state Authority constituted under sub-section (1) of section 20;
 - (s) "state Government " means the Department of Government of the state having administrative control of disaster management and includes administrator of the Union territory appointed by the president under article 239 of the constitution;
 - (t) "state Plan" means the plan for disaster management for the whole of the state prepared under section 23

The Disaster Management Act. 2005 [Sec. 3]

CHAPTER- II

THE NATIONAL DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY

3. Establishment of National Disaster Management Authority- r-(1) with effect from such date as the central Government may, by notification in the official Gazette appoint in this behalf, there shall be established for the purposes of this Act, an authority to be known as the National Disaster Management Authority

(2) The National Authority Shall consist of the Chairperson and such number of other member not exceeding nine, as may be prescribed by the central Government and, unless the rules otherwise provide the National authority shall consist of the following:-

(a) the prime Minister of India, who shall be the chairperson of the National Authority ex officio;

(b) other member, not exceeding nine, to be nominated by the chairperson of the National Authority

(3) The Chairperson of the National Authority may designate one of the members nominated under clause (b) of sub-section (2) to be the vice chairperson of the National Authority;

(4) The term of Office and conditions of service of members of the National Authority shall be such as may be prescribed.

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 3 seeks to establish the National Disaster Management Authority (hereinafter called the National Authority) and provide for its composition

4 Meetings of National Authority - (1) The National Authority shall meet as and when necessary and at such time and place as the chairperson of the National Authority may think fit.

(2) The Chairperson of the National Authority shall preside over the meetings of the National Authority

(3) If for any reason the Chairperson of the National Authority is unable to attend any meeting of the National Authority, the *Vice Chairperson of the National Authority shall preside over the meeting.

The Disaster Management Act, 2005 [sec.3]

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 4 seeks to make provisions for the meetings of the National Authority

5- Appointment of officers, and other employees of the National Authority -The Central Government shall provide the national Authority with such Officers, consultants and employees, as it considers necessary. for carrying out the functions of the National Authority

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 5 Seeks to create an obligation on the Central Government to provide the National Authority with officers, consultants and other employees, a considered by it, for carrying out the functions of the National Authority.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 6]

6. Powers and functions of National Authority -(1) Subject to the rovisions of this Act. the National Authority shall have the responsibility for laying down the policies, plans and guidelines for disaster management for ensuring timely and effective response to disaster.

(2) Without prejudice to generality of the provision contained in subsection

(1) the National Authority may-

(a) lay down policies on disaster management

(b) approve the National plan;

(c) approve plans prepared by the ministries or departments of the Government of India in accordance with the National plan;

(d) lay down guideline to be followed by the state Authority in drawing up the state plan;

(e) lay down guidelines to be followed by the different ministries or Departments of the Government of India for the purpose of integrating the measure for revention of disaster or the mitigation of its effects in their development plans and projects;

(f) coordinate the enforcement and implementation of the policy and plan for disaster management;

(g) recommend provision of funds for the purpose of mitigation;

(h) Provide such support to other countries affected by major disasters as may be determined by the Central Government

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 6]

(i) take such other measures for the prevention of disaster, or the mitigation, or preparedness and capacity building for dealing with the threatening disaster situation or disaster as it may consider necessary;

(i) lay down board policies and guidelines for the functioning of the National institute of Disaster Management;

(3) The Chairperson of the National Authority shall, in the case of emergency, have power to exercise all or any of the powers o the National Authority but exercise of such powers shall be subject to a post factoratification by the National Authority

COMMENTS

As per Notes on clauses of the Bill

Section 6 seeks to lay down the responsibility and functions of the National Authority and provides for exercise of the powers of the Authority by its Chairperson, in the case of emergency, subject to post facto ratification by the national Authority.

7. Constitution of Advisory committee by National Authority - (1) The National Authority may constitute an advisory committee consisting of experts in the field of disaster management and having practical experience of disaster management

at the national, state or Disast level to make recommendations on different aspects of disaster management.

(2) The Members of the Advisory Committee shall be paid such allowances as may be prescribed by the central Government in consultation with the National Authority.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 7]

COMMENTS

As per Notes on clauses of the Bill

Section 7 seeks to provide for constitution of an advisory Committee by the National. Authority and also the Central Government to prescribe allowances to be paid to the members of the Advisory Committee.

8. Constitution of National Executive Committee-(1) The Central Government shall, immediately after issue of notification under sub- section (1)

The Disaster Management Act. 2005 [Sec. 7]

of section 3. constitute a National Executive committee to assist the National Authority in the performance of its functions under this Ad.

(2) The National Executive Committee shall consist of the following members namely:-

(a) the Secretary to the Government of India Charge of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of the disaster management, who shall be chairperson, ex officio;

(b) the Secretaries to the Government of India in the Ministries or Departments having administrative control of the agriculture, atonic energy, defense, drinking water supply, environment and forests, finance (expenditure), health power, rural development science and technology space, telecommunication, urban development, water resources and the chief of the integrated defense staff of the chiefs of staff committee, ex officio.

(3) The Chairperson of the National Executive Committee may invite any other officer of the Central Government or a state Government for taking part in any meeting of the National Executive Committee and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed by the Central Government in consultation with the National Authority.

(4) The Procedure to be followed by the National executive committee in exercise of its powers and discharge of its functions shall be such as may be prescribed by the Central Government.

COMMENTS

As per Notes on clauses of the Bill

Section 8 seeks to provide for the constitution of the National Executive committee to assist the National Authority it also seeks to authorise the Central Government to prescribe the powers functions and procedure of the National Executive Committee.

9. Constitution of sub- committees --(1) The National Executive committee may, as and when it considers necessary, constitute one or more sub-committees, for the efficient discharge of its functions.

- (2) The National Executive Committee shall, from amongst its members, appoint the chairperson of the sub Committee referred to in sub section
- (1)
- (3) Any person associated as an expert with any sub-committee may be paid such allowance as may be prescribed by the central Government.

The Disaster Management Act 2005 [Sec.7]

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 9 seeks to provide for the constitution of sub committees by the National Executive Committee and enables the Central Government to prescribe and make payment of allowance to any person associated as an expert in any sub committee.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 10]

10. Powers and functions of National Executive Committee-(1) The National Executive committee shall assist the National Authority in the discharge of its functions and have the responsibility for implementing the policies and plans of the National Authority and ensure the Compliance of directions issued by the central Government for the purpose of disaster management in the country.

(2) Without Prejudice to the generality of the provisions contained in subsection (1), the National Executive Committee may-

- (a) act as the coordinating and monitoring body for disaster management;
- (b) prepare the National plan to be approved by the National Authority;
- (c) Coordinate and. monitor the implementation of the National Policy;
- (d) lay down guidelines for preparing disaster management plans by different ministries or Departments of the Government of India and the state Authorities;
- (e) Provide necessary technical assistance to the state Governments and the state Authorities for preparing their disaster management plans in accordance with the guidelines laid down by the National Authority;
- (f) monitor the implementation of the National plan and the plans prepared by the ministries or Departments of the Government of India;
- (g) monitor the implementation of the guidelines laid down by the National Authority for integrating of measures for prevention of disasters and mitigation by the Ministries or departments in their development plans and projects;
- (h) monitor, coordinate and give directions regarding the mitigation and preparedness measures to be taken by different Ministries or Departments and agencies of the Government;

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 10]

- (i) Evaluate the preparedness at all Governmental level for the purpose of responding to any threatening disaster situation or disaster and give directions, where necessary, for enhancing such preparedness;
- (j) plan and coordinate specialised training programme for disaster management for different levels of officers, employees and voluntary rescue workers;
- (k) Coordinate response in the event of any threatening disaster situation or disaster;

- (l) lay down guidelines for, or give directions to, the concerned ministers or Departments of the Government of India, the state Governments and the state Authorities regarding measures to be taken by them in response to any threatening disaster situation or disaster;
- (m) require any Department or Agency of the Government to make available to the National or state Authorities such men or material resources as are available with it for purposes of emergency response, rescue and relief;
- (n) advise assist coordinate the activities of the Ministries or Departments of the Government of India, state Authorities statutory bodies. other Governmental or non-Governmental organisations and others engaged in disaster management;
- (o) provide necessary technical assistance or give advice to the state Authorities and district Authorities for carrying out their functions under this Act.
- (p) prompt general education and awareness in relation to disaster management; and
- (q) perform such other functions as the National Authority may require it to perform.

COMMENTS

As per Notes on clauses to the bill

section 10 seeks to prescribe the powers and functions of the National Executive Committee.

11. National Plan -(1) There shall be drawn up a plan for disaster management for the whole of the country to be called the National Plan.

(2) The National Plan shall be prepared by the National Executive Committee having regard to the National policy and in consultation with the

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 10]

State Governments and expert bodies or organisations in the field of disaster management to be approved by the National Authority

(3) The National Plan Shall include-

(a) Measures to be taken for the prevention of disasters, or the mitigation of their effects;

(b) measures to be taken for the integration of mitigation measures in the development plans;

(c) measures to be taken for preparedness and capacity building to effectively respond to any threatening disaster situations or disaster;

(d) roles and responsibilities of different Ministries or Departments of the Government of India in respect of measures specified in clauses (a), (b) and (c)

(4) The National Plan shall be reviewed and updated annually

(5) Appropriate Provisions shall be made by the Central Government for financing the measures to be carried out under the National Plan.

(6) Copies of the National plan referred to in sub-sections (2) and (4) shall be made available to the ministries or Departments of the Government of India and such Ministries or Departments shall draw up their own plans in accordance with the National.

COMMENTS

As per Notes on clauses of the Bill

Section 11 seeks to make it mandatory to prepare the National Disaster management

Plan for the whole of the country. it lays down the board coverage of the plan and the requirements of consultation in the preparation of the plan. It provides for annual review and

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 14]

Updating of the National plan it enjoins upon the Central Government to make provisions for financing the activities to be carried out under the National Plan. It also provides for the Ministries or Departments of the Government of India to draw up their own plans in accordance with the national Plan.

12. Guidelines for minimum standards of relief - The National Authority shall recommend guidelines for the minimum standards of relief to be provided to persons affected by disaster, which shall include-

- (i) The minimum requirements to be provided in the relief camps in relation to shelter, food, drinking water; medical cover and sanitation;
- (ii) the special provisions to be made for widows and orphans;
- (iii) ex gratia assistance on account of loss of life as also assistance on account of damage to houses and for restoration of means of livelihood
- (iv) such other, relief as may be necessary.

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 12 seeks to provide for laying down the guidelines by the National Authority for minimum standards of relief and spells out certain important aspects to be included in the guidelines.

13. Relief in loan repayment etc - The National Authority may, in cases of disasters of severe magnitude, recommend relief in repayment of loans or for grant of fresh loans to the persons affected by disaster on such concessional terms as may be appropriate.

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 13 seeks to empower the National Authority, in cases of disasters of severe magnitude, to give directions regarding relief in repayment of loans or for grant of fresh loans on concessional terms to the persons affected by such disasters.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 14]

CHAPTER III

STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITIES

14. Establishment of state Disaster Management Authority -(1) Every State Government shall, as soon as may be after the issue of the notification under sub-section

(1) of Section 3, -by notification in the official Gazette establish a state Disaster Management Authority for the state with such name as may be specified in the notification of the state Government.

(2) A state Authority shall consist of the Chairperson and such number of other members, not exceeding nine; as may be prescribed by the state Government and, unless the rules otherwise provide, the state Authority shall consist of the following members, namely:-

(a) the Chief minister of the state, who shall be chairperson, ex officio;

(b) other members not exceeding eight to be nominated by chairperson of the state Authority.

(c) The Chairperson of the state Executive Committee, ex officio

(3) The chairperson of the state Authority may designate one of the members nominated under clause (b) of sub-section (2) to be the vice chairperson of the state Authority

(4) The Chairperson of the state Executive committee shall be; the chief executive officer of the state Authority, ex officio; Provided that in the case of a union territory having legislative Assembly, except the Union territory of Delhi, the chief Minister shall be the Chair person of the Authority established under this section and in case of other Union territories, the Lieutenant Governor or the Administrator shall be the Chairperson of that Authority : Provided further that the Lieutenant Governor of the Union Territory of Delhi shall be the Chairperson and the Chief Minister thereof shall be the Vice- Chairperson of the state Authority.

(5) The term of Office and conditions of service of members of the state Authority shall be such as may be prescribed.

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 14 seeks to provide for the establishment of the state Disaster Management Authority (hereinafter called the state Authority) by the state government provides for the composition of the state Authority

The Disaster Management Act., 2005 [Sec. 14]

15. Meetings of the state Authority- (1) The state Authority shall meet as and when necessary and at such time and place as the chairperson of the state Authority may think fit.

(2) The Chairperson of the state Authority shall preside over the meetings of the state Authority

(3) If for any reason, the Chairperson of the state Authority is unable to attend the meeting of the state Authority, the Vice- Chair person of the state Authority shall preside at the meeting.

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 15 Seeks to provide for the frequency, venue and presiding Authority for the meetings of the state Authority.

16. Appointment of officers and, other employees of state Authority-
The State Government shall provide the state Authority with such Officers, consultants and employees, as it considers necessary, for carrying out the functions of the state Authority

COMMENTS

As Per Notices on Clauses of the Bill

Section 16 seeks to enjoin upon the state Government concerned to provide the state Authority with such officers consultants and other employees, as it consider necessary for carrying out the functions of the state Authority

17. Constitution of Advisory committee by the state Authority -(1) A State Authority may, as and when it considers necessary, constitute an advisory committee, consisting of experts in the field of Disaster management and having practical experience of disaster management to make recommendations on different aspects of disaster management.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 19]

(2) The members of the Advisory Committee shall be paid such allowances as may be prescribed by the state Government.

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 17 seeks to provide for the constitution of an advisory committee by the state authority and also seeks to enable the state government to prescribe allowances and to make payment of such allowances to the members of the Advisory committee

18 Powers and functions of State Authority - (1) Subject to the provisions of this Act a state Authority shall have the responsibility for laying down policies and plans for disaster management in the state.

(2) without prejudice to the generality of provisions contained in subsection.

(1) the state Authority may-

(a) lay down the state disaster management policy -

(b) approve the state plan in accordance with the guidelines laid down by national Authority,

(c) approve the disaster management plans prepared by the departments of the government of the state;

(d) lay down guidelines to be followed by the departments of the government of the state for the purposes of integration of measures for prevention of disasters and mitigation in their development plans and projects and provide necessary technical assistance therefore.

(e) coordinate the implementation of the state plan

(f) recommend provision. of funds for mitigation and preparedness measures;

(g) review the development plans of the different departments of the state and ensure that prevention and mitigation measures are integrated therein;

(h) review the measures being taken for mitigation, capacity building and preparedness by the departments of the Government of the state and issue such guidelines as may be necessary

(3) The Chairperson of the state Authority shall, in the case of emergency, have power to exercise all or any of the power of the state Authority but the exercise of such powers shall be subject to a post facto ratification of the state Authority
The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 19]

COMMENTS

As Per Notes on Clauses of the Bill

Section 18 Seeks to lay down the responsibility and functions of the state Authority and provides for exercise of the powers of the state Authority by its Chairperson in the case of emergency, subject to post facto ratification by the state Authority

19. Guidelines for minimum standard of relief by state Authority - The State Authority shall lay down detailed guidelines for providing standards of relief to persons affected by disaster in the state. Provided that such standards shall in no case be less than the minimum standards in the guidelines laid down by the National Authority in this regard.

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 19 seeks to provide for laying down detailed guidelines by the state Authority for minimum standards of relief, which will not be less than the minimum standards laid down in the guidelines by the National Authority

20 Constitution of state Executive committee - (1) The State Government shall, immediately after issue of notification under sub-section (1) of section 14, constitute a state executive committee to assist the state Authority in the performance of its functions and to coordinate action in accordance with the guidelines laid down by the state Authority and ensure the compliance of directions issued by the state Government under this Act.

(2) The State Executive Committee shall consist of the following members, namely:-

(a) The chief secretary to the State Government, who shall be chairperson, ex officio:

- (b) Four secretaries to the Government of the state of such Departments as the state Government may think fit, ex officio.
 - (3) The chairperson of the state Executive committee shall exercise such power and perform such functions as may be prescribed by the state Government and such other powers and functions as may be delegated to him by the state Authority
 - (4) The procedure to be followed by the state executive committee in exercise of its powers and discharge of its functions shall be such as may be prescribed by the state Government.
- The Disaster Management Act, 2005 [Sec.19]

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 20 seeks to provide for the constitution of the state Executive Committee to assist the state Authority it also seeks to authorise the state Government to prescribe the powers, function and procedure of the state Executive committee. In addition, delegation of powers and functions to the state Executive Committee by the State Authority is envisaged.

21. Constitution of sub- committees by state Executive Committee-

- (1) The State Executive committee may, as and when it considers necessary, constitute one or more sub- committees, for efficient discharge of its functions.
- (2) The State Executive Committee shall, from amongst its members, appoint the Chairperson of the sub- committee referred to in sub- section
- (3) Any person associated as an expert with any sub- committee may be paid such allowances as may be prescribed by the state Government.

22. Functions of the State Executive Committee-

- (1) The State Executive committee shall have the responsibility for implementing the National plan and state plan and act as the coordinating and monitoring body for management of disaster in the state.
 - (2) Without prejudice to the Generality of the provisions of sub- section (1), the state Executive Committee may-
 - (a) Coordinate and monitor the implementation of the National Policy, the National plan and the state Plan,
- Disaster Management Act. 2005 [Sec. 22]
- (b) Examine the vulnerability of different parts of the state to different parts of the state to different forms of disasters and specify measures to be taken for their prevention or mitigation,
 - (c) lay down guidelines for preparation of disaster management plans by the Departments of the Government of the State and the District Authorities;
 - (d) Monitor the implementation of disaster management plans prepared by the departments of the Government of the State and District Authorities,
 - (e) monitor the implementation of the guidelines, laid down by the state Authority for integrating of measures for prevention of disasters and mitigation by the Departments in their development plans and projects;

Disaster Management Act. 2005 [Sec. 22]

- (f) evaluate preparedness at all Governmental or non-Governmental levels to respond to any threatening disaster situation or disaster and give direction, where necessary, for enhancing such preparedness;
- (g) Coordinate response in the event of any threatening disaster situation or disaster;
- (h) give directions to any Department of the Government of the state or any other Authority or body in the State regarding actions to be taken in response to any threatening disaster situation or disaster;
- (i) promote general education, awareness and community training in regard to the forms of disasters to which different parts to the state are vulnerable and the measures that may be taken by such community to prevent the disaster, mitigate and respond to such disaster;
- (j) advise, assist and coordinate that activities of the Departments of the Government of the state, District Authorities, statutory bodies and other Governmental and non Governmental organisations engaged in disaster management;
- (k) Provide necessary technical assistance or give advice to District Authorities and local Authorities, for carrying for carrying out their functions effectively;
- (l) advise the state Government regarding all financial matters in relation to disaster management
- (m) examine the construction, in any area in the state and if is of the opinion that the standards laid for such construction for the prevention of disaster is not being or has not been followed, may direct the District Authority or the local Authority, as the case may be, to take such action as may be necessary to secure compliance of such standards,
- (n) Provide information to the National Authority relating to different aspects of disaster management;
- (o) lay down, review and update state level response plans and guidelines and ensure that the District level plans are prepared, reviewed and updated;
- (p) ensure that communication systems are in Order and the disaster management drills are carried out periodically;
- (q) perform such other functions as may be assigned to it by the state Authority or as it may consider necessary.

Disaster Management Act. 2005 [Sec. 22]

COMMENTS

A per Notes on Clauses of the Bill

section 22 seeks to specify the responsibility and functions of the state Executive Committee

23. State Plan (1) There shall be plan for disaster management for every state to be called. The state Disaster Management plan.

(2) The State plan shall be prepared by the state Executive committee having regard to the guidelines laid down by the National Authority and after such consultation with local Authorities, District Authorities and the people's representatives as the state Executive committee may deem fit.

(3) The state plan prepared by the state Executive committee under subsection.

(2) shall be approved by the state Authority

(4) The state Plan. shall include,-

(a) the vulnerability of different parts of the state to different forms of disaster's.

(b) the measures to be adopted for prevention and mitigation of disaster's

(c) the manner in which the mitigation measures shall be integrated with the development plans and projects;

(d) the capacity- building and preparedness measures to be taken;

(e) the roles and responsibilities of each Department of the Government of the state in relation to the measures specified in clauses (b), (c) and (d) above;

(f) the roles and responsibilities of different Departments of the Government of the state in responding to any threatening disaster situation or disaster;

(5) The State plait shall be reviewed and updated annually

(6) Appropriate provisions shall be made by the state Government for financing for the measures to be carried out under the state Plan.

(7) Copies of the state Plan referred to in sub-sections (2) and (5) shall be made available to the Departments of the Government of the state and such Departments shall draw up their own plans in accordance with the state plan.

Disaster Management Act, 2005 [Sec. 22]

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 23 seeks to make it mandatory for the state to have the state Disaster Management Plan. It lays down the broad coverage of the plan as well as the requirements of consultation in the preparation of the state Plan. It Provides for annual review and updating the state Plan. It enjoins upon the state Government to make provisions for financing the activities to be carried out under the state Plan. it also provides for the Departments of the state Government to draw up their own plans in accordance with the state plan.

The Disaster Management Act. 2005 [Sec.25]

24. Powers and functions of state Executive Committee in the event of threatening disaster situation- for the purpose of, assisting and protecting the community affected by disaster or providing relief to such community or, preventing or combating disruption or dealing with the effects of any threatening disaster situation, the state Executive committee may?

- (a) control and restrict, vehicular traffic to, from or within, the vulnerable or affected area;
- (b) control and restrict the entry of any person into, his movement within and departure from, a vulnerable or affected area;
- (c) remove debris, conduct search and carry out rescue operations;
- (d) Provide shelter, food, drinking water, essential provisions, healthcare and service in accordance with the standards laid down by the National Authority and state Authority;
- (e) give direction to the concerned Department of the Government of the state, any district authority or other authority, within the local limits of the state to take such measure or steps for rescue, evacuation or providing immediate relief saving lives or property, as may be necessary in its opinion;
- (f) require any Department of the Government of the state or any other body or Authority or person in charge or any relevant resources to make available the resources for the purposes of emergency response, rescue and relief;
- (g) require experts and consultants in the field of disasters to provide advise and assistance for rescue and relief;

The Disaster Management Act, 2005 [Sec.25]

- (h) Procure exclusive or preferential use of amenities from any Authority or person as and when required;
- (i) construct temporary bridges or other necessary structures and demolish unsafe structures which may be hazardous to public;
- (j) Ensure that non -Governmental organisations carry out their activities in an equitable and non discriminatory manner;
- (k) Disseminate information to public, to deal with any threatening disaster situation or disaster;
- (l) take such steps as the Central Government or the state Government may direct in this regard or take such other steps as are required or warranted by the form of any threatening disaster situation or disaster.

COMMENTS

As Per Notes on Clauses of the Bill

section 24 seeks to lay down the powers and functions of the state executive committee in the event of a disaster or a threatening disaster situation.

CHAPTER IV

DISTRICT DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY

25. Constitution of District Disaster Management Authority-

(1) Every State Government shall, as soon as may be after issue of notification under sub- section (1) of section 14, by notification in the official Gazette, establish

a District Disaster Management Authority for every district in the state with such name as may be specified in that notification.

(2) The District Authority shall consist of the Chairperson and such number of other members, not exceeding seven, as may be prescribed by the state Government, and unless the rules otherwise provide, it shall consist of the following namely:-

(a) the collector or District Magistrate or Deputy Commissioner, as the case may be, of the District who shall be chairperson, ex officio;

(b) the elected representative of the local Authority who shall be the co Chairperson, ex officio: Provided that in the Tribal Areas, as referred to in the sixth schedule to the Constitution, the chief executive Member of the

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 25]

District council of autonomous District, Shall be the co-Chairperson, ex officio;

(c) the Chief Executive officer of the District Authority, a officio;

(d) the Superintendent of Police, ex officio;

(e) the chief Medical officer of the District, a officio;

(f) not exceeding two other District level officers, to be appointed by the state Government.

(3) in any District where Zila Parishad exist, the Chairperson thereof shall be the co- Chairperson of the District Authority

(4) The State Government shall appoint an Officer not below the rank of Additional Collector or Additional District Magistrate or Additional Deputy Commissioner, as the case may be, of the District to be the Chief Executive officer of the District Authority to exercise such powers and perform such functions as may be prescribed by the state Government and such other powers and functions as may be delegated to him by the District Authority

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 25 seeks to provide for the establishment of the District Disaster Management Authority for every District and provides its composition.

26. Power of Chairperson of District Authority-

(1) The Chairperson o the District Authority shall, in addition to presiding over the meetings of the District Authority, excercise and discharge such power and functions of the District Authority as the District Authority may delegate to him.

(2) The chairperson of the District Authority shall, in the case of an emergency, have power to exercise all or any of the powers of the District Authority but the exercise of such powers shall be subject to ex post facto ratification of the District Authority.

(3) The District Authority or the Chairperson of the District Authority may, by general or special order, in writing, delegate such of its or his powers and functions under sub section (1) or (2), as the case may be, to the chief Executive Officer of the District Authority, subject to such conditions and limitations, if any as it or he deems fit.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 30]

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 26 seeks to provide power to prescribe the powers and functions of the Chairperson of the District Authority

27 Meetings - The District Authority shall meet as and when necessary and as such time and place as the chairperson may think fit

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 27 Seeks to provide for the frequency and venue of the meetings of the District Authority

28 Constitution of Advisory Committees and there Committees - (1) The District Authority may, as and when it considers, necessary, constitute one or more advisory committees and other committees. for the efficient discharge of its functions.

(2) The District Authority shall, from amongst its members, appoint the chairperson of the committee referred to in sub-section (1)

(3) Any person associated as an expert with any committee or sub-committee constituted under sub- section (1) may be paid such allowances as may be prescribed by the state Government

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 28 seeks to empower the District Authority to constitute section 28 seeks to empower the District Authority to constitute committees or sub committees and also enables it to make payment of allowances to any person associated as an expert with these committees, at the rates to be prescribed by the state Government.

29. Appointment of officers and other employees of District Authority-

The State Government shall provide the District Authority with such officers consultants and other employees as it considers necessary for carrying out the functions of District Authority.

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 29 seeks to enjoin upon the state Government to provide the District Authority with officers consultants and other employees for carrying out its functions.

30. Powers and functions of District Authority -(1) The District Authority shall act as the District planning, Coordinating and implementing body for disaster management and take all measures for the purposes of disaster.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 30]

Management in the District in accordance with the guidelines laid down by the National Authority and the state Authority

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the District Authority may-

(i) prepare a disaster management plan including District response plan for the District;

(ii) coordinate and monitor the implementation of the National Policy, state Policy, National Plan, state plan and district Plan,

identified and measures for the prevention of disasters and the mitigation of its effects are undertaken by the departments of the Government at the District level as well as by the local Authorities;

(iv) ensure that the guidelines for prevention of disasters, mitigation of its effects, preparedness and response measures as laid down by the National authority and the state Authority are followed by all Departments of the Government at the District level and the local Authorities in the District;

(v) give directions to different Authorities at the District level and local Authorities to take such other measures for the prevention or mitigation of disasters as may be necessary;

(vi) lay down guidelines for prevention of disaster management plans by the Department of the Government at the District level and local Authorities in the District;

(vii) monitor the implementation of disaster management plans prepared by the departments of the Government at the District level;

(viii) lay down guidelines to be followed by the Departments of the Government at the District level for purposes of integration of measures for prevention of disasters and mitigation in their development plans and projects and provide necessary technical assistance therefore

(ix) monitor the implementation of measures referred to in clause

(x) review the state of capabilities for responding to any disaster or threatening disaster situation in the District and give directions to the relevant Departments or Authorities at the District level for their up gradation as may be necessary;

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 30]

(xi) review the preparedness measures and give directions to then concerned Departments at the District level or other concerned Authorities

Where necessary for bringing the preparedness measures to the levels required for responding effectively to any disaster or threatening disaster situation;

(xii) organise and coordinate specialised training programmes for different levels of Officers, employees and voluntary rescue workers in the District;

(xiii) facilitate community training and awareness programmes for preventatin of disaster or mitigation with the support of local Authorities. Governmental and non-Governmental organisations;

(xiv) set up, maintain, review and upgrade the mechanism for early warnings and dissemination of proper information to public;

(xv) prepare review and update district level response plan and guidelines;

(xvi) Coordinate response to any threatening disaster situation or disaster;

(xvii) ensure that the Departments of the Government at the District level arid the local Authorities Prepare their response plans in accordance with the District response plan;

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 31]

(xviii) lay down guidelines for, or give direction to, the concerned Department of the Government at the District level or any other Authorities within the local limits of the District to take measures to respond effectively to arty threatening disaster situation or disaster;

(xix) advise, assist and coordinate the activities of the Departments of the Government at the District level, statutory bodies and other Governmental and non Governmental organisations in the District engaged in the disaster management;

(xx) Coordinate with, and give guidelines to, local authorities in the District to ensure that measures for the prevention or mitigation of threatening disaster situation or disaster in the District are carried out promptly and effectively,

(xxi) Provide necessary technical assistance or give advise to the local Authorities in the District for carrying out their functions;

the Disaster Management Act, 2005 [Sec. 31]

(xxii) review development plans prepared by the Departments of the Government at the District level, statutory Authorities or local Authorities with a view to make necessary provisions therein for prevention of disaster or mitigation;

(xxiii) Examine the constructions in any area in the District and, if it is of the opinion that the standards for the prevention of disaster or mitigation laid down for such construction is not being or has not been followed, may direct the

concerned Authority to take such action as may be necessary to secure compliance of such standards

(xxiv) identify buildings and places which could, in the event of any threatening disaster situation or disaster, be used as relief centers or camps and make arrangements for water supply and sanitation in such buildings or places;

(xxv) Establish Stockpiles of relief and rescue materials or ensure preparedness to make such materials available at a short notice;

(xxvi) provide information to the state Authority relating to different aspects of disaster management;

(xxvii) encourage the involvement of non Governmental organisations and voluntary social-welfare institutions working at the grassroots level in the District for disaster management;

(xxviii) ensure communication systems are in order, and disaster management drills are carried out periodically;

(xxix) perform such other functions as the state Government or State Authority may assign to it or as it deems necessary for disaster management in the District.

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 30 seeks to provide the power to prescribe the powers and functions of the District Authority

31. District Plan- (1) There shall be a plan for disaster management for every District of the State.

(2) The District Plan shall be prepared by the District Authority, after consultation with the local Authorities and having regard to the National Plan and the state plan, to be approved by the State Authority

(3) The District Plan shall include -

(a) the areas in the District vulnerable to different forms of disasters;

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 31]

(b) The measures to be taken, for prevention and mitigation of disaster, by the Departments of the Government at the District level and local Authorities in the District;

(c) The Capacity-building and preparedness- measures required to be taken by the Departments of the Government at the District level and the local Authorities in the District to respond to any threatening disaster situation or disaster;

(d) The response plans and procedures in the event of a disaster, providing for-

(i) allocation of responsibilities to the Departments of Government at the district level and the local Authorities in District;

(ii) prompt response to disaster and relief thereof;

(iii) Procurement of essential resources;

(iv) establishment of communication link; and

(v) the dissemination of information to the public;

(e) such other matters as may be required by the state authority

- (4) The District Plan shall be reviewed and updated annually.
- (5) The copies of the District Plan referred to in sub-sections (2) and (4) shall be made available to the Departments of the Government in the District.
- (6) The District Authority shall send a Copy of the District Plan to the State Authority which shall forward it to the State Government.
- (7) The District Authority shall, review from time to time, the implementation of the plan and issue such instructions to different Departments of the Government in the District as it may deem necessary for the implementation thereof;

COMMENT

As per Notes on Clauses of the Bill Section 31 seeks to make it mandatory to have disaster management plan for every District. It lay Down the Broad aspects to be covered by the District Plan. mandates consultation with Zila Parishad and the municipality in the preparation of the plan, and provides for annual review and updating the plans. it also seeks to authorise the District Authority to review the implementation of the District Plan and issue Directions to different Departments of the Government in the District for its implementations.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 31]

32. Plans by different Authorities at District level and implementation -Every office of the Government of India and Government at the District level and the local authorities shall, supervision of the District Authority-

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 34]

- (3) prepare a disaster management plan setting out the following namely:-
 - (i) provisions for prevention and mitigation measures as provided for in the District Plan and as is assigned to the Department or Agency concerned;
 - (ii) Provisions for taking measures relating to capacity building and preparedness as laid down in the District Plan.
 - (iii) the response plans and procedures, in the event of, any threatening disaster situation or disaster;
- (b) Coordinate the preparation and the implementation of its plan with those of the other organisations at the District level including local Authority, Communities and other stakeholders;
- (c) regularly review and update the plan, and
- (d) submit a Copy of its disaster management plan, and of any amendment thereto, to the District Authority

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 32 seeks to make it mandatory for every office of the Government of India and of the State Government at the District level and the local Authorities to prepare a disaster management plan. It seeks to lay down the broad coverage of the plan and provides for coordination of its preparation and implementation

with local Authority, communities and other stakeholders. It also provide for the regular review and updating the plan

33. Requisition by the District Authority- The District Authority may by order require any officer or any Department at the District level or any local Authority to take such measures for the prevention or mitigation of disaster or to effectively respond to it, as may be necessary, and such Officer or Department shall be bound to carry out such Order.

COMMENTS

As per Notes. on Clauses of the Bill

Section 33 seeks to empower the District Authority to give directions to any officer or any Department at the District level or any local Authority to take necessary measures for prevention or mitigation of a disaster or to effectively respond to it.

34. Powers and functions of District Authority in the event of any threatening disaster situation or disaster- for the purpose of assisting, protecting or providing relief to the community, in response to any threatening disaster situation or disaster, the District Authority may-

- (a) give directions for the release and use of resources available with any Department of the Government and the local Authority in the District;
- (b) control and restrict vehicular traffic to, from and within, the vulnerable or affected area;
- (c) Control and restrict the entry of any person into, his movement within and departure from, a vulnerable or affected area;
- (d) remove debris, conduct search and carry out rescue operation;
- (e) Provide shelter food, drinking water and essential provision, healthcare and service;
- (f) Establish emergency communication systems in the effected area; (g) make arrangements for the disposal of the unclaimed dead bodies;
- (h) recommend to any Department of the Government of the State or any Authority or body under that Government at the District level to take such measures as are necessary in its opinion;
- (i) require experts and consultants in the relevant fields to advise and assist as it may deem necessary;
- (j) procure exclusive or preferential use of amenities from any Authority or person;
- (k) construct temporary bridges or other necessary structures and demolish structures which may be hazardous to public or aggravate the effects of the disaster;
- (l) ensure that the non-Governmental organisations carry out their activities in an equitable and non discriminatory manner;

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 34]

(m) take such other steps as may be required or warranted to be taken in such a situation.

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 34 seeks to lay down the powers and functions of the District Authority in the event of any threatening disaster situation or disaster.

CHAPTER V

MEASURES BY THE GOVERNMENT FOR DISASTER MANAGEMENT

35. Central Government to take measures-

(1) Subject to the provisions of the Act, the Central Government shall take all such measures as it deems necessary or expedient for the purpose of disaster management. (2) In particular and without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1) the measures which the Central Government may take under that sub-section include measures with respect to all or any of the following matters, namely:-

(a) Coordination of actions of the Ministries or Departments of the Government of India, state Governments National authority, state Authorities, Government and non Governmental organisations in relation to disaster management

(b) ensure the integration of measures for prevention of disasters and mitigation by ministries or Departments of the Government of India into their development plans and projects;

(c) ensure appropriate allocation of funds for prevention or disaster, mitigation, capacity-building and preparedness by the Ministries or Departments of the Government of India;

The Disaster Management Act 2005 [Sec. 36]

(d) ensure that the Ministries or Departments of the Government of India take necessary measures for preparedness to promptly and effectively respond to any threatening disaster situation or disaster;

The Disaster Management Act 2005 [Sec. 36]

(e) Cooperation and assistance to state Governments, as requested by them or otherwise deemed appropriate by it

(f) deployment of naval, military and air forces, other armed forces of the Union or any other civilian personnel as may be required for the purposes of this Act

(g) Coordination with the United Nations agencies, international organisations and Governments of foreign countries for the purposes of this Act.

(h) Establish institutions for research, training, and Developmental programmes in the field of disaster management;

(i) such other matters as it deems necessary or expedient for the purpose of securing implementation of the provisions of this Act.

(3) The Central Government may extend such support to other countries affected by major disaster as it may deem appropriate.

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 35 seeks to enjoin upon the Central Government to take measures, as it deems necessary or expedient, for the purpose of disaster management. It also specifies some of the matters with respect to which such measures are required to be taken by the Central Government.

36. Responsibilities of Ministries or Departments of Government of India It shall be the responsibility of every Ministry or Department of the Government of India to-

- (a) take measures necessary for prevention of disasters mitigation, preparedness and capacity-building in accordance with the guidelines laid down by National Authority,
- (b) integrate into its development plans and Projects, the measures for prevention or mitigation of disasters in accordance with the guidelines laid down by the National Authority;
- (c) respond effectively and promptly to any threatening disaster situation or disaster in accordance with the guidelines of the National Authority or the directions of the National Executive committee in this behalf;

The Disaster Management Act 2005 [Sec. 36]

- (d) review the enactments administered by it, its policies, rules and regulations, with a view to incorporate therein the Provisions necessary for prevention of disasters, mitigation or preparedness;
- (e) Allocate funds for measures for prevention of disaster, mitigation, capacity-building and preparedness;
- (f) provide assistance to the National Authority and state Governments for
 - (i) drawing up mitigation, preparedness and response plans, capacity building, data collection and identification and training of personnel in relation to disaster management;
 - (ii) carrying out rescue and relief operations in the affected area;
 - (iii) assessing the damage from any disaster; carrying out rehabilitation and reconstruction;
- (g) make available its resources to the National executive committee or a state Executive committee for the purposes of responding promptly and effectively to any threatening disaster situation or disaster including measures for-
 - (i) providing emergency communication in a vulnerable or affected area;
 - (ii) transportation personnel relief to and from the affected area;
 - (iii) providing evacuation, rescue, temporary shelter or other immediate relief;
 - (iv) setting up temporary bridges jetties and loading places;
 - (v) providing drinking water, essential provision health care, and service in an affected area;
- (h) take such other actions as it may consider necessary for disaster management

COMMENTS

As per Notes on Clauses of The Bill

Section 36 seeks to specify the responsibility of the Ministries or Departments of the Government of India in regard to prevention, mitigation, Preparedness and response. It also spells out some of the actions to be taken by the Ministries or Departments for this purpose.

The Disaster Management Act 2005 [Sec. 36]

37. Disaster Management plans of Ministers or Departments of Government of India - (1)

Every Ministry or Department of the Government of India shall-

(a) Prepare a disaster management plan specifying the following particulars, namely;-

- (i) The measures to be taken by it for prevention and mitigation of disasters in accordance with the National Plan
- (ii) the specifications regarding integration of mitigation measures in its development plans in accordance with the guidelines of the National Authority and the National Executive Committee;
- (iii) its roles and responsibilities in relation to preparedness and capacity-building to deal with any threatening disaster situation or disaster;
- (iv) its roles and responsibilities in regard to promptly and effectively responding to any threatening disaster situation or disaster;
- (v) the present status of its preparedness to perform the roles and responsibilities specified in sub- clauses (iii) and (iv);
- (vi) the measures required to be taken in order to enable it to perform its responsibilities specified in sub-clauses (iii) and (iv); (b) review and update annually the referred to in clause (a);

The Disaster Management Act 2005 [Sec 38]

(c) Forward a copy of the plan referred to in clause (a) or clause (b), as the case may be, to the Central Government which Government shall forward copy thereof to the National Authority for its approval,

(2) Every Ministry or Department of the Government of India shall- (a) make while preparing disaster management plan under clause (a) of sub section (a) provisions for financing the activities specified therein; (b) furnish a status report regarding the implementation of the plan referred to in clause (a) of sub-section (1) to the National Authority, as and when required by it.

COMMDENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 37 seeks to make it mandatory for every Ministry Or Department of the Government of India to prepare a disaster management plan. It specifies.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 38]

Certain aspects for which the particular are to be included in the plan. it also provides for annual review and updating of the plan and for approval of the original or updated plan by the National Authority it enjoins upon the Ministries

or Department concerned to make provision for financing of the activities specified in the plan and to furnish a status report regarding the implementation of the plan to the National Authority, as and when required by it.

38. State Government to take measures- (1) Subject to the provision of this Act, each State Government shall take all measures specified in the guidelines laid down by the National Authority and such further measures as it deems necessary or expedient, for the purpose of disaster management. (2) The measures which the State Government may take under sub-section (1) include measures with to all or any of the following matters, namely:-

coordination of actions of different Departments of the Government of the state, the state Authority, District Authorities, local Authority and other non-Governmental organisations.

(b) cooperation and assistance in the disaster management to the National Authority and National Executive committee, the State Authority and the state Executive Committee, and the District Authorities;

(c) Cooperation with, and assistance to the Ministries or Departments of the Government of India in disaster management as requested by them or otherwise deemed appropriate by it;

(d) allocation of funds for measures for prevention of disaster, mitigation, capacity - building and preparedness by the Departments of the Government of the State in accordance with the provisions of the state Plan and the District Plans;

(e) ensure that the integration of measures for prevention of disaster or mitigation by the Departments of the Government of the State in their development plans and projects;

(f) integrate in the state Development plan, measures to reduce or mitigate the vulnerability of different parts of the state to different disasters;

(g) ensure the preparation of disaster management plans by different Departments of the State in accordance with the Guidelines laid down by the National Authority and the State Authority;

The Disaster Management Act 2005 [Sec. 38]

(h) establishment of adequate warning systems up to the level of vulnerable communities;

(i) ensure that different Departments of the Government of the State and the direct Authorities take appropriate preparedness measures;

(j) ensure that in a threatening disaster situation of disaster, the resources of different departments of the Government of the State are made available to the National Executive committee or the state Executive committee of the district Authorities, as the case may be, for the purposes of effective response, rescue and relief in any threatening disaster situation or disaster;

(k) Provide rehabilitation and reconstruction assistance to the victims of and disaster; and (1) such other matters as it deems necessary or expedient for the purpose of securing effective implementation of provisions of this Act.

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 38 seeks to make it mandatory for the state Governments to take measures for the purpose of disaster managements. It also specifies some of the matters with respect of which such measures are required to be taken by the state Governments.

39. Responsibilities of Departments of the State Government- It shall be the responsibility of every departments of the Government of a State to-

(a) take measures necessary for prevention of disasters. mitigation, preparedness and capacity -building in accordance with the guidelines laid down by the National Authority and the State Authority;

(b) integrate into its development plans and projects, the measures for prevention of disaster and mitigation;

(c) allocation funds for prevention of disaster, mitigation, capacity building and preparedness;

(d) respond effectively and promptly to any threatening disaster situation or disaster in accordance with the state plan and in accordance with the guidelines or directions of the National

executive committee and the. State Executive Committee;

The Disaster Management Act. 2005 [Sec. 38]

(e) review the enactments administered by it, its policies, rules and regulations with a view to incorporate therein the provisions necessary for prevention of disasters; mitigation or preparedness;

(f) provide assistance. as required by the National executive committee the state Executive Committee and District Authorities, for- (i) drawing up mitigation, preparedness and response plans, capacity- building, data collection and identification and training of personnel in relation to disaster management;

(ii) assessing the damage from any disaster;

(iii) carrying out rehabilitation and reconstruction;

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 40]

(g) make provision for resources in consultation with the state Authority for the implementation of the District Plan by its Authorities at the District level;

(h) make available its resources to the National Executive Committee or the state Executive committee or the District Authorities for the purposes of responding promptly and effectively to any disaster in the state including measures for-

(i) providing emergency communication with a vulnerable or effected area;

(ii) Transporting personal and relief goods to and from the affected area;

(iii) providing evacuation, rescue, temporary shelter or other immediate relief

(iv) carrying out evacuation of persons or live-stock from an area of any threatening disaster situation of disaster;

(v) setting up temporary bridges jetties and landing places;

(vi) Providing drinking water, essential provisional, healthcare and services in an affected area;

(i) such other actions as may be necessary for disaster management.

The Disaster Management Act. 2005 [Sec. 40]

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 39 seeks to specify the responsibility of every Department of the Government of a state in regard to prevention, mitigation, preparedness and response to disasters.

40. Disaster Management plan of Departments of State - (1) Every Department of the State Government, in conformity with the Guidelines laid down by the state Authority, shall-

(a) prepare a disaster management plan which shall lay down the following :-

(i) the types of disasters to which different parts of the state are vulnerable;

(iii) integration of strategies for the prevention of disaster or the mitigation of its effects or both with the development plans and programmes by the Department;

(iii) the roles and responsibilities of the Department of the State in the event of any threatening disaster situation or disaster and emergency support function it is required to perform,

(iv) present status of its preparedness to perform such role or responsibilities or emergency support function under sub- clause (iii) (v) the capacity -building and preparedness measures proposed to be put into effect in order to enable the Ministers or Departments or the Government of India to discharge their responsibilities under Section 37;

(b) annually review and update the plan referred to in clause (a) and;

(c) furnish a Copy of the plan referred to in clause (a) or clause (b), as the case may be, to the state authority

(2) Every Department of the state Government, while preparing the plan under sub-section (1) shall make provisions for financing the activities specified therein.

(3) Every Department of the State Government shall furnish an implementation status report to the state executive committee regarding the implementation of the disaster management plan referred to in sub section (1)

The Disaster Management Act. 2005 [Sec. 40]

COMMENTS

As per Notice on Clauses of the Bill

Section 40 Seeks to make it mandatory for every department of a state Government to prepare a disaster management plan and make provisions for financing of the plan it also lays down the broad coverage of the plan. provides for annual review and updating of the plan and furnishing of a status report on its implementation to the state Executive Committee and enjoins upon the state Government to make provisions for financing the activities specified therein.

CHAPTER VI

LOCAL AUTHORITIES

41. Functions of the local Authority -(1) Subject to the Directions of the District Authority a local Authority shall-

- (a) ensure that its Officers and employees are trained for disaster management;
- (b) ensure that resources relating to disaster management are so maintained as to be readily available for use in the event of any threatening disaster situation or disaster;
- (c) ensure all construction projects under it or within its jurisdiction conform to the standards and specifications laid down for prevention of disasters and mitigation by the National Authority, state Authority and the District Authority;
- (d) carry out relief, rehabilitation and reconstruction activities in the affected area in accordance with the state plan and the District Plan.

(2) The local Authority may take such other measures as may be necessary for the disaster management.

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 41 Seeks to specify the functions of the local Authority in regard to disaster management.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 40]

CHAPTER VII

NATIONAL INSTITUTE OF DISASTER MANAGEMENT

42. National Institute of Disaster Management -(1) With effect from such date as the Central Government may, by notification in the official Gazette appoint in this behalf, there shall be constituted an institute to be Called the National Institute of Disaster Management. 1. National Institute of Disaster Management has been constituted with effect from 30.10.2006 vide S.O. 1862 (E), Dated 30 th October, 2006.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 42]

(2) The National Institute of Disaster Management shall consist of such member of members as may be prescribed by the Central Government.

(3) The term of Office of, and vacancies among, members of the National institute of Disaster Management and manner of filling such vacancies shall be such as may be prescribed.

(4) There shall be a Governing Body of the National Institute of Disaster Management which shall be constituted by the Central Government from amongst the members of the National Institute of Disaster Management in such manner as may be prescribed.

- (5) The governing body of the National institute of Disaster Management shall exercise such powers and discharge such functions as may be prescribed by regulations.
- (6) The procedure to be followed in exercise of its powers and discharge of its functions by the governing body, and the term of office of, and the manner of filling vacancies among the members of the governing body, shall be such as may be prescribed by regulations;
- (7) Until the regulations are made under this section, the Central Government may make such regulations; and any regulation so made may be altered or rescinded by the National Institute of Disaster Management in exercise of its powers.
- (8) Subject to the provisions of this Act, the National Institute of Disaster Management shall function within the broad policies and guidelines laid down by the National Authority and be responsible for planning and Promoting training and research in the area of disaster management, documentation and.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 42]

Development of national level information base relating to disaster management policies. prevention mechanisms and mitigation measures. (9) Without prejudice to the generality of the provisions contained in subsection (8) the national institute for the discharge of its functions. may-

- (a) develop training modules, undertake research and documentation in disaster management and organise training programmes;
- (b) formulate and implement a comprehensive human resource development plan covering all aspects of disaster management
- (c) provide assistance in national level policy formulation;
- (d) provide required assistance to the training and research institutes for development of training and research programmes for stakeholders including Government functionaries and undertake training of faculty members of the state level training institutes;
- (e) provide assistance to the state Governments and state training institutes in the formulation of state level policies, strategies, disaster management framework and any other assistance as may be required by the state governments or state training institutes for capacity- building of stakeholders. Government including its functionaries, civil society members, corporate sector and people's elected representatives;
- (f) develop educational materials for disaster management including academic and professional courses,
- (g) promote awareness among stakeholders including college or school teachers and students, technical personnel and others associated with multihazard mitigation, preparedness and response measures;
- (h) undertake, organise and facilitate study courses, conferences, lectures, seminars within and outside the country to promote the aforesaid objects;
- (i) undertake and provide for publication of journals, research papers and books and establish and maintain libraries in furtherance of the aforesaid objects;

- (j) do all such other lawful things as are conducive or incidental to the attainment of the above objects; and
- (k) undertake any other function as may be assigned to it by the Central Government -

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 42]

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 42 seeks to provide for the constitution of the National institute of disaster Management by the Central Government and seeks to lay down the responsibility and possible functions of the Institute.

43. Officers and other employee of the National Institute - The Central Government shall provide the National Institute of Disaster Management with such Officers, consultant and other employees, as it considers necessary for carrying out its functions.

COMMENTS

As per Notes on clauses of the Bill

Section 43 seeks to enjoin upon the Central Government to provide the National Institute with Officers, consultants and other employees for carrying out its functions.

CHAPTER VIII

NATIONAL DISASTER RESPONSE FORCE

44. National Disaster Response Force- (1) There shall be constituted a National Disaster response force for the purpose of specialist response to a threatening disaster situation or disaster.

(2) Subject to the provisions of this Act, the Force shall be constituted in such manner and the conditions of service of the members of the Force, including disciplinary provisions therefore, be such as may be prescribed.

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Sill

Section 44 seeks to provide for the constitution of the National Disaster response Force for the purpose of Specialist response to a threatening disaster situation or disaster.

45. Control, Direction etc. - The General Superintendence, direction and control of the Force shall be vested and exercised by the National Authority and the command and supervision of the force shall vest in an officer to be appointed by the Central Government as the Director General of the National Disaster Response Force.

COMMENTS

As per Notes on Clauses on the Bill

Section 45 seeks to vest the General superintendence, Direction and Control of the National Disaster Response Force in the National Authority and the command and supervision of

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 48]

The Force in an Officer to be appointed by the Central Government as the Director General of the National Disaster Response Force:-

CHAPTER IX

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

46. National Disaster Response fund (I) The Central Government may, by notification in the official Gazette, constitute a fund to be called the National Disaster Response fund for meeting any threatening disaster situation or disaster and there shall be credited thereto-

(a) an amount which the Central government may, after due appropriation made by parliament by law this be half behalf provide;

(b) any grants that may be made by any person or institution for the purpose of disaster management.

(2) The National Disaster Response Fund shall be made available to the for emergency response, relief and rehabilitation in accordance with the guidelines laid down by the Central Government in Consultation with the National Authority.

COMMENTS

As Per Notes on Clauses of the Bill

Section 46 seeks to provide for the constitution of the National Disaster response fund.

47. National Disaster Mitigation Fund- (1) The Central Government may, by Notification in the official Gazette, Constitute a fund to be called the National

Disaster Mitigation fund for projects exclusively for the purpose of mitigation and there shall be credited thereto such amount which the central Government may, after due appropriation made by parliament by law in this behalf, provide.

(2) The National Disaster Mitigation fund shall be applied by the National Authority

The Disaster Management Act. 2005 [Sec. 48]

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill-

Section 47 seeks to provide for the constitution of the National Disaster Mitigation fund.

48. Establishment of funds by state Government: (1) The State Government shall, immediately after notifications issued for constituting the state Authority and the District Authorities, establish for the purposes of the Act the following funds namely:-

(a) the fund to be called the state Disaster Response fund:

(b) the fund to be called the District Disaster Response fund;

(c) the fund to be called the state Disaster Mitigation Fund;

(d) the fund to be called the District Disaster Mitigation Fund.

(2) The State Government shall ensure that the funds established:

(i) under clause (a) of sub-section (1) is available to the state Executive committee;

(ii) under sub-clause (c) of sub-section (1) is available to the state Authority;

(iii) under clauses (b) and (d) of sub-section (1) are available to the District Authority

COMMENTS

As per Notes on Causes of the Bill

section 48 seeks to provide for the establishment of the state Disaster response Fund, the District Disaster Response fund, the state Disaster Mitigation fund and the District Disaster Mitigation Fund.

49. Allocation of funds by Ministries and Departments: (1) Every Ministry or Department of the Government of India shall make provisions, in its annual budget, for funds for the purposes of carrying out the activities and programmes set out in its disaster management plan. (2) The Provisions of sub-section (1) shall mutatis, apply to Departments of the Government of the state.

COMMENTS

As Per Notes on Clauses of the Bill

Section 49 seeks to enjoin upon every ministry or Department of the section 49 seeks to enjoin upon every Ministry or Department of the Government of India to

make provision of funds in its annual budget for the purposes of carrying out the activities or programmes set out in its disaster

The Disaster Management Act. 2005 [Sec. 48]

Management plan, it seeks to lay down a similar obligation for Departments of the state Government 50. Emergency procurement and accounting-

Where by reason of any threatening disaster situation or disaster, the National Authority or the state Authority or the District Authority is satisfied that immediate procurement of provisions or materials or the immediate application of resources are necessary for rescue or relief,- (a) it may authorise the concerned Department or Authority to make the emergency procurement and in such case, the standard procedure requiring inviting of tenders shall be deemed to be waived;

(b) a certificate about utilisation of provisions or materials by the controlling officer authorised by the National Authority, state Authority or District Authority, as the case may be shall be deemed to be a valid document or voucher for the purpose of accounting of emergency, procurement of such provisions materials.

CHAPTER X

OFFENCES AND PENAL TIES

51. Punishment for obstruction. etc: (1) Whoever, without reasonable case:

(a) obstructs any Officer or employee of the Central Government or the state Government, or a person authorised by the National Authority or state Authority or District Authority in the Discharge of his functions under this Act; or

(b) refuses to comply with any direction given by behalf of the Central Government or the state Government of the National Executive Committee or the state Executive committee or the District Authority under this Act, shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine, or with both, and if such obstruction or refusal to comply with directions results in loss of lives or imminent danger thereof, shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years.

The Disaster Management Act. 2005 [Sec. 57]

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Sections 51 to 58 Seeks to lay down what will constitute an offence in terms of obstruction of the functions the Act. false claim of relief, misappropriation of relief material or funds, issuance of false warning, failure of an officer to perform the duty imposed on him under the Act without due permission of the Act. the clauses also provide for penalties for these offences.

52. Punishment for false claim: Whoever Knowingly makes a claim which he knows or has reason to believe to be false for obtaining any relief, assistance, repair, reconstruction or other benefits to disaster from any officer of the Central Government the state Government, the National Authority, the state Authority or the District Authority shall, on conviction, be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, and also with fine.

53. Punishment for misappropriation of money or material etc. : Whoever, being entrusted with any money or materials, or otherwise being, in custody of, or dominion over, any money or goods, meant for providing relief in any threatening disaster situation or disaster, misappropriates or appropriates for his own use or disposes of such money or materials or any part thereof or willfully compels 'any other' person so to do. shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, and also with fine.

54. Punishment for false warning : Whoever makes or circulates a false alarm or warning as to disaster or its severity or magnitude, leading to panic shall on conviction be punishable with imprisonment which may extend to one year or with fine.

55. Offences by Departments of the Government: (1) Where an offence under this Act has been committed by any Department of the Government, the head of the department shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly unless he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence. (2) Notwithstanding anything contained in sub section (1) where an offence under this Act has been committed by a Department of the Government and it is provided that the offence has been committed with the consent or connivance or, or is attributable to any neglect on the part, any

The Disaster Management Act. 2005 [Sec. 57]

Officer, other than the head of the Department, such Officer shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be Proceeded against and punished accordingly.

56. Failure of Officer in duty or his connivance at the contravention of the provisions of this Act.: any Officer, on whom any duty has been imposed by or under this Act and who ceases or refuses to perform or withdraws himself from the duties of his office shall, unless he has obtained the express written permission of his official superior or has other lawful excuse for so doing, be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine.

57. Penalty for contravention of any order regarding requisitioning: if any person contravenes any order made under section 65, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 58]

58. Offence by companies: (1) Where an offence under this Act has been committed, by a company or body corporate, every person who at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to, the company, for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be

deemed to be guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly provided that nothing in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act if he proves that the offence was committed without this knowledge or that he exercised due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub section (1) where an offence, under this Act has been committed by a company, and it is provided that the offence was committed with the consent or connivance of or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company such director, manager, secretary or other officer shall also, be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly, Explanation, - For the purpose of this section-

(a) "Company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 58]

(b) "direction" in relation to a firm, means a partner in the firm. 59. Previous sanction for prosecution-No Prosecution for offences punishable under section 55 and 56 shall be instituted except with the previous sanction of the Central Government or the State Government, as the case may be, or of any Officer authorised in this behalf. by general or special order, by such Government. 60. Cognizance of offences- No court shall take cognizance of an offence under this Act except on a complaint made by-

(a) the National Authority, the state Authority, the Central Government, the state Government, the District Authority or any other Authority or officer authorised in this behalf by that authority or, Government, as the case may be; or

(b) any person who has given notice of not less than thirty days in the' manner prescribed, of the alleged offence and his intention to make a complaint to the National Authority, the state Authority, the central Government, the State Government the District Authority or and other Authority or officer Authorised as aforesaid.

CHAPTER XI

MISCELLANEOUS

61. Prohibition against discrimination: while providing compensation and relief to the victims of disaster, there shall be no discrimination on the ground of sex, caste, community, descent or religion.

COMMENTS

As per. Notes on Clauses of the Bill

Section 61. seeks to prohibit discrimination in the distribution of compensation and relief to victims of disaster on the ground of sex, caste, community, descent or religion.

The Disaster Management Act. 2005 [Sec 65]

62 Power to issue. Direction by Central Government: Not Withstanding anything contained in any other law for the time being in force, it shall be lawful for the Central Government to issue direction in writing to the Ministries or Departments of the Government of the Government of India, or the National Executive committee or the State Government state Authority, state Executive committee, statutory bodies or any of its Officers or employees as the case may be, to facilitate or assist in the disaster management and such ministry or

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 65]

Department of Government or Authority, Executive Committee, Statutory body, officer or employee shall be bound to comply with such direction.

COMMENTS

As Per Notes on Clauses of the Bill

Sections 62 to 69 seeks to deal with the power to issue directions by the Central Government obligation of any officer or Authority of the Union or a state to make available Officers and employees to perform any of the Functions in connections with disaster prevention or mitigation; power to seek amendment of any rules, regulations instructions etc. for the purpose of prevention or mitigation of disasters; power to requisition resources, premises, provisions, vehicles, etc for rescue operations or rehabilitation; payment of compensation for the resources so requisitioned; settlement of disputed relating to the amount of compensation of entitlement thereto; giving of directions to media for communication of warning regarding a threatening disaster situation or disaster; authentication of orders or decisions; delegation of powers; and preparation of annual report by the National Authority an its laying on the table of both houses of Parliament.

63. Powers to be made available for rescue operations; Any officer or Authority of the Union or a state, when requested by the National executive committee, any state Executive committee or District Authority or any person authorised by such committee or Authority in this behalf, shall make available to that committee or authority or person, such Offices and employees as requested for to perform any to the functions in connection with the prevention of disaster or mitigation or rescue or relief work.

64. Marking or amending rules, etc in certain circumstances: subject to the provisions of this Act. if It appears to the National Executive committee, State Executive committee or the District Authority, as the case may be, that provisions of any rule, regulation, notification, guideline, instruction, Order, scheme or bye laws as the case may be are requited to be made or amended for the purposes of prevention of disasters or the mitigation thereof, it may require the amendment of such rules regulation, notification, guidelines, instruction, Order scheme or bye - laws as the case may be, for that purpose, and the appropriate department or authority shall take necessary action to comply with the requirements

65. Power of requisition of resources provisions, vehicles, etc. for rescue operations. etc. : (1) If appears to the National Executive committee, state

The Disaster Management Act. 2005 [Sec. 65]

Executive Committee or District Authority or any officer as may be Authorised by it in this behalf that-

(a) any resources with any Authority or person are needed for the purpose of prompt response;

(b) any premises are needed or likely to be needed for the purpose of rescue operations; or

(c) any Vehicle is needed or is likely to be needed for the purposes of transport of resources from disaster affected or transport of resources to the affected area or transport in connection with rescue, rehabilitation or reconstruction, such Authority may, by Order in Writing, requisition such resources or premises or such Vehicle, as the case may be and may make such further orders as may appear to it to be necessary or expedient in connection with the requisitioning. (2) Whenever any resource, premises or vehicle is requisitioned under subsection

(1) The period of such requisition shall not extend beyond the period for which such resource, premises or vehicle is required for anyof any purposes mentioned in that sub-section.

(3) In this Section, -

(a) "resources" includes men and material resources;

(b) 'service" includes facilities;

(c) "premises" means any land, building or part of a building and including and includes a hut, shed or other structure or any part thereof;

(d) "Vehicle" means any vehicle used or capable of being for the purpose of transport, whether propelled by mechanical power or otherwise.

66. Payment of Compensation (1) Whenever any committee, Authority or officer, referred to in sub section (1) of section 65, in pursuance of that section requisitions any premises, there shall be paid to the persons interested

compensation the amount of which shall be determined by taking into consideration the following namely:-

- (i) the rent payable in respect of the premises or if no rent is so payable, the rent payable for similar premises in the locality;
- (ii) if consequence of the requisition of the premises the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses (if any) incidental to such change:

The Disaster Management Act. 2005 (Sec 65)

Provided that where any person interested being aggrieved by the amount of compensation so determined makes an application within the thirty days to the Central Government or the state Government, as the case may be for referring the matter to an arbitrator the amount of compensation to be paid shall be such as the arbitrator appointed in this behalf by the central Government or the state Government as the case may be, may determine: Provided further that where there is any dispute as to the title to receive the compensation or as to the apportionment of the amount of compensation, it shall be referred by the Central Government or the state Government as the case may be, to an arbitrator appointed in this behalf by the Central Government or the state Government as the case may be for determination, and shall be determined in accordance with the decision of such arbitrator, Explanation: In this sub-section, the expression "person interested" means the person who was in actual possession of the premises requisitioned under section 65 immediately before the requisition, or where no person was in such actual possession, the owner or such premises.

(2) Whenever any committee. Authority or officer, referred to in subsection (1) of section 65 in pursuance of that section requisitions any vehicle, there shall be paid to the

The Disaster Management Act 2005 (Sec. 70)

Owner thereof compensation the amount of which shall be determined by the
The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 70]

Owner thereof compensation the amount of which shall be determined by the central Government or the State government, as the case may be the basis of the fares or rates prevailing in the locality for the hire of such vehicle: Provided that where the owner of such vehicle being aggrieved by the amount of compensation so determined makes an application within the prescribed time to the Central Government or the state government as the case may be, for referring the matter to an arbitrator the amount of compensation to be paid Government or the state Government, as the case may be, may determine: provided further that where immediately before the requisitioning the vehicle or vessel was be virtue of a hire purchase agreement in the possession of a person other than the owner, the amount determined under. this sub section as the total compensation payable in respect of the requisition shall be apportioned between that person and the owner in such manner as they may.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 70]

agree upon, and in default of agreement, in such manner as the arbitrator appointed by the Central Government, as the case may be, in this behalf may decide.

67. Direction to media for communication of warnings, etc: The National authority, the State Authority, or a District Authority may recommend to the Government to give direction to any Authority or person in control of any audio or audio visual media or such other means of communication as may be available to carry any warning or advisories regarding any threatening disaster situation or disaster, and the said means of communication and media as designated shall comply with such direction.

68. Authentication of Orders or decisions: Every order or decision of the National Authority of the National Executive committee, the State Authority, or the state Executive committee or the District Authority, shall be authenticated by such officers of the National Authority or the National Executive committee or, the state Executive committee, or the District Authority, as may be authorised by it in this behalf.

69. Delegation of powers: The National Executive committee, state executive committee, as the case may be general or special Order in writing, may delegate to the chairperson or any other member or to any officer, subject to such conditions and limitations, if any as may be specified in the Order, such of its powers and functions under this Act as it may deem necessary.

70. Annual report: (1) The National Authority shall prepare once every year, in such form and at such time as may be prescribed, an annual report giving a true and full account of its activities during the previous year and previous year and copies thereof shall be forwarded to the central Government and that Government shall cause the same, to be laid before both houses of parliament within one month of its receipt.

(2) The state Authority shall prepare once in every year in such form and at such time as may be prescribed an annual report and full account of its activities during the previous year and copies thereof shall be forwarded to the state Government and that Government shall cause the same to be laid before each house of the legislature where it consists of two houses, or where such legislature consists of one House, before that house.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 71]

71. Bar of jurisdiction of court: No. court (except the supreme court or a High Court) shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of anything one, action taken, Orders made, direction, instruction or guidelines issued by the Central Government, National Authority, State Government, state Authority or District Authority in pursuance of any power conferred by, or in relation to its functions, by this Act.

COMMENTS

As Per Note on Clauses of the Bill

Sections 71 to 73 seeks to contain provisions, regarding bar on jurisdiction of courts in regard to action taken or directions issued in pursuance of the powers conferred or functions assigned by the Act; overriding effect to the Act; and immunity from legal process for action taken in good faith under the provisions of the Bill.

72. Act to have overriding the Provisions of this Act, shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.

73. Action taken in good faith: No suit or prosecution or other proceeding shall lie in any court against the Central Government or the National Authority or the state Government or the state Authority or the District Authority or local Authority or any officer or employee of the Central government or the National Authority or the state Government or the central Government or the National Authority or the State Government or the State Authority or the District Authority or local Authority or any person working for on behalf of such Government or Authority in respect of any work done or purported to have been done or intended to be done in good faith by such Authority or Government or such officer or employee or such person under the provisions of this Act or the rules or regulations made there under.

74. Immunity from legal Process: officers and employees of the Central Government, National Authority, National Executive committee, State Government, state Authority state Executive committee or District Authority shall be immune from legal process in regard to any warning in respect of any impending disaster communicated or disseminated by them in their official capacity or any action taken or direction issued by them in pursuance of such communication or dissemination.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 71]

75. Power of Central Government to make rules: (1) The Central Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the composition and number of the members of the National Authority under sub section (2) and the term of office and conditions of service of members of the National Authority under sub-section (4) of section 3; (b) the allowances to be paid to the members of the Advisory Committee under sub-section (2) of section 7;

(c) the powers and functions of the chairperson of the National Executive committee under sub-section.

- (3) of section 8 and the procedure to be followed by the National Executive
The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 77]
 committee in exercise of its powers and discharge of its functions under sub-section (4) of section 8;
- (d) allowance to be paid to the persons associated with the subcommittee constituted by the National Executive committee under sub section (3) of section 9;
- (e) the number of members of the National institute of Disaster Management under sub-section (2) the term of the office and vacancies among members and the manner of filling such vacancies under subsection.
- (3) and the manner of constituting the Governing Body of the National Institute of Disaster Management under subsection 44;
- (g) the manner in which notice of the office and of the intention to make a complaint to the National Authority, the state Authority, the Central Government, the state Government or the Authority or officer under clause (b) of section 60;
 The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 77]
- (h) the form in which and the time within which annual report is to be prepared under section 70;
- (i) any other matter which is to be, or may be prescribed, or in respect of which provision is to be made by rules.

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Sections 75 to 76 seeks to provide for making of rules and regulations by the central Government.

76. Power to make regulations: (1) The National Institute of Disaster Management. with the previous approval of the Central Government may, by notification in the official Gazettee, make regulations consistent with this Act and the rules made there under to carry out the purposes of the Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for, all any of the following matters namely:-

- (a) powers and functions to be exercised and discharged by the governing body;
- (b) procedure to be followed by the governing body in exercise of the powers and discharge of its functions;
- (c) any other matter for which under this Act provision may be made by the regulations.

77. Rules and regulations to be laid before parliament: Every rule made by the Central Government and every regulation made by the National institute of disaster Management under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of parliament, while it is in session, for a total period of thirty day which may be comprised of one session or in two or more successive sessions or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or regulation or both houses agree that the rules or regulation should not be made, the rule or regulation shall thereafter have effect

that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or regulations.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 77]

by notification in the official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the composition and number of the members of the State Authority under sub-section (2), and the term of Office and conditions of service of the members of the state Authority under subsection (5), of section 14;

(b) the allowances to be paid to the members of the advisory committee under sub section (2) of section 17;

(c) the powers and functions of the chairperson of the state Executive committee under sub-section (3), and the procedure to be followed by the state Executive of its powers and discharge of its functions under sub-section (4) of section 20;

(d) allowances to be paid to the persons associated with the sub committee constituted by the state Executive. Committee under subsection (3) of section 21;

(e) the composition and the number of members of the District Authority under sub-section (2) and the powers and function to be exercised and discharged by the chief executive officer of the district Authority under sub section (3) of Section 25;

(f) allowance payable to the persons associated with any committee constituted by the District Authority as experts under sub section (3) of section 28;

(g) any other matter which is to be, or may be, prescribed, or in respect of which provision is to be made by rules.

(3) every rule made by the state government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each house of the State Legislature where it consists of two houses, or where such Legislature consists of one House before that House.

79. Power to remove difficulties: (1) If any difficulty arises in giving effect to provisions of this Act, the Central Government or the state Government, as the case may be, may, by notification in the official Gazette, make order not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to it to be necessary or expedient for the removal of the difficulty: Provided that no such order shall be made after the expiration of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each house of Parliament or the legislature, as the case may be.

THE DISASTER MANAGEMENT NATIONAL EXECUTIVE COMMITTEE (PROCEDURE AND ALLOWANCES) RULES, 2006

In exercise of the powers conferred by clauses (c) and d) of sub-section (2) read with sub-section (2) of section 75 of the disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement-

- (1) These rules may be called the Disaster Management National Executive committee (Procedure and Allowances) Rules, 2006
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. Definitions:-

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005);
 - (b) "Chairperson" means the member of the National Executive committee under clause (a) of subsection (2) of section 8;
 - (c) "member" means the member of the National Executive committee under subsection (2) of section 8;
 - (d) "section" means a section of the Act;
 - (e) "Subcommittee" means a sub committee constituted by the National Executive committee under sub section (1) of section 9.
- (2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Procedure to be followed by the National Executive Committee:-

- (1) The chairperson of the National Executive committee may, as and when required, in the implementation of the directions of the central Government, seek guidance from the National Authority as to the modalities of such implementation.
- (2) The chairperson of the National Executive committee shall, in case of emergency, have the power to exercise all or any of the powers of the National Executive committee but exercise of such powers shall be subject to ratification by the National Executive committee.
- (3) The Chairperson of the National Executive committee shall preside over the meetings of the National executive committee: Provided that in the case of his inability to preside over any meeting of the National Executive committee, he shall nominate one of members of the National Executive committee to preside over the meeting.
- (4) The chairperson of the National Executive committee may nominate vide order G.S.R. 597 (E), Dated 27 th September, 2006 one or more officers:-
 - (a) to assist him in the performance of his functions as the chairperson of the National Executive committee;
 - (b) to maintain proper records relating to the meetings of the National Executive committee;
 - (c) to take follow up action to ensure that the decisions taken in the meetings of the National Executive committee are implemented in time; and
 - (d) to perform such other functions as the chairperson may desire them to perform.
- (5) The chairperson of the National Executive committee shall decide the day, time and place of a meeting of the National Executive committee.
- (6) The National Executive committee shall meet as often as necessary but at least once in three months.
- (7) The National Executive committee shall give notice of its meeting and circulate on occurrence of a major disaster or a situation of such a threatening

disaster, when the National executive committee shall meet at the earliest to ensure a smooth and efficient response.

(8) The National Authority may, invite any member of the National Executive committee whenever required, to assist it in discharge of its functions.

(9) The National Executive committee shall invite the secretary or Additional secretary, as the case may be, of the National Authority, as a special invitee to attend its every meeting.

(10) The National Executive committees shall forward the minutes of every meeting to the National Authority

4. Allowance to be paid to a person associated as an expert with a subcommittee of the National executive committee- A member of the subcommittee constituted under subsection (1) of section 9, shall be paid traveling and daily allowances as are admissible to non officials attending the meetings of committees set up by the Central Government, as specified in Appendix 2 to Supplementary Rule 190.

THE DISASTER MANAGEMENT (NATIONAL INSTITUTE OF DISASTER MANAGEMENT) RULES 2006

In Exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) read with subsection (1) of section 75 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules, Namely:-

1. Short title and commencement -

(1) these rules may be called the Disaster Management (National Institute of Disaster Management) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions.

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005);

(b) "Chairperson" means the chairperson of the governing body;

(c) "executive director" means the executive director of the institute appointed by the Central Government;

(d) "governing body" means the governing body of the institute;

(e) "Institute" means the National institute of Disaster Management;

(f) "president" means the president of the Institute;

(g) "Secretary" means the secretary of the Institute and the governing body;

(h) "section" means a section the Act;

(i) "vice president" means the vice chairperson of the governing body of the institute;

(j) "Vice-president" means the vice president of the Institute;

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them the Act.

3. composition of the Institute-

(1) The Institute shall consist of the following members, namely:-

[Rule 3

The Disaster Management (National Institute of Disaster Management) Rules, 2006

- (i) the minister in charge of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of disaster management, who shall be the president, ex officio;
- (ii) the Vice-Chairperson of the National Authority who shall be the Vice president, ex officio;
- (iii) one member of the national Authority;
- (iv) Chairperson of the National Executive committee, that is, the Secretary to the Government of India in charge of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of disaster management, ex officio;
- (v) the secretary to the Government of India in charge of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of expenditure, ex officio;
- (vi) the Secretary to the Government of India in charge of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of agriculture, ex officio;
- (vii) the secretary to the Government of India in charge of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control External Affairs, ex officio;
- (viii) the secretary to the Government of India in charge of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of health, ex officio;
- (ix) the Secretary to the Government of India in charge of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of science and technology, ex officio;
- (x) the secretary to the Government of India in charge of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of atomic energy, ex officio;
- (xi) the secretary to the Government of India in charge of the Ministry or department of the Central Government having administrative control of space, ex officio;

[Rule 3

The Disaster Management (National Institute of Disaster Management Disaster Management) Rules, 2006

- (xii) the secretary to the Government of India in charge of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of ocean development ex officio;
- (xiii) the secretary or special secretary additional secretary or Joint secretary, as the case may be to the Government of India dealing with disaster management in the ministry or department of the Central Government having administrative control of disaster management, ex officio;

- (xiv) the additional secretary and financial advisor or Joint Secretary and Financial Advisor, as the case may be to the Government of India dealing with finance of the ministry or department of the Central Government having administrative control of disaster management, ex officio;
- (xv) the Secretary or Additional secretary, as the case may be, of the National Disaster Management Authority, ex officio;
- (xvii) the Deputy chief of integrated Defense staff, Doctrine organisation and Training (DOT), Head Quarters integrated Defence staff, Ministry of defense ex officio;
- (xviii) Two secretaries of state Government in charge of disaster management
- (xix) one vice Chancellor from the universities;
- (xx) the Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie
- (xxi) the Director, Sardar Vallabh Patel National Police Academy, Hyderabad;
- (xxii) the Director General, India Meteorological Department, ex officio;
- (xxiii) two Directors, one each, from any Indian Institute of Management and any Indian Institute of Technology;
- (xxiv) the director of Indian institute of public administration, ex officio;
- (xxv) the director of Indian-Insurance of Public Administration, ex officio;
- (xxvi) the Director General of Indian council of Agriculture Research, ex officio;
- (xxvii) One Director General from the Administrative Training Institutes or state Institutes of Rural Development;

[Rule 3

The Disaster Management (National Institute of Disaster Management) Rules, 2006

- (xxviii) the Director General of Indian council of Medical Research; ex officio;
- (xxix) two Eminent persons in the field of disaster management, public administration, information technology, medicine etc;
- (xxx) two experts, one each from banking and insurance sector;
- (xxxi) two presidents or heads, by whatever name called, from industry associations or federations of all India-level which in the opinion of the Central Government are capable of representing the industry, trade or commerce;
- (xxxii) two presidents or heads by whatever name called, from non Governmental organisations which in the opinion of the General Government are active and effective in the disaster management activities; or are capable of representing such activities;
- (xxxiii) one Head from science and technology institutions;
- (xxxiv) one Head from medical or health institutions;
- (xxxv) one professor of the National Institute of Disaster Management;
- (xxxvi) the Executive Director of the Institute, a officio.
- (2) The Central Government shall nominate the members of the Institute, other than the ex officio members in such manner as it may consider appropriate.
- (3) The Vice-Chairperson of the National Authority shall nominate the member of the National Authority for the Institute.
- (4) save as otherwise provided in this sub-rule, the term of Office of-

- (a) an ex officio member of the institute shall continue so long as he holds the Office by virtue of which he is such a member; and
- (b) a Nominated member of the institute shall be two years from the dated of his nomination:- provided that a member other than an ex officio member of the Institute may resign from the Office of such member, by writing under his hand addressed to the Central Government, but he shall continue in Office until his registration is accepted by that Government.

[Rule 4

The Disaster Management (National Institute of Disaster Management) Rules, 2006

- 4. Filling up of Vacancies: All vacancies by reason of resignation, death or otherwise among members (other than ex officio members) of the Institute shall be filled as soon as may be after the occurrence of the vacancy by a fresh nomination.
- 5. Meetings of the Institute.- The institute shall hold its first meeting at such time and place as may be appointed by the Central Government and observe such rule of procedure in regard to the transaction of business at the first meeting as may be laid down by that Government and thereafter the institute shall meet at such times and place and observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings as may be determined by regulations-
- 6. Governing Body of the institute (1) The Governing Body of the Institute shall consist of the following members, namely;
 - (i) The Vice- Chairperson of the National Authority who shall be the chairperson, ex officio;
 - (ii) the Secretary to the Government of India in charge of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of disaster management, who shall be the vice- chairperson, ex officio;
 - (iii) the Secretary or special Secretary or Additional Secretary or Joint-Secretary, at the case may be, to the Government of India dealing with disaster management in the Ministry or department of the Central Government having administrative control of disaster management ex officio;
 - (iv) the secretary to the Government of India in-charge of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of expenditure ex officio;
 - (v) the secretary or Additional Secretary, as case may be, the National Authority; ex officio:-
 - (vi) The Additional secretary and Financial Advisor or Joint-secretary and Financial Advisor, as the case may be, to the Government of India dealing with finance of the ministry or Department of the Central

[Rule 4

The Disaster Management (National Institute of Disaster Management) Rules, 2006

- Government having administrative control of disaster management, ex officio;
- (vii) one member from amongst the members of the Institute representing the State Governments;

- (viii) one member of the Institute representing the university;
- (xi) two members of the Institute representing the Indian Institute of Technology and the Indian Institute of Management;
- (x) one members of the Institute representing a science and technology institution;
- (xi) two members from amongst the members of the Institute representing the Department of space. the Department of Atomic Energy, the Department of science and Technology, the Central Water commission and the Indian council of Agriculture Research; and
- (xii) the Executive Director of the Institute, a officio.

[Rule 8

The Disaster Management (National Institute of

Disaster Management) Rules, 2006

2) The Government body shall be the Executive committee of the Institute and shall exercise such powers and perform such functions as the Institute may, by regulations made in this behalf, confer or impose upon it.

(3) The Procedure to be followed in the exercise of its powers and performance of its functions by the governing body, and the term of office of, and the manner of filling up vacancies, among the members of the Governing body, shall be such as may be made by regulations.

7. Executive Director of the Institute (1) there shall be an Executive Director of the Institute who shall be appointed by the Central Government. (2) The Executive Director of the Institute shall act as the Secretary to the Institute as well as the governing body of the Institute.

8. Powers and functions Executive Director: The Executive Director of the Institute shall exercise such powers and perform such functions as may be made by regulations.

THE DISASTER MANAGEMENT (TERM OF OFFICE AND CONDITIONS OF SERVICE OF MEMBERS OF THE NATIONAL AUTHORITY AND PAYMENT OF ALLOWANCES TO MEMBERS OF ADVISORY COMMITTEE RULES, 2006

In exercise of the powers conferred clauses (a) and (d) of subsection (2) read with sub section (1) of section 75 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005) the Central Government hereby makes the following rules, namely-

1. Short title and commencement- (1) These rules may be called the Disaster Management (Term of office and conditions of Service of Members of the National Authority and payment of Allowance to Members of Advisory committee) Rules, 2006 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions: (1) In these rules, unless the context otherwise requires,- (a) "Act" means the Disaster Management Act 2005 (53 of 2005);-

(b) "Advisory Committee" means the Advisory committee constituted by the National Authority under sub-section (1) of Section 7;

(c) "member" means a member of the National Authority nominated by the Chairperson of the National Authority under clause (b) of subsection (2) of section 3;

(d) "section" means a section of the Act;

(e) "Vice-Chairperson" means the Vice-Chairperson designated by the Chairperson of the National Authority under sub-section (3) of section 3.

(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Pay and service conditioner: (1) A person nominated as a member of the National Authority shall exercise his option to choose either,-

(a) Pay (less Pension in the case of a retired Officer), dearness allowance, accommodation, medical facilities, traveling allowance, leave travel concession as admissible to a secretary to the Government of India and leave as admissible to a Government servant under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972; or

(b) pay, daily allowance as admissible to a Union Minister to State and pension (without dearness relief in the case of retired Officer), accommodation, medical facilities. traveling allowance as admissible 1. Vide' G.SJZ 598 (E) Dated 27 th September, 2006, published the Gazette of India, Extra, pt. II Sec. 3Q) Dated 27 th September, 2006

Rule 7)

The Disaster Management (Term of Office and Conditions of Service of members of the National Authority and Payment of Allowances to Members of Adversary Committee) Rules, 2006

to a Union Minister of State in accordance with the provision of the Ministers (Allowances, Medical Treatment and other Privileges) Rules, 1957, made under the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952 (58 of 1952) and leave as admissible to a temporary Government servant under the Central Services (Leave) Rules, 1972, but without the facility of leave travel concession: Provided that the option once exercised shall be final.

(2) A number of the Natural Authority, who is designated as the Vice Chairperson of the National Authority under sub-section (3) of section 3, shall be entitled to pay and daily allowance, as admissible to a Union Minister, who is a member of the cabinet, and pension (Without dearness relief) and in the case of member of the cabinet, and pension (Without dearness relief) and in the case of member who is a retired Officer, accommodation, medical facilities and traveling allowance as admissible to a union Cabinet Minister in accordance with the Provisions of the Ministers (Allowances, Medical Treatment and Other Privileges) Rules; 1957, made under the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952 (58 of 1952)

4. Disqualifications: No person shall be a member of the National Authority, who:

(a) is, or at any time has been, adjudged insolvent; or

(b) is declared to be of unsound mind by a competent court; or

(c) becomes incapable of acting as a member; or

(d) is, or has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government involves moral turpitude;

(e) is or has been removed or dismissed from the service of the Government or a body corporate owned or controlled by the Government.

5. Resignation: Any member of the National Authority may resign from the Office of member of the National Authority by giving a notice in writing under his hand to that effect to the Chairperson of the National Authority and such resignation shall take effect from the date on which such notice is accepted by the Chairperson of the National Authority.

6. Vacancies; Where a vacancy occurs in the Office of a member of the National Authority by reason of resignation, disqualification, death or otherwise, the vacancy may be filled by fresh nomination.

7. Allowances to be paid to a member of the Advisory committee constituted by the National Authority: A members of the advisory committee constituted under sub-section (1) of section 7 shall be paid such traveling allowances, room rent, daily allowances and conveyance allowance as are admissible to a member of the high Power committee as specified in appendix 2 to supplementary Rule 190.

THE NATIONAL INSTITUTE OF DISASTER MANAGEMENT REGULATIONS, 2006

In exercise of the powers conferred by sub section (7) of section 42 read with section 76 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby makes the following regulations, namely:-

(1) Short title and commencement: (1) These regulations may be called the National Institute of Disaster Management Regulations, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions: In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005);

(b) "chairperson" means the chairperson of the governing body;

(c) "Executive Director" means the executive Director of the Institute. appointed by the Central Government;

(d) "governing body" means the governing body of the institute;

(e) "Institute" means the National Institute of Disaster Management;

(f) "President" means the president of the Institute;

(g) "secretary" means the secretary of the Institute, or as the case may be, the governing body,

3. Composition of the Institute and the Governing Body: The Institute and the governing body shall consist of such members as are provided under sub rule (1) of rule (3) and sub-rule (1) of rule 6 respectively of the Disaster Management (National Institute of Disaster Management) Rules, 2006.

4. Meetings of the Institute: (1) The president, or in his absence, the Vice-president, shall preside over the meetings of the Institute.

(2) The Institute shall meet at such times and places as may be considered necessary by the president for the transaction of the business of the institute: Provided that the institute shall meet at least once in every year.

(3) (a) The Secretary shall give a notice specifying the place, date and time of an ordinary meeting of the Institute at least twenty-one days prior to the date of such meeting.

(b) The agenda shall also be sent along with the notice of the meeting and where it is not possible, the agenda shall be sent at least seven days before the meeting.

(4) The president may call an extraordinary meeting of the institute at any time for the transaction of urgent business of the Institute.

The National Institute of Disaster Management Regulations, 2006 Reg. 5]

(5) The National Institute of Disaster Management Regulations. 2006 Reg. 5]

(5) The Secretary shall give a notice to all the members specifying the place, date and time of the meeting for an extraordinary meeting at least seven days before the date of the meeting along with the agenda.

(6) (a) The Institute shall call an extraordinary meeting within thirty days of a written request of not less than twelve members of the Institute.

(b) The members of the Institute shall indicate the purpose of the request for the meeting referred to in clause (a).

(7) The quorum for a meeting of the Institute shall be ten.

(8) The President may include in the agenda at any time before or during a meeting of the Institute-

(i) any fresh item or items of business; or

(ii) any item supplementary to those included in the agenda, and such item shall be taken up for consideration.

(9) A notice may be served upon any members of the Institute either personally, by email, fax, telegram or by post by under certificate of posting in an envelope addressed to such member and such notice shall be presumed to have been properly delivered.

(10) No subject disposed of by the institute at a meeting shall be brought up again for consideration until after the expiry of one year except in a case where the president or the central Government certifies that the Subject requires further consideration in the interest of the institute.

(11) a Decision given by the president of the meeting on a point of order raised by a member of the institute shall be final.

(12) All members submitted to a meeting of the Institute shall be decided by a majority of the members of the Institute person presiding shall have a casting vote, in addition to the vote to which he may be entitled as a member of the Institute.

5. Transaction of business by circulation. of papers : (1) Any business of the Institute which may be necessary for the Institute to transact may, if the president so directs, be dealt with by circulation of agenda papers along with a draft resolution incorporating the decision required among all the members of the institute at their usual address and any draft resolution so circulated and approved by the majority of the members of the institute signing shall be as effectual and binding as if the resolution had been passed at a meeting of the institute provided that at least twelve members of the Institute have recorded their views on the resolution.

The National Institute of Disaster Management regulations. 2006 Reg. 5]

(2) A members shall give reply within twenty one days from the date of issue of the notice of such business and if no reply is received from a member of the institute within the said period, he shall be deemed to have supported the draft resolution.

(3) If a draft resolution is circulated. the result of the circulation shall be communicated to all members of the institute and the resolution shall also be placed before the next meeting of the institute for confirmation.

The National Institute of Disaster Management Regulations. 2006 [Reg. 6

6. Recording of business- (1) A record shall be maintained of all business transacted by the institute.

(2) All decisions of the Institute shall, as far as possible, be recorded in the form of resolutions and an entry of such decision in the book of proceedings of the institute shall be conclusive evidence of the fact that such decisions were taken by the Institute.

(3) The proceedings of every meeting of the Institute shall be circulated among its members within thirty days of the meeting and if any comments are received within a stipulated time they shall be incorporated suitably subject to the approval of the president and re issued as final proceedings.

7. Delegation of functions to governing body or Executive Director- The Institute may, by general or special order in writing, delegate to the governing body or the Executive Director, subject to such conditions and limitations, if any as may be specified in the Order, such of its functions which it considers, conducive or incidental to the attainment of the objects specified under subsection (9) of section 42.

8. Term of Office- (1) The term of Office a member of the governing body shall continue as long as he is a member of the Institute.

(2) The term of Office of a nominated member of the governing body under clauses (vii), (viii), (ix) or (x) of sub-rule (1) of rule 6 of tile Disaster Management (National Institute of Disaster Management) Rules, 2006 shall cease as soon as he ceases to be member of the institute or till is replaced by the central Government, whichever is earlier.

9. Powers and functions of the governing body- (1) The governing body shall be responsible for carrying out the decisions of the Institute.

(2) In Particular and without prejudice to the generality of the foregoing functions, the governing body may perform all or any of the following functions, namely:-

The National Institute of Disaster Management Regulations, 2006 [Reg. 6

(a) ensure compliance of broad polices and guidelines laid down for the Institute by the National Authority;

(b) consider and recommend such proposals as are required to be submitted to the Institute for its approval;

- (c) consider and approve such programmes and activities as may be taken up as interim till these are approved by the Institute;
- (d) consider and approve such change in the approved annual activities of the Institute as may be considered necessary, subject to ex-post-facto approval of such changes by the institute;
- (e) consider and approve such new activities not included in the approved annual activities of the Institute as may be required to be taken up, subject to ex post facto approval by the Institute.
- (f) appoint such committees and sub committees as considered appropriate for the discharge of its functions;
- (g) perform all such acts and do all such things as may be necessary for the proper management of the properties of the Institute; and
- (h) perform all such functions as may be delegated by the Institute.

The National Institute of Disaster Management Regulations. 2006 Reg. 14]

10. Time and place of meeting of the governing body-The governing body shall hold its meetings at such place and times as the chairperson of the governing body from time to time, determine: Provided that the chairperson of the governing body shall convene a meeting if a requisition for that purpose is presented to him in writing by not less than four members of the governing body specifying the subject matter proposed to be discussed in the meeting:

Provided further that the governing body shall meet at least once in three months.

11. Notice for meeting of governing body- (1) Not less than fourteen days notice for every meeting of the governing body shall be given to each member of the governing body.

(2) A Notice may be served upon any member of the governing body either personally, by email, fax, telegram or by post by under by under certificate of posting in an envelope addressed to such member and such notice shall be presumed to have been properly delivered.

The National Institute of Disaster Management Regulations. 2006 Reg. 14]

(3) Notwithstanding anything contained in sub regulation (1), a meeting of the governing body at which any matter which is considered urgent by the Chairperson has to be taken up, may be called at a shorter notice.

12. Quorum- (1) No. Business shall be transacted at a meeting of the governing body unless at least five members of the governing body are present.

(2) Quorum -(1) No Business shall be transacted at meeting of the governing body unless at least five members of the governing body are present.

(2) If within half an hour of the time appointed for holding the meeting of the governing body, quorum is not present, the meeting shall stand adjourned to another day and notice of such adjourned meeting shall be given to each member of the governing body by e-mail, fax, teiegrm, post or special messenger, as the case may require. Provided that a meeting so adjourned shall be held within twenty one days of the date on which it was originally proposed to be held.

(3) If at any such adjourned meeting also, the quorum is not present within half an hour from the appointed for holding the meeting the members of the overning body present at the meeting shall from the quorum.

13. Presiding over the meetings of governing body- (1) The Chairperson of the governing body shall preside over meeting of the governing body.

(2) If the Chairperson of the governing body is not present at any particular meeting, the vice-chairperson shall preside over the meeting of the governing body.

(3) If the Chairperson and the Vice chairperson of the governing body are not present at any particular meeting. the members of governing body present shall choose one from among themselves to chair that meeting.

14. Transaction of business by circulation of papers-(1) Any business which may be necessary for the governing body to transact, may, if the chairperson or in his absence, the Vice chairperson so directs, be dealt with by circulation of the papers to all the members of the governing body at their usual address, and any resolution so circulated shall be as effectual any binding as if the resolution has been passed at a meeting of the governing body, provided

The National Institute of Disaster Management Regulations, 2006 [Reg. 14

at least five members of the governing body have accorded their approval to the resolution. 7

(2), If a resolution is circulated the results of circulation shall be communicated to all the members of the governing body and shall also be placed before the governing body at its subsequent meeting for confirmation.

The National Institute of Disaster Management Regulations. 2006 Reg. 14]

15. Voting - All matters submitted to meeting of the governing body shall be decided by a majority of the members of the governing body present and voting thereat, and in case of an equality of votes the chairperson of the governing body or the person presiding shall have a casting vote, in addition to the vote to which he may be entitled to as a member of the governing body.

16. Recording of business - (1) record shall be maintained of all business transacted by the governing body.

(2) All decisions of the governing body shall, as far as possible, be recorded in the form of resolutions and an entry of such decisions in the book of proceedings of the governing body shall be conclusive evidence of the fact that such decisions were taken by the governing body.

The proceedings of every meeting shall be circulated to the members of the governing body within twenty one days of the meeting of the governing body.

17. Allowances to the members of the institute and the governing body- (1) The members of the institute and the governing body may be paid travelling allowances, daily allowances, conveyance allowances and room rent as admissible under the supplementary Rules.

18. Powers and Functions of Executive Director -(1) The Executive Director shall be responsible for implementation of the decisions of the Institute, its governing body and the board policies and guidelines of the National Disaster Management Authority and perform such other functions as may be assigned by the Central Government.

(2) The Executive Director shall be in charge of the administration of the institute and shall allocate duties to officers and employees provided to the institute and exercise such supervision and executive control as are necessary.

(3) The Executive Director shall exercise the powers of the head of the department as specified in the fundamental Rules, Supplementary Rules and the Delegation of Financial Power Rules.

(4) The Executive Director shall-

(a) Discharge the functions of disciplinary Authority in respect of the officers and employees of the Institute below the rank of Associate Professor and equivalent posts;

(b) decide the venue of the trainings and workshops and invite resource persons for various programme; subject to such guidelines as may be laid down by laid down by the institute or its governing body;

The National Institute of Disaster Management Regulations, 2006 Reg. 14]

(c) engage consultants for performance of specific jobs subject to such guidelines as may be laid down by the institute or its governing body;

(d) make such short term changes in the training programmes, workshops and other activities of the Institute as may be necessary due to exigencies of situations;

The National Institute of Disaster Management Registrations, 2006 Reg. 18]

(e) approve publication of documents, reports etc;

(f) permit air travel to non-entitled officers for reasons to be recorded in writing;

(g) correspond with the central Government and State Governments on any matter pertaining to the Institute;

(h) Discharge such other functions as may be delegated to him by the institute or its governing body.

(Chapter) अध्याय-2

जिले की विपदा, जोखिम की संवेदनशीलता जोखिम से निपटने का आंकलन Hazard, Vulnerability, Capacity and Risk Assessment

2.1 भौगोलिक स्थिति

जालोर जिला राजस्थान राज्य में वर्ष 1949 में सम्मिलित किया गया था। राज्य का एक मात्र यह जिला राज्य एक शान्त एवं पिछड़ा जिला है। जालोर जिला राज्य के दक्षिण पश्चिम में अक्षांश 24.48 से 25.48 के बीच उत्तर तथा देशान्तर 71.07 से 75.53 के बीच पूर्व में स्थित है। जिले के उत्तर पश्चिम में बाडमेर उत्तर पूर्व में पाली, दक्षिण-पूर्व में सिरोंही तथा दक्षिण में गुजरात राज्य स्थित है।

जिला जालोर वर्ष 1973, 1975, 1990, 1992, 1994, 2006 एवं 2015 की बाढ़ / अतिवृष्टि तथा वर्ष, 1998 के चक्रवात से सम्पूर्ण जिला प्रभावित हुआ था। इन विपदाओं से निपटने के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ-साथ विभिन्न विभागों उपखण्ड अधिकारियान् तहसीलदारान् एवं विकास अधिकारियान् के अथक प्रयास एवं स्थानीय दानदाताओं, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं भामाशाहों से ज्यादा से ज्यादा सम्पर्क स्थापित उन्हें आग्रहपूर्वक प्रोत्साहित किया जाकर आपदा से निपटने के प्रयास किये गये।

2.2 जिले की भौगोलिक स्थिति :-

जालोर जिला राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में 24.37 डिग्री अक्षांश से 25.35 डिग्री अक्षांश तथा 71.58 से 73.34 डिग्री पूर्व देशान्तर के बीच स्थित है। जिले के पूर्व दिशा में सिरोंही, पाली, उत्तर में बाडमेर तथा दक्षिण में गुजरात व पश्चिम दिशा में कच्छ की खाड़ी व गुजरात राज्य का भाग स्थित है जिले का क्षेत्रफल 1056602 हैक्टेयर है। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार जिले की कुल जनसंख्या 1830151 है। इसमें 135030 जनसंख्या शहरी एवं 1695121 लाख जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र की है। जिला जालोर राष्ट्रीय राजमार्ग एवं ब्रेड गेज रेलवे प्रणाली से पड़ोसी जिलों एवं गुजरात राज्य से जुड़ा हुआ है।

जिले में कुल 817 ग्राम/शहर है, इनमें से 3 शहर एवं 810 आबाद ग्राम, 4 गैर आबाद राजस्व ग्राम है। जिले में कुल 274 ग्राम पंचायत मुख्यालय है। जिले में नौ उपखण्ड कार्यालय क्रमशः जालोर, सायला, आहोर, भीनमाल, बागोडा, जसवंतपुरा, रानीवाडा, सांचोर, चितलवाना है। इसी तरह नौ तहसीलें क्रमशः जालोर, सायला, आहोर, भीनमाल, बागोडा, जसवंतपुरा, रानीवाडा, सांचोर एवं चितलवाना है तथा आठ पंचायत समिति मुख्यालय क्रमशः जालोर, सायला, आहोर, भीनमाल, रानीवाडा, जसवन्तपुरा, सांचोर एवं चितलवाना है।

2.3 प्रशासनिक संरचना

जालोर जिला निम्नलिखित 9 उपखण्डों एवं 9 तहसीलों में विभाजित है:-

क्र.स.	अति. कलेक्टर	उपजिला कलेक्टर	तहसील	पंचायत समिति	वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की कुल संख्या
1.	जालोर	जालोर	जालोर	जालोर	74
2.		आहोर	आहोर	आहोर	139
3.		सायला	सायला	सायला	51
4.		भीनमाल	भीनमाल	भीनमाल	31
5.		जसवंतपुरा	जसवंतपुरा	जसवंतपुरा	74
6.		बागोड़ा	बागोड़ा	भीनमाल	58
7.		रानीवाडा	रानीवाडा	रानीवाडा	95
8.		सांचौर	सांचौर	सांचौर	133
9.		चितलवाना	चितलवाना	चितलवाना	154
योग					809

जिले में एक जिला परिषद, 8 पंचायत समितियां, 264 ग्राम पंचायतें एवं 3 शहरी स्थानीय निकाय हैं, जिनका विवरण निम्नसार है:-

जिला परिषद का मुख्यालय जालोर में स्थित है। जिला परिषद में 31 सदस्य हैं एवं इसके अध्यक्ष जिला प्रमुख हैं।

पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों का विवरण निम्नानुसार :-

क्र.स.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या
1.	जालोर	28
2.	आहोर	41
3.	सायला	40
4.	भीनमान	36
5.	जसवंतपुरा	29
6.	रानीवाड़ा	33
7.	सांचौर	36
8.	चितलवाना	31
	योग:-	274

क्षेत्रफल

ग्रामीण	10509.71 वर्ग किमी
शहरी	47.69 वर्ग किमी
योग	10557.40 वर्ग किमी

शहरी स्थानीय निकायों का विवरण

क्र.स.	स्थानीय निकाय	शहर/कस्बा
1.	नगरपरिषद	जालोर
2.	नगरपालिका	भीनमाल
3.	नगरपालिका	सांचोर

जिले में 5 विधान सभा क्षेत्र – जालोर, आहोर, भीनमाल, रानीवाडा सांचोर है। जालोर (अ.जा.) के लिए आरक्षित है। जिला जालोर एवं सिरौही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (सामान्य) में आता है।

2.4 भौतिक स्वरूप

क्षेत्रफल:—

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिले का कुल क्षेत्रफल 10557.40 वर्ग कि.मी. है। इसकी जनसंख्या 1830151 है तथा घनत्व 110.60 व्यक्ति प्रति कि.मी. है।

मृदा (मिट्टी) :—

जिले की सामान्य: मिट्टी उपजाऊ है एवं कृषि योग्य है। जिले के पूर्व में पहाड़ी इलाका है।

भूमि उपयोग:—

जिले का कुल क्षेत्रफल 1196546 हैक्टर है। जिसमें से 625748 हैक्टर भूमि कृषि योग्य है इस कृषि योग्य भूमि में से कुल 221155 हैक्टर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। इस सिंचित क्षेत्र में से 7761 हैक्टर भूमि में सिंचाई सुविधा बांधों द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है।

क्र. स.	भूमि का उपयोग	क्षेत्रफल	प्रतिशत (हैक्टर)
1	वन	20096	1.68
2	गैर कृषि उपयोगों में भूमि	40331	3.37
3	बंजर एवं अकृषित भूमि	83382	6.96
4	अन्य अकृषित भूमि (पड़त भूमि के अतिरिक्त)	72900	6.09
5	कृषि योग्य खाली भूमि	25496	2.13
6	पड़त भूमि	303124	25.33
7	बोया गया कुल क्षेत्रफल	651217	54.42
	योग	1196546	

जलवायु:—

जिले की जलवायु सामान्य एवं स्वास्थ्यवर्धक है। जनवरी महीने के मध्य अधिकतम तापमान का क्रम 23 सै. रहता है जबकि मध्य दैनिक न्यूनतम तापमान का क्रम 8 सै. रहता है। मार्च के महीने से तापमान क्रमशः बढ़ता जाता है। सामान्यतः मई उष्णतम महीना होता है जबकि माध्य दैनिक अधिकतम तापमान का क्रम 40 सै. रहता है। दिनों में पृथक् रूप से दिन का तापमान अधिक से अधिक 47 सै. तक जा सकता है। नवम्बर मध्य से जनवरी तक मौसम ठंडा रहता है। मानसून में जो कि जून के तृतीय सप्ताह से प्रारम्भ होकर सितम्बर माह के मध्य तक चलता है, वातावरण आर्द्र रहता है। तथा मौसम खुशनुमा रहता है।

वर्षा:—

जिले में औसत वर्षा 471.0 से.मी. होती है।

कुल वार्षिक की लगभग 95 प्रतिशत वर्षा जून से सितम्बर के महीने में होती है। इनमें से जुलाई व अगस्त भारी वर्षा के होते हैं। जनवरी एवं फरवरी माह में भी यदा कदा वर्षा होती है।

नदियां, बांध तालाब:—

नदिया:— जवाई नदी, बाण्डी नदी सागी नदी सूकडी नदी बाण्डी नदी खारी नदी आकोली नदी, जैतपुरा नदी, बड़गांव नदी और लूनी नदी जिले की प्रमुख नदियां हैं।

बांध:— जिले के प्रमुख बांध:— बांकली बांध, बीठन बांध बाण्डी सणधरा बांध, बणधर बांध जैतपुरा बांध, बालसमंद बांध, है एवं इनके अतिरिक्त 126 बांध और हैं जिनकी क्षमता 1917.00 मिलियन घनफुट है।

2.4 आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति :—

प्रमुख फसलें:—

जिले में रबी की फसलें प्रमुख हैं तथा साथ में खरीफ एवं जायद की फसलें भी बोयी जाती हैं।

रबी:—गेहूं, जीरा चना सरसों, तारामीरा, मैथी, अरण्डी, सौफ इसबगोल आदि। खरीफ:— बाजरा, ज्वार, मूंगफली तिल, उड़द मूंग मोठ आदि। इसके अतिरिक्त जिले में व्यावसायिक दृष्टि से फल और सब्जियों बोई जाती हैं। पपीता, नीबू और आम के पेड़ आमतौर पर पाये जाये जाते हैं। नदियों के पेटे में सब्जियां जैसे खरबूजा, ककड़ी, टमाटर खूब पैदा किये जाते हैं। फल व सब्जियां प्रचुर मात्रा में नहीं होने से अन्य जिलों से आयात किये जाते हैं।

प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन

क्र.स.	फसलों का नाम	वर्ष (कि.ग्रा. प्रति हैक्टर)
1	बाजरा	361934
2	इसबगोल	56180
3	गेहूं	29446
4	सरसों	23489
5	जीरा	73109
6	चना	17
7	तिल	11083
8	अरण्डी	7943
9	मूंगफली	75

प्रमुख उद्योग

वर्तमान में जिले में उद्योग बड़े तथा मध्यम श्रेणी के कई उद्योग उत्पादनरत हैं। जिले के खनिज पदार्थों की अधिकता होने के कारण खनिज आधारित उद्योगों का तेजी से विकास हुआ है। बड़े उद्योगों में ग्रेनाइट है। जालोर जिले में ग्रेनाइट उद्योग पूर्णतया विकसित अवस्था है जालोर शहर के 3 अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों में आज लगभग 800 ग्रेनाइट इकाईया हैं वहीं बिशनगढ़, भागली, बागरा, सियाणा, आकोली व रामसीन में गैर व मान्यता प्राप्त लगभग 100 अतिरिक्त ग्रेनाइट इकाईया स्थापित हैं जिसमें कुल अनुमानित 2 हजार करोड़ का निवेश हो रहा है। जालोर में ग्रेनाइट की विभिन्न किस्म की टाईल्स तैयार की जाती है।

संचार एवं यातायात :-

जालोर जिला मुख्यालय रेल लाईन से जुड़ा हुआ है। जिले में से रेल लाईन गुजरती है उत्तरी रेलवे की जोधपुर-अहमदाबाद -वाया भीलडी बड़ी लाईन पर बालवाडा, बिशनगढ़, जालोर, बागरा, बाकरा रोड़, मोदरा, भीमपुरा, भीनमाल, कोडी, मालवाडा, रानीवाडा, रतनपुरा रेलवे स्टेशन स्थित है।

जिले में वायुयान सेवा उपलब्ध नहीं हैं। जिला मुख्यालय पर ही वायुयान उतरने के लिये हवाई पट्टी नून में बनी हुई है।

जिले में एक राष्ट्रीय राजमार्ग 15 नवम्बर है जो जिले को बाडमेर सांचोर गुजरात से जोड़ता है।

जनसंख्या :-

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जालोर जिले जिले की जनसंख्या के आंकड़े निम्नुसार है :-

क्र. स.	वर्ष	पुरुष	स्त्री	योग	कमी / वृद्धि
1	1981	465067	438006	903073	35.20
2	1991	588457	554106	1142563	26.52
3	2001	737880	711060	1448940	26.81
4	2011	936634	892096	1828750	26.21

जन संख्या का घनत्व

क्र. स.	वर्ष	घनत्व		योग	कमी / वृद्धि
		ग्रामीण	शहरी		
1	1981	79	1073	85	(+) 35.20
2	1991	100	1745	107	(+) 26.52
3	2001	104	1750	136	(+) 26.81
4	2011	152	1755	147	(+) 26.21

ग्रामीण एवं शहरी जन संख्या का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. स.	तहसील	1991			2001			2011		
		ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग
1	जालोर	247213	33650	280863	174551	44830	219381	210342	54081	264423
2	आहोर	176184	0	176184	207961	0	207961	239642	0	239642
3	सायला	0	0	0	137804	0	137804	176682	0	176682
4	भीनमाल	252521	30731	283252	182226	39280	221506	97670	47954	145624
5	जसवंतपुरा	0	0	0	0	0	0	155762	0	155762
6	बागोडा	0	0	0	130895	0	130895	151141	0	151141
7	रानीवाड़ा	123125	0	123125	163349	0	163349	206871	0	206871
8	सांचोर	260312	18827	279139	342120	25884	368004	249868	25884	275752
9	चितलवाना	0	0	0	0	0	0	211069	0	211069
योग		1059355	83208	1142563	636364	368004	662248	1699047	127919	1826966

जनगणना: के आंकड़ों के अनुसार जिले की जनसंख्या की स्थिति निम्न प्रकार है:-

	जनगणना 2001	जनगणना 2011
1 पुरुष	737880	936634
2. स्त्री	711060	892096
3. योग	1448940	1828750
4. ग्रामीण	1338946	1676975
5. शहरी	109994	151755
6 जनसंख्या घनत्व	109994	172
7. कुल साक्षरता दर	26.81	54.86
अ. पुरुष	68.67	70.67
ब. स्त्री	37.53	38.47
8. कुल जनसंख्या में नगरीय जन संख्या	109994	151755
9. 1000 पुरुष पर महिला	963	952
10. जन सख्या की 10 वार्षिक वृद्धि पर (1991-2001)	33.22	26.21
11. जन सख्या की 10 वार्षिक वृद्धि पर (2001-2011)	0	(-) 0.60

वर्ष 2001 में अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. स.	तहसील	अनु. जाति			अनु. जनजाति		
		पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग
1.	जालोर	36818	8285	45103	18897	2426	21323
2.	आहोर	40031	—	40031	24009	—	24009
3.	सायला	26256	—	26256	7680	—	7680
4.	भीनमाल	61350	6372	67722	18947	2203	21150
5.	जसवंतपुरा	—	—	—	—	—	—
6.	बागोडा	13828	—	13828	13201	—	13201

7	रानीवाड़ा	31736	—	31736	23246	—	23246
8	सांचोर	30233	6406	36639	15330	860	16190
9	चितलवाना						
	योग	240252	21063	261315	121310	5489	126799

वर्ष 2011 में अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र. स.	तहसील	अनु. जाति			अनु. जनजाति		
		पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग
1.	जालोर	31377	28613	59990	15819	14190	30009
2.	आहोर	26685	25892	52577	15880	14789	30669
3.	सायला	18676	17377	35053	5672	5084	10756
4.	भीनमाल	25577	24173	49750	19747	18046	37793
5.	जसवंतपुरा						
6.	बागोडा	10732	9848	20580	7045	6611	13656
7.	रानीवाड़ा	21508	19518	41026	16581	15356	31937
8.	सांचोर	50787	46433	97220	12546	11353	23899
9.	चितलवाना						
	योग	185342	171854	356196	93290	85429	178719

2.5 सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां

जिले में आयोजित अधिकांश मेले सामाजिक एवं धार्मिक प्रकृति के होते हैं जो विशिष्ट समय पर लगते हैं तथा इनका व्यापारिक महत्व होता है। ये मेले मनोरंजन एवं लोगों को एकत्रित होने के प्रमुख साधन हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकायों को आमदनी भी सुलभ कराते हैं जिले में कुल 4 मेले आयोजित किये जाते हैं। इनमें शितला माता, मेला जालोर में, सेवाडीया, पशु मेला रानीवाड़ा में आपेश्वर महादेव का शिवरात्री मेला रामसीन में रघुनाथ पशु मेला सांचोर में प्रमुख है।

एतिहासिक एवं धार्मिक केन्द्र :—

पौराणिक काल से यह केन्द्र ऋषियों, मुनियों तपस्वियों एवं चिंतकों का केन्द्र रहा है। वशिष्ठ ऋषि का आश्रम, दत्तात्रेय का गुरुशिखर पांडवों की गुफा, भीम गुफा, राजा हरिश्चन्द्र की गुफा, भूर्तहरि की गुफा राजा गोपीचन्द्र की गुफाएं इसके प्रमाण हैं।

सुधामाता मंदिर :— इस जिले में सुधा पर्वत पर सुधामाता का अति प्राचीन प्रसिद्ध मन्दिर है वहां पर राजस्थान का प्रथम रोपवे भी दर्शनार्थियों के लिए उपलब्ध है। क्षेमकरीमाता मंदिर :— इस क्षेत्र भीनमाल शहर के पास क्षेमकरीमाता का अति प्राचीन प्रसिद्ध मन्दिर है।

जैन मंदिर :— जैन मंदिरों में 72 जिनालय भीनमाल में विश्व प्रसिद्ध मन्दिर हैं। माण्डवला में जहाज मन्दिर स्थित हैं। माडोली जैन प्रसिद्ध मन्दिर हैं। जालोर दुर्ग पर चार जैन मन्दिर उपलब्ध हैं।

भीनमाल:— नगरी माघ कवि का जन्म स्थल हैं।

आपदाएं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं तथा आपदा के घटित होने के उपरान्त सर्वत्र विनाश, संत्रास, दुर्दशा, संत्रास का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। आपदा प्रभावित लोगों को पुनः पूर्वास्थिति में आने कई दशकों का समय लग जाता है। जीविका के निम्नस्तर व कम जागरूकता ने न केवल आपदाओं के भयंकर प्रभाव को बढ़ाया है बल्कि यह आर्थिक विकास में रुकावट का गंभीर कारण भी बना है। आपदा के घटने से उसके प्रभाव व क्षेत्र की परिधि में सभी लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन गरीब, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग व अपंग लोग इससे अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक एवं शारीरिक कष्ट सहन करने की क्षमता बहुत कम होती है।

अतः यह आवश्यक है कि किसी भी जिले में संभावित घटित होने वाली विपदाओं की पहचान, उससे होने वाले जोखिम, उसकी परिधि में आने वाले क्षेत्रों, बच्चों बुजुर्गों, महिलाओं, निःशक्तजनों व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक, सामाजिक व भौतिक संवेदनशीलता की पहचान, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक, सामाजिक व भौतिक संवेदनशीलता की पहचान तथा आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए उनकी क्षमता का आंकलन करके जोखिम की संवेदनशीलता को ज्ञान किया जाये ताकि आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए योजना तैयार करके क्रियान्वित की जा सके।

संभावित विपदाओं की पहचान

आपदा प्रबंधन पर घटित उच्च स्तरीय कमेटी ने 31 तरह की आपदाओं को चिन्हित किया है जिन्हें मुख्यतः पांच भागों में विभक्त किया है।

- जलवायु सम्बन्धित— बाढ़ सुखा चक्रवात, बादल का फटना, गर्म और ठंडी हवायें, तुफान एवं बिजली का गिरना।
- भूगर्भ सम्बन्धित— भूकम्प, भूस्कलन, बांध का टूटना, खान में आग लगना।
- रसायनिक, औद्योगिक एवं परमाणु सम्बन्धित— रसायनिक एवं औद्योगिक विपदा एवं परमाणु विपदा।
- दुर्घटना सम्बन्धित— आग, बम विस्फोट, वायु, सड़क एवं रेल दुर्घटना, खान में बाढ़ आना, मुख्य भवनों का ढहना।
- जैविक आपदाएँ— महामारी टिड्डी दल आक्रमण, जानवरों की महावारी इत्यादि।

सिरोही जिले की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता के आंकलन के लिए जिले के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों ने जिला आपदा प्रबंधन योजना पर एक दिवसीय कार्यशाला में जिले में होने वाली संभावित आपदाएं, उनसे प्रभावित होने वाले लोग तथा विपदाओं से निपटने के लिए जिले की क्षमता का आंकलन किया।

कार्यशाला में जिले में संभावित 10 आपदाएं चिन्हित की गयीं। इनमें से मुख्य पाँच विपदाओं के लिए विस्तृत व विशिष्ट कार्य योजना एवं अन्य विपदाओं के लिए सामान्य कार्य योजना बनाने की अनुशंसा की गयी। पाँच मुख्य विपदाएं निम्न हैं।

1. सूखा
2. बाढ़
3. दुर्घटनाएं

4. आग

5. भूकम्प

व अन्य 5 विपदाएं साम्प्रदायिक दंगे, ओलावृष्टि, बांध टूटना, रासायनिक एवं औद्योगिक विपदाएं तथा (लू) व शीतघात हैं।

संवेदनशीलता

किसी भी स्थान की संवेदनशीलता वहां के लोगों के जीवन स्तर, वहां की स्थिति, रहने के स्थान व घटना के समय पर निर्भर करती है। लोग, स्थिति, स्थान समय घटना

(1) भौतिक संवेदनशीलता

भवन, आधारभूत ढांचा जीवन धारक वस्तुओं की पूर्ति का मार्ग, परिवहन, दूरसंचार जन सुविधाओं आवश्यक जन सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, जलापूर्ति, तथा कृषि, भौतिक साधन हैं जिनसे भौतिक संवेदनशीलता का आंकलन किया जाता है।

घरों को उनकी बनावट तथा भवन सामग्री के आधार पर चार मुख्य भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं।

(अ) मिट्टी की दीवार ढालू, कच्ची मिट्टी की ईंटों एवं स्थानीय उपलब्ध पत्थर

(ब) पकी हुई ईंटों या बड़े पत्थर के घर

(स) सुदृढ़ या मजबूत इमारतें, लकड़ी के ढांचों के साथ

(द) हल्के, लकड़ी पत्तों आदि की झोपड़ियाँ

(य) मिट्टी की दीवार ढालू, कच्ची मिट्टी की ईंटों एवं स्थानीय उपलब्ध पत्थर

(र) पकी हुई ईंटों या बड़े पत्थर के घर

(ल) सुदृढ़ या मजबूत इमारतें, लकड़ी के ढांचों के साथ

(व) हल्के, लकड़ी पत्तों आदि की झोपड़ियाँ

जिले का लगभग 15 प्रतिशत भाग संशोधित सरकारी मापक के अनुसार VII (MKS) तक तीव्रता के भूकम्प आने के मध्यम नुकसान सम्भावित क्षेत्र में आता है। जिले में पकी हुई ईंटों या बड़े पत्थरों के बने घरों को अत्यधिक नुकसान वाले सम्भावित क्षेत्र मध्यम होने की संभावना है। इस तरह के घरों को कम नुकसान होने की सम्भावना है अर्थात् भूकम्प की दृष्टि से कुछ हद तक इन्हें ठिक कहा जा सकता है। हल्के भवन निर्माण के घर जैसे झोपड़ियाँ हल्के लकड़ी, पत्तों आदि की सामग्री से बने हुए हैं जो भूकम्प की दृष्टि से तो काफी सुरक्षित है लेकिन तेज हवाये अगर 47 एम /सैं. से चलती है तो इन घरों में अत्यधिक नुकसान की सम्भावना है। हल्के भवन निर्माण के घर जैसे झोपड़ियाँ हल्के लकड़ी, पत्तों आदि की सामग्री से बने हुए हैं जो भूकम्प की दृष्टि से तो काफी सुरक्षित है लेकिन तेज हवाये अगर 47 एम /सैं. से चलती है तो इन घरों में अत्यधिक नुकसान की सम्भावना है।

आर्थिक, सामाजिक संवेदनशीलता

जिले में किये गये अध्ययन के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या काफी अधिक है। हानि, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, गौण प्रभाव गरीबी, संसाधनों की कमी।

खतरा

भौतिक, सामाजिक एवं पारिस्थितिक आदि कमजोर संरचनाओं को खतरा अधिक होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि विपदा की प्रचण्डता कितनी थी और असुरक्षा की स्थिति कितनी थी। खतरा, विपदा और संवेदनशीलता पर निर्भर करता है।

आपदा के दौरान प्रबन्धन हेतु सामान्य कार्य योजना:—

जिले में घटित होने वाली प्रत्येक आपदा के प्रबन्धन हेतु जिला कलेक्टर ही उत्तदायी होता है। इसके लिए जिला कलेक्टर आपदा के समय अपनी आपात कालीन शक्तियों का उपयोग करके कोई भी निर्णय ले सकता है तथा किसी भी विभाग को आपात कालीन सेवा प्रदान करने का दिशा निर्देश दे सकता है। जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अथवा सहायक जिला कलेक्टर जिला आपदा प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी होंगे।

आपदा के दौरान कलेक्टर की भूमिका

- जिला कलेक्टर संसाधनों एवं दक्ष लोगों की सूची तैयार करवाना
 - उपखण्डों पर नोडल अधिकारियों को नियुक्ति करना तथा आदेश देना। इससे आपदा आने पर अधिकारी स्वयं चार्ज सम्भाल लेंगे।
 - जिले में आपदा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना जो कि 24 घंटे कार्यरत होगा।
 - नियंत्रण कक्ष जिला, कलेक्ट्रेट, तहसील मुख्यालय तथा विभिन्न विभागों में स्थापित करना।
 - नियंत्रण कक्ष में तीन पारी में नियुक्ति करना (दो व्यक्ति हर पारी में)
 - नियंत्रण कक्ष में आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों व अन्य सभी विभागों के विभागाध्यक्षों के नाम, पता व फोन नं. होंगे।
 - नियंत्रण कक्ष के फोन नं. आसान व याद रखने योग्य होने चाहिए। अगर हो सके तो तीन अंकों का नम्बर दिया जा सकता है ताकि व्यक्ति सूचना आसानी से दे सकें।
 - सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना तथा उन्हें विभागानुसार समुचित प्रबंध का आदेश देना।
 - आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना।
 - आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत, जानकारी आदि के लिए अलग-अलग काउन्टर बनाना।
 - आपदा स्थल के नियंत्रण कक्ष पर सभी सूचनाओं को इकट्ठा करवाना तथा राज्य नियंत्रण कक्ष तक सूचनाओं को भेजना।
 - सभी विभागों में समन्वय करना समय समय पर उच्च अधिकारियों तथा मीडिया हेतु सूचनाएं व आंकड़े तैयार रखवाना।
- आपदा से हुए नुकसान आदि के लिए विशेष सर्वेक्षण दल की स्थापना करना।
रेलवे व यातायात विभाग से सामंजस्य स्थापित करके आने जाने की सुविधा प्रदान करना।

- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना व उनमें समन्वय करना।
- प्रभावित लोगों को समुचित सहायता की व्यवस्था करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में राहत केन्द्रों को चलाना।
- विभिन्न बचाव कार्यों के लिए धन तथा वितरण की रूपरेखा तैयार करना।
- दान दी गई राहत सामग्री की सूची तथा वितरण की रूपरेखा तैयार करना।
- आपदा स्थल पर स्वस्थ राहत व जानकारी आदि के लिए अलग-अलग काउंटर बनाना।
- जरूरत पड़ने पर सेना से सहायता लेना।
- उपरोक्त अलावा निम्नांकित विभागों का सहयोग भी जिला कलेक्टर लेंगे :-

पुलिस विभाग

राजस्व विभाग के बाद पुलिस की भूमिका आपदा प्रबन्धन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। आतंकवादी हमले, सिविल अनरेस्ट तथा सड़क दुर्घटना में पुलिस विभाग ही नोडल विभाग होता है। इसके अतिरिक्त बाढ़, भूकम्प, आग या कोई भी दूर्घटना हो तो सबसे पहले पुलिस को ही सूचित किया जाता है।

- आपदा प्रभावित स्थल पर पहुंचकर जन समूह को संभालना/बचाव कार्यों में प्रशासन की मदद करना।
- खोज, बचाव व स्थानों की खाली करवाने के लिए अतिरिक्त संस्थाओं जैसे होमगार्ड, एन.सी.सी. इत्यादि की सहायता लेना।
- लोगों के जान माल की रक्षा करना व कानून व्यवस्था बनाये रखना।
- आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाना।
- बाढ़ की चेतावनी मिलने पर निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को उच्च एवं सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित करना।

नागरिक सुरक्षा बल, स्काउट्स एण्ड गाईड्स तथा एन.सी.सी

आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष नागरिक सुरक्षा बल के जवानों की छुट्टी आदि रद्द करके उन्हें आपदा स्थल पर तुरन्त पहुंचने का आदेश देंगे। नागरिक सुरक्षा बल के जवान आपदा में फंसे लोगों को ढूंढने व निकालने में जिला प्रशासन की सहायता करेंगे।

चिकित्सा विभाग की भूमिका

- विभाग में नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- अस्पताल में घायलों को भर्ती करने हेतु जगह का इंतजाम करना।
- आवश्यक दवाइयों का स्टॉक तैयार रखना।

- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य राहत शिविरों की स्थापना करना।
- आपदा स्थल पर डॉक्टर व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात करना ताकि घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जा सके।
- एम्बुलेंसों की व्यवस्था करना।
- अन्य निजी अस्पतालों व उनके पास उपलब्ध संसाधनों को आपदा से निपटने के लिए संपर्क करना।
- जिले में उपलब्ध मोबाइल यूनिटों में घायलों की सहायता हेतु आपदा स्थल पर भिजवाने की व्यवस्था करना।
- ब्लड बैंकों को आपदा स्थल व अस्पतालों में रक्त पहुँचाने के लिए संपर्क करना।
- मृतकों का निस्तारण हेतु नगर पालिका/परिषद /निगम की मदद लेना।
-

जल संसाधन विभाग

आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।

रिहायशी क्षेत्रों से बाढ़ के पानी की निकासी हेतु आवश्यक कदम उठायेगा (जैसे पम्पसेटो की व्यवस्था आदि करना)

बाढ़ के पानी की शीघ्र निकासी हेतु उचित मार्ग बनाना व अवरोधों को हटाना।

बचाव व राहत कार्यों के लिए नावों की व्यवस्था करना।

गोताखोरों एवं तैराकों से सम्पर्क कर उनकी सेवाएं लेना।

कंकड़ पत्थर और मिट्टी से भरे थैलों से बहाव को रोकना।

बांधों व तालाबों में आई दरारों को बन्द करने हेतु तत्काल व्यवस्था करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेगे।
- आपदा स्थल से मलबा आदि उठाने के लिए गाड़ियों का तुरन्त इन्तजाम करना।
- विभागाध्यक्षों द्वारा ठेकेदारों से सम्पर्क कर उनके पास उपलब्ध संसाधनों की सहायता लेना।
- आपदा के दौरान टूटे सड़क मार्गों की मरम्मत की व्यवस्था करना ताकि राहत कार्य सुचारु रूप से हो सके।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जलदाय विभाग

- जल की सुरक्षा निश्चित करना।
- टूटी हुई पाईप लाईनों को तुरन्त प्रभाव से ठीक करवाने हेतु विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित करना व ठेकेदारों को नियुक्त करना।
- जरूरत पड़ने पर अग्निशमन साधनों तथा अस्पतालों के लिये समुचित जल की व्यवस्था करना।

राजस्थान राज्य विद्युत निगम

- आपदा स्थल पर बिजली आपूर्ति का प्रबन्ध।
- टूटे हुए बिजली के तारों को पुनः जोड़ना व बिजली की सप्लाई आपदा स्थल तक पहुँचाना
- प्रथम, द्वितीय व तृतीय पारी की टीमों का संगठन कर तैयार रखना।
-

दूर संचार विभाग

- आपदा स्थल पर संचार के माध्यम, उपलब्ध कराना (वायरलैस, मोबाईल, होटलाईन)
- अस्थाई संचार व दूरसंचार व्यवस्था करना।
- जनता तक सही सूचना पहुँचाना।
- टूटी हुई जन संचार व्यवस्था को पुनः चालु करना।

नगर पालिका/परिषद्/पंचायत समितियाँ

- मृत पशुओं आदि का निस्तारण करना।
- महामारी से बचाव हेतु डी.डी.टी. अथवा अन्य दवाईयों का छिड़काव तथा सफाई की व्यवस्था करना।
- आग जैसी आपदा के समय तुरन्त प्रभाव से अग्निशमन सेवाएँ प्रदान करना।
- (अग्निशमन यन्त्र, अग्निशमन वाहन आदि)

परिवहन विभाग

- आपदा स्थल तक आने जाने हेतु जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार वाहन उपलब्ध करवाना।

खाद्य एवं रसद विभाग

- खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल व करोसिन आदि का आरक्षित भण्डार प्रशासन की मांग पर उपलब्ध कराना।
- निजी दुकानदारों व खाद्य भण्डारों के विक्रेताओं से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें मदद के लिए सूचना देना।

पशुपालन विभाग

- आपदा की स्थिति में पशुओं के लिए चारा, पानी दवाईयों की व्यवस्था करना।
- जानवरों के डॉक्टर उपलब्ध करवाना।
- पशुओं के शवों का निस्तारण करवाना।
- पशुओं के इलाज के लिए व रखने के लिये पशु अस्पताल आदि में जगह का इन्तजाम करना।

- आपदा के समय स्वस्थ पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना।

स्वयंसेवी संगठन

- हर तरह की आपदा से निपटने हेतु जिला प्रशासन की मदद करना।

जिले में मुख्य अन्य सम्भावित आपदाएं व कार्य योजना :-

सूखा

सूखा जल के अभाव का संचयी प्रभाव होता है जिसका प्रभाव एक प्राकृतिक आपदा के रूप में कृषि, प्राकृतिक परिवेश तथा संबंधित प्रक्रमों पर पड़ता है। इसकी प्रभावशीलता निरन्तर बढ़ती जाती है तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारतीय मौसम विभाग ने सूखे को दो भागों में विभक्त किया है— प्रचण्ड सूखा एवं सामान्य सूखा। प्रचण्ड सूखे में 50 प्रतिशत से कम बारिश होती है जबकि सूखा एवं सामान्य सूखा। प्रचण्ड सूखे में 50 प्रतिशत से कम बारिश होती है। सिंचाई आयोग द्वारा दी गई सूखे की परीभाषा कम वर्षा हुई हो। यदि यह कमी 25 से 50 प्रतिशत के मध्य है तो इसे सीमित सूखे की स्थिति तथा यदि यह कमी 50 प्रतिशत से अधिक हो तो इसे गंभीर सूखे की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है।

सूखा एक धीरे-धीरे होने वाली ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो हमें निपटने का काफी समय देती है। जल का उचित प्रबन्धन न होने के कारण समय के साथ साथ इसका प्रभाव भी बढ़ता जाता है। सूखे का मुख्य कारण बारिश की कमी तथा पानी के सही संरक्षण का अभाव होना है।

सूखे के सामान्य संकेतक

जलाशयों में पानी का अभाव
वर्षा का कम होना या समय पर न होना या कम जल संग्रहण
भू जल स्तर का कम होना।
फसलों का नष्ट होना

सूखे के प्रकार

- मौसम विज्ञान संबंधी सूखा:— अपर्याप्त वर्षा, अनियमितता, पानी का असमान वितरण
- जल विज्ञान संबंधी सूखा:— पानी का अभाव, भूजल स्तर का निम्न होना, जल स्रोतों का अवक्षय, तालाबों कुओं तथा जलाशयों का सूखना
- कृषि संबंधी सूखा :— फसल अथवा चारे की कमी, मृदा की नमी में कमी।

राजस्थान एवं सूखा एक दूसरे के समानार्थक है। पिछले 50 वर्षों में औसतन हर दूसरा वर्ष सूखे की समस्या से प्रभावित वर्ष रहा है। जालोर जिला सूखे की समस्या से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्र है अगर जिले के अकाल ग्रस्त वर्षों का आंकलन करें तो 1985 भीषणतम रहा है। सन् 1965,1968,1972,1980,1984,2000,2009,2014,2015 भी अकाल से

प्रभावित रहें हैं। जिसके परिणाम स्वरूप कई गांव की चपेट में आ गये। जिसके कारण इन गाँवों में फसल खराब होने पर राज्य सरकार द्वारा अकालग्रस्त घोषित किया गया:—

सूखे की कार्ययोजना

राजस्थान के परिपेक्ष्य में सूखा एक विकराल समस्या है परन्तु कुछ दीर्घकालीन उपाय अपनाकर हम इस स्थिति को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं अथवा इसके विकरालता को कम कर सके हैं।

दीर्घकालीन उपाय

- वर्षा के पानी का अधिकतम उपयोग करना संरक्षण करना।
- पानी के बहाव को कम करना तथा उसे संचित करना।
- पानी के परम्परागत स्रोतों का पुनर्जीविकरण।
- अवक्रमित भूमि एवं वनों की पुनः स्थापना सुनिश्चित करना।
- पानी के संग्रहण एवं भू-कूपों का पुनर्भरण।
- मिट्टी व नमी का संरक्षण।
- अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाना तथा पेड़ों की कटाई को रोकना।
- फसल चक्र में फसलों का बदलाव तथा उन्नत बीजों का उपयोग।
- फसलों में फव्वारा पद्धति का विकास करके जल संरक्षण को बढ़ावा देना।
- कृषि के साथ अन्य प्रकार के रोजगारों व परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देना।
- स्वयंसहायता समूहों का गठन करके लोगों में पानी बचाने के लिए जागरूकता लाना।
- अकाल प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हिकरण
- चारा डिपो स्थापित करने हेतु गांवों का चिन्हीकरण
- अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- जानवरों के लिए शिविरों के स्थान चिन्हित करना।
- पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं का चिन्हिकरण करना।
- सूखे के दौरान फैलने वाली संभावित बीमारियों से लड़ने हेतु तैयार करना।
- रोजगार सृजन के अवसर हेतु राहत कार्य आदि की विकास योजना तैयार करना।
-

सूखे के समय कार्य योजना

- सूखा प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा करना।
- सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं में लेना।

जिला प्रशासन

- सहायता विभाग सूखा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करेगा।
- राहत कार्य की शुरुआत कुओं को गहरा करना।
- उपलब्ध पानी के स्रोतों का संवर्धन

- निजी कुओं को किराये पर लेना
- हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाना
- परम्परागत जल सत्रातों जैसे बावड़ी, टांकों आदि का पुनः जीविकरण
- आवश्यक खाद्य सामग्री का सार्वजनिक वितरण
- खाद्य सामग्री पर मूल्य नियंत्रण
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, समन्वित बाल विकास सेवाएं मध्याह्न योजना कार्यक्रम, अन्नपूर्णा आदि का क्रियान्वयन
- पशुओं के लिए चारा डिपो स्थापित करना।
- पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करना।
- किसानों को सिंचाई हेतु बिजली व डीजल उपलब्ध करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजन
- अकाल राहत के तहत आरम्भ किये गये कार्यों हेतु मजदूरों को समय पर भुगतान

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- प्रभावित जनसामान्य की चिकित्सकीय देखभाल सुनिश्चित करना।
- मौसमी बीमारियों/सक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये चिकित्सकीय एवं पेट्रोमेडीकल स्टॉफ की उचित व्यवस्था
- राहत कार्य के स्थलों पर मेडीकल किट एवं स्टॉफ की उपलब्धता सुनिश्चित करना

पशुपालन विभाग

- मवेशियों के लिए शिविर लगाना
- सक्रामक रोगों की, रोकथाम के लिये पशुओं की उचित चिकित्सकीय देखभाल करना।
- बड़ी संख्या में पशुओं की मृत्यु रोकने के लिए पशु चिकित्सक कर्मी, दवाईयां एवं समय पर उनका संचालन करना।
- पशुओं के लिए चारा तथा पानी उपलब्ध कराना।
- पशुओं को उचित स्थान पर स्थानान्तरित करना।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी

- प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में जल आपूर्ति एवं उसका परिवहन सुनिश्चित करना।
- पीने के पानी की व्यवस्था हेतु टैंकर्स, कैनवस बैग व हैण्ड पाईप लाइन की व्यवस्था करना।
- ग्रीष्म ऋतु आपात योजनाओं का प्रभावी एवं समय पर क्रियान्वयन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

- समाज के कमजोर तबक के समूह के बचाव हेतु अन्त्योदय अन्न, अन्नपूर्णा अन्न योजना, गरीबी की रेखा से नीचे वाले तबके सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन
- काम के बदले अनाज योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन स्वयं सेवी संगठन
- राहत कार्य एवं पेयजल आपूर्ति में स्वयं संगठनों की भागीदारी
- इस विपत्ति हेतु जिला प्रशासन को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना **समेकित बाल विकास सेवाएं**
- बच्चों एवं गर्भवती माताओं हेतु समेकित बाल विकास सेवाओं का प्रभावी क्रियान्वयन
- राहत कार्य स्थलों पर पूरत पोषाहार उपलब्ध कराना।

सिंचाई

- सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हेतु नहरों को पूर्ण क्षमता से चलाना
- राहत कार्य के अन्तर्गत जल संरक्षण/एकत्रीकरण के कार्य का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना

कृषि विभाग

- खेती के लिए बीज तथा कीटनाशक दवाईयाँ उपलब्ध कराना।
- फसलों का चक्रानुक्रम नर्सरी तथा कृषि निवेशों की व्यवस्था करना।

वन विभाग

वन भूमि में चरागाह उपलब्ध कराना।
ईंधन आदि के लिए पेड़ों की सूखी टहनियाँ उपलब्ध कराना।

विद्युत विभाग

- विद्युत की नियमित व पर्याप्त आपूर्ति का प्रबन्ध सुखे से बचने के लिए क्या करें, क्या ना करें।
- लगातार समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन आदि पर प्रसारित होने वाली चेतावनियों को सुने व उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करें।
- पानी की बचत करें तथा उसे बर्बाद होने से रोकें। जब भी नल से पानी व्यर्थ बहता देखें तुरन्त नल को बंद करें।
- गिलास में एक बार में उतना ही पानी ले जितनी आपको प्यास हो। पूरा गिलास भरकर पानी लेकर व झूठा छोड़ने से पानी बरबाद होता है, अगर कोई मेहमान भी गिलास में पानी छोड़ जाए तो उसे पेड़ पोधों में डालें।
- पाईप लाईन अथवा टंकी से पानी लीक होती ही उसे ठीक करवायें, ताकि बून्द-बून्द करके पानी बेकार न बहता रहे।

- कही भी पाईप लाईन टूटी हो और पानी सड़क अथवा अन्य किसी स्थान पर व्यर्थ बह रहा हो तो जलदाय विभाग को सूचित करें तथा लिकेज को रोकने के प्रयास करें।
- घरों में वे ही पौधे लगावें जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। घास में दो दिन में एक बार पानी दें। फल, सब्जी व कपड़े धोकर पानी नाली की जगह घास अथवा पौधों में डालें।
- जल संग्रहण हेतु बनाये गये कुओं, तालाबों आदि की सफाई रखें।
- सोने से पहले घर के सारे नलों को अच्छी तरह से बन्द करें।
- ब्रश अथवा मन्जन करते समय नल खुला न छोड़े बल्कि एक मग अथवा गिलास में पानी भरकर दांत साफ करें।
- नहाते समय बाल्टी व मग का प्रयोग करके नहाएं क्योंकि फव्वारें व टब बाथ से पानी अधिक बर्बाद होता है।
- शेविंग करते समय नल खुला न रहने दे। जब मुंह धोने की जरूरत हो तभी नल खोलें व पानी का उपयोग करें।
- हाथ साफ करते के लिए पहले साबुन लगाये व बाद में नल खोल कर हाथ धोयें।
- अपनी गाड़ी को साफ करने के लिए पानी के पाईप का प्रयोग न कर गीले तथा सादे कपड़े का प्रयोग करें।
- फर्श साफ करने के लिये घरों को धोने के बजाय पोंछा लगाकर साफ करें।
- कम से कम बर्तनों को प्रयोग कर हम बर्तन को धोने के उपयोग में आने वाले पानी को बचा सकते हैं।
- जल संरक्षण के लिए किये जा रहे प्रयासों में अपना सहयोग सुनिश्चित करें।
- वर्षा के जल को टांके में संग्रहित करना।

बाढ़

जिले में मुख्य नदियाँ जवाई, आकोली, बांडी, सांगी, खारी, जैतपुरा बडगांव और लूनी अधिकांश नदियाँ बरसाती है परन्तु जैतपुरा, बडगाँव और सांगी नदियों में वर्ष भर जल उपलब्ध रहता है। जिले में वर्षा अधिकांश जून से सितम्बर माह के बीच होती है और वार्षिक औसतन 538.0 मिमि है वर्षा का 90 प्रतिशत भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। जिले में 1951 से 2016 तक वर्षा के आंकड़ों का अवलोकन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जिले में प्रति तीसरे वर्ष में अधिक वर्षा के कारण जिले में बाढ़/अतिवृष्टि की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इस दृष्टि से बाढ़ की स्थिति में विशेष गंभीरता बरती जाती है।

प्राकृतिक जल चक्र का एक अंग भी है। जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध वर्षा से है एवं यह जल प्रबन्धन को प्रभावित करती है। यदि किसी क्षेत्र में वर्षा अधिक मात्रा में होती है, तो नदियाँ असंतुलित होकर उफान अवस्था में आ जाती है और बाढ़ की उत्पत्ति होती है। इस विकट पर्यावरणीय परिस्थिति का प्रभाव उक्त क्षेत्र की परिस्थितिकी पर भी पड़ता है। बाढ़ का सामान्य अर्थ होता है—विस्तृत स्थलीय भाग का लगातार कई दिनों तक जलमग्न रहना। यद्यपि बाढ़ के लिए प्रकृति ही उत्तरदायी है लेकिन मानवीय क्रियाकलाप भी कम उत्तरदायी नहीं हैं।

भारत वर्ष बाढ़ से प्रभावित होने वाले देशों में से एक हैं। जिसमें राजस्थान का यह जिला भी है। इस जिले में वर्ष 1973, 1975, 1990, 1992, 1994, 2006 एवं 2015 की बाढ़ से प्रभावित हुआ था। जिसके कारण जन धन एवं कृषि प्रभावित होती है।

जिले में बाढ़/अतिवृष्टि अथवा बादलों के यकायक फटने के कारण उत्पन्न होती है। जिले की मुख्य नदी जवाई नदी है, जो तहसील, चितलवाना से बाडमेर मार्ग पर स्थित गांधव पुल के पास लूनी नदी में मिल जाती है। लूनी नदी एवं जवाई नदी के अधिग्रहण क्षेत्रों में हुई एवं पड़ोसी जिला, सिरोही, पाली एवं जोधपुर में अधिक वर्षा के कारण इन नदियों में जल स्तर बढ़ जाता है और जल का तेज बहाव रास्तो, किनारों को काट देता है। जिससे कि वह कभी भी परम्परागत मार्ग बदल देता है, जिससे निकटस्थ क्षेत्र की जनता गंभीर रूप से प्रभावित होती है। जिले में बहने वाली नदियों और उसके बाद की स्थिति में जल पलायन से जिले की आहोर जालोर, सायला, बागोडा और सांचोर, चितलवाना क्षेत्र का अधिकांश भाग और भीनमाल के कुछ हिस्से विशेष रूप से प्रकोप क्षेत्र में स्थित है।

बाढ़ के मुख्य कारण

- अत्यधिक वर्षा
- बांध का टूटना
- उष्ण कटिबंधीय व विक्षोभ
- बादल का फटना

बाढ़ कार्य योजना

बाढ़ के कारण होने वाली जान हानि व माल को संरचनात्मक व गैर संरचनात्मक कदम उठाकर काफी हद तक कम किया जा सकता है। संरचनात्मक कदमों से बाढ़ के पानी से नुकसान पहुंचने वाले स्थानों पर जाने से रोका जाता है तथा गैर संरचनात्मक उपायों से नुकसान सम्भावित क्षेत्रों में से बस्तियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित किया जाता है।

संरचनात्मक उपाय

- जलाशयों की खुदाई तथा गाद निकालना तथा प्राकृतिक अपवाह पर हुए अतिक्रमण को मानसून के आने से पहले हटाना।
- प्राकृतिक अपवाह में आने वाली रेल पटरियों के नीचे सड़क पुलों के नीचे से मिट्टी निकालना।
- बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में से पानी निकालने हेतु निकास व्यवस्था को बनाना।
- मानसून से पहले सभी नदियों व ड्रेन से पानी का सुरक्षित निकास, तथा प्राकृतिक अपवाह तन्त्र का निरीक्षण, जल निकास हेतु पम्प हाउस तथा चलित पम्पों की मरम्मत।

- नदी के बान्ध में छिद्रान्वेषी व सुरक्षित क्षेत्रों की शिनाख्त करना।
- तटबन्ध पर बनाये गये स्थानीय बान्धों को वर्षा ऋतु के आने से पहले हटा देना।

गैर संरचनात्मक उपाय

पारस्परिक इंजीनियरिंग विधियों से पूर्ण रूप से बाढ़ नियंत्रित नहीं की जा सकती परन्तु जन सहभागिता से बाढ़ के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

- बाढ़ के मैदान का पटीकरण व भू उपयोग को नियन्त्रित करना
- बाढ़ का पूर्वानुमान तथा चेतावनी देना।
- संवेदनशील क्षेत्रों का साईन बोर्ड प्रदर्शित करना।
- बाढ़ से बचने के लिए जन चेतना शिविरों का आयोजन।
- बाढ़ के प्रभाव से बचने के लिए क्या करें क्या न करें को विभिन्न सूचना माध्यमों जैसे रेडियों, अखबार दूरदर्शन तथा बुकलेट से लोगों तक पहुंचाना।
- भू उपयोग को नियमों के माध्यम से नियन्त्रित करके जान, माल तथा भौतिक संसाधनों का खतरा कम किया जा सकता है।
- आपदा सम्भावित क्षेत्रों में दूधघटना में घायल या मृत लोगों का सीधा सम्बन्ध जनसंख्या घनत्व से होता है। अतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व को निर्धारित करना चाहिए तथा अगर पहले से लोग बसे हुए हैं तो भू उपयोग नियन्त्रण करके नियमों को पालन करें। संवेदनशील क्षेत्रों के लोगों को दूसरे स्थानों पर स्थानान्तरित करने से सामाजिक व आर्थिक प्रभाव होते हैं, अतः इन क्षेत्रों में जोखिम को कम करने के लिए विशिष्ट कार्य योजना बनानी चाहिए। उच्च बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों के जोखिम को कम करने के लिए प्रकृति व पशुओं के लिए सुरक्षित स्थानों पर वनों के लिए आरक्षित करना।
- हल्के भवन निर्माण सामाग्री का बाढ़ संभावित क्षेत्रों में प्रयोग पर रोक लगानी चाहिए तथा मिट्टी के बने घरों को केवल उन क्षेत्रों में अनुमति दी जानी चाहिये जहां पर बाढ़ नियन्त्रण के उपाय कर लिये गये हैं। बचाव हेतु एस्कैप रूट का चयन तथा उच्च स्थानों का चयन पहले से निर्धारित होना चाहिए।
- कंट्रोल रूम

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, जयपुर में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग भवन में स्थापित किया जाता है तथा जिला /तहसील मुख्यालय पर भी स्थापित किया जाता है। यह कार्यालय वायरलैस एवं टेलीफोन दोनों से ही जुड़ा हुआ होता है एवं चौबिस घण्टे कार्यरत रहता है। बाढ़ से निपटने हेतु 15 जून से 15 सितम्बर तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। जिस पर चौबिस घण्टे बाढ़ एवं वर्षा संबंधी सूचनाओं का आदान-प्रदान जारी रखा जायेगा।

विभागवार दायित्व

जल संसाधन विभाग

- सुरक्षित स्थानों का चयन
- सहायता राशि तथा रोजगार उपलब्ध कराने का प्रबन्धन
- वाहनों की उपलब्धता निश्चित करना
- सिविल डिफेन्स विभाग को भी पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिये जाते हैं एवं होमगार्ड को आपातकालीन स्थिति में सहायता करने हेतु हमेशा तैयार रहने के निर्देश दे दिये जाते हैं।
- संचाई विभाग बांधों के पानी से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के अतिरिक्त अतिवृष्टि के कारण जल पलायन की स्थिति में नोडल एजेन्सी के रूप में राज्य सरकार के आदेशानुसार कार्य करेगा।
- अतिवृष्टि की स्थिति में परिस्थिति में निपटने हेतु सामग्री तैयार रखना।
- तैराकों की सूची

चिकित्सा विभाग

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य विभाग का नोडल अधिकारी होता है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर चिकित्सा संसाधन/सुविधाओं का प्रयोग किया जा सकता है। चिकित्सालयों तथा चिकित्सकों की सूची आपात कालीन सेवाओं के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिले तथा ब्लॉक स्तर पर भी एक-एक रेपिड रेसपोन्स टीम का गठन करेंगे

1. चिकित्सा अधिकारी	01
2. स्वास्थ्य निरीक्षक	01
3. मेल नर्स	01
4. एमपीडब्ल्यू	01
5. वार्ड बॉय	01

वाहन चालक मय वाहन 01

आपदा की सूचना प्राप्त होते ही रेस्पॉन्स टीम तुरन्त प्रभावित स्थल पर पहुंचकर प्राथमिक उपचार उपलब्ध करायेगी, गंभीर रोगियों को प्राथमिक उपचार पश्चात् अस्पताल में भेजेगी एवं आवश्यकता होने पर (महामारी के समय) रोकथाम की कार्यवाही करना आदि। अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति को मध्य नजर रखते हुए जिले के सभी चिकित्सा अधिकारियों एवं पेरा मेडिकल स्टाफ को मुख्यालय पर रहने हेतु पाबन्द किया जायेगा।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- जिले में बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई जो 24 घण्टे कार्यरत रहेंगे।
- संकटकाल में विभाग द्वारा पानी की सप्लाई पुनः शुरू की जाने की व्यवस्था की जायेगी।
- पेयजल के शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध कराना।
- समस्त अधिशाषी अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं, कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं तकनीकी कर्मचारियों को इस दौरान मुख्यालय पर ही उपस्थित रहने के निर्देश दिये जाएंगे।

जिला रसद विभाग

जिला रसद विभाग आपदा के समय खाद्य सामग्री तथा केरोसिन, पेट्रोल व डीजल उपलब्ध करायेगा।

पशुधन एवं डेयरी विकास विभाग

- संभावित आपदा से प्रभावित पशुओं में संक्रामक रोग, कुपोषण एवं अन्य उत्पन्न विकृतियों से बचाव हेतु जिला चिकित्सा अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- मोबाइल टीम, आपदाओं के कारण पशुओं में संभावित संक्रामक रोगों से बचाव हेतु वैक्सीन एवं विकृतियों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु मांग अनुसार अनुमोदित औषधियां उपलब्ध करायेगी।
- तहसील मुख्यालय पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी तहसील स्तर के जोन प्रभारी के रूप में तैनात करना।
- जोन प्रभारी संबंधित तहसील में आउट ब्रेक अथवा अन्य पशु विकृतियों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु पशु पालन जिला नियंत्रण कक्ष, विकास अधिकारी, तहसीलदार, थानाधिकारी से सम्पर्क में रहते हुए प्राप्त सूचनाओं/निर्देशानुसार क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी से सम्पर्क में रहते हुए प्राप्त सूचनाओं/निर्देशानुसार क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को क्षेत्र विशेष में भिजवाने हेतु प्राधिकृत किया हुआ है तथा प्रत्येक स्थिति के नियंत्रण हेतु जोन प्रभारी को उत्तरदायी बनाया गया है।
- जोन प्रभारी ही क्षेत्र की सूचनाओं का सम्प्रेषण करने हेतु प्राधिकृत है। प्रत्येक ग्राम स्तर पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा सहायक, पशुधन सहायक को भी आवश्यक निर्देश प्रदान कर आपदा से उत्पन्न विकृतियां/समस्याओं से निपटने के लिए जोन प्रभारी एवं जिला पशुपालन नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क में रह कर कार्य करने के लिए प्राधिकृत है।

विद्युत विभाग

जिले में विद्युत का संरचनात्मक ढांचा स्थित होने के कारण इनके रख रखाव एवं सही संचालन हेतु पूर्ण व्यवस्था है फिर भी यदा कदा, आंधी, तुफान, भारी वर्षा अथवा अन्य प्राकृतिक घटनाओं को कारण बिजली के तार टूटना या अन्य तरह की दूर्घटना घटित होना स्वाभाविक है।

- वृत्त स्तर पर आपदा निवारण प्रकोष्ठ स्थाई रूप से कार्य करेगा एवं सहायक अभियन्ता स्तर का अधिकारी प्रकोष्ठ प्रभारी होंगे।
- विद्युत लाईनों/तार टूटने एवं इनमें करंट आने की सूचना मिलने पर तुरन्त लाईनों में विद्युत प्रवाह बंद कर दिया जावे तथा सुधार कार्यवाही शीघ्रता से पूरी करना।
- आवश्यकता पड़ने पर कंट्रोल रूप में सूचना देकर तुरन्त प्रभाव से बिजली विभाग के किसी भी अथवा सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये जा सकते हैं।

पुलिस विभाग

- आपदा के वक्त जिला पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ स्टाफ के साथ मिलकर कानून व्यवस्था रखने के लिए जिम्मेदार होगा।
- आपदा से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा।
- कन्ट्रोल रूम की संचार व्यवस्था वायरलैस, टेलीफोन, डी/आर बल को परिवहन हेतु छोटी-बड़ी गाड़ी अच्छी स्थिति में दूरुस्त होनी चाहिये।
- कन्ट्रोल रूम में 24 घण्टे की सेवायें कार्यरत होगी तथा आरएएफ, आरएसी की टुकड़ियां तैनात रहेगी।
 - ये टुकड़ियां लाठी, ढाल, गैस, गन हथियारों से सुसज्जित हो
 - एन.सी.सी/एन.एस.एस.
- आपदा के समय एनसीसी कैडेट्स व संबंधित स्टाफ घर-घर जाकर लोगों को राहत सामग्री पहुंचाकर जन जीवन को राहत पहुंचाने में मदद करेगा।

सड़क दुर्घटना

विज्ञान व तकनीकी विकास ने मानव जीवन को सुखदायी बना दिया है जिसके फलस्वरूप आज दूरियों को घण्टों में गिना जाने लगा है। परन्तु यातायात के नियमों का सही ढंग से पालन न करने असावधानी व तकनीकी खराबी के कारण दिन प्रतिदिन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। दुर्घटनाओं के कारण जितने लोग मरते हैं उनमें लगभग 37 प्रतिशत केवल सड़क दुर्घटनाओं के फलस्वरूप मरते हैं। स्थिति की भयावहता का अंदाज इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन हर घंटे में 10 व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु का ग्रास बनते हैं एवं इनसे चार गुना अर्थात् 40 व्यक्ति घायल होते हैं, जिनमें बहुत से उम्रभर के लिये अपंग हो जाते हैं।

मोटर वाहनों की संख्या के अनुपात के आधार पर भारत देश के समस्त हिस्सों में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है एवं इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम दुर्घटनाओं पर रोक लगाएं ताकि इसमें मरने वालों के आंकड़े में कमी भी की जा सके।

सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण:

- गाड़ी चलाने में लापरवाही
- यातायात नियमों का पालन न करना
- खराब सड़कें
- सड़कों पर अत्यधिक वाहन व भीड़ गाड़ियों का अनुचित रखरखाव
- रेल दुर्घटनाएँ
- जालोर जिले के बालवाड़ा स्टेशन से रेल्वे लाईन प्रविष्ट होती है तथा रतनपुर स्टेशन से बाहर जाती है। जिले में रेल की लम्बाई करीब 135 किलोमीटर है। गत वर्षों में यहां कई रेल दुर्घटना हुई हैं।

जालोर जिले में कुल सड़कों की लम्बाई करीब 1250 कि.मी. है। यहां सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण यातायात के नियमों की जानकारी नहीं होना, जिससे सामने से आने वाले वाहनों को समय पर नजर नहीं आता, तथा वाहनों के द्वारा क्षमता से अधिक सवारियां बैठाना है।

दुर्घटना कार्य योजना

दुर्घटनाएं कही भी किसी भी रूप में घट सकती हैं। अगर कोई दुर्घटना हो गयी है तो दुर्घटनाग्रस्ता आदमी को तत्काल प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है कि हम दुर्घटनाग्रस्त आदमी को लाचार न छोड़कर उसकी मदद करें तथा 100, 101 व 102 पर तुरन्त सूचना दें। प्राथमिक चिकित्सार प्रदान करने के लिए सिर्फ प्रशासन या डॉक्टर ही जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध अन्य लोग भी उसकी मदद कर सकते हैं।

दुर्घटना से पूर्व

संरचनात्मक उपाय— दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हिकरण करना तथा जरूरत के अनुसार वहां गति अवरोध साइन बोर्ड आदि लगाये जाएं।

गैर संरचनात्मक उपाय— सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए

- सड़क नियमों का पालन करें।
- शराब पीकर गाड़ी न चलाये।
- हैलमेट पहने, शीट बैल्ट बांधे।
- बाईं तरफ से ओवरटेक न करें।
- हाथ देकर एकदम न मुड़े।
- दाईं व बाईं ओर ध्यान से देखकर ही सड़क पार करें।
- आगे चलते वाहन से दूरी बनाये रखें।
- रात्रि में वाहन की हेडलाईट को डिप करके ही चलें।
- बच्चों को सड़क पर न खेलने दें।

दुर्घटना के दौरान

- जिला प्रशासन का कर्तव्य
- दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तुरन्त चिकित्सालय पहुंचाने की व्यवस्था करना।
- राहत शिविरों का प्रबन्ध
- असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखना।
- पीड़ितों को आर्थिक मदद देना।
- हानि का आंकलन करना।

चिकित्सा विभाग

- जिले में उपलब्ध चिकित्सालयों, चिकित्सकों व मेडिकल स्टोर्स की सूची है।
- एम्बुलेंस का प्रबन्धन करना।
- दवाईयों व उपचार के अन्य साधन उपलब्ध कराना।

पुलिस विभाग

- दुर्घटना स्थल पर भीड़ को संतुलित करना।
- कानून एवं सुरक्षा उपलब्ध कराना।
- संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना।

रेल्वे विभाग

जनता तक सही सूचना पहुंचाने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित करना।
चिकित्सा व्यवस्था करना।
एक्सीडेंट वैन की व्यवस्था करना।
खोज व बचाव दल, का प्रबन्ध करना।
पीड़ितों की पहचान करना तथा उन्हें आर्थिक मदद देना।

परिवहन विभाग

घायलों को पहुंचाने हेतु यातायात साधनों का प्रबन्ध करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

वैकल्पिक रूट की व्यवस्था
क्षतिग्रस्त वाहनों को उठाने के लिए क्रेन, टेक्टर, डम्बर एल.एन.टी आदि की व्यवस्था।

नगर परिषद्/पालिका/पंचायत

टैटों की व्यवस्था। टैट हाउस की सूची परिशिष्ट 31 पर है।
पानी के टैंकरों की व्यवस्था।
अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था।
जनरेटर्स की व्यवस्था।
मृतकों के अन्तिम संस्कार हेतु प्रबन्ध।
दुर्घटना स्थल पर साफ सफाई की व्यवस्था करना।

रसद विभाग

खाद्य सामग्री तथा भोजन के पैकेटों की व्यवस्था करना।
केरोसिन, डीजल, पेट्रोल आदि की व्यवस्था करना।

स्वयंसेवी संगठन

राहत व बचाव के कार्यों में प्रशासन की मदद करना।
पीड़ित लोगों के उपचार की सेवाओं की व्यवस्था कराना।
जनता का कर्तव्य

दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध लोगों का कर्तव्य है कि वे अपने स्तर पर पीड़ित। व्यक्ति की जांच करें तथा उसको शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये। उच्च न्यायालय के अनुसार अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकों का कर्तव्य है कि घायल व्यक्ति का तुरन्त उपचार करें तथा घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति के बारे में जांच पड़तात न की जाये।

अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति बेहोश है तो—

- आवाज देकर, गाल पर थपकी देकर, कान को चुटकी से दबा कर आंख खुलवाने की कोशिश करें।
 - आंख न खोलने पर पता लगाएं की छाती अथवा पेट पर सांस चल रही है या नहीं।
 - इसके लिए नाक या मुंह के सामने हाथ रखकर या कान को मुंह के पास ले जाकर महसूस करे तथा हाथ या गर्दन की नब्ज देखें।
- (ये सभी काम पूरे शरीर पर सरसरी निगाहें दौड़ाते हुए जल्द से जल्द ही कर लें, नहीं तो घायल पूर्ण बेहोशी (कोमा) में चला जाएगा)

सांस व दिल की धड़कन चलाने के लिए

- सबसे पहले घायल को पीठ के बल सख्त जमीन या तख्ते पर लिटा दें। तथा उसके कपड़ों को ढीला कर दें।
 - सिर को पीछे की ओर करें जिससे जबान की रूकावट खत्म हो जाएं।
 - ठोड़ी को आगे ले आएँ जिससे रूकावट खुल जाएं।
 - जबड़े का नीचे का हिस्सा उपर की ओर उठाकर आगे कर दें।
 - इसी के साथ दोनों पैर एक-डेढ़ फीट उंचे करें। इससे पैरों का खून मस्तिष्क में जाएगा तथा उसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी।
 - यदि इतने पर भी सांस चलना शुरू न हो तो मुंह से मुंह लगाकर एक मिनट में 15 से 18 बार सांस दें। यदि पेट में हवा भरती नजर आए तो हाथ से नाभि के उपर के हिस्से को दबाकर हवा निकाल दें।
 - मुंह से नाक द्वारा अथवा एयरवे या एम्बू रीससिटेटर से भी सांस दी जा सकती है।
- यदि दिल की धड़कन रुक गई हो तो बंद मुट्ठी के निचले हिस्से से छाती के बीच में एक मुक्का मारें अथवा 4–5 सेमी का दबाव डालते हुए एक मिनट में 60–80 बार दबायें।

यदि एक्सीडेंट में घाव हो गए हैं और खून बह रहा हो तो

- रोगी को बिठा या लिटा दें ताकि खून कम बहे।
- घाव पर साफ कपड़े की पट्टी लगा कर हथेली से दबाव डालें तथा दबाव बनाए रखें।
- घायल भाग को स्थिर रखें।
- बहते खून को रोकने के लिए हाथ तथा पैर पर रबड़ बैंड या कपड़े से बंध लगा दें तथा उसे हर 30 मिनट बाद ढीला करके फिर लगाएं। ताकि आगे का हिस्सा काला न पड़े।

यदि घायल को मानसिक आघात (सदमा) लगा हो जैसे—

- चक्कर तथा शिथिलता
- उल्टी होना
- ठंडी व गीली त्वचा
- बेहोशी
- धमनी की धड़कन क्षीण तथा तीव्र होना
- शरीर की जीवन आवश्यक क्रियाएं मंद हो जाना

तो खून को बहने से फौरन रोकें। खून की कमी से होने वाली जटिलताओं के अलावा इसको देखकर घायल व्यक्ति का मानसिकता सदमा विशेष रूप से बढ़ता है।

- रोगी को तसल्ली दें तथा उसका डर दूर करें।
- पीठ के बल लिटा दें। सिर नीचा करके एक ओर झुका दें।
- रोगी को कम्बल में लपेट दें।
- प्यास लगे तो पानी के घूँट, चाय, कॉफी या तरल पदार्थ दें।
- जल्द से जल्द अस्पताल ले जाएँ।

जलते हुए व्यक्ति का बचाव

- घटनास्थल से दूर ले जाकर जले हुए हिस्से पर 10 मिनट तक ठंडे पानी का प्रवाह करते रहें।
- जले हुए हिस्से को साफ मुलायम कपड़े या गॉज से ढक दें तथा रोगी को तुरन्त अस्पताल पहुंचाये।

अग्नि दुर्घटना

मानव सभ्यता के विकास के क्रम में आग स्थान महत्वपूर्ण है। प्रारम्भिक काल में मानव स्वरक्षा के लिए तथा भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग करता था। वर्तमान समय में भी आग का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आग को मानव जीवन से निकाल दिया जाये तो वर्तमान सभ्यता पाषाण युग में वापस चली जायेगी।

आग के प्रयोग में असावधानी के कारण भीषण अग्निकाण्ड दृष्टिगोचर होते हैं। उपहार सिनेमा काण्ड व डबवाली अग्निकाण्ड इस प्रकार की आपदा के उदाहरण हैं।

व्यवसायिक व रिहायसी भवनों में आग की दुर्घटनाएं प्रायः सामान्य बात हो गई हैं घरों में या व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में अगर आग लग जाये तो वह अनियंत्रित हो जाती है क्योंकि वहां पर लकड़ी, कपड़े रासायनिक पदार्थ, रसोई गैस, मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। बिजली के उपकरणों के द्वारा शहरों में विशेषतया बहुमंजिली इमारतों में सही ढंग से व समय पर देखभाल न करने व लापरवाही से उसका प्रयोग करने के कारण भयावह आग लग जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपैल—मई स्थानीय लोग अपने खेतों में आग लगाकर लापरवाही से छोड़ देते हैं। अधिक तापमान, कम नमी, वायु वेग तथा लगातार शुष्कता के बने रहने पर आग लगने की सम्भवना बढ़ जाती है। ज्वलनशील घास—पत्ती, लकड़ी एवं

सड़क पर चलती मोटर गाड़ी की चिनगारी पड़ने पर एवं कभी-कभी बिजली गिरने से भी आग लग जाती है।

शहर में अधिकतर अग्निकाण्ड मानवजनित होते हैं। बिजली सॉर्ट सर्किट व आकाशीय बिजली गिरने से आग लगती है। अग्निकाण्ड से जन-हानि, पशुहानि, निजी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों को काफी क्षति होती है।

जालोर जिले में अधिकतर आग काश्तकारों के द्वारा कड़वी (चारा) इकट्ठे करने वाले स्थानों पर बीड़ी या सियरेट की चिंगारी से लगती है।

जालोर जिले में आग से प्रभावित होने वाला संभाव्य क्षेत्र— शहर में रिको औद्योगिक क्षेत्र, पेट्रोल पम्प, छविग्रह, निजी इमारतें, कटला आदि आग से प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं।

पेट्रोल पम्पों, छवि ग्रहों तथा गैस एजेंसियों की सूची संलग्न है।

अग्निकाण्ड की अन्य सम्भावनाएँ

सामान्य रूप से होने वाले अग्निकाण्डों के अतिरिक्त कुछ अग्निकाण्ड की घटनाएँ ऐसी भी हो सकती हैं, जिन पर यदि त्वरित नियन्त्रण न किया जाये तो वे अत्याधिक भयंकर रूप ले सकती हैं— यथा—वे औद्योगिक इकाईयां जहां अत्यधिक ज्वलनशील रसायनों का भण्डारण अथवा प्रयोग होता है।

जिला स्तर पर आग से निपटने हेतु प्रबन्ध योजना तैयार करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि दुर्घटना के समय न्यूनतम समय में तत्परतापूर्वक कार्यवाही करके स्थिति की भयावहता पर अंकुश लगाया जा सके।

आग से बचने सम्बन्धी सावधानियाँ

बिजली

- बिजली की फिटिंग कुशल मिस्त्री (कारीगर) से ही करवायें।
- बिजली कभी भी डाईरेक्ट लाईन से ना लें।
- बिजली का उपयोग कभी भी ओवर लोड ना लें।
- बिजली की फिटिंग हेतु आई.एस.आई पास फिटिंग सामान या यंत्रों का उपयोग करें।
- बिजली या किसी प्रकार का वेल्डिंग करवाते समय ध्यान रहें कि उसमें जलने वाला पदार्थ भरा न हो।
- बिजली के स्टोव में टू पिन् का ही प्रयोग करें।
- पाण्डाल मण्डप या अस्थाई सभी मण्डप में बिजली ही आग इत्यादि का पूर्ण ध्यान रखें।
- बिजली के मीटर से अनावश्यक छेड़खानी ना करें।

रसोई घर:—

- रसोई घर में जलने वाले पदार्थों का भण्डारण नहीं करना चाहिये।
- गैस सिलेण्डर या नलकी को समय-समय पर गैस कम्पनी से चेक करवायें, गैस की नलकी आई.एस.आई मार्का ही होनी चाहिये।
- साड़ी का पल्लू तथा अन्य लटकने वाले कपड़ों का ध्यान रखें।
- रसोई खुली व खिड़कीदार हो।
- अगर मालूम हो जावे कि गैस लीक कर रही है तो बिजली के स्वीच को ऑन, ऑफ ना करें।
- कार्य पूरा होने पर रेग्युलेटर को ऑफ करना ना भूलें।

- अगर नलकी में आग लग रही हो तो रेग्यूलटर को बन्द करें। अथवा सिलेण्डर को बाहर खींच लें।
 - आग लगने पर गैस कम्पनी, फायर ब्रिगेड (101) अथवा पुलिस (100) को टेलीफोन करें।
 - गैस ज्यादा लिकेज हो तो ऊपर मंजिल वालों को सूचित करते हुये रसोई के सारे खिड़की दरवाले खोल दें।
 - रसोई में पानी के स्प्रे या गीले कम्बन का उपयोग करें।
- गांवों व जंगल की आग के बचाव
- कभी भी चूल्हे को खुला ना रखें।
 - चिमनी, लालटेन, लेम्प आदि को शीशे से ढक कर ही रखें।
 - बीड़ी सिगरेट आदि के टुकड़ों को पूर्ण रूप से बुझाकर ही फेंके।
 - पिकनिक मनाते समय आग अगर जलाई हो तो पूर्ण रूप से बुझाकर आवें।
 - जंगल से रेल, बस या कार आदि से गुजरते समय जलती बीड़ी सिगरेट के टुकड़े ना फेंके।
 - घास खलिहान पुआल आदि को पूर्ण सुखाकर ढेरी बनावे जिससे की स्पोन्टेनिकस कम्बसन से आग लगने का खतरा न हो।
 - एक ढेरी से दूसरी ढेरी की दूरी 60 फीट होना।
 - ढेरी की ऊंचाई 20 फीट से अधिक ना हो।
 - 500 मन से अधिक ढेरी ना हो।
 - गांवों में अधिक बाड़े आदि नहीं होने चाहिए।
 - बाड़ या फूस आदि पर कांच के टुकड़े आदि नही फैंकने चाहिये।
 - खलिहानों या कच्चे छप्परो के पास आतिशबाजी नहीं करें।
 - रेल्वे लाईन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें।
 - खलिहानों में चाय नाश्ता आदि ना बनावें।
 - कच्चे मकानों या खलिहानों को बनाते समय बिजली के तारों का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।
 - गांवों में फायर पार्टी का गठन करना चाहिये तथा उनका समय-समय पर ट्रेनिंग व संयुक्त अभ्यास करवाना चाहिये।
 - गांव के बीच जहां चौपाल हो वहां पर फायर की स्थापना जैसे घण्टी (साईरन) बीटर्स, फावड़े बैलवे कापा हुक, बाल्टी, टार्च स्टेम्प नजदीकी फायर ब्रिगेड के नम्बर आदि होना।
 - अग्नि लगने की दिशा में प्रति अग्नि व्यवस्था करना।
 - अग्नि के परिप्रेक्ष्य में असुरक्षित वन क्षेत्र की जांच करना।

हाई राइज बिल्डिंग या अपार्टमेंट स्टोर्स या मार्केट

- किसी भी बिल्डिंग को बनवाने से पहले यह जरूरी है कि मार्केट में आग लगने पर इसको बचाने के लिए बड़ी गाड़ियां आराम से चारों तरफ घुम सकें।
- बिल्डिंग में दो स्टेपर केस (सीढ़ी) होना अतिआवश्यक होना।
- निकासी का रास्ता साफ सुथरा हो।

- उसमें आग बुझाने के यंत्रों जैसे स्प्रिंकलर डेन्चर, राईजर, हाईडेंट पाईन्ट इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये।
- बिजली की, पानी, मोटर व डीजल पम्प की व्यवस्था होना।
- अपार्टमेन्ट में रहने वालों का वाच ड्यूटी स्टाफ को फायर की ट्रेनिंग होना।
- फायर सर्विस से एन.ए.सी. लेकर ही पेट्रोल पम्प, फैंक्ट्री, होटल, अपार्टमेन्ट मार्केट बिल्डिंग का निर्माण करवाया जावे। जिससे कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी की गाड़ियां भी पहुंच सकें।
- बिजली या ट्रांसफार्मर आदि का सही स्थान का चयन।
- पेट्रोल पम्प, सिनेमाघरों, फैंक्ट्रीयों आदि में समय समय पर अग्निशमन यंत्रों की चैकिंग या संयुक्त अभ्यास करवाना/इत्यादि।

आग लगने पर कार्यवाही

यदि सूचना सीधे स्टेशन पर प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल तत्काल घटना स्थल के लिए प्रस्थान करेगा और साथ ही अग्निकाण्ड की सूचना सम्बन्धित थाना/तहसील/जिला मुख्यालय को भेजेगा। सूचना की गम्भीरता के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित जिला कलेक्टर स्वयं स्थल पर शीघ्र पहुंचेंगे और राहत कार्य का संचालन प्रारम्भ कर देंगे। तहसील मुख्यालय पर सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित तहसीलदार जो भी वरिष्ठतम अधिकारी उपलब्ध होंगे यथाशीघ्र घटनास्थल पर पहुंचेंगे तथा समस्त राहत/बचाव कार्यो का समन्वय करेंगे। क्षेत्राधिकारी पुलिस भी अग्निकाण्ड की सूचना मिलने पर शीघ्रताशीघ्र स्थल पर पहुंचेंगे। स्थिति की गम्भीरता के मूल्यांकनोपरान्त साइट इमरजेन्सी डाइरेक्टर यह निर्णय लेंगे कि जनपद मुख्यालय से किस प्रकार की और कितनी सहायता प्राप्त की जानी है और तदनुसार जिला कन्ट्रोल रूम के माध्यम से अध्यक्ष, "समेकित आपदा प्रबन्ध समिति" को सूचित करेंगे।

यदि अग्निकाण्ड की सूचना सीधे जिला मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूम को प्राप्त होती है तो कन्ट्रोल रूम जिला कलेक्टर को सूचित करते हुए यह जानकारी प्राप्त करेगा कि सम्बन्धित क्षेत्र के फायर स्टेशन से अग्निशमन दल घटनास्थल के लिए प्रस्थान कर गया या नहीं। यदि अग्निकाण्ड भीषण होने की सूचना है और ऐसा है तो जिला मुख्यालय से अग्निशमन दल तत्काल भेज दिया जायेगा इसी प्रकार यदि जिला मुख्यालय से फायर स्टेशन को सीधे सूचना प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल सीधे घटनास्थल को प्रस्थान करेगा और साथ ही घटना की सूचना कन्ट्रोल रूम तथा जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को देगा।

आग लगने पर विभिन्न विभागों की भूमिका

जिला कलेक्टर

समग्र समन्वय एवं पर्यवेक्षण

सूचना की प्रमाणिकता की आपूर्ति एवं वितरण मय नकद सहायता

विधि एवं शांति व्यवस्था संबंधी समस्याएं

अग्निशमन केन्द्र:- नियंत्रक कक्ष

- जिला मुख्यालय पर नगरपरिषद 2 अग्निशमन केन्द्र कार्यरत है जिसमें वर्तमान में 2 अग्निशमन वाहन उपलब्ध है। नगरपालिका भीनमाल व सांचोर में अग्नि शमन वाहन उपलब्ध है। जिनका उपयोग अग्निकाण्ड के दौरान निपटने के लिए किया जाता है। आग की स्थिति से निपटने के लिए 101 पर तुरन्त फोन किया जा सकता है।
- सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं का योगदान आपदा के समय सहायता उपलब्ध कराने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं/प्रमुख सेंवी संस्थाओं से भी मदद लिया जाता है।

अग्निशमन वाहनों व कर्मिकों की उपलब्धता

अग्निशमन वाहनों का समय पर प्रतिस्थापन

समीपवर्ती जिलों एवं अन्य संस्थानों जैसे सेना, पेट्रोलियम एसोसियेशन, पुलिस नागरिक सुरक्षा, आदि में अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

आग से घिरे व्यक्तियों का बचाव।

अन्य अग्नि सुरक्षा सामग्री यथा लाईफ जेकेट, ऑक्सीजन सिलेण्डर सीढ़ी, मिट्टी के थैले आदि।

रेडक्रास लायन्स क्लब एवं अन्य गैर राजकिय संस्थानों से समन्वय।

अग्निशमन के यन्त्रों की उपलब्धता।

नागरिक सुरक्षा

प्रशासन एवं जनता के साथ त्वरित, संचार व्यवस्था

प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना

प्रभावित क्षेत्र समीप से जनता/जनसामान्य को हटाना

अग्नि शमन हेतु प्रशिक्षित स्वयं सेवकों की सहायता लेना।

डिविजन एवं पोस्ट एवं सेक्टर वार्डन को सूचित करना

वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करना।

पुलिस

कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना।

जनसामान्य को सूचित करने हेतु संचार व्यवस्था।

प्रभावित क्षेत्र के पास से जन सामान्य को हटाना।

विद्युत

विद्युत आपूर्ति की समुचित देखभाल

अन्य दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावित क्षेत्रों की बिजली काटना

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- नियमित एवं अन्य स्त्रोंतों से जल की उचित आपूर्ति
- अग्निशमन वाहनों हेतु अतिरिक्त जल की उपलब्धता

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

- प्राथमिक उपचार
- राजकीय एवं निजी अस्पतालों से सम्पर्क करना (सूची परिशिष्ट 3, 4)
- पीड़ितों को समय पर अस्पताल पहुंचाना
- औषधियों की व्यवस्था करना।
- मेडिकल स्टोर/थोक एवं खुदरा विक्रेताओं से सम्पर्क करना (सूची परिशिष्ट 6)
- चिकित्सकों एवं पेरा मेडिकल स्टॉफ की उपलब्धता (सूची परिशिष्ट 4,5)

गैर राजकीय संगठन

- प्रतिबद्ध स्वयं सेवकों की उपलब्धता कराना
- राहत शिविर लगाना
- सहायता सामग्री का विवरण

पशुपालन

- पशु चिकित्सालयों से सम्पर्क करना
- पशुधन की देखभाल हेतु उपलब्ध कर्मियों को कार्यरत करना

नगर परिषद्

- राहत शिविर (रेन बसेरा) का प्रबन्धन
- टेंट हाउस की व्यवस्था करना (सूची परिशिष्ट 31)
- प्रभावित क्षेत्रों की समुचित सफाई व्यवस्था एवं स्वास्थ्यकर स्थितियों की देखभाल
- राहत शिविर हेतु विद्यालयों एवं अन्य बड़े प्रतिष्ठानों की सूची

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

- व्यापारियों व हलवाईयों से सम्पर्क कर भोजन की व्यवस्था करना
- भोजन पैकेट एवं राहत सामग्री का विवरण
- राहत सामग्री हेतु स्वयं सेवकों के साथ समन्वय
- राहत सामग्री के एक पैकेट में रखी जाने वाली सामग्री सुनिश्चित करना

● आग लगने पर क्या करें, क्या न करें :-

- आग लगने पर फोन नम्बर 101 पर तुरन्त अग्निशमन विभाग को सूचित करें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर लोगों को निकालने के लिए हमेशा सीढ़ियों का प्रयोग करें।
- जब यह निश्चित हो जाये कि अन्तिम आदमी भी बाहर आ गया है तो दरवाजा बन्द कर दें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर तुरन्त बाहर खेले स्थान पर पहुंच जायें।
- अगर संभव हो तो नाक व मुंह को गीले कपड़े से ढक लें।
- सावधानीपूर्वक निर्देशकर्ता के आदेशों का पालन करें।

- अगर आग लगने पर किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो अपने कमरे में ही रहें।
- नेतृत्वकर्ता को बिल्डिंग छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि घटना स्थल पर कोई भी आदमी अन्दर न रह गया हो यहां तक कि उसे बाथरूम की भी जांच कर लेनी चाहिए।

क्या न करें:-

- गैस स्टोव, बिजली के उपकरण व बटन काम में न लें।
- आग लगने पर मकान की छत पर न जायें।
- लिफ्ट का प्रयोग न करें।

परिवार के सभी सदस्यों को आग से निपटाने के लिए प्रशिक्षण दें।

भूकम्प

भूकम्प पृथ्वी के आन्तरिक असन्तुलन, भ्रंशन, भूपटल का संकुचन तथा प्लेट विवर्तनिक कारणों से आता है। सामान्य: भूगर्भित चट्टानों के विक्षोभ के स्त्रोंत से उठने वाली लहरदार कम्पन्न को भूकम्प कहते हैं। जिस प्रकार शान्त जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर आयात आने वाले स्थानों के चारों ओर लहर उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार भूगर्भिक चट्टानों में विक्षोभ केन्द्र से चारों ओर लहर उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार भूगर्भिक चट्टानों में विक्षोभ केन्द्र से चारों ओर भू-तरंगे प्रवाहित होती हैं। अधिकांशतः भूकम्प भूतल से ठीक 50 से 100 किमी की गहराई का उत्पन्न होते हैं। जिस स्थान पर ये उत्पन्न होते हैं, उसे उद्गम केन्द्र या भूकम्प मूल कहते हैं। इस उद्गम केन्द्र के ठीक उपर भूसतह पर स्थित स्थान को अधिकेन्द्र कहते हैं।

भूकम्प एक आपदा के रूप में प्रलयकारी तबाही मचाता है। भूकम्प अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़ तथा आग आदि को गतिशील कर देता है।

भूकम्प के कारण जहाँ एक ओर प्राकृतिक परिदृश्य विकृत होता है, वहीं दूसरी ओर मानव निर्मित संरचनाओं को भी हानि पहुँचती है, जिसको पुनः पूर्ति दीर्घकाल में ही सम्भव हो पाती है तथा इसका प्रभाव राज्य एवं राष्ट्रीय विकास पर भी परिलक्षित होता है।

26 जनवरी, 2001 को गुजरात में 6.9 रिक्टर मापक पर भूकम्प आया था। यह विगत 150 वर्षों में सर्वाधिक भीषणतम भूकम्प था। जिसका केन्द्र भुज से 60 किमी दूरी पर था। इस भूकम्प से लगभग 20000 लोग काल का ग्रास बन गये 33000 से ज्यादा लोग घायल हो गये। राज्य में लगभग 30 हजार करोड़ की सम्पत्ति नष्ट हो गयी। इस भूकम्प से कच्छ जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ जिसके 550 गांव पूर्ण रूप से तबाह हो गये तथा 16000 लोग मारे गये।

भूकम्प के मुख्य कारण

- ज्वालामुखी क्रिया भ्रंशन
- भूसंतुलन में अव्यवस्था जलीय भार
- भूपटल में संकुचन
- गैसों का फैलाव
- प्लेट विवर्तनिकी

भूकम्पों की तीव्रता

बिल्डिंग मेटेरियल एण्ड टेक्नॉलोजी प्रमोशन काउंसिल (BMTPC) ने एटलस के अनुसार सिसमिक जोन नक्से तैयार कर इसे पाँच भागों में विभक्त किया है। अनुमानतः संशोधित मर्करी मापक (MSK) पर IV-V तीव्रता वाले भूकम्प 7700 वर्ग किमी में महसूस होते हैं जबकि IX-X तीव्रता भूकम्प 50000 वर्ग किमी क्षेत्र में महसूस किये जाते हैं।

- 1) क्षेत्र V :- इस क्षेत्र में संशोधित मर्करी मापक के अनुसार IX या इससे अधिक तीव्रता का भूकम्प सम्भावित हैं। इस क्षेत्र को अत्यधिक नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहा जाता है।
- 2) क्षेत्र IV :- इस क्षेत्र में संशोधित मर्करी मापक पर सम्भावित है इसे उच्च नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहते हैं।
- 3) क्षेत्र III :- इस क्षेत्र में मर्करी पर MM VII की तीव्रता भूकम्प आ सकता है इसे माध्यम नुकसान सम्भावित क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है।
- 4) क्षेत्र II :- क्षेत्र में सम्भावित तीव्रता MM VII है इसे संशोधित सरकारी मापक पर निम्न नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहते हैं
- 5) क्षेत्र I :- इस क्षेत्र के लिए संशोधित मर्करी स्केल पर MMV या इससे भी कम तीव्रता का भूकम्प संभावित है। इसे अत्यधिक नुकसान क्षेत्र भी कहते हैं।

भूकम्पों की तीव्रता	तीव्रता के लक्षण भूकम्पों का प्रभाव	रिक्टर मापक परिणाम
यान्त्रिक	केवल भूकम्प लेखी यन्त्र से भूकम्प का अनुभव होता है।	0
क्षीण	केवल कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा अनुभव	3.5
अल्प	आराम करते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव	4.2
साधारण	चलते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव तथा खड़ी निर्जीव वस्तुओं का कम्पन्न	4.3
आद्रबल	सभी को अनुभव, सोये व्यक्ति जाग जाते हैं।	4.8
प्रबल	सभी लटकी वस्तुएँ हिलने लगती हैं।	4.9–5.4
अतिप्रबल	दीवारों में दरार पड़कर भूकम्प का आतंक छा जाता है।	5.5–6.1
विनाशात्मक	ऊँची इमारतें गिर जाती हैं, मकानों में दरार पड़ जाती हैं पाईप लाईने टूट जाती हैं	6.2
विनष्टकारी	मकान धँस जाते हैं। भूमि में दरारे पड़ जाती हैं। पाईप लाईने टूट जाती हैं।	6.2–6.9
सर्वनाशी	धरातल में लम्बी दरारे पड़ जाती हैं। ढालों में भूस्खलन होता है।	7.0–7.2
अतिविनाशी	पुल, रेलवे लाइनें टूट जाती हैं। महान् भू-स्खलन नदियों में बाढ़ आ जाती है।	7.4–8.1
प्रलयकारी	सर्वनाश, धरातलीय पदार्थ हवा में उछलने लगते हैं। धरातल में धँसाव तथा उभार उत्पन्न हो जाते हैं।	8.1 से अधिक

जालोर जिले को भूकम्पीय खण्डों की भारतीय मानक स्पेसिफिकेशन के अन्तर्गत खण्ड IV में रखा गया है एवं भूकम्प के विगत वर्षों के आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि हाल के कई वर्षों में यहां कोई विनाशकारी भूकम्प नहीं आया है। किन्तु बढ़ते शहरीकरण जो ऊँची

इमारतों एवं खरीददारी के परिसरों के रूप में बढ़ रहा है। चिंता का मुख्य विषय है। परिसरों हेतु आवश्यक मानकों का पालन यहां नहीं किया जाता है। जालोर जिले में भूकम्प आने पर जिला प्रशासन द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। एजेंसी द्वारा भूकम्प से प्रभावित होने वाले सम्भावित क्षेत्रों जैसे महत्वपूर्ण इमारतें ऐतिहासिक स्थल, बांध इत्यादि तथा जोखिम सम्भावित एवं उनकी संरचना को प्रारम्भिक रूप से चिन्हित कर लिया गया है।

कार्य योजना

भूकम्प की स्थिति में मुख्य विभागों की कार्य योजना निम्न रहेगी:

जिला प्रशासन

- सभी विभागों को आपदा से निपटने के लिए सचेत करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना।
- आपदा स्थल पर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- सहायता सामग्री, भोजन आदि की व्यवस्था करना।
- कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना।
- प्रमाणिक सूचना प्राप्त करना व मीडिया के जरिये उसे लोगों तक पहुँचाना।

नागरिक सुरक्षा बल, एन सी.सी, एन.एस.एस तथा स्काउट्स एण्ड गाईड्स

- स्वयं सेवियों की उपलब्धता निश्चित करना।
- मलबे में फंसे हुए लोगों को निकालने में प्रशासन की सहायता करना।

पुलिस प्रशासन

- कानून एवं व्यवस्था की सार संभाल करना।
- वायरलेस आदि से सूचना पहुँचाना।
- संचार के अन्य साधनों की व्यवस्था करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- मलबा आदि उठाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना।
- राजकीय एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध जे.सी.बी. एवं अन्य उपकरणों की व्यवस्था करना।
- अन्य ऊँचे व आपदा सम्भावित भवनों की जांच करना तथा उन्हें खाली करवाने में प्रशासन की मदद करना।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

- आपदा स्थल पर तुरन्त चिकित्सा शिविर लगाना।
 - लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
 - बुरी तरह घायल लोगों को अस्पताल पहुँचाना।
- चिकित्सकों, पैरा मेडिकल स्टाफ व दवाईयाँ उपलब्ध कराना (सूची परिशिष्ट 4, 5, 6)
अग्निशमन केन्द्र, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जनस्वास्थ्य, अभियांत्रिकी, स्वयंसेवी संस्थाएँ, नगर परिषद् विद्युत, पशुपालन, दूर संचार विभाग, सिंचाई तथा अन्य विभाग सामान्य कार्य योजना के तहत अपना कार्य पूर्ण करेंगे।
क्या करें क्या न करें।

भूकम्प पूर्व

- हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि गंभीर भूकंप के फलस्वरूप अधिकांश समस्याएं गिरती हुई वस्तुओं जैसे, छत का प्लास्टर विद्युत उपकरण आदि से होती हैं, भूमि की क्षति से नहीं।
- अलमारियों से सिर से ऊँचे स्थान पर भारी वस्तुओं को न रखे। भारी गमलों वाले पोधों को झुलने हेतु नहीं लटकाए। किताब रखने की अलमारी, केबिनेट एवं दीवार पर लगी सजावटी वस्तुएं पलट कर गिर सकती है।
- खिड़की तथा भारी वस्तुएं जो गिर सकती है उन्हें बिस्तर से दूर रखे। बिस्तर के ऊपर दर्पण, पिक्चर
- फ्रम आदि नहीं लटकायें।
- ऐसे उपकरण जो गैस, विद्युत लाईन को क्षति पहुंचा सकते हैं उन्हें मजबूती प्रदान करें।
- लटकाने वाले बिजली के सामान मजबूती के साथ छत पर लगावें। तथा निकास के रास्ते में भारी अस्थिर वस्तुओं को न रखें।
- आपातकालीन सामग्री (जल, दीर्घ अवधि तक रहने वाला तुरंत तैयार योग्य भोजन प्राथमिक उपचार किट, दवाईयां, आग बुझाने के उपकरण आदि) को अपने घर अथवा कार में सुगम पहुंच हेतु उपलब्ध रखें।

आपदा के दौरान व पश्चात्

- शांत रहे, घबराएं नहीं।
- कांच खिड़की अलमारी केबिनेट एवं बाहरी दरवाजों से दूर रहें। यदि हो सके तो मेज पलंग आदि मजबूत फर्नीचर के नीचे घुस जायें अथवा दरवाजे के नीचे या किसी कोने में बैठ जाएं व अपना सिर एवं शरीर अपने हाथों, तकिया, कम्बल किताबों आदि से ढक लें ताकि गिरने वाली वस्तुओं से स्वयं की रक्षा कर सकें।
- बाहर की तब तक न भागे जब तक सुनिश्चित हो जाये कि जहां से निकल रहे हैं वह रास्ता सुरक्षित है।
- भूकम्प के दौरान बाहर निकलने के लिए स्वचालित सीढ़ियों का उपयोग न करें संभवतः विद्युत आपूर्ति बंद हो सकती है। सीढ़ियों की ओर न भागे, क्योंकि ये धरातल की तुलना में अधिक क्षतिग्रस्त हो सकती है तथा इससे निकास भी संभवतः प्रभावित हो सकता है।
- कभी भी मुख्य द्वारा से बाहर की ओर व मुख्य बड़ी दीवार के नजदीक खड़े न हों क्योंकि सामान्यतः यह असुरक्षित स्थान है।
- जब आप बाहर है तो भूकम्प की स्थिति में इमारतों, दीवारों, पेड़ों एवं विद्युत तारों से दूर रहें। खुले क्षेत्र में तब तक रुकें जब तक कपन खत्म न हो।
- अगर आप वाहन चला रहे हैं तो गाड़ी को भवन व बड़े पेड़ों से दूर सुरक्षित स्थान पर रोक कर खड़े हो जायें एवं अन्दर रहें। यद्यपि कंपन विस्तृत रूप से आ सकते हैं। किन्तु यह प्रतीक्षा करने के लिये सुरक्षित स्थान है। पत्थर की सरचनाओं अथवा ऊंची इमारतों टूटे अथवा घंसे हुए रास्तों एवं पुलों को अवश्य देखें।
- भूकम्प झटके रुकने पर मलबे में फसें लोगों को निकलवाने में मदद करें।
- चोट की जांच करें, तथा घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान करें। पुलिस 100/अग्निशमन केन्द्र 101/रोगी वाहन 102 को सूचना दें।
- आग की जांच करें।

- गैस के लीक की संभावना से इमारत को खाली करें। गैस स्टोव, मोमबत्ती व माचिस न जलायें।
- आपातकालीन अवस्था को छोड़कर फोन का उपयोग न करें।
- भीषण भूकम्प के कुछ दिनों बाद तक भूकम्प के पश्चात् के झटकों के लिये तैयार रहें जो सामान्यतः बड़े भूकम्प के बाद आते हैं, एवं ये पहले से ही क्षतिग्रस्त/कमजोर ढांचों को अतिरिक्त हानि पहुंचा सकते हैं।

साम्प्रदायिक तनाव

भारत देश में अनेक धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता एवं सामाजिक विद्वेषों के कारण छोटे-छोटे झगड़े कई बार साम्प्रदायिक तनाव का रूप ले लेते हैं। जिसके कारण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में तनाव होने तथा प्रतिकूल प्रक्रिया होने की संभावना बनी रहती है। उपद्रव होने पर जन-धन राष्ट्रीय सम्पत्ति का काफी नुकसान होता है।

साम्प्रदायिक तनाव व दंगों को कम करने हेतु जिला प्रशासन अपने स्तर पर शांति सभाओं का आयोजन करते हैं। जिनमें वह सभी समुदायों के प्रभावशाली लोगों को बुलाते हैं तथा उनसे अपने समुदाय के लोगों को समझाने हेतु अनुरोध करते हैं।

ओलावृष्टि

ओला वृष्टि एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका आंकलन पूर्व में नहीं किया जा सकता है। इस जिले में वर्ष 2009 व 2015 में ओलावृष्टि हुई थी यह प्रकृति का प्रकोप है जो आँधी की तरह आती है एवं तूफान की तरह चली जाती है। इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता तथा यह हवा के रुख एवं उसकी गति के अनुसार उसी दिशा को क्षति ग्रस्त करते हुए निकलता है।

ओलावृष्टि के कारण व्यक्तियों, पशुधन एवं सर्वाधिक नुकसान फसलों व फलदार वृक्षों को होता है। जिले में ओलावृष्टि कभी भी किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के रूप में प्रकट होती है। ओलावृष्टि से अनावश्यक व्यक्तिगत/पशुधन/फसलों की हानि का आँकलन करने हेतु उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार को तत्काल निर्देशित करना प्रशासन का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है।

ओलावृष्टि से बचने के उपाय एवं व्यवस्थाएँ—

यद्यपि ओलावृष्टि आकस्मिक प्राकृतिक प्रकोप है, जो किसी भी क्षेत्र में कम-ज्यादा हो सकती है। इसके लिए तात्कालिक बचाव के उपाय किया जाना ही संभव हो सकता है। फसलों के नुकसान का आँकलन भी तात्कालिक ही सम्भव है। ऐसे क्षेत्र में जिला प्रशासन, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार दौरा कर क्षेत्रीय जनता से संपर्क कर जन/पशुधन की हानि पर तात्कालिक राहत उपलब्ध कराना तथा ओलावृष्टि से पीड़ित गाँवों को चिन्हित करते हुए फसलों को हुए नुकसान की बाबत किसानों को राहत पहुँचाने की व्यवस्था करते हैं।

रासायनिक एवं औद्योगिक दूर्घटनाएँ

तीव्र औद्योगिक विकास के परिपेक्ष्य में औद्योगिक एवं रासायनिक क्षेत्र में दूर्घटनाओं की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। कुछ बड़ी दुर्घटनाएँ जैसे भोपाल गैस कांड और अग्नि एवं विस्फोटक क्षेत्रों की दुर्घटनाएँ अहम हैं।

सुरक्षात्मक दृष्टि से गुणवत्तापूर्ण मशीनों, प्रशिक्षित मजदूरों और गहन मापदण्डों के मानक संस्थापन की आवश्यकता है। संसार में सर्वाधिक औद्योगिक दूर्घटनाएँ भारत में होती हैं। इन दूर्घटनाओं को टालने के लिए उद्योगों में आन्तरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की योजनाओं बननी चाहिए तथा साथ साथ ही मॉक ड्रिल का होना भी आवश्यक है।

प्रभाव:—

औद्योगिक दुर्घटनाओं के सम्भावित प्रभाव निम्नलिखित हैं।

जान की क्षति

- घाव होना अथवा आग से जलना।
- जहरीले द्रवों/गैसों से बीमार होना
- माल की क्षति

साथ ही इससे रोडवेज, विद्युत एवं जल आपूर्ति जैसी सेवाओं में व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है। जब प्रभाव बड़े में होता है तो यह जिला प्रशासन का दायित्व हो जाता है कि वह अपने स्तर पर आपदा से निपटे।

तापघात (लू)

राजस्थान राज्य में तापघात एवं शीतघात दोनों प्रकार की आपदाओं की सम्भावनाएँ यहाँ की जलवायु के कारण देखी जाती हैं साथ ही मोटी बालू भूमि की विशेषता है कि गर्मी के मौसम में बालू शीघ्र गर्म होकर कम दबाव के क्षेत्रों का निर्माण करने के फलस्वरूप गर्म व तीव्र हवाएँ प्रवाहित होती हैं जिसे स्थानीय भाषा में 'लू' कहते हैं वहीं दूसरी ओर शीत ऋतु में बालू मिट्टी वाले क्षेत्रों में अधिक ठण्ड पाई जाती है।

मार्च से जून का समय ऐसा है जब तापमान में निरन्तर वृद्धि होती है और मई व जून वर्ष का सर्वाधिक गर्म हिस्सा होता है। मई में माध्य दैनिक अधिकतम तापमान 39.70 से और माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 24.3 से रहता है। जून में रात्रि का तापमान मई की अपेक्षा अधिक होता है। गर्मी के मौसम में धूल भरी गर्म हवाएँ चलती हैं जिससे बेचैनी बढ़ जाती है व गर्मी बहुत भीषण हो जाती है। किसी-किसी दिन अधिकतम तापमान 44 से या 45 से तक पहुँच जाता है।

तापघात के लक्षण

- अत्यधिक पसीना आना
- सिरदर्द होना
- उल्टी होना
- जी मिचलाना

- आलस्य और थकान
- शरीर के तापमान का बढ़ जाना

तापघात से बचाव के उपाय

- गर्म मौसम में घर से बाहर धूप में न जाये।
- अगर घर से बाहर जावें तो सिर पर पगड़ी या मोटा वस्त्र लपेट लें।
- अधिक मात्रा में जल का सेवन करें।
- भोजन करके ही घर से बाहर निकलें, भूखे पेट न निकलें।
- अगर व्यक्ति तापघात से पीड़ित हो तो शरीर के चारों तरफ गिली पट्टी लपेट दें व पंखा करें।
- व्यक्ति को आराम करने दें।
- यदि व्यक्ति पानी की उल्टियाँ करे या उसकी चेतना में बदलाव आये तो उसे कुछ भी खाने व पीने को न दें।
- व्यक्ति को गर्म स्थान से हटाकर ठंडे स्थान पर ले जायें।
- अगर तंग कपड़े हों तो उन्हें ढीला कर दें अथवा हटा दें।

कम खाना खाये और अधिक बार खायें। अधिक और भारी खाना पचाने में कठिन होता है और शरीर में आंतरिक तापमान को बढ़ाता है। जिससे स्थिति अधिक गम्भीर हो जाती है। यदि तबीयत ज्यादा खराब हो जावे तो तुरन्त चिकित्सक के पास ले जावें। अधिक प्रोटीन वाले खाने से परहेज रखें जैसे मांस व मेवे जो शारीरिक ताप बढ़ाते हैं। खुले में कार्य करने वाले मजदूरों के कार्य करने का समय सुबह और शाम होना चाहिए।

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी

लोगों को तापघात के लिए जाग्रत बनाने कि इसका प्रभाव क्या होता है तथा क्या करे, क्या ना करे की जानकारी प्रदान करें, जो ऊपर बतायी गयी है। चिकित्सा संस्थाओं को तापघात से निपटने के लिए पूर्व में तैयार रहने की चेतावनी देना। संचार माध्यम के जरिये जनता को शिक्षित करना। दोपहर के समय होने वाले समारोहों, जहाँ अधिक लोग एकत्रित हो, को रोका जाना चाहिए। तापघात में क्या करें, क्या ना करें हेतु लोगों को विद्यालयों, शैक्षणिक कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर जागृत करें।

शीतघात

माह नवम्बर से बाद जनवरी तक दिन और रात दोनों के तापमान में तेजी से गिरावट आती है। जनवरी में, जो कि सबसे ठण्डा महीना होता है माध्य दैनिक अधिकतम तापमान 22.0 से व माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 5.8 से रहता है। शीतकाल के दौरान जब उत्तरी भारत से होकर गुजरने वाले मौसम सम्बन्धी विक्षोभों के फलस्वरूप शीत लहरें इस जिले को प्रभावित करती हैं तो उस समय न्यूनतम तापमान पानी के जमाव बिन्दू से दो या तीन डिग्री नीचे तक भी चला जाता है।

बचाव के उपाय

लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए ।

ज्यादा तहों के कपड़े पहने और अपने सिर को ढक कर रखें ।

पतले कपड़ों की ज्यादा परतें, एक गर्म कपड़े की बजाए ज्यादा गर्म होता है ।

गर्म करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय, सिर को ढककर रखना है । बाहर जाने पर यदि आप काँपने लगे या थकान महसूस करें, या आपकी नाक, अंगुलियाँ, एडियाँ ठंडी हो जाए तो जल्दी से भीतर जाएँ ।

मौसम की स्थिति से सावधान रहें ।

पशुओं को ढके हुए स्थान में रखें । पानी का इंतजाम करें । सर्दी में ज्यादातर पशुओं की मौतें संक्रमण से होती है ।

अनावश्यक भ्रमण को रोकें । घर के भीतर सर्वाधिक सुरक्षित स्थान रहता है ।

समय पर भोजन करें । भोजन शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है ।

संक्रमण रोकने के लिए पेय लें । गर्म पेय जैसे कि चावल का पानी या सन्तरे का जूस लें । केफिन व मदिरा से परहेज करें ।

- अत्यधिक ठंडी श्वास से बचने के लिए मूँह को ढक कर रखें, गहरी सांस न लें और कम बोलें ।
- सूखे रहें । गीले कपड़े तुरन्त बदल लें क्योंकि ये गर्मी को शरीर से जल्दी बाहर कर देते हैं ।
- गर्म कंबल या चद्दर इस्तेमाल करें ।

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी

- जरूरतमंद व घरहीन व्यक्ति सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं उनको जिला प्रशासन शरण स्थल दें ।
- गरीब, बेसहारा लोगों पर ध्यान दें जो बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन बाजारो आदि खुले स्थानों पर शरण लेते हैं उन्हें गर्म स्थानों में जगह दें या सामुदायिक केन्द्रो में रखे, और जरूरत का सामान उपलब्ध करावें ।
- कंबल और भोजन बांटे ।
- गश्त पर मोबाइल टीमे लगाई जानी चाहिए, जो लोगों को जरूरत के समय मदद कर सके ।

आतंकवाद

आज के युग में दुनियाभर में आतंकवाद चरमसीमा पर है । आतंकवादियों द्वारा आतंक फैलाने के लिए आमतौर पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है "बम विस्फोट" । इस क्रिया का मुख्य उद्देश्य लोगों में आतंक फैलाना तथा जान माल को हानि पहुंचाना है । ये विस्फोट अधिकतर ऐसे इलाकों में किये जाते हैं जहां अधिक लोग एकसाथ इकट्ठे होते हैं । सितम्बर 2002 को गांधीनगर में तीन आतंकवादियों ने स्वामीनारायण मन्दिर में 37 श्रद्धालुओं की जा ले ली । मुम्बई वर्ष 1993 में होटल में बम विस्फोट ,11 सितम्बर, 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर व 13 दिसम्बर, 2001 को भारतीय संसद् पर हुए हमले भी इसी तरह की कार्यवाही के उदाहरण हैं । स्थानीय बम विस्फोट की धमकियाँ आजकल आम बात है ।

अतः यह जानना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि आम आदमी को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या करना चाहिए।

बम विस्फोट के प्रकार

बम को तीन प्रमुख हिस्सों में बांटा जा सकता है:

1. विस्फोटक पदार्थ: जैसे RDX, C3/C4, PEK, प्लास्टिक, आदि।
2. डेटोनेटर: इलेक्ट्रिक या नॉन इलेक्ट्रिक होता है और ऊर्जा देयक से जुड़ा हुआ होता है, जैसे बैटरी, सेल या डायनमों।
3. स्वीच : जैसे खींचने वाला, दबाव से काम करने वाला या विच्छेद होकर काम करने वाला, ये रासायनिक, यांत्रिक या देर से समयबद्ध (time Delayed) हो सकते हैं।

सामुदायिक स्थानों, भवनों व कार्यस्थलों की बम विस्फोट से सुरक्षा की तैयारी

1. परिसर में आने जाने वाली गाड़ियों का रिकॉर्ड रखें एवं ड्राइवर का नाम, अन्दर आने का समय, बाहर जाने का समय आदि नोट करें तथा अगर हो सके तो एक टोकन जारी किया जावे।

2. सुरक्षा कर्मियों द्वारा परिसर के अन्दर आने जाने वाली सभी तरह की गाड़ियों की जाँच पड़ताल की जानी अत्यन्त आवश्यक है, जैसे उनका बोनट, डिकी एवं अन्दर के हिस्से को टटोला जाना चाहिये।

3. कार्यालय की गाड़ियों के ड्राइवर को इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि वे अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करने से पहले जाँच करें। इसी क्रम में कार्यालय की गाड़ियों की पार्किंग सुरक्षित एवं अधिकृत स्थान पर करने की हिदायत दी जाए।

4. ऐसी चीजें जो पहले परिसर में नहीं देखी गईं जैसे ब्रीफकेस, बैग व बिजली का तार आदि को देखकर अनदेखा न करें।

5. ऐसी जगह जहाँ पर आना-जाना कम हो उस जगह का खास ख्याल रखते हुए निरीक्षण करें।

6. स्टॉफ के लोगों की गतिविधियों एवं उनके चाल चलन पर नजर रखें एवं निरीक्षण करें।

7. ऐसे कर्मचारी (स्टॉफ) जो कि असंतुष्ट हों, उनपर खास तौर से नजर रखें।

8. ऑफिस समय के बाद व छुट्टी के दिन किसी को भी परिसर में घुसने की इजाजत न दें।

9. स्टॉफ व आगन्तुकों के लिए वाहन पार्किंग स्थल अलग-अलग जगह पर निश्चित करें। और ऐसी जगह बनायें जो मुख्य भवन से दूरी पर हो। किसी भी वाहन को मुख्य भवन या कार्यस्थल के नजदीक न खड़ा करने दिया जावे।

बम की सूचना मिलने पर सुरक्षा से संबंधित किये जानेवाले कार्य: जन साधारण एवं प्रशासन हेतु।

1. जब भी बम की सूचना मिले तो अपना धैर्य व शान्ति बनाये रखना चाहिये।

2. किसी भी सूचना या धमकी को अफवाह या झुठा करार न दें। सूचना मिलते ही तुरन्त नजदीकी पुलिस स्टेशन को दूरभाष नम्बर 100 को सूचित करें।

4. हर सूचना व धमकी को सही मानकर सूचना देने वाले से निम्न तरह की जानकारी हासिल करने की कोशिश करें:

(क) सही स्थल जहाँ बम को रखा है

(ख) विस्फोटक के फटने का सही समय

(ग) विस्फोटक के चलाने का तरीका

- (घ) विस्फोटक की पहचान
- (ङ) विस्फोटक का पदार्थ
- (च) विस्फोटक लगाने का उद्देश्य
- (छ) विस्फोटककर्ता संगठन का नाम

5. अगर सूचना देने वाले के नाम का पता चल जाये तो निम्नलिखित रिकॉर्ड तैयार करें:

- (क) सूचना देने की तारीख व समय
- (ख) भाषा जिसमें बोल रहा है
- (ग) आदमी, औरत या बच्चा है, की जानकारी
- (घ) भाषा बोलने का ढंग, जैसे खड़ी, रुक-रुक कर, आदि।
- (ङ) बोलने का तौर तरीका, जैसे गुस्से शांत, खुशी, धीरे, तेज या घबराहट आदि।
- (च) टेलीफोन पर पीछे से अगर कोई आवाज आ रही हो तो ध्यान से सुनें।

6. अगर सूचना देने वाले ने बम के रखे होने के स्थान के बारे में नहीं बताया हो तो निम्नलिखित स्थानों पर खोज की कार्यवाही करें:

- (क) ईंट या लकड़ी का बुरादा
- (ख) हटा हुआ कारपेट या जमीन पर बिछावना
- (ग) तेल से सना हुआ या चिकनाहट वाला कागज
- (घ) ऐसा स्थान जहां पर नया प्लास्टर किया हुआ दिखे
- (ङ) ऐसे टेबल जिनकी दराज आधे खुले हों
- (च) बाथरूम, सीढ़ियों के नीचे का हिस्सा एवं भण्डार स्थल
- (छ) बाथरूम, सीढ़ियों के नीचे का हिस्सा एवं भण्डार स्थल

7. कभी भी यह ना सोचें कि सिर्फ एक ही बम हो सकता है। यह सब निरीक्षण के लिए पुलिस पर छोड़े जिसे वे सूँघकर कुत्तों द्वारा करती है। अपने उच्चधिकारियों, पुलिस स्टेशन, पुलिस कन्ट्रोल रूम (फोन नं. 100), एम्बूलेन्स (फोन नं. 102) फायर (फोन नं. 101) आपदा नियंत्रण कक्ष (फोन नं. 1070) को अविलम्ब सूचित करें।

9. अगर कोई बड़ी मशीनरी परिसर में चल रही हो तो बन्द कर दें, जैसे ए. सी. जनरेटर आदि।

10. बम को ढूँढने का कार्य, स्थिति को नजर में रखते हुए पुलिस पर छोड़े व जज्ञासावर्ष स्टॉफ को इस कार्य में रुचि नहीं लेने दें, इससे नुकसान की अपेक्षा बढ़ जाती है।

11. किसी भी सूरत में ऐसी अपरिचित वस्तु, बम/विस्फोटक (यदि दिखाई देती हो) या अन्य संदेहात्मक वस्तु को न छुएं, न उठाये, न खोले, न ही उसे पानी में डालें, क्योंकि इन सभी तरीकों से अलग-अलग बनाये हुए यंत्रों में विस्फोट हो सकता है।

12. परिसर छोड़ते अथवा सर्वे टीम को अपरिचित सामान को पहचानने में मदद मिल सके और कम वस्तुओं का निरीक्षण करना पड़े।

13. अगर विस्फोटक का स्थान पता हो तो परिसर खाली करते समय विस्फोटक के नजदीक से न गुजरें न ही उसके आसपास रेडियो सेट, वायरलेस सेट, मोबाइल फोन आदि का प्रयोग करें।

14. कभी भी संदेहात्मक वस्तु या बम पर सीधी फ्लैश, लाईट या टार्च की रोशनी नहीं डालें, इससे प्रकाश इनिशियटर द्वारा विस्फोटक फट सकता है।

15. सभी कर्मचारियों को एक सुरक्षित स्थान पर इकट्ठा होने की हिदायत दें, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
16. जब कर्मचारी अपना परिसर छोड़ दें तो यह सुनिश्चित करें कि बिजली के तमाम स्वीच बन्द हों।
17. मिट्टी के भरे बोरे उपलब्ध हों तो उन्हें विस्फोटक के चारों तरफ लगा दें ताकि विस्फोटक से होने वाली क्षति को कम किया जा सके।
18. जब मिट्टी के भरे बोरे उपलब्ध न हो तो मैटरेस, गद्दे, दरियां कारपेट इत्यादि को विस्फोटक के चारों तरफ लगा दें।
19. परिसर छोड़ते समय यह यकीन करें कि तमाम खिड़कियाँ, आलमारियाँ, दरवाजे, खुले हुए हो ताकि बम के फटने की स्थिति में कम नुकसान हो।
20. असहाय/अपाहिज व्यक्ति को मदद देकर परिसर से बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुँचाये।
21. जब तक संदेहात्मक वस्तु या बम परिसर या भवन से हटा न लिया जावे लोगों को वापिस परिसर में न आने दें। अगर बम फट गया हो तो जन साधारण व प्रशासन द्वारा की जाने वाली कार्यवाही
 1. जहाँ बम विस्फोट हुआ है वहाँ से चारों तरफ दूरी बनाये रखें।
 2. घटना स्थल पर किसी प्रशिक्षित एवं योग्य अधिकारी को घटना अधिकारी नियुक्त करें।
 3. हताहतों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करायें।
 4. उन्हें अस्पताल पहुँचाने की व्यवस्था करें।
 5. एक बम विस्फोट के तुरन्त बाद उसके आस-पास दूसरा बम विस्फोट भी हो सकता है, इसलिए सक्रिय रहें।
 6. घटना की सम्पूर्ण सूचना तुरन्त अपने उच्च अधिकारियों एवं प्रशासन को दें। पुलिस/प्रशासन की स्वीकृति के बिना विस्फोट स्थल पर न जायें। मलबा हटाने की व्यवस्था करें।
 7. पुलिस/प्रशासन की स्वीकृति के बिना विस्फोट स्थल पर न जायें।
 8. मलबा हटाने की व्यवस्था करें।
 9. मलबे में दबे हताहतों को निकालने के लिए बचाव दल तक स्थानीय लोगों की मदद से कार्यवाही करें।
 10. आग पर नियंत्रण रखें व फायर ब्रिगेड को सूचना दें।
 11. बचाव दलों को घटना स्थल के बारे में सही जानकारी दे जिससे बचाव कार्यवाही अतिशीघ्र की जा सके।
 12. बचाव दलों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट भिजवाने की व्यवस्था करें।
 13. सूचना केन्द्र पर हताहतों की सम्पूर्ण एकत्रित करें। पर हताहतों की सम्पूर्ण सूचना एकत्रित करें। युद्धकाल या आतंकवादकाल एकता बनाये रखें।
 1. आन्तरिक एकता बनाये रखें।
 2. अफवाहों पर ध्यान न दें तथा न ही उन्हें फलायें।
 3. हमले से बचाव के नियमों का पालन करें।
 4. बड़े सामाजिक सम्मेलन न करें।
 5. यातायात के साधनों को गतिमय बनाये रखें।
 6. सम्पत्ति को नष्ट न होने दें वरन् उपज बढ़ाएं।
 7. वस्तुओं की कीमतों पर नियन्त्रण रखें।
 8. वस्तुओं का आवश्यकता से अधिक संग्रह न करें।
 9. सुरक्षा कोष में अधिक से अधिक संग्रह न करें।
 10. घायलों को प्राथमिकता चिकित्सा प्रदान करें।
 11. अधिक से अधिक मात्रा में रक्तदान करें।

12. सशस्त्र सेनाओं, होम गार्ड, नागरिक सुरक्षा, एन.सी.सी. में भर्ती हो कर देश व देशवासियों की सेवा करें।
13. अपनी वस्तुओं को अपने पड़ोसियों व अन्य साथियों के साथ बांट कर काम में लें।
14. युद्ध स्थल में गए हुए जवानों के परिवार की सहायता करें।
15. शत्रु के गुप्तचरों से सावधान रहें।

(Chapter) अध्याय-3

Institutional Arrangements for DM

- सभी विभागों को आपदा से निपटने के लिए सचेत करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना।
- जिला मुख्यालय प्राकृतिक आपदा केन्द्र (EOC) स्थापित करना।
- आपदा स्थल पर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- राहत स्थलों का निर्धारण करना तथा सहायता सामग्री, भोजन आदि की व्यवस्था करना।
- कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना।
- प्रमाणिक सूचना प्राप्त करना व मीडिया के जरिये उसे लोगों तक पहुँचाना।
- शासन से प्राप्त परिपत्रों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाना।
- प्रभावितों को सहायता राशि का तत्काल वितरण करवाना।

(Chapter) अध्याय—4

Prevention and Mitigation Measures

किसी भी प्राकृतिक आपदा अथवा मानव निर्मित आपदा को नियंत्रण करना संभव नहीं होता है क्योंकि इन घटनाओं के होने की कोई पूर्व जानकारी नहीं हो जाती है तथा घटना घटित होने के बाद सरकार द्वारा जारी निर्देशों एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रभावितों को तत्काल लाभ पहुँचाना आवश्यक हो जाता है। इस कार्य को जनहित में जितना जल्दी निपटाया जा सके उतना प्रयास अवश्य करना चाहिये। जिसके लिए सरकारी मशीनरी के साथ आमजन, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि का सहयोग लेने भी तत्परता बरतनी चाहिये। यह जिला प्रशासन के स्तर पर तत्काल क्रियान्वयन हो सकता है।

(Chapter) अध्याय—5

Preparedness and Mitigation Measures

राज्य सरकार के स्तर से आपदा के दौरान समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना तत्परता से करने हेतु जिला प्रशासन के साथ-साथ उपखण्ड स्तर पर उतनी ही तत्परता से पालना की आवश्यक है। इसके लिए सरकार के स्तर से पूर्व से ही राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, उपखण्ड स्तरीय तथा ग्राम स्तरीय कमेटियों का गठन कर रखा है। जिसके अनुसार प्रत्येक स्तर की गठित कमेटी अपना कार्य तत्परता दिखाते हुए प्रारंभ कर प्रारंभिक सर्वे रिपोर्ट क्रमोत्तर यथा ग्राम स्तरीय कमेटी उपखण्ड स्तरीय कमेटी को तथा उपखण्ड स्तरीय कमेटी जिला स्तरीय कमेटी को सर्वे रिपोर्ट अग्रेषित करेगी। जिला स्तरीय कमेटी को प्राप्त सर्वे रिपोर्ट का आंकलन जिला स्तरीय कमेटी से अनुमोदन पश्चात् राज्य सरकार को तत्काल भिजवाई जावेगी ताकि प्रभावितों के लिए शासन स्तर पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जा सकेगा।

राज्य शासन से प्राप्त निर्देशों के अन्तर्गत तथा बजट उपलब्ध करवाने पर तत्काल सहायता मापदण्डान्तर्गत प्रभावित परिवार को उपलब्ध करवाने का एक मात्र लक्ष्य जिला प्रशासन से उपखण्ड एवं तहसील प्रशासन तक रहना चाहिये। इसे सर्वोच्च मानवीय दृष्टिकोण माना जाना चाहिये।

उपरोक्त के अलावा निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है :-

1. गत वर्षों के प्लान यथा बाढ़ कन्टीजेन्सी आदि को सामरिक रूप से समय पर अपडेट करवाना।
2. आपदा के पश्चात् वीआईपी विजिट के दौरान आवश्यक पुख्ता प्रबन्धन करना तथा सही जानकारी उपलब्ध करवाना।
3. मिडिया आदि को तत्काल एवं सही सूचना आमजन हितार्थ उपलब्ध करवाना।

(Chapter) अध्याय-6

Capacity Building and Training Measures

कमेसीटी बिल्डिंग एवं प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न संगठनों के माध्यम से आपदा के बारे में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। जिसमें संबंधित विभागीय अधिकारी को भाग लेकर प्रशिक्षित होना चाहिये ताकि किसी भी आपदा के दौरान उस प्रशिक्षण का उपयोग जनहित में हो सकेगा। इस राज्य में इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेषतः हरिश् चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के माध्यम से आयोजित किये जाते हैं। इस संस्थान द्वारा प्रशिक्षण के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में नोट बुक तथा पेम्पलेट भी छपवाये जाकर समस्त जिला कों आमजन हितार्थ उपलब्ध करवाये जाते हैं।

(Chapter) अध्याय-7

Response and Relief Measures

किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने का दायित्व जिला प्रशासन के साथ राज्य सरकार के प्रत्येक संबंधित विभाग को संयुक्त होता है। आपदा के दौरान उनका यह कर्तव्य जनहितार्थ और भी बढ़ जाता है। अतः सभी विभागों को संयुक्त रूप से टीम भावना से कार्य करने की महत्ती आवश्यकता के साथ-साथ जिला प्रशासन तथा राज्य शासन को सहयोग करना जनहितार्थ उससे भी बढ़कर होना चाहिये। प्रभावितों के बचाव के साथ-साथ उन्हें हर तरह की सहायता तत्काल पहुँचाने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिये। इस हेतु उपखण्ड स्तरीय एवं जिला स्तरीय गठित कमेटियों की आवश्यकतानुसार तत्काल बैठकों का आयोजन कर उसमें लिये गये निर्णय की तत्काल पालना सुनिश्चित करनी चाहिये। इन कमेटियों के माध्यम से एकत्रित एवं अनुमोदित सूचना तत्काल राज्य सरकार को भिजवाना चाहिये ताकि राज्य स्तर पर इस बारे में निर्णय लिया जाकर जनहित में तत्काल कार्यवाही की जा सकेगी। राज्य सरकार के स्तर पर लिये गये निर्णय की जानकारी मिडिया के माध्यम से आम जन तक पहुँचानी आवश्यक होती है ताकि आम जन को किसी तरह की कोई शंका नहीं रहे तथा पूर्ण पारदर्शिता से कार्य करने की शासन प्रशासन दृष्टिकोण होना आवश्यक है।

(Chapter) अध्याय—8

Reconstruction , Rehabilitation and Recovery measures

किसी भी प्राकृतिक आपदा होने पर उससे निपटने के लिए राज्य सरकार के स्तर से राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, उपखण्ड स्तरीय तथा ग्राम स्तरीय कमेटियों को गठन पूर्व से ही किया गया है। इन कमेटियों के माध्यम से जो-जो कार्य किया जाना है तथा उसकी रिपोर्ट किस स्तर पर भिजवाई जानी होती है। उसके बारे में भी निर्धारित प्रक्रिया है। इसके साथ ही प्रभावितों के लिए बचाव, विस्थापितों को पुनर्वास आदि के बारे में भी प्रक्रिया पूर्व से ही निर्धारित है। प्राकृतिक आपदा के मामलों में वर्तमान में एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के तहत भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 8.4.2015 से जारी नियम/निर्देश प्रभावशील है। जिसके अंतर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रभावितों को आपदा के दौरान आवश्यक मदद पहुँचाई जा सकती है। इस आर्थिक सहायता हेतु आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग से आवश्यकता अनुसार बजट की मांग करने पर तत्काल बजट उपलब्ध करवाया जाता है ताकि बजट अन्तर्गत प्रभावितों को तत्काल राहत पहुँचाई जा सकेगी। पूर्ण सर्वे रिपोर्ट सहित राज्य सरकार से बजट मांग करने के निर्देश है।

(Chapter) अध्याय—9

Financial , Resources for implementation of DDMP

प्राकृतिक आपदा के मामलों में वर्तमान में एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के तहत भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 8.4.2015 से जारी नियम/निर्देश प्रभावशील है। इन नियमों के तहत प्रभावितों को देय सहायता राशि का आंकलन कर ग्राम स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट उपखण्ड स्तरीय कमेटी के अनुमोदन पश्चात् जिला कलेक्टर कार्यालय को प्राप्त होने पर उसको जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष रखा जाकर कमेटी के अनुमोदन पश्चात् देय राशि के अनुसार बजट की लिखित तथा ऑन लाईन मांग जिला कलेक्टर कार्यालय के माध्यम आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को भिजवाई जाती है। जिस पर निर्णय पश्चात् आवंटन होने पर कोषालय के माध्यम से आहरण कर वितरण यथा संभाव प्रभावितों के खातों में राशि शासन निर्देशानुसार खातों हस्तान्तरित भुगतान सम्पन्न किया जाता है।

(Chapter) अध्याय—10

Procedure and methodology for monitoring evaluation, updation and maintenance of DDMP

किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सरकार के स्तर से समय-समय प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार निर्धारित प्रक्रियान्तर्गत उसके लिए अधिकृत प्राधिकारी के स्तर पर युद्ध से सर्च करवायी जाती है तथा निर्धारित प्रक्रियान्तर्गत आवश्यक प्रस्ताव तैयार का उच्चाधिकारियों को भिजवाये जाने की प्रक्रिया निर्धारित है। इस हेतु वर्तमान में ग्राम स्तरीय समिति, उपखण्ड स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति तथा राज्य स्तरीय समितियाँ गठित हैं। इन समितियों को सौंपे गये दायित्वों का समिति स्तर पर निर्धारित समयावधि में प्रक्रिया पूर्ण कर प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं। इसी तरह सरकार से अनुमोदित प्रस्तावों एवं उसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति पश्चात बजट आवंटन करने पर जनहितार्थ कार्य मौके पर तत्काल प्रारंभ करवाये जाकर निर्धारित समयावधि में पूर्ण करवाया जाता है। जिसकी मोनिटरिंग जिला स्तर पर जिला कलेक्टर/अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्तर पर की जाती है। प्रत्येक विभाग के पदाधिकारी द्वारा अपने-अपने विभाग से संबंधित दायित्वों को अपने स्तर पर पूर्ण मोनिटरिंग करते हुए पूर्ण करवाया जाता है। साथ ही आपदा से प्रभावित परिवानों को उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदारान के माध्यम से तत्काल उनके रहवास, भोजन, वस्त्र आदि की सुविधा यथा संभव जन सहयोग, स्वयंसेवी संस्थाओं, भामाशाओं एवं दानदाताओं के माध्यम से तात्कालिक रूप से की जाती है। तत्पश्चात् सरकार से बजट प्राप्त होने से नियमानुसार देय सहायता राशि का भुगतान सर्वे रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना निर्धारित समयावधि में मानसून से पूर्व यथा संभव बाढ़ आदि से निपटने के लिए प्रति वर्ष अपडेट किया जाता है। इसी तरह अन्य आपदा यथा ओलावृष्टि, भूकम्प, अग्नि आदि के बारे में पूर्वानुमान लगाया जाना संभव नहीं होने से घटना घटित होने के तत्काल बाद राहत ऑपरेशन प्रत्येक विभाग के स्तर पर प्रारंभ कर दिया जाता है। जिसकी मोनिटरिंग सीधे राज्य सरकार के स्तर से की जाती है। आपदा से नुकसान का मौके पर सर्वे करवाकर रिपोर्ट सरकार को भिजवाई जाती है।

(Chapter) अध्याय—11

Coordination Mechanism for implementation of DDMP

जिला आपदा प्रबन्धन प्लान के अनुसार समस्त विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर प्रबन्धन को मूर्तरूप दिया जाता है। सभी विभागीय स्तर पर अपने अपने विभाग से संबंधित दायित्वों को प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है। आवश्यकतानुसार जिला कलेक्टर के स्तर पर समस्त विभागाध्यक्षों की बैठक आयोजित कर आंकलन किया जाता है तथा आवश्यक निर्णय लेकर आपदा के निर्वहन हेतु कार्यवाही युद्ध स्तर पर प्रारंभ की जाती है। आपदा राहत को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने हेतु आमजन, स्वयं संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं आदि का भी आवश्यकतानुसार सहयोग लिया जाता है। इस प्रकार सरकारी मशीनरी के साथ-साथ जन सहभागिता भी आपदा प्रबन्धन प्लान को मूर्त रूप दिये जाने में अपनी महत्ती भूमिक निभाई जाती है। इस प्रकार आपदा एवं आपदा से निपटने के कार्य को पूर्णरूप से पारदर्शिता रखते हुए निपटाया जाता है।

(Chapter) अध्याय—12

Standard Operating Procedures (SOPs) and checklist

मानव सभ्यता के साथ प्राकृतिक प्रकोप हमेशा से आम जन के जीवन को प्रभावित करते आये हैं। आदिकाल से प्रक्रिया निरन्तर चलती रही है। मानव सम्भता के विकास के साथ साथ इन आपदाओं से निपटने के तौर तरीके भी बदलते रहे हैं। पूर्व सालों में किसी तरह की मशीनरी सुविधा नहीं होने से आम जन अपने स्तर से ग्राम मुख्या के निर्देशानुसार आपदा आने पर ढोल बजाकर, डूडी पिटवाकर आमजन का सतर्क किया जाता था। इसके अलावा युद्ध आदि के दौरान भी इस परिपाठी को अपनाया जाता था। लेकिन मशीनरी युग के दौरान ज्यों ज्यों संचार साधनों का विकास हुआ त्यों त्यों मानव ने उनका उपयोग करना शुरू किया। जैसाकि वर्तमान में समय टेलीफोन,मोबाईल,टी0वी0,रेडियो,अलार्म सिस्टम आदि कई तरह के उपकरणों का उपयोग कर आमजन को सतर्क किया जाता है तथा वाहन आदि का उपयोग का प्रभावितों को तत्काल प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित क्षेत्रों में शिफ्ट कर दिया जाता है। जहाँ तक चैक लिस्ट का प्रश्न है प्रत्येक सर्वे रिपोर्ट सरकार से प्राप्त निर्देशों तथा उसके अन्तर्गत दी गयी प्रक्रिया के अनुरूप सूचना निर्धारित प्रपत्रों में तैयार करवाई जाती है तथा उस पर संयुक्त हस्ताक्षर भी करवाये जाते हैं। जिससे किसी को किसी तरह का संचय नहीं रहे एवं न ही किसी प्रभावित के साथ किसी तरह का भेदभाव बरतने की भावना भी मन में उत्पन्न नहीं होती है। उसी चैकलिस्ट के अनुसार प्रभावित को नियमानुसार देय राशि की सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इसी तरह सार्वजनिक सम्पत्ति आदि के नुकसान के लिए भी निर्धारित प्रक्रियान्तर्गत प्रस्ताव तैयार करवाये जाते हैं तथा प्रस्ताव ग्राम स्तरीय,उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमोदन पश्चात् जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष भिजवाये जाते हैं। इस प्रकार नियमों में वर्तमान में प्रत्येक प्रक्रिया पारदर्शी है। चैक लिस्ट का नमूना निम्नानुसार है :-

LIST OF DISASTER IDENTIFIED BY THE HIGH POWERED COMMITTEE

1 Water and Climate Disaster Relief Department

1. Flood and Drainage Managemet
2. Cyclones
3. Torndes and Hurricanes
4. Hailstorm
5. Cloud Burst
6. Thunder and Lighting
7. Snow Avalanches
8. Heat Wave and Cold Wave
9. Send Erosion

10. Droughts

II. Geologically related Disasters

1. Earthquakes Relief Departments
2. Landslides and Mudflows
3. Dam Bursts Water Resources Departments
4. Mine Fires Mines Department

III Chemical, Industrial & Nuclear Disasters

1. Chemical and Industrial Disasters Secretary Industries
2. Nuclear Disasters Home Departments (Civil Defence)

IV Accident related Disasters

1. Urban Fires UDH Department
2. Village Fire Revenue Department
3. Forests Fire Forest Departments
4. Electrical Disasters & Fires Energy Departments
5. Serial Bomb Blasts Home Departments
6. Oil Spill
7. Festival Related Disasters Home Departments
8. Air, Road, & Rail Accidents Home Departments
9. Boat Capsizing Revenue Departments
10. Mine Flooding Mines Departments
11. Major Building Collapse P.W.D. Departments

V. Biology Related Disasters

1. Biological Disasters and Epidemics Medical & Health Department
2. Pest Attacks Agriculture departments
3. Cattle Epidemics AH Departments
4. Food Poisoning Medical & Health department

(Chapter) अध्याय—13

MISCELLANEOUS

Preventing Flood Zoning Authority from doing an act be an offence:
Any person, who prevents the Flood Zoning Authority in discharging any act imposed on such Authority by or under this act, shall be deemed to have committed an offence under section 186 of the Indian penal Code (Central Act 15 of 1860)

Flood Zoning Authority and other officers to be public servants;

The Flood Zoning Authority and other officers and employees authorised under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal code (Central Act 45 of 1860)

Protection of action taken in good faith:

(1) No Suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the state Government or any Authority or person exercising any power or performing any duty under this Act for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this act or an order made there under.

(2) No. Suit or other legal proceeding shall lie against the state Government for any damage caused or likely to be caused for any thing which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule or order made there under.

Recovery of fine: AH fines imposed under this act shall be recovered in the manner provided in the code of criminal procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974)

Power of Court: A Civil Court shall have jurisdiction to settle decide or deal with any question with is by or under this Act required to be settled, decided or deal with by the Flood Zoning Authority or such other officer as is authorised by the state Government in this behalf.

Power to make rules:

(1) The State Government may, by notification in the official Gazette make rule to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, such rules may provided for-

- P(a) The manner in which charts and records shall be maintained;
- (b) The form and manner in which application under section 20 shall be; made and the manner in which such application shall be disposed of;
- (c) Any other matter which has to be, or may be prescribed.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made before the house of the State Legislature while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or two or successive sessions and if before the expiry of the session immediately following the session or the successive session aforesaid the House agrees in making any modification in the rule, or the house agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect as the case maybe so, however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Secretary to the Government

Annexure

आपदा प्रबन्धन से संबंधित कुल 55 परिशिष्ट 1 से 55 संलग्न है।

आपदा से संबंधित विभागवार संलग्नक है।

Maps

जिले का मानचित्र राजनैतिक तथा भौगोलिक रूप से संलग्न है।

परिशिष्ट – 1

प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति

क्र. सं.	पंचायत समिति क्षेत्र	प्रभारी अधिकारी	सहायक प्रभारी अधिकारी
1	जालोर	उपखण्ड अधिकारी. जालोर	तहसीलदार व विकास अधिकारी
2	सायला	उपखण्ड अधिकारी. सायला	"
3	आहोर	उपखण्ड अधिकारी. आहोर	"
4	भीनमाल	उपखण्ड अधिकारी. भीनमाल	"
5	जसवंतपुरा	उपखण्ड अधिकारी. जसवंतपुरा	"
6	रानीवाडा	उपखण्ड अधिकारी. रानीवाडा	"
7	सांचोर	उपखण्ड अधिकारी. सांचोर	"
8	चितलवाना	उपखण्ड अधिकारी. चितलवाना	"

परिशिष्ट –2

ई.ओ.सी. प्रयोजनार्थ उपलब्ध सामग्री का विवरण

क्र.सं.	नाम सामग्री	मात्रा	प्राप्ति तिथि	सामग्री जहाँ उपलब्ध है
1	2	3	4	5
1	कम्प्युटर	1	15.3.10	ई.ओ.सी लियन हैल्पलाईन मार्फत एन. आई.सी
2	MFF प्रिन्टर	1	08.3.10	" "
3	LCD T.V.	1	01.6.10	" "
4	पोर्टेबल जनरेटर	1	04.6.10	कलेक्ट्रेट कैंपस
5	SDN Tel line	2+1=3	20.8.10	V.C.Room कलेक्ट्रेट मार्फत एन.आई.सी.
6	L.I. टेलीफोन मय ब्रॉडबैंड इंटरनेट	1	7 / 09	ई.ओ.सी लियन हैल्पलाईन / एन.आई. सी
7	मोबाईल टेलीफोन	1	29.9.09	एन.आई.सी. कलेक्ट्रेट
8	वायरलेस मय हैंडसेट बैटरिज	1	11.6.09	ई.ओ.सी लियन हैल्पलाईन / उपखण्ड स्तर
9	कैमेरा	1	0	एन.आई.सी. कलेक्ट्रेट
10	ड्रैगन लाईट	10	7 / 09	उपखण्ड / तहसील स्तर पर
11	रस्सी	660 मीटर	7 / 09	35 मीटर कलेक्ट्रेट स्तर तथा शेष उपखण्ड / तहसील स्तर
12	U.P.S- KVR On line	1	25.10.08	V.C.Room कलेक्ट्रेट मार्फत एन.आई.सी. कलेक्ट्रेट

रेत के कट्टों की व्यवस्था

क्र. सं.	परियोजना का नाम	पंचायत समिति	कुल भराव क्षमता mcft.	कट्टों की मात्रा
1	बांकली बांध	आहोर	1220.000	600
2	चवरचा बांध-I	„	280.000	200
3	नोसरा नहर	„	290.630	300
4	खेडा सुमेरगढ़ बांध	जालोर	46.120	100
5	सरदारगढ़ बांध	„	115.446	100
6	कलापुरा बांध	„	120.000	100
7	आकोली बांध प्रगतिरत	„	60.80	400
8	बालसमन्द बांध	भीनमाल	101.880	100
9	बिठन बांध	जसवन्तपुरा	254.237	150
10	बाण्डी सणधरा बांध	„	1013.00	1200
11	जैतपुरा बांध	रानीवाडा	88.43	100
12	वणधर बांध	„	143.024	150
13	उप खण्ड कार्यालय जालोर	जालोर		400
14	उप खण्ड कार्यालय भीनमाल	भीनमाल		400
15	उप खण्ड कार्यालय सांचौर	सांचौर		400
	संभावित राहत केम्प			
19	चितलवाना	चितलवाना		400
20	कैसूरी	„		400
21	प्रत्येक पुलिस थाना मुख्यालयों पर	समस्त	15 / 200	3000
22	जल संसाधन विभाग गोदाम	जालोर		1800
	योग			9550

बाढ से प्रभावित होने वाले प्रमुख सडक मार्गों का विवरण :-

1. जालोर से बालोतरा सडक ।
2. जालोर से बाडमेर वाया सायला सडक ।
3. जालोर से सिरोही वाया सियाणा सडक ।
4. जालोर से जोधपुर सडक ।
5. जालोर से गुजरात वाया भीनमाल रानीवाडा सडक ।
6. जालोर से रेवदर सडक ।
7. जालोर से बागोडा सडक ।
8. भीनमाल से सांचोर वाया करडा सडक ।
9. रानीवाडा से सांचोर सडक ।

बाढ/अतिवृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों के लिए विस्थापित स्थल :-

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	विस्थापित किए जाने वाले स्थान
1	जालोर (जिला मुख्यालय)	1.सीनियर हायर सैक. स्कूल एवं महाविद्यालय 2.जैन मन्दिर व धर्मशाला 3.समस्त राजकीय भवन / पंचायत समिति/ तहसील
2	जालोर ग्रामीण क्षेत्र	प.स./तहसील क्षेत्र में सम्बन्धित गांवों में स्थित राप्रावि/उ.प्रा.वि. /रामावि/रासीमावि/ग्रा.पं.भवन एवं अन्य सरकारी भवन ,ग्राम पंचायत मुख्यालय स्थित अटल सेवा केन्द्र भवन
3	सायला	" "
4	आहोर	" "
5	भीनमाल	" "
6	जसवंतपुरा	" "
7	रानीवाडा	" "
8	सांचोर	" "
9	चितलवाना	" "

. जिला जालोर के नजदीकी जिलों में प्राइवेट क्षेत्र में उपलब्ध नावों का विवरण

क्र. सं.	नाम जिला	नाव मालिक का नाम व पता	सम्पर्क नम्बर	नावों की संख्या	उपलब्धता का स्थान
1	उदयपुर	श्री सुहैका एण्ड पार्टी 6, न्यू केशव नगर, उदयपुर	—	2	जवाई बांध
2	" "	मतस्य विभाग, उदयपुर	2431255	1	जयसमंद झील
3	पाली	श्री लक्ष्मण सिंह राठौड़ गांव ओधवाडिया, पोस्ट सोमेश्वर	—	2	दांतवाडा बांध तहसील बाली जिला, पाली
4	" "	श्री ईकबाल अहमद, चुनपट गली, ब्यावर	—	2	गजनायी बांध, सोजत, जिला पाली
5	" "	श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री मूलसिंह गांव मण्डली	—	2	मानपुर भाखरी हेमावास बांध, जिला, पाली
6	जोधपुर	श्री मोहम्मद इब्राहीम मछली ठेकेदार, प्रताप स्कूल के सामने, मछली मार्केट, जोधपुर	9414243141	2	82, कमला नेहरू नगर, चीरगर, मस्जिद की पीछे जोधपुर
7	" "	श्री मोहम्मद ईस्माईल मछली ठेकेदार, कमला नेहरू नगर, चीरगर, मस्जिद की पीछे	9414130722	2	82, कमला नेहरू नगर, चीरगर, मस्जिद की पीछे, जोधपुर
8	सिरोही	श्री रघुवीरसिंह पुत्र श्री दीपसिंह देवडा, गांव आजोदर, तहसील रानीवाडा	9414545926	10	सुकली सेलवारा बांध, रेवदर जिला, सिरोही
9	सिरोही	श्री मोहम्मद हनीफ न्यू बस स्टैंड के पास, सिरोही	9414544070	5	न्यू बस स्टैंड के पास, सिरोही
10	सिरोही	श्री जावेद कुरेशी सिपाहीयों को मौहल्ला, सिरोही	9829266863	5	बांध अणगौर, सिरोही
11	" "	श्री खेमचन्द लुणियापुरा, आबूरोड	9414398372	1	बांध भागेरी, सिरोही
12	" "	श्री हमीर सिंह नक्की झील, माउण्ट आबू	9829442043	12	नक्की झील, माउण्ट आबू

क्र. सं.	नाम जिला	नाव चालक का नाम	पता	सम्पर्क नंबर
1	पाली	श्री सकताराम पुत्र श्री सेवाराम	जवाई बांध, कच्ची पाल, सुमेरपुर	02933—232928 9829923117
2		श्री रूपाराम पुत्र श्री सवाराम	जवाई बांध, कच्ची पाल, सुमेरपुर	
3		श्री मकनाराम पुत्र श्री सवाराम	जवाई बांध, कच्ची पाल, सुमेरपुर	
4		श्री माखनलाल चौहान, मछुयारे (60 नाव उपलब्ध है)	13—गारियावास पठान गली, उदयपुर (राजस्थान)	
5		श्री महेन्द्र सिंह एवं अन्य	गांव दीपावास, राजपुर बांध	
6		श्री कल्याण सिंह एवं अन्य	वाटर पंप के पास, गजनेर बांध	
7		श्री मोहम्मद सुल्तान पुत्र श्री मोहम्मद याकुब	मानपुर भाकरी, हेमावास बांध, पाली	

होम गार्ड्स (गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र) के अधीन तैराकों का विवरण

क्र. सं.	होमगार्ड सदस्य का नाम मय वल्लिदयत	पता	तैराक / गोताखोर	बेल्ट नंबर	मोबाईल नंबर
1	श्री कुकाराम / चूनाराम	रामदेव कोलोनी, जालोर	तैराक	02	8852993600
2	श्री रघुवीरसिंह / महेन्द्रसिंह	सूरजपोल पुराना बिजलीघर के पास	तैराक	08	9782407775
3	श्री रमेशकुमार / पुराराम	सिरे मंदिर रोड, बेरा पंगलिया वाला, जालोर	तैराक	32	9461869305
4	श्री अमजद खान / लियाकत	हब्सियों का मौहल्ला, जालोर	तैराक	37	9413500581
5	श्री बाबूलाल / पूनमा राम	एफसीआई गोदाम के पास, जालोर	तैराक	42	8239451942
6	श्री जबाराम / मांगी लाल	ग्राम, सांफाडा तह. जालोर	गोताखोर	55	9982757564
7	श्री खेताराम / जीवाराम	न्यू रामदेव कोलोनी, जालोर	गोताखोर	71	9828381335
8	श्री प्रकाशदास / मोहनदास	गौडीजी, जालोर	तैराक	85	9982170050
9	श्री विजेशकुमार / भंवर लाल	हरिजन बस्ती, जालोर	तैराक	87	9636135370
10	श्री जितेन्द्रकुमार / हरि राम	सूरजपोल के अंदर हरिजन बस्ती, जालोर	तैराक	90	9401869113
11	श्री अरविन्द / गोपाराम	सूरजपोल के अंदर हरिजन बस्ती, जालोर	तैराक	91	9784129780
12	श्री सुरेशकुमार / भंवर लाल	शांतिनगर मीणों का वास, जालोर	तैराक	112	9001167482
13	श्री रताराम / गिरधारी राम	ग्राम, सनवाडा तह. आहोर	तैराक	137	9649840084
14	श्री लेहराराम / गलबा राम	मेघवालों का वास, लेटा	तैराक	138	9828472076
15	श्री राजेन्द्र / कालूराम	शांतिनगर, जालोर	तैराक	146	9887713510
16	श्री नारायणलाल / भुरा राम	एफसीआई कोलोनी, जालोर	तैराक	153	9649954467
17	श्री कानाराम / हंसाराम	रामपुरा कोलोनी, जालोर	तैराक	155	9772411066
18	श्री नरेन्द्रकुमार / मगा राम	रामदेव कोलोनी, जालोर	तैराक	124	8387824110
19	श्री रमेशकुमार / मोटा राम	लालपोल के बाहर, जालोर	तैराक	192	8003050287
20	श्री पप्पाराम / खसा राम	तासखाना बावडी भीनमाल रोड, जालोर	तैराक	167	9166035695
21	श्री दशरथ सिंह / बजरंग सिंह	आदर्श नगर, जालोर	तैराक	78	9413584222
22	श्री जितेन्द्र / खेताराम	राणा प्रतापनगर न्यू रामदेव कोलोनी, जालोर	तैराक	100	9783132196
23	श्री रुस्तम अली / सनवर अली	तिलकद्वार के अन्दर, सरावास, जालोर	तैराक	80	9936170563
24	श्री जगदीशकुमार / भीमाराम	इन्द्रापुरी कोलोनी, जालोर	तैराक	96	9782740740

ग्रामीण स्तर पर तहसीलवार तैराकों का विवरण :-

क. सं.	नाम तहसील	गांव का नाम	तैराक का नाम एवं पूर्ण पता	सम्पर्क सूत्र मोबाईल नंबर
1	2	3	4	5
1	बागोडा	राउता	श्री छेलसिंह/जूठसिंह राजपूत	9828527133
			" हिन्दू / रगा कलबी	9828179846
			" पूराराम/हंसाजी कलबी	9610721857
			" अमराराम/छोगा भील	...
		मोरसीम	" गफूरखां/ईबखां	...
		नई मोरसीम	" सुजाराम/ताराजी पुरोहित
			" नाराणसिंह/सरदारसिंह	..
		देवदा गोलिया	" शंकरदास/प्रागदास	9982664543
		चैनपुरा	श्री बगदाराम/वेलाजी भील	9828371943
			" श्रवण /नगाजी भील	9772570577
			" गीगा/अकबर मोयला	9982440150 पीपी
			" थानाराम/उकाराम कलबी	9982657741
		नया चैनपुरा	" मोडसिंह/भीमसिंह राजपूत	9828486166
			" रुपसिंह/वगतसिंह राजपूत	9983763291
			" मुबिनखां मोयला कुम्हार	9828184324
		पाता की ढाणी	" गोविन्दसिंह/सुजानसिंह राजपूत	9828802892
			" जयसिंह/रुघनाथसिंह राजपूत	9929936462
			" जगतसिंह/जवानसिंह राजपूत	9828925139
		लाखनी	" दिलीपसिंह/नारायणसिंह राजपूत	9413256590
			" सांवलाराम/चेनाजी माली	9828481578
			" उम्मेदसिंह राजपूत	9413410255
		धुम्बडिया	" मूंगाराम/लखमाजी माली	.
			" बाबूराम /तगाजी माली	9549575727.
		डूंगरवा	" मिरुखां मुसलमान	.
		कालेटी	" बाबूखां/दिनेखां मोयला	9610670166
		दामण	" सदीकखां/हाजीखां मोयला	.
			" जोगसिंह/दलपतसिंह राजपूत	9413819835
			" देवीलाल/लालचन्द खत्री	9950822923
			" आलमखां/हबीबखां	94611452556
		सेवडी	" मोहम्मदखां/बादरखां	.
			" रमजानखां/बादरखां	.
		बाली	" नरसी/त्रिकमा कलबी	.
			" जोईता/धरमा पुरोहित	.
			" नानजी/उमा कलबी	.
		भालनी	" रुपा/मेघा माली	.
		हापू की ढाणी	" रामलाल/कानाजी विश्‍नोई	.
			" चौखाराम/जामता विश्‍नोई	.
2.	सायला	सायला	श्री समरथा/लुम्बाजी प्रजापत नि.सायला	
			श्री मूलाराम/अमरा छीपा नि.सायला	..
			श्री हनवंतसिंह/शिवनाथसिंह राजपूत सायला	.
			श्री शंभूसिंह/गुमानसिंह राजपूत सायला	.
			श्री जेठूसिंह/वरदसिंह राजपूत नि.सायला	.

3	आहोर	पुनराउ	श्री मदनसिंह/पृथ्वीराज सिंह राज नि. पुनराउ	.
		कोमता	श्री मना/खंगारजी भील नि. कोमता	.
			श्री मांगा/प्रभू घांची नि. कोमता	.
		रोडला	श्री भंवरसिंह राजपूत नि. रोडला	9414565460
		कवराडा	श्री प्रेमाराज कुम्हार नि. कवराडा	6441544297
			श्री सरदारसिंह राजपूत नि. कवराडा	6441544297
			श्री शंभूसिंह राजपूत नि. कवराडा	6441544297
		आहोर	श्री सतारखो मुसलमान नि. आहोर	223702
			श्री भवरसिंह राजपूत नि. आहोर	223702
			श्री सतवीरसिंह/जबरसिंह (राईटर)	9414867645
		बिछावाडी	श्री जबरसिंह/वगतावरसिंह राजपूरोहित	9414509711
		भैसवाडा	श्री मादाराज/केबाजी रेबारी	9982731763
			श्री होजीराम/हेमाजी मेघवंशी	9962731763
		नोसरा	श्री राणाराम/सोनाजी माली	0278-258528
			श्री मोटाराम/गणेशाजी माली	0278-258528
			श्री नेमाराम/भगाजी मीणा	0278-258528
			श्री जगदीश/कलाजी हरिजन	0278-258528
		सेलडी	श्री जीवनसिंह/सोहनसिंह राजपूत	9413374744
			श्री रतनसिंह/पाबूसिंह राजपूत	9413374744
			श्री देवीसिंह/पाबूसिंह राजपूत	9413374744
		हरजी	श्री उके खां मुसलमान	9413270017
		भूती	श्री छोगाराम/जसाजी माली	9413534311
			श्री जेठाराम/जसाजी माली	9413534311
			श्री गिरधारी/मोतीजी माली	9413534311
4	संचोर व चितलवाना	रणोदर	श्री रामचन्द्र नि. रणोदर	—
			श्री सोनाराम/हरजीराम नि. रणोदर	—
			श्री प्रहलाद/खेराज नि. रणोदर	—
			4.श्री भीखा/वदा	—
			श्री छेलसिंह/पीरसिंह नि. रणोदर	—
			श्री माईगा/संग्रामा नि. रणोदर	—
		चितलवाना	श्री पांचा/हीरा नि. गिरधरधोरा	—
			श्री ठाकरा/सवा नि. चारणीम	—
		चारणीम	श्री डाय नि. चारणीम	—
			श्री दानाराम नि. चारणीम	—
			श्री जेरुपा नि. चारणीम	—
			श्री हरचन्द नि. चारणीम	—
			श्री कोजा नि. चारणीम	—
		रामपुरा	श्री भंवरसिंह/रुपसिंह नि. रामपुरा	—
			श्री लक्ष्मणसिंह/जीवसिंह नि. रामपुरा	—
			श्री कानजी नि. रामपुरा	—
			श्री कलाराम नि. रामपुरा	—
			श्री पूनमाराम नि. रामपुरा	—
			श्री गोपाराम नि. रामपुरा	—
			श्री पन्नाराम नि. रामपुरा	—
			श्री मोटाराम नि. रामपुरा	—
		होतीगांव	श्री नगा/कोजा नि. होतीगांव	—
			श्री वीरमा/मनरा नि. होतीगांव	—
			श्री वीरा/चेता नि. होतीगांव	—
			श्री बालकदास नि. होतीगांव	—
			श्री कोजाराम नि. होतीगांव	—
			श्री हंजा/कोजा नि. होतीगांव	—

			श्री पीरा/तुलछाराम नि. होतीगांव	—
			श्री टीका/कोजा नि. होतीगांव	—
		केसूरी	श्री काला/आदा नि. केसूरी	—
			श्री हमीरखॉ नि. केसूरी	—
			श्री राणा/प्रभू नि. केसूरी	—
			श्री भोमा/वजा नि. केसूरी	—
			श्री माला/काना नि.चितलवाना	—
		चितलवाना	श्री रामा/कोजा नि. चितलवाना	—
			श्री मंगला/रुपा नि.चितलवाना	—
		दूठवा	श्री मदा/हासमखँ नि. दूठवा	—
			श्री भेरा/करमजी नि. दूठवा	—
			श्री थाना/भोपा नि. दूठवा	—
			श्री गजा/करमसी नि. दूठवा	—
			श्री सोना/धर्मा नि. दूठवा	—
		सूथडी	श्री खमीशा/पीरा नि. सूथडी	—
			श्री नागजी/माला नि. सूथडी	—
			श्री तमा/जोधसिंह नि. सूथडी	—
			श्री भीखा/शकूरखॉ नि. सूथडी	—
			श्री गोकला/धोला नि. सूथडी	—
			श्री रिडमल/जोधसिह नि. सूथडी	—

वाटर टैंकर्स मालिकों की सूची

उपखण्ड जालोर

क्र. सं.	टैंकर मालिक का नाम व पता	सम्पर्क नम्बर	टैंकर क्षमता (लीटर में)
1	श्री पदमाराम निवासी सामतीपुरा	9828028074	4000
2	श्री मदन लाल / शंकरलाल सिरे मंदिर रोड जालोर	9441740012	4000
3	श्री चम्पालाल / हीराराम रुपनगर, जालोर	9560073174.	4000
5	श्री खसाराम / भीकाजी सिरे मंदिर रोड जालोर	9413410522	4000
6	श्री जयंतीलाल डाईट के पास जालोर	9413120989	4000
7	श्री राकेश भंसाजी शिवाजी नगर जालोर	9414274086	4000
8	श्री मोहनलाल / तोलाराम रामदेव कॉलोनी जालोर	—	4000

उपखण्ड भीनमाल

क्र. सं.	टैंकर मालिक का नाम व पता	सम्पर्क नम्बर	टैंकर क्षमता (लीटर में)
1	श्री प्रेमराम / भगवानाराम विश्नोई	9610974860	4000
2	श्री ओम प्रकाश / आसूराम मौखातरा	9828099242	4000
3	श्री जोगाराम रेबारी, रबारियों की ढाणी, करडा रोड, भीनमाल	9414373422	4000
4	श्री समराथल कन्ट्रक्शन कंपनी, मौखातरा	9983223205	4000
5	श्री हरचन्द / हटाराम सामरानी	9982399064	4000
6	श्री जीवाराम / बाबराजी देवासी चान्दूर	9602393195	4000
7	श्री नेशनल कं.कंपनी भीनमाल	9983762630	4000
8	श्री वगतेश कं. कंपनी करवाडा	9982085712	4000
9	श्री जम्बेश्वर कं. कंपनी, अरणाय	9982608328	4000
10	श्री जम्बेश्वर कं. कंपनी,, पुनासा	8104687944	4000
11	श्री आशापुरा कं. कंपनी, सेवडी	9828154143	4000
12	श्री रघुवीरसिंह / चन्दनहि सामरानी	9413222186	4000
13	श्री महादेव कं. कंपनी, भीनमाल	9799673701	4000

उपखण्ड सांचौर

क्र. सं.	टैंकर मालिक का नाम व पता	सम्पर्क नम्बर	टैंकर क्षमता (लीटर में)
1	श्री धर्मराम / सजाराम माली सूथडी	9783075318	4000
2	श्री गंगाराम / ईश्वरराम जाट शिवगढ़	9950503567	4000
3	श्री मंगलाराम / परखाराम सांचौर	9828095255	4000
4	श्रीमती कोयलदेवी / भगवानाराम सांचौर	9982069829	4000
5	श्री मगाराम चौधरी चितलवाना	9929306096	4000
6	श्री छोगाराम / धर्मराम विश्नोई रामपुरा	9950617212	4000

7	श्री अनिलकुमार/रामाकिशन बरणवा	9950617494	4000
8	श्री भंवरसिंह/सोहनसिंह राजपूत भाटकी	9610426108	4000
9	श्री हेमाराम/भियाराम मेढा	9828841353	4000
10	श्री भगवानाराम/गंगाराम विश्नोई रतनपुरा	9982085781	4000
11	कडवासरा ब्रदर्स सेसावा सांचौर	9928670857	4000
12	श्री हरिराम/हरदान विश्नोई खारा	9950195069	4000
13	रामदेव इंटरप्राइजेज सांचौर	9828382629 9982193310	4000
14	श्री भाखराराम/हरजीजी विश्नोई बालेरा	9982282498	4000
15	श्री चुन्नीलाल/पुनाराम विश्नोई सरवाना	9983846625	4000
16	श्री जोराराम/मुगलाराम विश्नोई बिछावाडी	9950087502	4000
17	श्री भाखराराम/कालूजी बरणवा	9983846629	4000
18	रूप लक्ष्मी किराणा स्टोर सांचौर	9983903029	4000
19	श्री मोतीलाल/हरिराम बरणवा	9983846629	4000
20	राहुल कृषि भंडार सांचौर	9828641375	4000
21	श्री प्रेमराम/हरचन्द झरोल	9784496354	4000
22	कमला कंस्ट्रक्शन्स सांचौर	9982692929	4000
23	श्री अभयसिंह/चुन्नीलाल रणोदर		4000
24	श्री प्रदीप/लाडूराम सांचौर	9983981312	4000
25	श्री रघुवीरसिंह/करणसिंह जैसला		4000
26	श्री रघुनाथराम/जालाजी विश्नोई चितलवाना	9983846629	4000

जनरेटर मालिकों की उपलब्ध सूची

उपखण्ड जालोर

क्र. सं.	जनरेटर मालिक का नाम व पता	सम्पर्क नम्बर	जनरेटर क्षमता
1	श्री शंकरलाल रामाजी, सिरें मंदिर रोड बेरा पीपली, जालोर	9828688541	11 के.वी.ए.
2	जालोर टेन्ट हाउस बडी पोल, जालोर	02973-222002	11 के.वी.ए.
3	श्री महादेव लाईट डेकोरेशन हनुमान कॉलोनी जालोर	02973-223017	11 के.वी.ए.
4	विक्रम टेन्ट हाउस जालोर	02973-222618	11 के.वी.ए.

उपखण्ड भीनमाल

क्र. सं.	जनरेटर मालिक का नाम व पता	सम्पर्क नम्बर	जनरेटर क्षमता
1	मै. मेहता टेन्ट हाउस, खारी रोड, भीनमाल	02969-220760	30,40 एचपी
2	मै. महालक्ष्मी टेन्ट हाउस, खारी रोड, भीनमाल	02969-222644	25,30,40 एचपी
3	मै. आशापुरा टेन्ट हाउस, खारी रोड, भीनमाल	02969-220318	25,40,62 एचपी

उपखण्ड सांचोर

क्र. सं.	जनरेटर मालिक का नाम व पता	सम्पर्क नम्बर	जनरेटर क्षमता
1	श्री बालाजी तिरुपति टेन्ट हाउस	9414994422	30-50 एच.पी.
2	नवीन टेन्ट हाउस	9414425406	30-50 एच.पी.
3	रामदेव टेन्ट हाउस	9414447965	30-50 एच.पी.

**जिले में सहायता विभाग से प्राप्त खोज एवं बचाव प्रयोजनार्थ
" सर्च एवं रेस्क्यू उपकरण "**

क्र. सं.	जिला मुख्यालय/तहसील	सामग्री का नाम एवं उपलब्धता का विवरण						
		लाईफ जैकेट	रबर ट्यूब	फेस मास्क	सैफेटी हेलमेट	एल्यूमिनियम लेडर	स्ट्रेचर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	तहसील, जालोर	3	1	1	1	1	1	08
2	" सायला	4	3	2	2	0	1	12
3	" आहोर	4	3	2	3	0	1	13
4	" भीनमाल	3	1	1	1	1	1	08
5	" बागोडा	4	3	2	3	0	2	14
6	" जसवंतपुरा	3	1	1	1	0	2	08
7	" रानीवाडा	3	1	1	1	0	1	07
8	" सांचोर	4	3	2	3	0	2	14
9	" चितलवाना	4	3	2	3	0	2	14
	योग	32	19	14	18	2	13	98

. जिले में सहायता विभाग से प्राप्त पुलिस विभाग के पास उपलब्ध इमरजेन्सी लाइटिंग सिस्टम उपकरण

क्र.सं.	उपकरण का नाम	मात्रा
1	Portable inflatable emergency lighting system	01 No.
2	Storage Box	01 No.
3	Rain protection cover	01 No.
4	Wind Spport	01 No.
5	Tool Kit	01 No.
6	Lamp with requiste control gear	01 No.
7	Blower	01 No.
8	Trolly	01 No.

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड ,जिला,जालोर के स्थापित केन्द्र एवं उनके पास उपलब्ध सामग्री प्रति केन्द्र पर एकरूपता अनुसार का विवरण

क्र.सं.	सामग्री का नाम	मात्रा प्रति केन्द्र	मूल्य
1	2	3	4
1	Hand Tool set (With contents) Bolt cutter 12" & 30" b. Chisel for concrete 1/2" & (Tab aria or eqvt) C. Screw driver set (Tab aria) complete sets. Hack Saws 12" Tubular with spread blades. Claw hammer 4 kg. F. Crescent wrench 8"	01	12995 /—
2	Life Jacker	04	4700 /—
3	Aluminum Extn ladder 25" folding	02	32000 /—
4	Mega phone	02	6100 /—
5	Torch light	10	2900 /—
6	Face mask	10	7300 /—
7	Spade	10	2200 /—
8	Picks	10	2800 /—
9	Socks/fawra	10	2250 /—
10	Light axe	10	1750 /—
11	Stretcher	04	6360 /—
12	Blanket red	10	4500 /—
13	Bucket	10	2190 /—
14	REPELLING ROPE 8mm X 200ft	08	12000 /—
15	CLIMB ROPE 10mm x 100ft	08	7200 /—
16	Tents canvas	01	13250 /—
17	First aid box with contents bite spice Flexi Splints various Sizes Bandages various types Masks, Gloves, Sponges, Scissors	01	1100 /—
18	Safety Helmets	10	2400 /—
19	Box Steels with 2 lock 6x3x3	02	11600 /—
20	Rubber Tubes 4 feet	10	14250 /—
21	Pulley Single Sheave	02	1700 /—
	Double Sheave	02	2180 /—
22	Gum Boot	05	2200 /—
23	Hand Gloves Rubber	05	2200 /—
24	Heavy Chain with lock bullies	3 मीटर	299 /—
25	Emergency Light 6x6	6	—
		कुल योग	1,46,824 /—

गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के पास उपलब्ध बाढ़ राहत सामग्री का विवरण

क्र.सं.	नाम सामग्री	तादाद
1	रेनकोट	15 नग
2	नायलोन रस्सा बण्डल	9.5 नग
3	गम बूट	15 नग
4	सेफ्टी हेलमेट	06 नग
5	हैलमेट	40 नग
6	बैटरी (टॉर्च)	08 नग

जवाई नदी से प्रभावित होने वाले ग्राम –

क्र. सं.	ग्राम का नाम	नदी का नाम	क्र.सं.	ग्राम का नाम	नदी का नाम
तहसील जालोर					
1.	लेटा	जवाई नदी			जवाई नदी
2.	जालोर ग्रामीण	„	7.	सांफाडा	
3.	जालोर शहर	„	8.	तीखी	
4.	महेशपुरा	„	9.	माण्डवला	
5.	सांमतीपुरा	„	10	ऐलाना	
6.	पहाड़पुरा	„	11	उम्मेदाबाद	
तहसील सायला					
1	खरल	जवाई नदी	4	सायला	जवाई नदी
2	ओठवाला	„	5	आसाना	„
3	तुरा	„	6	बोरवाडा	„
तहसील आहोर					
1.	रसीयावास	जवाई नदी	7.	दयालपुरा	जवाई नदी
2.	पावटा	„	8.	चरली	„
3.	सेदरिया बालोतान	„	9.	आहोर	„
4.	पंचानवा	„	10.	सांकरना	„
5.	अगवरी	जवाई नदी	11	गुडा बालोतान	„
6.	गांगावा	„	12	भैंसवाडा	„
तहसील बागोडा					
1	दामन	जवाई नदी	4	मोरसीम	जवाई नदी
2	धुम्बडिया	„	5	जूनीबाली	„
3	नई बाली				
तहसील सांचोर					
1	वमल	जवाई नदी	4	चितलवाना	जवाई नदी
2	ईटादा	„	5	गलीफा	„
3	हेमागुडा	„	6	टेम्बी	„

जवाई बांध/नहर खण्ड के अधीन आने वाले बांध का विवरण -

क्र. सं.	परियोजना का नाम	तहसील	कुल भराव क्षमता mcf.	प्रभावित होने वाले ग्रामों के नाम
1	बांकली बांध	आहोर	1220.000	बांकली, रेवडा कला, तोडमी, घाणा
2	चवरचा बांध-I	..	280.000	थावला
3	नोसरा नहर	..	290.630	वेडिया, कोटडा
4	खेडा सुमेरगढ़ बांध	जालोर	45.920	देल्दरी, नून, खेडा सुमेरगढ़, नरपडा
5	सरदारगढ़ बांध	..	115.440	सरदारगढ़
6	कलापुरा बांध	..	120.000	बाकरा, डकातरा
7	बालसमन्द बांध	भीनमाल	101.880	भीनमाल ग्रामीण क्षेत्र
8	बिठन बांध	..	225.620	रामसीन, मालपुरा, सिकवाडा
9	बाण्डी सणधरा बांध	..	1013.00	
10	जेतपुरा बांध	रानीवाडा	88.430	जेतपुरा , धामसीन
11	वणधर बांध	..	119.081	सावलावास, कीरवाडा
12	चितलवाना क्रास बांध	सांचोर	432.130	रामपुरा, रतोडा
13	केसूरी क्रास बांध I	..	133.568	नलदरा, वरणवा, बालेरा
14	डूठवा क्रास बांध	..	120.141	डूठवा, पादरडी
15	डूठवा क्रास बांध-II	..	80.212	डूठवा, टाम्बी
16	सूथडी क्रास बांध-I	चितलवाना	163.957	सूथडी, फोगडवा
17	मीठा की खाल क्रोस बांध	..	106.713	कुकाडिया, रिडका
18	केरिया क्रास बांध I	..	288.050	रामपुरा, सुटाकोई
19	रामपुरा क्रास बांध	..	107.910	रामपुरा, शिवपुरा
20	सांकरिया क्रास बांध	..	77.738	सांकरिया
21	हेमागुडा क्रास बांध-I	..	93.992	हेमागुडा, सज डाउकियों की ढाणी, मूलावास, रणेदर
22	कपुरिया क्रास बांध	..	137.102	केसूरी, मालियों की ढाणी
23	बालेरा क्रास बांध	..	44.522	बालेरा, धींगपुरा
24	गलिफा क्रास बांध	..	74.911	गलिफा
25	फोगडवा क्रास बांध	..	72.438	सांकरिया, फोगडवा
26	भादरुण क्रास बांध	..	97.170	जानवी, मेडा, मरठवा
27	कूकाडिया क्रास बांध	..	88.339	कूकाडिया
28	रतनपुरा क्रास बांध	..	74.911	रतनपुरा, रतोडा
29	वमल क्रास बांध	..	59.399	वमल, झाब, इटादा
30	झाब क्रास बांध	..	81.272	धरणवास, बोरली, झाब
31	होतीगांव क्रास बांध-I	..	69.964	रतोडा
32	टांपी क्रास बांध	..	143.462	टांपी, पावटा

अवरुद्ध होने वाले मार्गों का डाइवर्जन की स्थिति :-

क्र. सं.	संभावित अवरुद्ध होने वाले मार्ग	वैकल्पिक मार्ग (डाइवर्जन)
1	जालोर भीनमाल सड़क (आकोली पर)	1. जालोर-सिणधरी-रामजी का गोल सांचौर-भीनमाल 2. जालोर-सुमेरपुर-सिरोही-रानीवाडा-सांचौर 3. जालोर-सुमेरपुर-सिरोही-रामसीन-भीनमाल-सांचौर
2	आहोर-जालोर (सांकरणा लेटा के बीच)	आहोर-सुमेरपुर-सिरोही-सियाणा-जालोर
3	जालोर पहाडपुरा बिशनगढ़ (पहाडपुर के पास)	जालोर-गोदन-बिशनगढ़

कन्वेक्टर एवं लोडर मशीनरी का विवरण :-

क्र. सं.	मालिक का नाम व पता	सम्पर्क नम्बर	वाहन श्रेणी	संख्या
1	श्री रामाराम/जोगाराम चौधरी, राजेन्द्र ट्रांसपोर्ट कम्पनी, जालोर	222313	क्रेन	1
2	श्री ओमप्रकाश/सुलतानाराम श्रीराम ग्रेनाइट ।। फेज जालोर	223302	"	1
3	श्री सुरेश कुमार/खुशालचंद तपावास जालोर	9414152931	"	2
4	श्री अरविन्द कुमार/प्रेमाराम उगमणावास भीनमाल	—	"	1
5	सहायक अभियंता जोविविनि सांचौर	222264	"	1
6	श्री फखरुद्दीन/ईकबाल अहमद रामपुरा कॉलोनी गौडीजी जालोर	9414152540	"	1
7	सहायक अभियंता जोविविनि भीनमाल	222264	"	1
8	श्रीराम ग्रेनाइट ऑयल मील के पास बिशनगढ़ रोड जालोर	223302	"	1
9	सहायक अभियंता जोविविनि जालोर	222264	"	1
10	श्री ओमप्रकाश/बजरंगलाल वैष्णव नि. बिठूडा तहसील आहोर	—	जेसीबी	1
11	मैसर्स मरुधर कन्सट्रक्शन कम्पनी लि. स्टेशन रोड भीनमाल	9414154061	जेसीबी	3
12	श्रीमती सविता कानुनगो मै. सिलवर स्टोन क्रशर प्रा. लि. भीनमाल	—	जेसीबी	1
13	श्री केसुसिंह/जमनाराम गेहलोत बस ऑपरेटर सांचौर	9829649994	"	1
14	श्री रामगोपाल/भाकराराम विश्णोई नि. आकोली तहसील सांचौर	9414425212	"	1
15	श्री भीयाराम चौधरी बालाजी स्टोन क्रशर लक्ष्मी नगर जालोर	265806	"	1
16	शिवशक्ति स्टोन क्रशर नि. भाटवास तहसील रानीवाडा	9414152589	"	1
17	श्री रमेश बोहरा फतेह ग्रेनाइट जालोर	9414152191	हिताची	3
18	श्री राजु चौधरी श्रीराम ग्रेनाइट जालोर	9414151555	"	4
19	श्री संजीव चौधरी राधिका ग्रेनाइट जालोर	9414152713	"	3
20	श्री मनोज	9414477122	"	3
21	श्री सुरेश जैन राजेन्द्र ट्रांसपोर्ट कम्पनी जालोर	9414152931	"	3
22	श्री नरेन्द्र बालू बालाजी ग्रेनाइट जालोर	9414150970	"	2
23	श्री नरेश जोशी नेचुरल ग्रेनाइट जालोर	9414150866	"	2
24	श्री रामकिशन	941452939	"	1
25	श्री मीठालाल	9414150916	"	1
26	श्री विजय राज भीनमाल	9114131356	क्रेन	2
27	श्री भीयाराम चौधरी पी.डब्ल्यू.डी. ठेकेदार जालोर	9413373021	जेसीबी	1
28	श्री वागाराम पी.डब्ल्यू.डी. ठेकेदार भीनमाल	9828373363 9414373497	"	1
29	श्री लाबुराम पी.डब्ल्यू.डी. ठेकेदार भीनमाल	9414152436 9983148181	जेसीबी हिताची	2 1
30	श्री प्रेमराम विश्णोई राजश्री कन्सट्रक्शन भीनमाल	9783810602	जेसीबी हिताची	1 1

31	श्री भंवरलाल पी.डब्ल्यू.डी. ठेकेदार सांचौर	9413854447	जेसीबी	1
32	श्री शंकरलाल पी.डब्ल्यू.डी. ठेकेदार रानीवाडा	9450944589	''	1
33	श्री रिडमल सिंह आपेश्वर कन्सट्रक्शन रानीवाडा	8413373524	''	2
34	श्री पुनमचन्द विश्नोई पी.डब्ल्यू.डी. ठेकेदार सांचौर	9414151895	''	2

परिशिष्ट -18

. मुख्य कॉजवे, सबमर्सिबल ब्रीज की सूची :-

क्र. सं.	कॉजवे मुख्य सड़क
1	जालोर-भीनमाल-रानीवाडा सड़क किमी 43 (रामसीन)
2	जालोर-भीनमाल-रानीवाडा सड़क किमी 62 (भरुडी-बांडी नदी)
3	जालोर-भीनमाल-रानीवाडा सड़क किमी 82 (कोडी)
4	जालोर-भीनमाल-रानीवाडा सड़क किमी 96 (कोटडा)
5	सांचौर-रानीवाडा-मण्डार एस.एच.11 किमी 41 (झारडा नाला)
6	सांचौर-रानीवाडा-मण्डार एस.एच.11 किमी 53 (आजोदर नाला)
7	भीनमाल-सांचौर-वाया करडा किमी 82 (कोडी), किमी 7,9 (वणधर+सुथडी नदी)
8	रेवदर जसवंतपुरा-भीनमाल सड़क (किमी. 26) किमी 49 (ढाकवाला नाला)
9	रेवदर जसवंतपुरा-भीनमाल सड़क (किमी. 26) किमी 45 (डोरडा नाला)
10	रामसीन-जसवंतपुरा किमी 12 (फेदानी)
11	रामसीन-जसवंतपुरा किमी 10 (चारा)
12	रोहित आहोर वाया भाद्राजून (एस.एच. 64) - रामा गांव
13	जालोर भीनमाल रानीवाडा (एस.एच.-31) किमी 24 - आकोली गांव
14	जालोर भीनमाल रानीवाडा (एस.एच.-31) किमी 35 - सुमेरगढ़
15	बाड़मेर सिणधरी जालोर (एस.एच. 16) किमी 160 - सोनपुरा ट्यूबवेल
16	बाड़मेर सिणधरी जालोर (एस.एच. 16) किमी 173 - सांकरणा गांव
17	बाड़मेर सिणधरी जालोर (एस.एच. 16) किमी 178 - भैंसवाडा गांव

परिशिष्ट -19

9.500 मीटर से अधिक लम्बाई के मुख्य सड़क जो नदियों से क्रोसिंग है :-

1. रेवदर-जसवंतपुरा-भीनमाल-बागोडा (किमी 28 से 39 धुम्बडिया बागोडा)
2. भीनमाल-पाथेडी सड़क (किमी 4 से 14)
3. भीनमाल-पुनासा सड़क (किमी 15 से 16)
4. जैरण-पुनासा सड़क (किमी 5 से 6)
5. धुम्बडिया-लाखनी-मोरसीम सड़क (किमी 1, 2 एवं 12)
6. सेवडी-वाडाभाडवी सड़क (किमी 2 से 3)

108 एम्बुलेंस की सेवा

क्र.सं.	नाम तहसील	स्थान का नाम जहाँ सेवा उपलब्ध है।
1	जालोर	जालोर शहर
2	बगरा	" "
3	सियाणा	" "
4	सायला	सायला
5	सिराणा	" "
6	आहोर	आहोर
7	" "	भाद्राजून
8	भीनमाल	भीनमाल
9	" "	दासपां
10	बागोडा	बागोडा
11	जसवंतपुरा	जसवंतपुरा
12	रामसीन	" "
13	रानीवाडा	रानीवाडा
14	" "	करडा
15	सांचोर	सांचोर
16	" "	भादरुणा
17	चितलवाना	चितलवाना
18	" "	झाब
19	" "	सरवाना

जिले में कार्यरत निजी चिकित्सा संस्थानों का विवरण –

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	टेलीफोन नम्बर	मोबाईल नंबर
1	विज्जोई नर्सिंग होम, आहोर	02978-222117	—
2	के.एन.क्लीनिक , आहोर	02978-222456	—
3	सुरज हॉस्पिटल ,सायला	02977-272950	9413464731
4	चौधरी नवकार हॉस्पिटल ,भीनमाल	02969-221556	9829792245
5	राज हॉस्पिटल ,भीनमाल	—	—
6	कृष्णा हॉस्पिटल,भीनमाल	—	—
8	नाहर हॉस्पिटल ,भीनमाल	02969-220136	9414154179
9	चौधरी लेप्रोस्कोपिक सर्जिकल सेन्टर,भीनमाल	02969-220634	—
10	सर्वोदय हॉस्पिटल ,भीनमाल	—	—
11	लाईफ लाईन हॉस्पिटल,भीनमाल	—	—
12	अम्बिका हॉस्पिटल, रानीवाडा	02990-221195	—
13	डागा हॉस्पिटल, रानीवाडा	02990-222037	—
14	सागर हॉस्पिटल, साँचौर	02979-223701 / 222310	9414154182
15	मेहता हॉस्पिटल, साँचौर	02979-222124	9414373803
16	विश्वोई सोनो नर्सिंग होम, साँचौर	02979-222651	—
17	आयुषी गुजरात हॉस्पिटल, जालोर	02973-224954	9414152828
19	नैत्र दृष्टि चिकित्सालय ,जालोर	02973-226133	—
20	गुरु शान्तिसूरी नैत्र चिकित्सालय ,माण्डोलीनगर	02969-233040 / 233780	—

21	भंसाली हॉस्पिटल,सांचोर	—	—
22	चन्द्रलोक हॉस्पिटल,जालोर	—	—
23	न्यू भंसाली हॉस्पिटल, सांचोर	—	—
24	म्मता हॉस्पिटल, सांचोर	—	—

परिशिष्ट -22

मेडिकल स्टोर्स की सूची :-

क्र.सं.	नाम तहसील	मेडिकल स्टोर्स की सूची	फोन नंबर	क्षमता
1	जालोर	मूलचंद महेन्द्र कुमार, जालोर	222555	पूरी तरह मेडिसीन
2		नवजीन मेडिकल स्टोर ,जालोर	—	" "
3		पुरोहित मेडिकल स्टोर, जालोर	—	" "
4		आर.के. मोदी डॉक्टर,जालोरा	—	" "
5		रानी भटियाणी मेडिकल स्टोर, जालोर	225109	" "
6		शांती मेडिकल स्टोर, जालोर	—	" "
7		सोनिया फॉर्मा, जालोर	—	" "
8		सुरेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी, जालोर	—	" "
9		उर्मिला मेडिकल स्टोर, जालोर	—	" "
10		विजय लक्ष्मी मेडिकल स्टोर,जालोर	—	" "
11		विनय मेडिकल स्टोर,जालोर	223717	" "
12		व्यास ब्रदर्स, जालोर	222628	" "
13		अग्रवाल ब्रदर्स, जालोर	222282	" "
14		अग्रवाल मेडिकल एण्ड जनरल एजेंसी	—	" "
15		अग्रवाल मेडिकल हॉल, जालोर	222512	" "
16		अमर मेडिकल स्टोर,जालोर	—	" "
17		अपना मेडिकल स्टोर, जालोर	223542	" "
18		अरविन्द मेडिकोज, जालोर	223342	" "
19		ए वन डिस्ट्रीब्यूटर्स, जालोर	—	" "
20		आयूषी गुजरात मेडिकल स्टोर, जालोर	—	" "
21		भण्डारी मेडिकल स्टोर, जालोर	224954	" "
22		भपेन्द्र मेडिकल स्टोर, जालोर	222405	" "
23		दवे मेडिकल स्टोर, जालोर	—	" "
24		दिलीप मेडिकल एजेन्सी स्टोर, जालोर	—	" "
25		गांधी मेडिकल स्टोर, जालोर	222191	" "
26		हीरा मेडिकल स्टोर, जालोर	—	" "
27		जे.सी. डिस्ट्रीब्यूटर्स, जालोर	226214	" "
28		जय बजरंग बली मेडिकल स्टोर, जालोर	222925	" "
29		जैन मेडिकल एजेन्सी जालोर	223986	" "
30		जय मेडिकल एजेन्सी जालोर	223986	" "
31		जालोर सहकारी उपभोक्ता भण्डार जालोर	—	" "
32		जनता मेडिकल स्टोर, जालोर	222407	" "
33		करनी मेडिकल स्टोर, जालोर	—	" "
34		ललित मेडिकल स्टोर, जालोर	223068	
35		लाईफ लाईन फूड स्टोर,जालोर	—	
36		मूलचन्द अखाजी , जालोर	222225	" "
37		एक.के. साहीसीना स्टोर, जालोर	—	" "
38		आर.के. मेडिकल स्टोर, जालोर	—	" "
39		शांतीलाल सांवलाल,सियाणा	240207	" "
40		बालाजी मेडिकल स्टोर, साँथू	—	" "

41		सर्वेसर. मेडिकल स्टोर, सरत		" "
42		महावीर मेडिकल स्टोर,, बिशनगढ	246708	" "
43		नाकोडा मेडिकल स्टोर,,बिशनगढ		" "
44		वर्षा. मेडिकल स्टोर,,बिशनगढ	—	पूरी तरह मेडिसीन
45		गणेश मेडिकल स्टोर,,बागरा	—	" "
46		महादेव मेडिकल स्टोर,,बागरा	254438	" "
47		राजेन्द्र मेडिकल स्टोर, बागरा	254238	" "
48		आशापुरी मेडिकल स्टोर,,बागरा	—	" "
49		मंजू मेडिकल स्टोर,,बाकरा रोड	—	" "
50		बी०एल.मीणा डॉ० वादनवाडी	—	" "
51		कृष्णा मेडिकल स्टोर,,वेडिया	—	पूरी तरह मेडिसीन
52		अर्जुन मेडिकल स्टोर,, डूडसी	—	" "
53	आहोर	अम्बिका मेडिकल स्टोर,, आहोर	—	" "
54		डॉ० बी.एस. देवासी,आहोर	—	" "
55		गणपति मेडिकल स्टोर,,आहोर	—	" "
56		कैलाश मेडिकल स्टोर,,आहोर	222383	" "
57		कमल मेडिकल स्टोर,,आहोर	222041	" "
58		किशोर मेडिकल स्टोर,,आहोर	222155	" "
59		महावीर. मेडिकल स्टोर,आहोर	—	" "
60		नाकोडा. मेडिकल स्टोर,,आहोर	222319	" "
61		रामदेव मेडिकल स्टोर,, आहोर	—	" "
62		एस.एस.. मेडिकल स्टोर,,आहोर	—	" "
63		शिव मेडिकल स्टोर,, आहोर	—	" "
64		शिव शक्ति. मेडिकल स्टोर,,आहोर	—	" "
65		श्री बालाजी मेडिकल स्टोर,,आहोर	—	" "
66		सर्वेसर. मेडिकल स्टोर, आहोर	222676	" "
67		भवानी मेडिकल स्टोर,पादरली	—	" "
68		महेन्द्र मेडिकल स्टोर,, गुडाबालोतान्	227529	" "
69		राजेन्द्र. मेडिकल स्टोर,,गडाबालोतान्	—	" "
70		महालक्ष्मी. मेडिकल स्टोर,हरजी	—	" "
71		राजलक्ष्मी. मेडिकल स्टोर,, हरजी	229113	" "
72		धनलक्ष्मी. मेडिकल स्टोर, चांदराई	—	" "
73		शिव. मेडिकल स्टोर,,चांदराई	247330	" "
74		मल्लीनाथ मेडिकल स्टोर भूति		
75	भीनमाल	आदर्श मेडिकल भीनमाल	220586	" "
76		अम्बिका मेडिकल भीनमाल	220691	" "
77		आशा मेडिकल भीनमाल	—	" "
78		भारत मेडिकल भीनमाल	—	" "
79		चामुण्डा मेडिकल स्टोर भीनमाल	221330	" "
80		चौधरी मेडिकल स्टोर भीनमाल	220750	" "
81		दिपक मेडिकोज भीनमाल	—	" "
82		जालोर सहकारी उपभोक्ता भण्डार भीनमाल	220140	" "
83		मानस डिस्ट्रीब्यूटर्स, भीनमाल	—	" "
84		मानस मेडिकल भीनमाल	221409	" "
85		मेहता मेडिकल स्टोर भीनमाल	—	" "
86		नूतन मेडिकल स्टोर भीनमाल	222360	" "
87		पार्वती मेडिकल स्टोर भीनमाल	—	" "
88		रामदेव मेडिकल स्टोर भीनमाल	—	" "
89		सत्यम मेडिकल स्टोर भीनमाल	220750	" "
90		शर्मा मेडिकल स्टोर भीनमाल	—	" "
91		शिवम् मेडिकल स्टोर भीनमाल	221439	" "
92		सूर्या मेडिकल स्टोर भीनमाल	222041	" "

93		प्रकाश मेडिकल स्टोर सेवदा	—	" "
94		स्वामी नारायण मेडिकल स्टोर मोरसीम	—	" "
95		मानस ड्रग स्टोर, जुजाणी	—	" "
96		हनुमान मेडिकल स्टोर थोबाउ	—	" "
97		गायत्री मेडिकल स्टोर सेवडी	—	" "
98		गुरुकृपा मेडिकल स्टोर दासपा	—	" "
99		मानस मेडिकल स्टोर, दासपां		
100	जसवंतपुरा	आपेश्वर मेडिकल स्टोर रामसीन	223518	
101		अरिहंत मेडिकल स्टोर रामसीन	223025	
102		भारत मेडिकल स्टोर रामसीन	—	
103		नेशनल मेडिकल स्टोर रामसीन	223271	" "
104		राठौड मेडिकल स्टोर रामसीन	223015	पूरी तरह मेडिसीन
105		रामदेव मेडिकल स्टोर तबाव	—	" "
106		गुरुदेव मेडिकोज स्टोर माण्डोलीनगर	—	" "
107		जय भवानी मेडिकल स्टोर माण्डोलीनगर	—	" "
108		अग्रसेन मेडिकोज मोदरान्	261124	" "
109		चामुण्डा मेडिकल स्टोर मोदरान्	261376	" "
110		गुरुदेव मेडिकल स्टोर मोदरान्	261130	" "
111		कैलाश मेडिकल स्टोर मोदरान्	261215	" "
112		अम्बिका मेडिकल स्टोर जसवंतपुरा	261124	" "
113		महालक्ष्मी मेडिकल स्टोर जसवंतपुरा	—	" "
114	बागोडा	अम्बे मेडिकल स्टोर धुम्बडिया	—	" "
115		भगवती मेडिकल स्टोर धुम्बडिया	—	" "
116		दवे मेडिकल स्टोर धुम्बडिया	—	" "
117		शिवम् मेडिकल स्टोर धुम्बडिया	—	" "
118	रानीवाडा	बजरंग मेडिकल स्टोर रानीवाडा	—	" "
119		बजरंग मेडिकोज रानीवाडा	—	" "
120		बालाजी मेडिकल स्टोर रानीवाडा	—	" "
121		भवानी मेडिकल स्टोर रानीवाडा	—	" "
122		गायत्री मेडिकल स्टोर रानीवाडा	—	" "
123		कैलाश मेडिकल स्टोर रानीवाडा	220195	" "
124		शांती मेडिकल स्टोर रानीवाडा	—	" "
125		शिवम् मेडिकल स्टोर रानीवाडा	—	" "
126		हीना मेडिकल स्टोर रानीवाडा	—	" "
127		प्रजापती मेडिकल स्टोर रानीवाडा	—	" "
128		रामदेव मेडिकोज, करडा	—	" "
129		अम्बिका मेडिकल स्टोर मालवाडा	—	" "
130		पोपट मेडिकल स्टोर, बडगांव	—	" "
131		चौधरी मेडिकोज मालवाडा	—	" "
132		वीना मेडिकल स्टोर,, बडगांव	—	" "
133	सायला	अंकुर मेडिकोज, सायला	—	" "
134		ममता मेडिकल स्टोर,, सायला	—	" "
135		राठी मेडिकल स्टोर,, सायला	—	" "
136		सर्वोदय मेडिकल स्टोर,, सायला	—	" "
137		ममता मेडिकल स्टोर,, सायला	—	" "
138	सांचोर	एम.एम. मेडिसिन, सांचोर	222734	" "
139		ममता मेडिकल स्टोर,, सांचोर	—	" "
140		मरुधर फॉर्मा, सांचोर	—	" "
141		मेहता मेडिकल स्टोर,, सांचोर	222044	" "
142		नवदुर्गा मेडिकल स्टोर,, सांचोर	—	" "
143		राजस्थान मेडिकल स्टोर,, सांचोर	223030	" "
144		समराथल दवाई भण्डार,, सांचोर	—	" "

145		शिवम् मेडिकल स्टोर,,साचोर	—	“ ”
146		विष्णु मेडिकल स्टोर,,साचोर	—	“ ”
147		सरस्वती मेडिकल स्टोर,,सांकड	—	“ ”
148		शिव मेडिकल स्टोर,,सांकड	—	“ ”
149	चितलवाना	हनुमान मेडिकल स्टोर,,झाब	—	“ ”
150		लोहना मेडिकल स्टोर,,झाब	—	“ ”
151		राधिका मेडिकल स्टोर,,हाडेचा	—	“ ”
152		संगत मेडिकल स्टोर,,हाडेचा	—	“ ”
153		श्री बालाजी मेडिकल स्टोर,,डंगरी	—	“ ”
154		विशाल मेडिकल स्टोर,,अरणाय	—	“ ”
155		अम्बिका मेडिकोज,आकोली	254830	“ ”
156		प्रेम मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, आकोली	254743	“ ”

परिशिष्ट –23

चिकित्सा सम्बन्धी उपकरणों की सूची

क्र. सं.	नाम तहसील	अस्पताल का नाम स्थान/मय टेलीफोन	अस्पताल में उपलब्ध संसाधन				उपकरणों की कुल संख्या
			एम्बुलेंस	स्ट्रेचर	एक्सरे	ईसीजी	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सायला	सा.स्वा. केन्द्र,सायला 240197	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	4
2		प्रा.स्वा.केन्द्र,सुराणा 252760	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
3		प्रा.स्वा.केन्द्र, सिराणा	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
4		प्रा.स्वा.केन्द्र, माण्डवला 256189	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
5		प्रा.स्वा.केन्द्र,उम्मेदाबाद 256102	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
6		प्रा.स्वा.केन्द्र,रेवतडा 260101	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
7		प्रा.स्वा.केन्द्र,केशवना 265993	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
8		प्रा.स्वा.केन्द्र,पांथेडी	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
9	आहोर	प्रा.स्वा.केन्द्र,आहोर 222242	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	4
10		प्रा.स्वा.केन्द्र,गुडाबालोतान् 230029	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
11		प्रा.स्वा.केन्द्र, चांदराई 234154	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
12		प्रा.स्वा.केन्द्र,हरजी 229324	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
13		प्रा.स्वा.केन्द्र,पादरली 249153	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
14		प्रा.स्वा.केन्द्र,भादांजून 228436	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
		प्रा.स्वा.केन्द्र, भवरानी 271264	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
		प्रा.स्वा.केन्द्र,गोदन 2589999	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
		प्रा.स्वा.केन्द्र,वादनवाडी 257507	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
15	जालोर	सामान्य चिकि. जालोर 232296	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	4

16		प्रा.स्वा.केन्द्र,सियाणा 232296	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
17		प्रा.स्वा.केन्द्र,बागरा 240472	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
18		प्रा.स्वा.केन्द्र,सरत 281197	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
19		प्रा.स्वा.केन्द्र, ओडवाडा 245743	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	3
20		प्रा.स्वा.केन्द्र, गोदन 258999	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
21		प्रा.स्वा.केन्द्र,वादनवाडी 257507 पीपी	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
22		प्रा.स्वा.केन्द्र,साँथू	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
23	जसवंतपुरा	प्रा.स्वा.केन्द्र,जसवंतपुरा 3334	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	1
24		प्रा.स्वा.केन्द्र,रामसीन 223112	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
26		प्रा.स्वा.केन्द्र, थूर	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
26		प्रा.स्वा.केन्द्र, मोदरा 261122	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
27		प्रा.स्वा.केन्द्र,धानसा 263753	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
28		प्रा.स्वा.केन्द्र,माण्डोलीनगर 223112	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
27		प्रा.स्वा.केन्द्र,राजीकावास	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	
29	भीनमाल	सा.स्वा. केन्द्र, भीनमाल 220140	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	4
30		प्रा.स्वा.केन्द्र,दासपा	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
31		प्रा.स्वा.केन्द्र,पुनासा	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
32	बागोडा	प्रा.स्वा.केन्द्र, बागोडा 264181	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
33		प्रा.स्वा.केन्द्र, धुम्बडिया 254112	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
34		प्रा.स्वा.केन्द्र,मोरसीम 274207	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
36	रानीवाडा	प्रा.स्वा.केन्द्र,रानीवाडा 220131	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	4
37		प्रा.स्वा.केन्द्र,बडगाव 246838	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
38		प्रा.स्वा.केन्द्र,मालवाडा 56543	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
39		प्रा.स्वा.केन्द्र,जाखडी	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
40		प्रा.स्वा.केन्द्र,करडा 241138	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
41		प्रा.स्वा.केन्द्र,कागमाला 220156	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
42		प्रा.स्वा.केन्द्र, गांग	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
43	सांचोर	सामु.स्वा.केन्द्र,सांचोर 222351	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	4
44		प्रा.स्वा.केन्द्र, सांकड	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
45		प्रा.स्वा.केन्द्र,पांचला	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
46		प्रा.स्वा.केन्द्र, हाडेचा	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
47	चितलवाना	प्रा.स्वा.केन्द्र, डूंगरी	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
48		प्रा.स्वा.केन्द्र,आकोली	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
49		प्रा.स्वा.केन्द्र,केरिया	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1

50		प्रा.स्वा.केन्द्र, सूथडी	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
51		प्रा.स्वा.केन्द्र, बिछावाडी 222158	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
52		प्रा.स्वा.केन्द्र,चितलवाना 266388	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
53		प्रा.स्वा.केन्द्र,झाब	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1
54		प्रा.स्वा.केन्द्र,गुडाहेमा	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	1

परिशिष्ट -24

स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाएँ, जिला, जालोर

क्र. सं.	नाम तहसील	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय	पशु चिकित्सालय	औषधालय	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र	जिला रोग निदान प्रयोगशाला
1	जालोर	जालोर	साँथू, सियाणा, बागरा, बाकरागांव, माण्डवला, बिशनगढ़, उम्मेदाबाद	केशवना	बालवाडा	जालोर जिला मुख्यालय
2	आहोर	आहोर	भवरानी, चांदराई, भूति भोरडा, भाद्राजून गुडाबालोतान	हरजी, गोदन	दयालपुरा, घाणा, उम्मेदपुर, सेदरि या बालोतान, रामा, देबावास	" "
3	सायला	सायला	रेवतडा, जीवाणा, पोसाना, थलवाड	—	सुराणा, धनाणी, खेतलावास, बाबतरा	" "
4	भीनमाल	भीनमाल, जसवंतपुरा	दासपां, थोबाउ, चान्दुर, तबाव, माण्डोली, मोदरा	रामसीन	जुंजाणी, नरता, कोटकास्तान, पहाडपुरा, थूर, भोरडा, गजापुरा, दांतलवास	" "
5	रानीवाडा	रानीवाडा	गांग, डीगांव, मालवाडा, करडा, बडगांव, धानोल, मौखातरा	कागमाला	दांतवाडा, जाखडी, आलडी	जालोर जिला मुख्यालय
6	सांचोर	सांचोर, चितलवाना	डूंगरी, सुरावा, झाब, पथमेडा, अरणाय, मालियों का गोलिया, सूथडी	गोलासन, हाडेचा, टोंपी	मालवाडा, एस. तैतरोल, हरियाली, गुन्दऊ सरनाऊ, बिछावाडी, खेडा बिजरोल, साहू वडउकियों की ढाणी, भादरुणा	" "
7	बागोडा	—	बागोडा, सेवडी, पुनासा	धुम्बडिया	कावतरा, मेडा, लूणावास	" "

परिशिष्ट -25

पुलिस जाब्ता

क्र.सं.	स्वीकृत पद नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
1	2	3	4	5
1	पुलिस अधीक्षक	1	1	0
2	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	2	2	0
3	उप अधीक्षक पुलिस	5	5	0
4	निरीक्षक पुलिस	14	10	4
5	उप निरीक्षक पुलिस	39	27	12
6	सहायक उप निरीक्षक पुलिस	55	44	11
7	हैड कानिस्टेबल	164	107	57
8	कानिस्टेबल	973	981	0
	योग	1256	1181	89

5- पुलिस वाहन उपलब्धता :-

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	स्वीकृत संख्या	वर्तमान में उपलब्ध संख्या	कमी
1	जीप	20	20	-
2	आलविन	1	0	1
3	वाटर टैंकर	1	1	-
4	मिनी बस (टाटा 410)	1	1	-
5	बस 1512	1	1	-
6	ट्रक 1613	1	1	-
7	मिडियम ट्रक टाटा 712	1	1	-
8	मोटर साइकिल	54	53	(-) 01
9	क्वालिस	1	1	-
10	बोलेरो	11	11	-
11	टवेरा	1	1	-
12	स्विफ्ट डिजायर	1	1	-
13	टाटा वज्र वाहन 207	1	1	.
14	बोलेरो केम्पर	10	1	.

पुलिस लाईन जालोर में उपलब्ध राहत सामग्री :-

क्र. सं.	नाम सामग्री	तादाद	विशेष विवरण
1	ड्रेगन लाईट	14 नग	पुलिस अधीन
2	फावडा	10 नग	" "
3	गेती	03 नग	" "
4	बेलचा	17 नग	" "
5	तगारी	08 नग	" "

4- ई0ओ0सी0 प्रयोजनार्थ उपलब्ध वायरलेस सेट

क्र. सं.	नाम वायरलेस सेट	तादाद	वर्तमान उपलब्धता
1	मोटोरोला 20 वाट हाईबैंड वायरलेस सेट	01 नग	ई0ओ0सी0 कलेक्ट्रेट में
2	मोटोरोला 2 वाट हाईबैंड (एच0एच0)	05 नग	" "
3	केनबुड 20 वाट हाईबैंड	18	वायरलेस भण्डार,पुलिस लाईन, जालोर में
4	केनबुड 2 वाट हाईबैंड(एच0एच0)	07	" "

जिले में उपलब्ध वायरलेस संचार व्यवस्था :-

क्र.स.	केन्द्र का नाम	कॉल साईन	स्टैटिक	मोबाईल
1	जिला कलेक्टर	इक्को	1	2
2	पुलिस अधीक्षक	टाईगर	1	3
3	अति. पुलिस अधीक्षक, जालोर	ब्रेवो	1	1
4	अति.पुलिस अधीक्षक, भीनमाल	ब्रेवो-1	—	1
5	अति. जिला कलेक्टर, जालोर	इक्को -1	—	1
6	उप जिला मजिस्ट्रेट, जालोर	इक्को -2	—	1
7	उप जिला मजिस्ट्रेट, आहोर	इक्को -3	—	—
8	उप जिला मजिस्ट्रेट, भीनमाल	इक्को -4	—	—
9	उप जिला मजिस्ट्रेट, रानीवाडा	इक्को -5	—	—
10	उप जिला मजिस्ट्रेट, सांचोर	इक्को -6	—	—
11	पुलिस उप अधीक्षक, जालोर	पीटर -1	—	1
12	पुलिस उप अधीक्षक, भीनमाल	पीटर -2	—	1
13	पुलिस उप अधीक्षक, सांचोर	पीटर -3	—	1
14	पुलिस उप अधीक्षक, एस.सी.एसटी.सेल	पीटर -4	—	1
15	पुलिस उप अधीक्षक, रानीवाडा	पीटर -5	—	1
16	रिपोर्टर स्टेशन फोर्ट, जालोर	रोमियो -16	2	—
17	रिपोर्टर स्टेशन देवी टेम्पल, भीनमाल	रोमियो -17	2	—
18	कन्ट्रोल रूम पुलिस लाईन, जालोर	कन्ट्रोल	4	—
19	कन्ट्रोल रूम पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जालोर	सिटी कन्ट्रोल	1	—
20	पुलिस थाना, कोतवाली, जालोर	वीटा-1 / सिगमा-1	1	1
21	पुलिस थाना, आहोर	वीटा-2 / सिगमा-2	1	1
22	पुलिस थाना, नोसरा	वीटा-3 / सिगमा-3	11	1
23	पुलिस थाना, सायला	वीटा-4 / सिगमा-4	1	1
24	पुलिस थाना, बागरा	वीटा-5 / सिगमा-5	1	1
25	पुलिस थाना, बागोडा	वीटा-6 / सिगमा-6	1	1
26	पुलिस थाना, रामसीन	वीटा-7 / सिगमा-7	1	1
27	पुलिस थाना, जसवंतपुरा	वीटा-8 / सिगमा-8	1	1
28	पुलिस थाना, भीनमाल	वीटा-9 / सिगमा-9	1	1
29	पुलिस थाना, रानीवाडा	वीटा-10 / सिगमा-10	2	1
30	पुलिस थाना, सांचोर	वीटा-11 / सिगमा-11	2	1
31	पुलिस थाना, चितलवाना	वीटा-12 / सिगमा-12	1	1
32	पुलिस थाना, सरवाना	वीटा-13 / सिगमा-13	1	1
33	पुलिस थाना, झाब	वीटा-14 / सिगमा-14	1	1
34	पुलिस थाना, करडा	वीटा-15 / सिगमा-15	11	—
35	महिला पुलिस थाना, जालोर	दारा-16	—	—
36	ए0डी0एफ0 पोस्ट, खेजडियाली	सिगमा-16	1	—
37	पुलिस चौकी, उम्मेदपुर (आहोर)	सिगमा-17	1	—
38	पुलिस चौकी, उम्मेदाबाद (जालोर)	सिगमा-18	1	—
39	पुलिस चौकी, मोदरान (रामसीन)	सिगमा-19	1	—
40	पुलिस चौकी, भाद्राजून (नोसरा)	सिगमा-20	1	—
41	पुलिस चौकी, सियाणा (बागरा)	सिगमा-21	1	—
42	पुलिस चौकी, मालवाडा (रानीवाडा)	सिगमा-22	1	—
43	पुलिस चौकी, सेवाडा फांटा (चितलवाना)	सिगमा-23	1	—
44	पुलिस चौकी, चान्दराई (आहोर)	सिगमा-24	1	—
45	सी0आई0डी0 यूनिट, जालोर	सिगमा-25	1	—
46	ट्राफिक पुलिस, जालोर	टेन्गो	—	—
47	निरीक्षक पुलिस दूरसंचार, जालोर	लिना	—	—
48	संचित निरीक्षक पुलिस लाईन, जालोर	लिना-1	—	—
49	एम0टी0ओ0, जालोर	लाईन मोबाईल	—	9

थोक एवं रिटेलर के स्तर पर खाद्यान्न, केरोसीन एवं गैस एजेन्सी स्तर पर एल.पी.जी. रिजर्व

क्र. सं.	नाम तहसील	सामग्री का नाम	थोक विक्रेता	आरक्षित मात्रा	सम्पर्क नम्बर
1	जालोर	गेहूँ	जालोर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि., जालोर	100 कि.व.	02973-222464
2	सायला	गेहूँ	जालोर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि. जालोर	100 कि.व.	02973-222222
3	आहोर	गेहूँ	आहोर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि. आहोर	100 कि.व.	02973-282095
4	भीनमाल बागोडा	गेहूँ	भीनमाल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि. भीनमाल	100 कि.व.	02973-220047
5	सांचौर	गेहूँ	सांचौर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि. सांचौर	100 कि.व.	02973-283008
6	रानीवाडा	गेहूँ	रानीवाडा को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि. रानीवाडा	100 कि.व.	9413123239 श्री मोबताराम
7	जालोर	केरोसिन	मैसर्स किसान ऑयल स्टोर, बिषनगढ	2000 लीटर	9461254394
8	जालोर	केरोसिन	मैसर्स ध्यामसुन्दर प्रेमप्रकाश एण्ड कम्पनी जालोर	2000 लीटर	02973-222252
9	सायला	केरोसिन	मैसर्स एस. रामरतन एण्ड कम्पनी, जालोर	2000 लीटर	0291-2432964
10	भीनमाल	केरोसिन	मैसर्स सूरज ऑयल स्टोर, भीनमाल	2000 लीटर	02969-220012
11	बागोडा	केरोसिन	मैसर्स जे. जे. स्टोर, भीनमाल	2000 लीटर	02969-220029
12	रानीवाडा	केरोसिन	मैसर्स मदन एण्ड कम्पनी, सांचौर	2000 लीटर	02979-283089
13	सांचौर	केरोसिन	मैसर्स जगत सर्विस स्टेशन, सांचौर	2000 लीटर	02979-282023
14	जालोर	एलपीजी गैस	मैसर्स शुभ लक्ष्मी गैस सर्विस, जालोर	50 सिलेंडर	02973-225491
15	जालोर	" "	मैसर्स जालोर गैस सर्विस, जालोर	50 सिलेंडर	02973-226283
16	जालोर	" "	श्री सिद्धी सिद्धि भारत गैस सर्विस, जालोर	50 सिलेंडर	9413347954 8769411381
17	भीनमाल	" "	मैसर्स हरिओम इण्डेन, भीनमाल	50 सिलेंडर	02969-223438
18	सांचौर	" "	मैसर्स सांचौर गैस सर्विस, सांचौर	50 सिलेंडर	02979-284633
19	आहोर	" "	मैसर्स शिव भारत गैस, अहोर	50 सिलेंडर	02978-282777 9461011409
20	" "	" "	नवदुर्गा भारत गैस, आहोर	50 सिलेंडर	9799459549
21	भीनमाल	" "	लीलाधारी इण्डेन गैस एजेंसी, भीनमाल	50 सिलेंडर	9602311518
22	" "	" "	मै0 शिवसाई गैस ग्रामीण वितरक, निम्बावास	50 सिलेंडर	9413373585 9983888604
23	रानीवाडा	" "	महावीर एचपी गैस सर्विस, रानीवाडा	50 सिलेंडर	02990-231003
24	सांचौर	एलपीजी गैस	वैभव इण्डेन ग्रामीण वितरक, सांकड सांचौर	50 सिलेंडर	8058508801 9785249119
25	सायला	" "	कंवायमता एस.पी.एजेन्सी, सायला	50 सिलेंडर	02977-273621 9549023721
26	जालोर	" "	राजीवगांधी जनहित एस.पी.गैस ग्रामीण एजेंसी, सियाणा	50 सिलेंडर	02973-240778 9580022782
27	जसवंतपुरा	" "	मै. ग्रामीण गैस वितरक सर्विस, रामसीन	50 सिलेंडर	9828655164
28	भीनमाल	" "	विष्णु एच.पी.गैस ग्रामीण गैस वितरक, भालनी	50 सिलेंडर	9982193200
29	जसवंतपुरा	" "	मै. धनलक्ष्मी इण्डेन ग्रामीण गैस वितरक, आईओसी, धानसा	50 सिलेंडर	9414566211
30	बागोडा	" "	मै. गणेश इण्डेन ग्रामीण गैस वितरक आईओसी, धुम्बडिया	50 सिलेंडर	9001537001 9783853154
31	जालोर	" "	श्री प्राग एचपी गैस ग्रामीण गैस वितरक, उम्मेदाबाद	50 सिलेंडर	9694353570
32	सायला	" "	मै. मातृ कृपा एचपी ग्रामीण गैस वितरक, सुराणा	50 सिलेंडर	9571155874
33	बागोडा	" "	मै. खेतलाजी कृपा एचपी ग्रामीण गैस वितरक, बागोडा	50 सिलेंडर	8239256029
34	चितलवाना	" "	मै. आशापुरा इण्डेन ग्रामीण गैस वितरक चितलवाना	50 सिलेंडर	9771299977
35	भीनमाल	एलपीजी गैस	मै. पुनासा इण्डेन ग्रामीण गैस वितरक आईओसी, पुनासा	50 सिलेंडर	02969-292929
36	जसवंतपुरा	" "	मै. अम्बिका इण्डेन ग्रामीण गैस वितरक आईओसी, जसवंतपुरा	50 सिलेंडर	9414335152 9460232091

4 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत भण्डारन की स्थिति :-

क्र.सं.	स्थान का नाम	खाद्यान्न की किस्म	स्टॉक क्षमता (मै. टन में)	अधिकतम क्षमता (मै. टन में)	सम्पर्क टेलीफोन नंबर
1	एफ.सी.आई.जालोर	गेहूँ व चावल	11920	गेहूँ-11425 चावल-179 बाजरा- शून्य	02973-222580
2	एफ.सी.आई. भीनमाल	गेहूँ व चावल	4850	आवश्यकतानुसार	02696-220251
3	कय विक्रय सह.स.लि.जालोर	गेहूँ व चावल	550	" "	02973-222222
4	जालोरस.उप.हॉल.भं0 जालोर	गेहूँ व चावल	200	" "	02973-222464
5	कय विक्रय सह.स.लि.आहोर	गेहूँ व चावल	200	" "	02978-222095
6	कय विक्रय सह.स.लि. भीनमाल	गेहूँ व चावल	1000	" "	02969-220047
7	कय विक्रय सह.स.लि. रानीवाडा	गेहूँ व चावल	200	" "	9413123239 श्री मोबताराम
8	रामदेव क.वि.स.स.लि.सांचोर	गेहूँ व चावल	1000	" "	02979-222008

5. उचित मूल्य दुकानों की स्थिति :-

क्र.सं.	कार्यक्षेत्र	उचित मूल्य दुकानों की संख्या			
		सहकारिका विभाग	प्राइवेट डीलर	रिक्त	कुल
1	नगर परिषद क्षेत्र,जालोर	03	17	0	20
2	नगरपालिका क्षेत्र,भीनमाल	0	24	0	24
3	नगरपालिका क्षेत्र,सांचोर	03	13	0	16
	योग	06	54	0	60
4	पंचायत समिति क्षेत्र,जालोर	20	35	0	55
5	" " सायला	36	68	0	104
6	" " आहोर	25	52	0	77
7	" " भीनमाल	13	65	0	78
8	" " जसवंतपुरा	11	42	0	53
9	" " रानीवाडा	08	56	0	64
10	" " सांचोर	10	55	0	65
11	" " चितलवाना	09	55	0	64
	योग	132	428	0	560
	कुल योग	138	482	0	620

6. गैस एजेन्सी स्तर पर रिजर्व गैस सिलेण्डर की स्थिति :-

क. सं.	नाम तहसील	नाम गैस एजेन्सी	स्थान का नाम	कम्पनी का नाम	मालिक का नाम/पता	सम्पर्क टेलीफोन/मोबाईल नंबर	रिजर्व मात्रा भरे हुए सिलेण्डर
1	जालोर	मैसर्स शुभ लक्ष्मी गैस सर्विस	जालोर	BPCL	श्रीमती लक्ष्मी मीणा पत्नी श्री छगन मीणा निवासी, हरियाली तहसील,आहोर	9828079563 9414151147	50
2	जालोर	मैसर्स जालोर गैस सर्विस,	जालोर	BPCL	श्री श्याम पुत्र श्री प्रितम लाल गोयल निवासी,जालोर	02973-228281, 226282,226283, 9784097137 9414152721 9587235687	50
3	जालोर	मैसर्स रिद्ध सिद्धी भारत गैस	जालोर	BPCL	श्रीमती बबीता पत्नी श्री मुकेश सोलंकी निवासी,जालोर	02973-225854 9413374854 8769411381	50
4	जालोर	मैसर्स जनहित ग्रामीण गैस वितरक एजेंसी	सियाणा	HPCL	श्री भूमाराम पुत्र श्री तोताराम मीणा निवासी,सियाणा	9680023782 7568150123	50
5	जालोर	मैसर्स प्राग एचपी गैस ग्रामीण वितरक	उम्मेदाबाद	HPCL	श्री ललित कुमार पुत्र श्री दुदराम	9694353570	50
7	भीनमाल	मैसर्स हरिओम इण्डेन गैस सर्विस, भीनमाल	भीनमाल	IOCL	श्री विनयकुमार पुत्र श्री हरिपाल सिंह मीणा निवासी, पूतली तहसील कोटपूतली	02969-223438 94144092727	50
8	भीनमाल	मैसर्स शिवसाई भारत गैस ग्रामीण वितरक	निम्बावास	BPCL	श्री नरींगाराम पुत्र श्री रागा राम निवासी, निम्बावास	9413373585 9983888604	50
9	भीनमाल	मैसर्स लीलाधारी इण्डेन गैस एजेंसी	भीनमाल	IOCL	श्री अजय कुमार पुत्र श्री हरिशकुमार परिहार निवासी, भीनमाल	9460980032 9460014216	50
10	भीनमाल	मैसर्स पुनासा इण्डेन ग्रामीण गैस एजेंसी	पुनासा	IOCL	श्री खुमानसिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह निवासी, पुनासा	9929510881	50
11	जसवंतपुरा	मैसर्स अम्बिका इण्डेन ग्रामीण गैस एजेंसी	जसवंतपुरा	IOCL	श्री उत्तम कुमार पुत्र श्री गणेशमल निवासी, जसवंतपुरा	9414335152 9460232091	50
12	जसवंत	मैसर्स धनलक्ष्मी इण्डेन ग्रामीण गैस एजेंसी	धानसा	HPCL	श्री भीखाराम पुत्र श्रीहिमताराम निवासी धानता	9414566211	50
13	जसवंत	मैसर्स राठौड एचपी गैस वितरक	रामसीन	HPCL	श्री सुरजपाल सिंह पुत्र श्री शंकरसिंह राठौड निवासी, रामसीन	02969-210502 9828655164	50
14	बागोडा	मैसर्स विष्णु एचपी गैस वितरक	भालनी	IOCL	श्री लक्ष्मणकुमार पुत्र श्री नरींगा राम निवासी, भालनी	9982193200 8432282830	50
15	बागोडा	मैसर्स गणेश इण्डेन ग्रामीण गैस वितरक	धुम्बडिया	IOCL	श्री अमरा राम पुत्र श्री जानु राम मेघवाल निवासी, धुम्बडिया	9783853154 9001537001	50
16	बागोडा	मैसर्स खेतलाजी एचपी ग्रामीण गैस वितरक	बागोडा	HPCL	श्री भानुप्रतापसिंह पुत्र श्री विराज सिंह शेखावत निवासी, बागोडा	8239256029	50

17	रानीवाडा	मैसर्स महावीर एचपी ग्रामीण गैस एजेसी	रानीवाडा	HPCL	श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री रघुनाथ विश्णोई आदर्श नगर,रानीवाडा	02990-231003 231004 9414325327	50
18	सायला	मैसर्स कैवायमाता एचपी गैस सर्विस	सायला	HPCL	श्री तेजपाल सिंह पुत्र श्री प्रभातसिंह निवासी,सायला	9549023721	50
19	सायला	मैसर्स मातृकृपा एचपी गैस सर्विस	सुराणा	BPCL	श्री कमलसिंह पुत्र श्री शेरसिंह निवासी सुराणा	9571155874	50
19	आहोर	मैसर्स शिवभारत गैस सर्विस	आहोर	BPCL	श्री चांदराम पुत्र श्री टीकूराम निवासी बीकानेर	02987-282777 283777	50
20	आहोर	मैसर्स नवदुर्गा भारत गैस सर्विस	आहोर	BPCL	श्री किशोर कुमार पुत्र श्री भवरलाल निवासी, आहोर	9799455549	50
21	सांचोर	मैसर्स सांचोर गैस सर्विस	सांचोर	IOCL	श्री गेनाराम पुत्र श्री भूराराम निवासी,आहोर	02979-284633 9414534340	50
22	सांचोर	मैसर्स वैभव इण्डेन ग्रामीण वितरक	सांकड	IOCL	श्री गणपत लाल पुत्र श्री जेताराम निवासी, सांचोर	8058508801 9785249119	50
23	सांचोर	सांचोर गैस सर्विस सांचोर	सांचोर	IOCL	श्री नरेश भाई पुत्र श्री दाध्या भाई रतनपुर तहसील ईडर सांकरकांटा गुजरात	7567886758 9427494340	50
24	चितलवाना	मैसर्स आशापुरा इण्डेन ग्रामीण गैस वितरक	चितलवाना	IOCL	श्रीमति संतोष कंवर पत्नी श्री प्रवीण सिंह निवासी चितलवाना	9772199977	50
25	चितलवाना	मैसर्स अम्बे इण्डेन ग्रामीण गैस वितरक	रणोदर	IOCL	श्री हनुमाना राम पुत्र श्री किसनाराम निवासी रणोदर	9414721748	50

7. केरोसीन का रिजर्व स्टॉक विवरण

क. सं.	नाम विक्रेता	रिजर्व मात्रा
1	प्राधिकृत थोक विक्रेता स्तर पर	2000 लीटर
2	उचित मूल्य दुकानदार के स्तर पर	200 लीटर

8. खाद्यान्न व चीनी थोक विक्रेता –

1. जालोर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि०, जालोर
2. जालोर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि०, जालोर
3. आहोर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि०, आहोर
4. भीनमाल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि०, भीनमाल
5. रानीवाडा को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि०, रानीवाडा
6. सांचोर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि०, सांचोर

9. जिले में थोक व्यापारियों का विवरण :-

क्र.सं.	थोक व्यापारी विवरण एवं स्थान	सम्पर्क नंबर
1	सेठ ट्रेडिंग कम्पनी, भीनमाल	02969-220189
2	सानौ ट्रेडिंग कम्पनी, भीनमाल	02969-222184
3	सोमतलाल सुरेशकुमार, भीनमाल	02969-220278
4	ए.के. ट्रेडिंग कम्पनी, भीनमाल	02969-220189
5	कोलचन्द एण्ड कम्पनी, भीनमाल	02969-220725
6	लीलचन्द बाबूलाल महेश्वरी सब्जी मण्डी	9414373794
7	गौरी इन्टरप्राइजेज, सांचोर (श्री सुरेश कुमार राठी)	9414501050
8	नन्दलाल गोविन्दराम, सांचोर (श्री जुगल किशोर)	9829456947
9	सुमेरमल चम्पालाल, जालोर	02973-225784
10	शंकरलाल धन्नाजी बंजारा	9413123472
11	श्री बाबूलाल महादेवाराम भाट, सांचोर	9460458594
12	श्री जवानजी फल सब्जी आढतिया समिति, जालोर	9414151481
13	श्री खीमाराम दरगाराम किराणा व्यापारी, जालोर	02973-222586

जालोर जिले में कार्यरत पेट्रोल पम्पो का विवरण

1. तहसील क्षेत्र, आहोर								
क्र.सं.	नाम पेट्रोल / डीजल पम्प	नाम कम्पनी	B.P.C.	I.O.C.	H.P.C.	S.R.	रिलायन्स	कहा स्थापित है
1	मै. भाद्राजून फिलिंग स्टेशन भाद्राजून	I.O.C.		I.O.C.				भाद्राजून (आहोर)
2	मै. पीपलेश्वर ऑटो मोबाईल्स गुडारामा	B.P.C.	B.P.C.					गुडा रामा (आहोर)
3	मै. लक्ष्मी पयूल सर्विस	I.O.C.		I.O.C.				आहोर (आहोर)
4	मै. सिद्धी विनायक पेट्रोलियम आहोर	B.P.C.	B.P.C.					आहोर (आहोर)
5	मै. बाबा रामदेव ऑटो मोबाईल्स भैसवाडा	H.P.C.			H.P.C.			भैसवाडा (आहोर)
6	मै. डायमण्ड फिलिंग स्टेशन, चांदराई	I.O.C.		I.O.C.				चांदराई (आहोर)
योग			2	3	1			
2. तहसील – बागोडा								
7	मै. विशाल सर्विस सेन्टर बागोडा	H.P.C.L.	BPC		H.P.C.L.			बागोडा (बागोडा)
8	मै. उम्मेद पेट्रोलियम मेडा ब्राह्मणान्	I.O.C.		I.O.C.				मेडा ब्राह्मणान् (बागोडा)
9	मै. हनुमान पेट्रोलियम, सेवडी	H.P.C.L.			H.P.C.L.			सेवडी (बागोडा)
10	मै. वाकलमाता पेट्रोलियम धुम्बडीया	I.O.C.		I.O.C.				धुम्बडीया (बागोडा)
11	मै. हमीर ऑटो फिलिंग स्टेशन, मोरसीम	I.O.C.		I.O.C.				मोरसीम (बागोडा)
12	मै. राहुल पेट्रोलियम सेवडी	I.O.C.		I.O.C.				सेवडी (बागोडा)
योग				4	2			
2. तहसील – भीनमाल								
13	मै. जगदम्बा फिलिंग स्टेशन भीनमाल	रिलायन्स					रिलायन्स	भीनमाल(भीनमाल)
14	मै. महावीर पेट्रोलियम जूजाणी	S.R.				S.R.		जूजाणी (भीनमाल)
15	मै. भगवती फिलिंग स्टेशन भीनमाल	B.P.C.	B.P.C.					भीनमाल (भीनमाल)
16	मै. विष्णु ऑटो मोबाईल्स भीनमाल	I.O.C.		I.O.C.				भीनमाल (भीनमाल)
17	मै. जे.जे. सेन्टर भीनमाल	H.P.C.			H.P.C.L.			भीनमाल (भीनमाल)
18	मै. प्रदीप सर्विस सेन्टर भीनमाल	I.O.C.		I.O.C.				भीनमाल (भीनमाल)
19	मै. राजेन्द्र एण्ड कम्पनी भीनमाल	B.P.C.	B.P.C.					भीनमाल (भीनमाल)
20	मै. कृष्णा पेट्रोलियम पुनासा	I.O.C.		I.O.C.				पुनासा (भीनमाल)
21	मै. एसएलवी एसोसिएट भीनमाल	H.P.C.L.			H.P.C.L.			भीनमाल
22	मै. शिवम ऑटो मोबाईल्स भीनमाल			I.O.C.				भीनमाल
योग			2	4	2	1	1	
4. तहसील – जसवंतपुरा								
23	मै. आपेश्वर फिलिंग सेन्टर रामसीन	S.R.				S.R.		रामसीन (भीनमाल)
24	मै. झूंगरमल पेट्रोलियम रामसीन	I.O.C.		I.O.C.				रामसीन (भीनमाल)
25	मै. राजेन्द्र एण्ड कम्पनी रामसीन	I.O.C.		I.O.C.				रामसीन (भीनमाल)
26	मै. को.मा.सो.लि. भीनमाल शाखा जसवंतपुरा	H.P.C.L.			H.P.C.L.			जसवंतपुरा (भीनमाल)

27	मै. कुलेटी फिलिंग सेन्टर चांदूर	I.O.C.		I.O.C.				चांदूर (भीनमाल)
28	मै. मारवाड फिलिंग स्टेशन मोदरा	B.P.C	B.P.C					मोदरा (भीनमाल)
	योग		1	3	1	1		
	1. तहसील – जालोर							
29	मै. महादेव फिलिंग स्टेशन जालोर	रिलायन्स					रिलायन्स	जालोर (जालोर)
30	मै. श्री दाता फिलिंग स्टेशन	I.O.C.		I.O.C.				जालोर (जालोर)
31	मै. बाबूलाल / अमृतलाल बिशनगढ	I.O.C.		I.O.C.				बिशनगढ (जालोर)
32	मै. उमा पेट्रोलियम सियाणा	I.O.C.		I.O.C.				सियाणा (जालोर)
33	मै. एस.आर. बदर्स जालोर	B.P.C.	B.P.C.L					जालोर (जालोर)
34	मै. हनुमान ऑयल स्टोर बागरा	I.O.C.		I.O.C.				बागरा (जालोर)
35	मै. भवानी पेट्रो. रानीवाडा काबा	H.P.C.			H.P.C.			रानीवाडा काबा (जालोर)
36	मै. सुमेरमल / चम्पालाल जालोर	O.I.C.		O.I.C.				जालोर (जालोर)
37	मै. श्याम सुन्दर प्रेम प्रकाश एण्ड क. जालोर	H.P.C.			H.P.C.			जालोर (जालोर)
38	मै. रामदेव किसान सेवा केन्द्र केशवना	I.O.C.		I.O.C.				केशवना (जालोर)
39	मै. शुभम पेट्रोलियम बागरा	B.P.C.L	B.P.C.L					बागरा (जालोर)
40	मै. इन्दू ऑयल स्टोर, बाकरारोड	I.O.C.		I.O.C.				बाकरारोड (जालोर)
41	मै. शिवशक्ति पेट्रोलियम, बिशनगढ	ESSAR			ESSAR			बिशनगढ (जालोर)
42	मै. बजरंगसिंह ऑटो मोबाइल्स बागरा	HPC			HPC			बागरा (जालोर)
43	मै. चामुण्डा पेट्रोलियम आकोली	I.O.C.		I.O.C.				जालोर (आकोली)
	योग		2	8	3	1	1	
	6. तहसील – रानीवाडा							
44	मै. रामदेव मोटर्स करडा	B.P.C.	B.P.C.					करडा (रानीवाडा)
45	मै. गौरी ऑटो मोबाइल्स रानीवाडा	B.P.C.	B.P.C.					रानीवाडा (रानीवाडा)
46	मै. प्रवीण फिलिंग सेन्टर मालवाडा	H.P.C.			H.P.C.			मालवाडा (रानीवाडा)
47	मै. वैष्णोदेवी पेट्रोलियम सर्विस (कोको पम्प)	H.P.C.			H.P.C.			बडगांव (रानीवाडा)
48	मै. शंकर ऑटोमोबाइल्स रानीवाडा	B.P.C.	B.P.C.					रानीवाडा (रानीवाडा)
49	मै. अंजनी पेट्रोलियम मालवाडा	I.O.C.		I.O.C.				मालवाडा (रानीवाडा)
50	मै. पी.आर. बोहरा एण्ड ब्रदर्स हीरपुरा	I.O.C.		I.O.C.				हीरपुरा (रानीवाडा)
51	मै. विराट पेट्रोल पम्प मण्डारडी	B.P.C.	B.P.C.					मण्डारडी (रानीवाडा)
52	मै. पुरोहित ओटो मोबाइल्स, करडा	I.O.C.		I.O.C.				करडा (रानीवाडा)
53	मै जय श्री सुन्धा माता पेट्रोलियम गजापुरा							गजापुरा(जसवंतपुरा)
54	श्री देव फिलिंग सेन्टर बुगांव							
	योग		4	3	2			
	7. तहसील – सांचोर							
55	मै. रूप श्री पेट्रोलियम विरोल	I.O.C.		I.O.C.				विरोल (सांचोर)
56	मै. तिरुपति पेट्रोलियम विरोल	B.P.C.	B.P.C.					विरोल (सांचोर)
57	मै. रिलायन्स पेट्रो. मार्केटिंग प्रा.लि. गडराली	रिलायन्स					रिलायन्स	गडराली (सांचोर)
58	मै. महाकाली पेट्रोलियम वडी विरोल	H.P.C.			H.P.C.			विरोल (सांचोर)
59	मै. धरणीधर पेट्रोलियम कमालपुरा	B.P.C.	B.P.C.					कमालपुरा (सांचोर)
60	मै. ओ.एस.टी.एस. यूनिट-II, गरडाली	B.P.C.L.	B.P.C.L.					गरडाली (सांचोर)

61	मै. सांचोर ओटो मोबाईल्स सांचोर	I.O.C.		I.O.C.				सांचोर (सांचोर)
62	मै. मुकन्द ऑटो मोबाईल्स सांचोर	I.O.C.		I.O.C.				सांचोर (सांचोर)
63	मै. केशव फिलिंग स्टेशन, विरोल	I.O.C.		I.O.C.				विरोल (सांचोर)
64	मै. राजस्थान डिजिटल गडाली	H.P.C.			H.P.C.			गडाली (सांचोर)
65	मै. जगत सर्विस स्टेशन सांचोर	H.P.C.L.			H.P.C.L.			सांचोर(सांचोर)
66	मै. किसान सर्विस सेन्टर गडाली	H.P.C.L.			H.P.C.L.			गडाली (सांचोर)
67	मै. सांचोर हाई-वे पेट्रोलियम कारोला	H.P.C.L.			H.P.C.L.			कारोला (सांचोर)
68	मै. मुरलीधर ईश्वरदास गडाली	H.P.C.L.			H.P.C.L.			गडाली (सांचोर)
69	मै. एस.एस. एगो सर्विस हरियाली	B.P.C.	B.P.C.					हरियाली (सांचोर)
70	मै. भारत पेट्रोलियम कोको गडाली	B.P.C.	B.P.C.					गडाली (सांचोर)
71	मै. स्वागत कोको गडाली	I.O.C.		I.O.C.				गडाली (सांचोर)
72	मै. आशा फिलिंग स्टेशन गडाली	BPCL	B.P.C.L.					गडाली (सांचोर)
73	मै. फूल मुक्तेश्वर सिलू	B.P.C.L.	B.P.C.L.					होती गांव सांचोर
74	मै. लीलाधारी सर्विस सेन्टर विरोल	H.P.C.			H.P.C.			विरोल (सांचोर)
75	सैल्स ऑफिसर, आर.एस.ए. गडाली	I.O.C.		I.O.C.				गडाली (सांचोर)
76	मै. परिहार फिलिंग स्टेशन, हरियाली	I.O.C.		I.O.C.				हरियाली (सांचोर)
77	मै. तुलसी मोटर्स, सांकड	I.O.C.		I.O.C.				सांकड (सांचोर)
78	मै. महेश फिलिंग स्टेशन सिवाडा सांचोर			I.O.C.				सिवाडा,(सांचोर)
79	मै धनराज पेट्रोलियम गोलासण							गोलासण (सांचोर)
	योग		7	9	7	0	1	
8. तहसील – चितलवाना								
80	मै. बालाजी फिलिंग स्टेशन डूंगरी	B.P.C.	B.P.C.					डूंगरी (सांचोर)
81	मै. शतीमाता फिलिंग स्टेशन झाब	I.O.C.		I.O.C.				झाब (सांचोर)
82	मै. के.एन पेट्रोलियम आमली	B.P.C.L.	B.P.C.L.					आमली (सांचोर)
	योग		9	9	7			
9. तहसील – सायला								
83	मै. एगो सर्विस स्टेशन सायला	H.P.C.			H.P.C.			सायला (सायला)
84	मै. मेवाडा मॉडर्न फिलिंग स्टेशन जीवाना	H.P.C.			H.P.C.			जीवाना (सायला)
85	मै. जगदम्बा ऑयल सेन्टर पोषाणा	H.P.C.			H.P.C.			पोषाणा (सायला)
86	मै. जगतसिंह सायला	B.P.C.	B.P.C.					सायला (सायला)
87	मै. आशापुरी ऑयल सेन्टर सायला	I.O.C.		I.O.C.				सायला (सायला)
88	मै. भवानी फिलिंग स्टेशन पोषाणा	I.O.C.		I.O.C.				पोषाणा (सायला)
89	मै. आपेश्वर ऑटोमोबाईल्स मंगलवा(भाण्डवपुर)	I.O.C.		I.O.C.				मंगलवा (सायला)
90	मै. लक्ष्मी सर्विस सेन्टर	I.O.C.		I.O.C.				सुराना (सायला)
91	मै. राज फ्यूल स्टेशन, सुराणा	I.O.C.		I.O.C.				सुराना (सायला)
	योग		1	5	3			

1. हलवाई

क्र. सं.	नाम तहसील	हलवाई का नाम	प्रतिष्ठान का नाम एवं पता	सम्पर्क नम्बर
1	जालोर	श्री राजेन्द्र बंसल	सूरज मिष्ठान भण्डार जालोर	02973-223993 9414151993
		श्री उमाकान्त गुप्ता	गुप्ता स्वीट होम, जालोर	9414151251
		श्री पप्पूसिंह राजपुरोहित	महालक्ष्मी मिष्ठान भण्डार जालोर	9414325431
		श्री पूनमचंद अग्रवाल	अग्रवाल मिष्ठान भण्डार	9114151991
2	सायला	श्री शिवसिंह राजपुरोहित	जसोल स्वीट होम, पुराना बस स्टैण्ड के पास, सायला	02977-272804 9413266433
		श्री रमेशकुमार नारायण जी प्रजापत	महालक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, पुराना बस स्टैण्ड के पास, सायला	9929514027
		श्री रूपाराम मुकनाजी चौधरी (जाट)	गुरु कृपा स्वीट होम, पुराना बस स्टैण्ड, सायला	9928689172
3	आहोर	श्री ललित राठी	राठी स्वीट होम, आहोर	9829151621
		श्री मुकेश राठी	राठी मिष्ठान भं0 आहोर	9414151893
		श्री महेन्द्र सिंह	चामुण्डा स्वीट होम, आहोर	9413246902
		श्री रमेश सेठिया	सेठिया स्वीट होम, आहोर	—
		श्री नेनजी	राठी मिष्ठान भं0 आहोर	9414151893
		श्री मांगीलाल	मिष्ठान भण्डार, भाद्राजून	—
		श्री जगदीश	जगदीश रेस्टो. भाद्राजून	9413126753
4	भीनमाल	श्री किशनलाल गुप्ता	मुरली स्वीट होम, भीनमाल	9983933211
		श्री चेतनजी	श्यामजी एच मिठाईवाले भीनमाल	02969-220031
		श्री गोपालजी	भगवान मिष्ठान भण्डार भीनमाल	02969-220931
		श्री श्यामजी	एलएमबी होटल भीनमाल	02969-220439
		श्री घेवरजी	महावीर स्वीट होम भीनमाल	9461483096
		श्री खेतारामजी	तिरुपति बालाजी, भीनमाल	9460171062
5	बागोडा	श्री जोगाराम प्रजापत	सिणधरी चौराहा, बागोडा	9413123535, 9114873020
		श्री भानाराम देवासी	बस स्टैण्ड चौराहा, बागोडा	9772150806
		श्री उकसिंह राव	बस स्टैण्ड के अन्दर बागोडा	9772981347
6	रानीवाडा	श्री रतनलाल घांची	जोधपुर लहरीया होटल रानीवाडा	9414609225
		श्री कैलाशचन्द्र/देवराज भाटी	कैलाश होटल रानीवाडा	8094100945
		श्री करणाराम पुरोहित	चामुण्डा होटल चार रास्ता, मालवाडा	9829295454
7	सांचौर	श्री चेतन खत्री	चेतन मिष्ठान भंडार इन्दिरा चौक सांचौर	9413656970
		श्री पन्नालाल खत्री	सोहन स्वीट इन्दिरा चौक सांचौर	02979-283819
		श्री मदनसिंह	निरोज होटल विवेकानन्द सर्किल सांचौर	—
		श्री भीखसिंह राजपुरोहित	लहरिया स्वीट्स रानीवाडा रोड सांचौर	9414398178

		श्री रावताराम चौधरी	जोधपुर मिष्ठान भंडार रानीवाडा रोड सांचौर	9413854541
		श्री भूराराम खत्री	पुरुषोत्तम कोल्ड ड्रीक्स चार रास्ता सांचौर	9414425261
8	चितलवाना	श्री हस्तीमल नाई	चितलवाना	9483415081
		श्री अम्बालाल सेवग	चितलवाना	02979-286406

परिशिष्ट -38

2. किराणा थोक व्यवसायी

क्र. सं.	नाम तहसील	व्यवसायी का नाम	प्रतिष्ठान का नाम एवं पता	सम्पर्क नम्बर
1	जालोर	श्री सुमेरमल	सुमेरमल चंपालाल जालोर	02973-205784
		श्री खीमाराम	खीमाराम दरगाजी किराणा व्यापारी जालोर	02973-222586 9001710059
		विद्या टेडर्स	जालोर	—
		अमृत किराणा स्टोर	जालोर	9660613522
		श्री मगनाराम/अखाजी प्रजापत	जालोर	9460884481
		भंडारी मंगलचन्द/महावीरचन्द	जालोर	02973-223035
		श्री शंकरलाल/दरगाजी	जालोर	9772093737
2	सायला	श्री विमलचंद मांगीलाल जैन	बागोडा रोड, सायला	02977-272161
		श्री जुगराज चतराजी जीनगर	महादेव किराणा स्टोर पुराना बस स्टैण्ड सायला	02977-273157 9414565644
		श्री बाबुलाल नेमीचंद जैन	ज्योति ट्रेडर्स बस स्टैण्ड सायला	9414566161
		श्री भंवरलाल मूलचंद माहेश्वरी	बागोडा रोड, सायला	02977-276149
3	आहोर	श्री दरगाजी चौधरी	सुभम किराणा स्टोर, आहोर	9929255705
		श्री रुपाराम चौधरी	कपूर किराणा स्टोर, आहोर	02978-228303
		श्री उकाराम / जेठाजी	आहोर	02978-283448
		श्री डायाराम/मोडाराम	आहोर	02978-282178
		श्री जोगाराम/चुनाराम कुम्हार	आरती किराणा स्टोर, आहोर	—
		श्री सुजाराम	भाद्राजून	9828348145
4	भीनमाल	श्री भंवरलाल चिरंजीलाल अग्रवाल	भीनमाल	02969-220260
		श्री भीखाराम घांची	भगवती किराणा स्टोर, भीनमाल	9413000865
		श्री दीपचंद धनराज	भीनमाल	02969-222172
		श्री दिनेशकुमार दुलेराज	" "	02969-220201
		श्री पुखराज माली	परमार टी, भीनमाल	9414925272
		श्री डूंगरसिंह राव	मदन उद्योग, भीनमाल	02969-221954
		श्री जबरसिंह	कुलदीप किराणा स्टोर	9828501183
		श्री गुमानमल जुगराज माली	भीनमाल	02969-220965
		श्री देवीचंद भंवरलाल	भीनमाल	02969-221953
		सेठ ट्रेडिंग कम्पनी	भीनमाल	02969-200189
		सोनी ट्रेडिंग कम्पनी	भीनमाल	02969-222164
		सोमललाल सुरेशकुमार	भीनमाल	02969-220278
		ए.के. ट्रेडिंग कम्पनी	भीनमाल	02969-220189

		कोलचंद एण्ड कम्पनी	भीनमाल	02969-220725
5	बागोड़ा	श्री तेजाराम प्रजापत	बस स्टैण्ड के सामने बागोड़ा	9982493337
		श्री पदमसिंह चौहान	" "	9783862639
		श्री जबरमल/छगनजी जैन	पुलिस थाने के पास बागोड़ा	02969-264280
6	रानीवाड़ा	श्री दीपाराम/मानाराम माली	रानीवाड़ा	02990-232426
		श्री रमेशकुमार/मिश्रीमल जैन	" "	9414546745
		श्री कैलाशचन्द्र/गौतमचन्द्र माहेश्वरी	" "	02990-232514
		श्री अनवर भाई/इबुजी छीपा	मालवाड़ा	9413854337
7	सांचौर	श्री सुरेशकुमार रावल	गायत्री किराणा स्टोर, दरबार चौक सांचौर	9828929060
		श्री घेवरचंद देसाई	मै. मांगीलाल वनाजी जैन, दरबार चौक सांचौर	9460230966
		श्री प्रकाश रावल	मै. उकचंद रूपाजी जैन, दरबार चौक सांचौर	9414881160
		श्री बाबुलाल जैन	मै. लीलचंद बाबुलाल, सुभाष चौक सांचौर	02979-283022
		श्री लीलाराम पुरोहित	मै. लीलाधर किराणा स्टोर सांचौर	9414882170
		श्री मोहनलाल जैन	मै. शेरमल पवनकुमार इन्दिरा चौक, सांचौर	9414493271
		श्री महेशकुमार	मै. महेशकुमार ताराचंद रानीवाड़ा रोड सांचौर	02979-283099
		श्री सुरेशकुमार माहेश्वरी	लक्ष्मी कारपोरेशन इन्दिरा चौक सांचौर	9413501050
		श्री जुगलकिशोर	मै. नंदलाल गोविन्दराम रानीवाड़ा रोड सांचौर	02979-283071
		श्री चंपालाल माहेश्वरी	मै. उत्तमचंद सावलचंद बडसम रोड सांचौर	9461448482
		श्री जेठानंद माहेश्वरी	मै. लक्की किराणा स्टोर इन्दिरा चौक सांचौर	9414373652
		श्री भूपतलाल खत्री	तिरुपति ट्रेडिंग कम्पनी, बेसर सराय के सामने सांचौर	9413822612
		श्री घेवरचंद जैन	मै. बोहरा किराणा स्टोर चार रास्ता सांचौर	9460170075
		श्री सुरेश कुमार राठी	गौरी एन्टरप्राइजेज सांचौर	9413501050
8	चितलवाना	श्री मांगीलाल जैन	चितलवाना	9783418295
		श्री पूनमदास	शान्ति जनरल स्टोर चितलवाना	9466070700

3. सब्जी विक्रेता

क्र. सं.	नाम तहसील	विक्रेता का नाम	प्रतिष्ठान का नाम एवं पता	सम्पर्क नम्बर
1	जालोर	श्री जवानाराम परिहार	जालोर	9414151481
		श्री कन्हैयालाल माली	" "	9414375317
		श्री वचनाराम सोलंकी	" "	9414271398
		श्री छगनलाल माली	" "	9413125504
		श्री मोहनलाल पोरवाल	" "	
		श्री लेहराराम/गलबाजी	" "	9166174501
2	सायला	श्री चौथाराम देवाजी मेघवाल	सब्जी मण्डी सायला	9414610594
		श्री मकनाराम देवाजी मेघवाल	सब्जी मण्डी सायला	9460303052
3	आहोर	श्री दिनेशकुमार/पन्नालाल मेघवाल	आहोर	9928215026
		श्री मोहनलाल/लालाजी माली	" "	—
		श्री मादाराम/विरमाराम माली	" "	—
		श्री छोगालाल/जेठाजी प्रजापत	" "	—
		श्री नेनाराम/हबताजी प्रजापत	" "	—
		श्री तोलाराम प्रजापत	" "	—
		श्री मांगीलाल/ताराजी मीणा	भाद्राजून	—
		श्री मालाराम मीणा	" "	9413657403
4	भीनमाल	श्री मोहनलाल नवाजी घांची	भीनमाल	9414151753
		श्री नारायणलाल भल्लाजी भाट	" "	9460626203
		श्री बगदाराम जेठाजी घांची	" "	9414565297
		श्री भंवरलाल पूनमाजी माली	" "	9414447908
		श्री नरसाराम भारताजी माली	" "	9414153869
		श्री शंकरलाल धनाजी बंजारा भाट	" "	9413123472
5	बागोड़ा	श्री अणदाराम/धूपाराम प्रजापत	बस स्टैण्ड के अन्दर बागोड़ा	9413123585
		श्री गेनाराम/पेलाज जी	" "	9828340166
6	रानीवाडा	श्री दीपाराम/जीवन जी सिंधी	रानीवाडा	9413123877
		श्री किशनलाल/सवाजी माली	" "	9413000852
		श्री राजूराम/मकनाजी माली	" "	9414565658
		श्री रामाराम/जेठाजी भाट	" "	9414882026
		श्री बगदाराम/तगाजी माली	" "	9983148089
		श्री रमेश/नारायणजी घांची	" "	9828526965
		श्री बलवंतसिंह/झालमसिंह राजपुत	बडगांव	9414565106
7	सांचौर	श्री बाबूलाल महादेवजी भाट	विवेकानंद सर्किल सांचौर	9460458594
		श्री तगाराम हरजी भाट	नेशनल हाइवे नं. 15 भारत रेस्टो. के पास सांचौर	9413600910
		श्री राजूराम नागजीराम भाट	मोहरम चौक सांचौर	9829898316
		श्री करसन गेनाजी माली	" "	8058406307
		श्री प्रभूराम करसनजी माली	" "	9660534690
		श्री मंशाराम रामाजी माली	" "	9413501528
		श्री मानाराम आंबाजी माली	" "	9950887437
		श्री मसराराम रामजी माली	" "	9636959380
		श्री बाबूलाल निबाजी वादी	विवेकानन्द चौक सांचौर	9610189500
		श्री रायचंद वजाजी माली	विवेकानन्द सर्किल सांचौर	9414815202
		श्री जगदीश महादेवजी भाट	इन्दिरा चौक सांचौर	9982662609
		श्री उमाराम हिंगोलाजी पुरोहित	चार रास्ता सांचौर	9983923459
8	चितलवाना	श्री दूदाराम माली	चितलवाना	9610464652

1. जिले में पंजीकृत एम्बुलेंस वाहनों की सूची

क्र.सं.	पंजीयन सं.	मालिक का नाम	मेकर मॉडल	पता
1	RJ-16/E-0622	PMO Govt.Hospital	Maruti Van - 1999	जालोर
2	RJ-16/E-0649	रोटरी सेवा समिति	Tata Sumo -2000	जालोर
3	RJ-16/E-0661	CM & HO	Swraj Mazda - 2000	जालोर
4				
5	RJ-16/E-0705	रोटरी सेवा समिति	Maruti Omni-2002	जालोर
6	RJ-16/EA-0051	CM & HO	Eicher-2005	जालोर
7	RJ-16/EA-0064	PHC	Maruti Van-2006	सायला
8	RJ-16/EA-0066	CM & HO	Maruti Van-2006	जालोर
9	RJ-16/EA-0089	CM & HO	Tata Sumo-2007	जालोर
10	RJ-16/EA-0102	महावीर मानव सेवा केन्द्र	Maruti Van-2007	उम्मेदाबाद तह.सायला जि.जालोर
11	RJ-16/EA-0113	वर्धमान जीवदया सेवा समिति	Tavera-2008	सायला
12	RJ-16/EA-0119	CM & HO	Tata Winger-2008	जालोर
13	RJ-16/EA-0120	CM & HO	Tata Winger-2008	जालोर
14	RJ-16/EA-0137	CM & HO	Maruti Van -2008	जालोर
15	RJ-16/EA-0151	छोगालाल पुत्र श्री जुगराज	Tata Winger -2008	महावीर इंटरनेशनल सिटी,जालोर
16	RJ-16/EA-0153	CM & HO	Tata Winger -2008	PHC सायला
17	RJ-16/PA-1990	PMO	Tavera - 2011	जालोर
18	RJ-16/PA-2308	सामु0स्वा0 केन्द्र, सियाना,	Tavera	सियाना, जि0 जालोर
19	RJ-16/PA-2381	संत श्री लिखमीदास सेवा संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट, सियाना	Tavera	सियाना जि0 जालोर
20	RJ-16/PA-2443	मुख्य चिकि0 एवं स्वा0 अधिकारी, जालोर	Maruti Omni	जालोर
21	RJ-16/PA-2444	मुख्य चिकि0 एवं स्वा0 अधिकारी, जालोर	Maruti Omni	जालोर
22	RJ-16/PA-2445	मुख्य चिकि0 एवं स्वा0 अधिकारी, जालोर	Maruti Omni	जालोर
23	RJ-16/PA-2446	मुख्य चिकि0 एवं स्वा0 अधिकारी, जालोर	Maruti Omni	जालोर
24	RJ-16/PA-2447	मुख्य चिकि0 एवं स्वा0 अधिकारी, जालोर	Maruti Omni	जालोर
25	RJ-16/PA-2448	मुख्य चिकि0 एवं स्वा0 अधिकारी, जालोर	Maruti Omni	जालोर
26				
27	RJ-16/PA-2449	मुख्य चिकि0 एवं स्वा0 अधिकारी, जालोर	Maruti Omni	जालोर

		अधिकारी, जालोर		
28	RJ-16/PA-2450	मुख्य चिकि० एवं स्वा० अधिकारी, जालोर	Maruti Omni	जालोर
29	RJ-16/PA-2451	मुख्य चिकि० एवं स्वा० अधिकारी, जालोर	Maruti Omni	जालोर
30	RJ-16/PA-2452	मुख्य चिकि० एवं स्वा० अधिकारी, जालोर	Maruti Omni	जालोर
31	RJ-16/PA-2453	मुख्य चिकि० एवं स्वा० अधिकारी, जालोर	Maruti Omni	जालोर
32	RJ-16/PA-2454	मुख्य चिकि० एवं स्वा० अधिकारी, जालोर	Maruti Omni	जालोर
33	RJ-16/PA-2455	मुख्य चिकि० एवं स्वा० अधिकारी, जालोर	Maruti Omni	जालोर
34	RJ-16/PA-2456	मुख्य चिकि० एवं स्वा० अधिकारी, जालोर	Maruti Omni	जालोर
35	RJ-16/PA-2457	मुख्य चिकि० एवं स्वा० अधिकारी, जालोर	Maruti Omni	जालोर
36	RJ-16/PA-2552	श्री देवीसिंह पुत्र श्री बंशीसिंह	Tavera	पॉवर हाउस, सांचौर
37	RJ-16/PA-2572	श्री हुकमीचंद पुत्र श्री पुखराज भण्डारी खानपुरावास, जालोर	Maruti Omni	जालोर
38	RJ-16/PA-2820	CMHO जालोर	Tata Sumo	जालोर
39	RJ-16/PA-2904	CMHO जालोर	Tata Sumo	जालोर
40	RJ-16/PA-2905	CMHO जालोर	Tata Sumo	जालोर
41	RJ-16/PA-2906	CMHO जालोर	Tata Sumo	जालोर
42	RJ-16/PA-2816	CMHO जालोर	Tata Winger	जालोर
43	RJ-16/PA-3069	मैसर्स फतेह ग्रेनाइट	Tavera	जालोर

आहोर क्षेत्र

44	RJ-16/E-0664	टाहोर जैन चेरीटेबल ट्रस्ट	Maruti Omni-2001	सदर बाजार आहोर
45	RJ-16/E-0776	ओम दुर्गादेवी चेरीटेबल ट्रस्ट	Bajaj Temo - 1995	गुडारामा, निम्बला तह.आहोर
46	RJ-16/EA-0133	भारत विकास परिषद	Innova - 2008	आहोर
	RJ-16/PA-2936	स्वा.अधिकारी	Tata Winger	आहोर

सांचोर क्षेत्र

47	RJ-16/E-0723	सागर हॉस्पिटल	Tata Sumo - 2003	सांचोर जि.जालोर
48	RJ-16/E-0729	मेहता चेरीटेबल ट्रस्ट	Maruti Van -2003	हाडेचा रोड, सांचोर
49	RJ-16/EA-0035	भारत विकास परिषद चेरीटेबल ट्रस्ट	Maruti Van -2006	हाडेचा रोड, सांचोर

50	RJ-16/EA-0142	भारत विकास परिषद	Tata Winger -2008	सांचोर
51	RJ-16/EA-0172	डा.सुरेश सागर,सागर हास्पीटल	Tavera -2008	सांचोर
52	RJ-16/EA-0217	ट्रांसटेच ग्रीन प्रा.लिमी.	Maruti Van – 2010	सांचोर
53	RJ-16/PA-1959	PMO	Tavera - 2011	PHC सांचोर
54	RJ-16/PA-2149	मेहता चेरीटेबल ट्रस्ट	Maruti Omni – 2011	हाडेचा रोड,सांचोर
55	RJ-16/PA-2217	डा.सुरेश सागर पुत्र श्री नस्तीलाल	Tavera – 2011	डोसियों का वास, सांचोर जि.जालोर

भीनमाल क्षेत्र

56	RJ-16/EA-0001	शांतिबाई किशोरचंद चेरीटेबल ट्रस्ट	Tata Winger-2008	माघ कॉलोनी, भीनमाल
57	RJ-16/EA-0057	श्री गुरुदेव शांतिपुरी हेल्प फाउंडेशन	M & M -2066	मांडोली नगर – भीनमाल
58	RJ-16/EA-0123	संत लक्ष्मीदास सेवासंस्थान	Tata Sumo -20008	महावीर चौराहा भीनमाल
59	RJ-16/EA-0155	टापेष्कर महोदय सेवा ट्रस्ट	Tata Winger - 2008	रामसीन तह.भीनमाल
60	RJ-16/EA-0191	एस.बी.नाहर चेरीटेबल ट्रस्ट	Tata Winger - 2009	भीनमाल
61	RJ-16/EA-0219	PMO	M & M – 2010	भीनमाल
62	RJ-16/EA-0220	सांवरलाल भैरूलाल	Maruti Van - 2009	षिवराज स्टेडियम के सामने,भीनमाल
63	RJ-16/PA-2135	राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसा.सा.स्वा. केन्द्र,भीनमाल	Tavera – 2011	भीनमाल जि.जालोर
64	RJ-16/PA-2330	तलकाराम पुत्र चमनाराम	Tavera	निम्बावास, तह0 भीनमाल जि0 जालोर
65	RJ-16/PA-2754	प्राइमरी हेल्थ सेन्टर	Tavera	बागोडा जि.जालोर
66	RJ-16/PA-2635	श्री डायलाल पुत्र श्री सुमेरमल जैन नि.इंदिरा कॉलोनी,रानीवाडा	Tavera	रानीवाडा जि.जालोर

2. 4X4 वाहनो की सूची

क्र.सं.	वाहन संख्या	वाहन स्वामी का नाम व पता
जालोर क्षेत्र		
1	RJ-16/U-0002	श्री गमाराम पुत्र श्री नागजी नि.बावतरा तह.सायला जि.जालोर
2	RJ-16/U-0007	श्री रमेश कुमार पुत्र श्री देवीचंद नि.निम्बलाना जि.जालोर
3	RJ-16/U-0023	श्री लच्छीराम पुत्र श्री मानीगजी नि.उम्मेदाबाद जि.जालोर
4	RJ-16/U-0026	श्री कालूराम पुत्र श्री नाथूजी नि.पुरोहित वास रेवतडा जि.जालोर
5	RJ-16/U-0035	श्री मोडसिंह पुत्र श्री गजेसिंह नि.चूरा तह.व जि.जालोर
6	RJ-16/U-0074	श्री भीयाराम चौधरी पुत्र श्री हेमाराम नि.लक्ष्मीनगर,जालोर
7	RJ-16/U-0085	श्री वीरसिंह पुत्र श्री खीमसिंह नि.तिखी तह.व जिला-जालोर
8	RJ-16/U-0109	श्री हिमताराम पुत्र श्री जागा प्रजापत नि.नरसाणा जि.जालोर
9	RJ-16/U-0111	श्री पाबूसिंह पुत्र श्री जयसिंह नि.रेवतडा जि.जालोर
10	RJ-16/U-0121	श्री सुल्तानखां पुत्र श्री सरदार खां नि.इन्द्रा कॉलोनी,सायला
11	RJ-16/U-0125	श्री बगसिंह पुत्र श्री वरदसिंह नि.सांगाणा जि.जालोर
12	RJ-16/U-0193	श्रीमति कमलादेवी पत्नी श्री पृथ्वीराज नि.संजय नगर,जालोर
13	RJ-16/U-0198	श्री भोमाराम पुत्र श्री हिमताराम नि.मानपुरा कॉलोनी,जालोर
14	RJ-16/U-0237	श्री डूंगाराम पुत्र श्री थानमल नि.पोषाणा तह.सायला जि.जालोर
15	RJ-16/U-0180	श्री जवाहरसिंह पुत्र श्री रूपसिंह नि.सुराणा तह.सायला
16	RJ-16/U-0248	श्री जबरसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह नि.ओटवाला तह सायला
17	RJ-16/U-0249	श्री पहाडसिंह पुत्र श्री जेटूसिंह नि. चौराउ तह.सायला
18	RJ-16/U-0288	श्री बगाराम पुत्र श्री जूठाजी नि.लोदराउ तह. सायला
19	RJ16/UA0032	श्री सवाराम पुत्र श्री वीराराम नि.आसाणा तह.सायला
20	RJ16/UA0035	श्री रफीक पुत्र श्री अकबर खां नि.तासखाना बावडी,जालोर
21	RJ16/UA0039	श्री नरसाराम पुत्र श्री प्रतापाराम नि.बोरवाडा तह.सायला
22	RJ16/UA0054	श्री जबरसिंह पुत्र श्री ओटसिंह नि.मांडवला जि.जालोर
23	RJ16/UA0059	श्री मंगलसिंह पुत्र श्री मोडसिंह नि. उम्मेदाबाद जि.जालोर
24	RJ16/UA0063	श्री मंगलसिंह पुत्र श्री भवानीसिंह नि.सायला जि.जालोर
25	RJ16/UA0074	श्री गोविंदसिंह पुत्र श्री सवाजी नि.सरत जि.जालोर
26	RJ16/UA0078	श्री लादूसिंह पुत्र श्री हेमसिंह नि.सांगाणा तह.सायला
27	RJ16/UA0085	श्री हाथीसिंह पुत्र श्री रूपसिंह नि.सिराणा तह.सायला
28	RJ16/UA0118	श्री हडमताराम पुत्र श्री नरसा जी नि.जालमपुरा तह.सायला
29	RJ16/UA0119	श्री लादाराम पुत्र श्री कानाजी नि.लाल पोल के पास,जालोर
30	RJ16/UA0123	श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री पुखराज नि.सायला जि.जालोर
31	RJ16/UA0126	श्री बिशनसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह नि.सायला जि.जालोर
32	RJ16/UA0137	श्री जेताराम पुत्र श्री भगाराम नि.बावतरा तह.सायला
33	RJ16/UA0139	श्री अमृतलाल पुत्र श्री सुल्तान नि.साथू जि.जालोर
34	RJ16/UA0145	श्री फूलसिंह पुत्र श्री रणछोडसिंह नि.तूरा तह.सायला
35	RJ16/UA0149	श्री रतनसिंह पुत्र श्री हेमसिंह नि.उनडी तह.सायला
36	RJ16/UA0312	श्री हबसखां पुत्र श्री धुके खां नि.मांडवला जि.जालोर
37	RJ16/UA0361	श्री सकाराम पुत्र श्री भलाराम नि.पोषाणा तह.सायला
38	RJ16/UA0366	श्री मेहरमाराम पुत्र श्री धनाजी नि. जालमपुरा तह.सायला
39	RJ16/UA0427	श्रीमति जमूदेवी पत्नी श्री सुखराज सुथार नि.बाकरा गांव

40	RJ16/UA0443	श्री सादाराम पुत्र श्री रूपाराम नि.सायला जि.जालोर
41	RJ16/UA2867	श्री भूराराम पुत्र श्री सोनाजी नि.सिराणा जि.जालोर
42	RJ16UA3430	श्री मुसताक खान पुत्र श्री इसे खान नि. आलासन जि. जालोर
43	RTS 4242	श्री ओटाराम पुत्र श्री सरूपाराम नि. जालोर
44	RRC 9327	श्री पूर्णसिंह पुत्र श्री भगाजी नि. आकोली जि. जालोर
45	RJ16/C0804	श्री मदन सिंह पुत्र श्री उम्मेदाराम नि. जुजाडा जि. जालोर
46	RJ16/C0575	श्री महेन्द्रसिंह पुत्र श्री गगानाथ नि. नारणा जि. जालोर
47	RJ16/C1195	श्री कपूराराम पुत्र श्री कालाजी नि. विराणा तह. सायला जि. जालोर
48	RJ16/C1613	श्री गोवर्धन पुत्र श्री सुलतान नि. साथू जि. जालोर
49	RJ16/C1614	श्री तेजाराम पुत्र श्री केसाराम नि. मडगाँव जि. जालोर
50	RJ16/U0073	श्री गमाराम पुत्र श्री फूलाराम जि. जालोर
51	RJ16C0264	श्री कृष्ण सिंह पुत्र श्री मीरसिंह नि. तवाब जि. जालोर
52	RJ16/UA0160	श्री जेपाराम पुत्र नारनाजी नि. जीवाणा त. सायला जि. जालोर
53	RJ16/UA0512	श्री बलवन्तसिंह पुत्र श्री सरदार सिंह त. सायला जि. जालोर
54	RJ16UA3119	श्री नाथूदेवी पत्नि श्री कामाराम नि. 1609 आरएसईबी तह. सायला
55	RJ16/UA3295	श्री पुखराज पुत्र श्री वीराजी नि. शास्त्री नगर , जालोर
56	RJ16/GA3692	वन विभाग, जालोर
57	RJ-16/GA3772	श्री भंवरलाल पुत्र श्री चुन्नीलाल नि. रूपनगर, जालोर
58	RJ16/GA2322	श्री मुकनाराम पुत्र श्री सोनाराम नि.द्वितीय चरण रामचेन ग्रेनाइट के पास
59	RJ16/UA2674	श्री शोरभनाथ पुत्र श्री सोहननाथ नि.उम्मेदाबाद तह.सायला
60	RJ16/UA2721	श्री चुन्नीलाल पुत्र श्री वरदाजी नि.मेधवालौ का वास, उम्मेदाबाद
61	RJ16/UA3389	श्री जैसूसिंह पुत्र श्री भूरसिंह नि.26, नागजी, जालोर
62	RJ19/C4917	श्री किशनाराम पुत्र श्री आदाराम नि.मालम बेरा, जालोर
63	RJ16/UA1849	श्री हडमतसिंह पुत्र श्री दीपसिंह नि.राजपूतों का वास, सायला
64	RJ16/UA2134	श्री जबराराम पुत्र श्री पूनमाराम नि.पोषाणा तह.सायला
65	RJ16/UA2218	श्री वगताराम पुत्र श्री पीराजी नि.आकोली जि.जालोर
66	RJ16/UA2684	श्री गजाराम पुत्र श्री जीवाराम नि.ऐलाना जि.जालोर
67	RJ16/UA2699	श्री हीरसिंह पुत्र श्री प्रभूसिंह नि.आसाणा तह.सायला
68	RJ16/UA3042	श्री छगनाराम पुत्र श्री मूलाराम नि.वागजी की गली सायला
69	RJ16/UA3174	श्री हेमसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह नि.पुलिस स्टेशन के पास, सायला
70	RJ16/UA3399	श्री गेबाराम पुत्र श्री गजाराम नि.जीवाणा तह.सायला
71	RJ16/UA3441	श्री फूसाराम पुत्र श्री जुहाराराम नि.रेवतडा तह.सायला
72	RJ16/UA3754	श्री पदमसिंह पुत्र श्री अवदान चारण नि.सायला
73	RJ16/TA1060	श्री लूकाराम पुत्र श्री तेजाजी नि.भीलों का वास तह.सायला
74	RJ16/TA1062	श्री हिम्मताराम पुत्र श्री रावताजी नि.आलवाडा तह.सायला
75	RJ16/TA1294	श्री कालूराम पुत्र श्री खीमाजी नि.रेतवतडा जि.जालोर
76	RJ16/UA3729	श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री वरदाजी नि.साथू जि.जालोर
77	RJ16/C0712	श्री महिपालसिंह पुत्र श्री डूंगरसिंह नि.बागरा जि.जालोर
78	RJ16/C0732	श्री हंजाराम पुत्र श्री प्रतापजी नि.धनानी तह.सायला
79	RJ16UA1772	श्री मोडाराम पुत्र श्री पाताराम नि.चौराउ तह.सायला
भीनमाल क्षेत्र		
80	RJ-16/U-0041	श्री जोगसिंह पुत्र श्री जवानसिंह नि.दासपा तह.भीनमाल जि.जालोर
81	RJ-16/U-0057	श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री गिरधारीसिंह नि.दासपा तह.भीनमाल
82	RJ-16/U-0066	श्री मोहनलाल पुत्र श्री जामतराज नि.खारी रोड भीनमाल

83	RJ-16/U-0073	श्री ईश्वरलाल पुत्र श्री सांवलाराम नि.धुम्बडिया तह.भीनमाल
84	RJ-16/U-0129	श्री हरीराम पुत्र श्री खंगाराराम नि.सिणधर तह.भीनमाल
85	RJ-16/U-0157	श्री पूरनमल पुत्र श्री मोटूराम नि.मोरसीम तह.भीनमाल
86	RJ-16/U-0160	श्री माधोसिंह पुत्र श्री जबरसिंह नि.दामण तह.भीनमाल जि.जालोर
87	RJ-16/U-0192	श्री नरपतसिंह पुत्र श्री जेतसिंह नि.वाडाभाडवी तह.बागोडा
88	RJ-16/U-0188	श्री सुजाराम पुत्र श्री भूराजी नि. डूंगरवा तह.भीनमाल
89	RJ-16/U-0231	श्री मनोहरसिंह पुत्र श्री मंगलसिंह नि.पूरण तह.भीनमाल
90	RJ-16/U-0253	श्री महंतमंगलगिरी पुत्र श्री चेला नि.भागलसेप्ता तह.भीनमाल
91	RJ-16/U-0264	श्री प्रतापाराम पुत्र श्री पदमा जी नि.आलडी तह.भीनमाल
92	RJ-16/U-0265	श्री शम्भूसिंह पुत्र श्री किस्तुरसिंह नि.तलबी रोड भीनमाल
93	RJ-16/U-0279	श्री गंगाराम पुत्र श्री केसाजी नि.दासपा रोड भीनमाल
94	RJ16/UA0102	श्री गणेशाराम पुत्र श्री रणछोड रबारी नि.बासडाधनजी—भीनमाल
95	RJ16/UA0103	श्री बाबूलाल पुत्र श्री गंगाराम माली नि.भालनी तह.भीनमाल
96	RJ16/UA0109	श्री लाभूराम रबारी पुत्र श्री होसाराम नि.जेरण तह.बागोडा
97	RJ16/UA0112	श्री मीर मोहम्मद पुत्र श्री गाजी खां नि.खोखा तह.भीनमाल
98	RJ16/UA0113	श्री चन्द्रपाल विश्नोई पुत्र श्री छोगाराम नि.भालनी तह.बागोडा
99	RJ16/UA0148	श्री वागसिंह पुत्र श्री पदमसिंह नि.वाडाभाडवी तह.भीनमाल
100	RJ16/UA0150	श्री माधाराम पुत्र श्री हरजीराम नि.धुम्बडिया तह.भीनमाल
101	RJ16/UA0159	श्री महन्तगिरधारी पुत्र श्री विजयगिरी नि.दांतलावास—भीनमाल
102	RJ16/UA0330	मै. मुकेश बाफना मेडी. श्री नि.राजपूत होटल के पीछे,भीनमाल
103	RJ16/UA0343	श्री रेवतसिंह पुत्र श्री भोपालसिंह नि.पटौता तह.भीनमाल
104	RJ16/UA0013	श्री सदीक खं पुत्र श्री हासम खां नि.खोखा तह.भीनमाल
105	RJ16/TA1462	श्री हुक्मसिंह पुत्र श्री टीकमाराम नि.दुदावा बेरा तह.भीनमाल
106	RJ16/UA2540	श्री आसूसिंह पुत्र श्री मानसिंह नि.मालानी मंदिर,बागोडा
107	RJ16/UA-2163	मो.खान पुत्र श्री ओखे खां नि.रबारियों की ढाणी,बागोडा
108	RJ16/UA2276	श्री विशनसिंह पुत्र श्री हडमतसिंह नि.धानसा तह.भीनमाल
109	RJ16/UA2325	श्री खंगारसिंह पुत्र श्री तेजसिंह नि.धानसा तह.भीनमाल
110	RJ16/UA3214	श्री श्रवणसिंह पुत्र श्री कल्याणसिंह नि.भीमपुर तह.भीनमाल
111	RJ16UA2657	श्री शैतानसिंह पुत्र श्री हडपत सिंह नि. धानसा तह. भीनमाल
112	RJ16/UA1324	श्री शेखरलाल पुत्र श्री हकमाराम नि. जूजाणी तह. भीनमाल
113	RJ16UA3202	श्री पांचाराम पुत्र श्री सवाराम नि. गोलिया तह. भीनमाल
114	RJ16/GA-3653	श्री दिनेश पुत्र श्री इसराराम नि.वाडा नया,बागोडा
115	RJ16/GA2069	श्री जानूराम पुत्र श्री धनाराम नि.थोबाउ तह.भीनमाल
116	RJ16/UA2073	श्री मूलाराम पुत्र श्री प्रेमराम नि.बाली तह.भीनमाल
117	RJ16/UA2357	श्री जावेद खां पुत्र श्री जुम्मे खां नि.कोमता तह.भीनमाल
118	RJ16/UA2515	श्री खंगाराराम पुत्र श्री खीमाराम नि.टेकरावास तह.भीनमाल
119	RJ04/GA4855	श्री रतनाराम पुत्र श्री नाथाजी नि.रबारियों का वास,धानसा तह.भीनमाल
120	RJ16/UA3391	श्री निमज खां पुत्र श्री तलब खां नि.छजाला तह.भीनमाल
121	RJ16/UA3409	श्री दाडमाराम पुत्र श्री मेघाराम नि.मोरसीम तह.बागोडा

122	RJN-2455	श्री दलपतसिंह पुत्र श्री गीगसिंह नि.सेरणा तह.भीनमाल
123	RJ16/U0336	श्री भूपाराम पुत्र श्री गेमाजी नि.निम्बावास तह.भीनमाल
124	RJ16/UA1577	श्री जोगाराम पुत्र श्री खेताजी नि.नरता तह.भीनमाल
125	RJ16/UA1644	श्री शैतानसिंह पुत्र श्री भीमसिंह नि.राजीकावास तह.भीनमाल
126	RJ16/UA1755	श्री हंजारीमल पुत्र श्री गमनाराम नि.नई बाली तह.बागोडा
127	RJ16/UA3657	श्री शैतानसिंह पुत्र श्री हडमतसिंह नि.धानसा तह.भीनमाल
128	RJ16/UA3214	श्री श्रवणसिंह पुत्र श्री कल्याणसिंह नि.राजपूत वास,भीमपुरा तह.भीनमाल
129	RJ16/UA2325	श्री खंगारसिंह पुत्र श्री तेजसिंह नि.धानसा तह.भीनमाल जि.जालोर
सांचोर क्षेत्र		
130	RJ-16/U-0050	श्री पूराराम पुत्र श्री उदाराम नि.भोमियो का वास,सांचोर जि. जालोर
131	RJ-16/U-0052	श्री ठाकराराम पुत्र श्री देवाराम नि.देवडा तह.सांचोर जि.जालोर
132	RJ-16/U-0065	श्री महंत शक्तिगिरी पुत्र श्री गंगागिरी नि.खाखी तह.सांचोर
133	RJ-16/U-0091	श्री गुमानमल पुत्र श्री चतराराम नि.रानीवाडा रोड,सांचोर
134	RJ-16/U-0099	श्री नत्थूराम पुत्र श्री चतुरदास नि.षोभाला गोलिया तह.सांचोर
135	RJ-16/U-0127	श्री बाबूलाल पुत्र श्री हेमराज नि.विष्णोई ढाणी तह.सांचोर
136	RJ-16/U-0219	श्री वगताराम पुत्र श्री दूदाराम नि.दीगांव पो.वीराना तह.सांचोर
137	RJ-16/U-0241	श्री माधाराम पुत्र श्री जोगाराम नि.आमली तह.सांचोर जि.जालोर
138	RJ-16/U-0285	श्री भूपाराम पुत्र श्री रामजीराम नि.तायब तह.सांचोर जि.जालोर
139	RJ-16/U-0286	श्री नरसीराम पुत्र श्री जगसीराम नि. भादरणा तह.सांचोर
140	RJ-16/U-0291	श्री बाबूलाल पुत्र श्री हरचंद नि.लोदराउ की ढाणी हेमागुडा-सांचोर
141	RJ16/UA0028	श्री रूपराम गेहलोत पुत्र श्री सवाराम नि.नर्मदा कॉलोनी,सांचोर
142	RJ16/UA0049	श्री केसाराम पुत्र श्री ओखाराम नि.निम्बाडा तह.सांचोर
143	RJ16/UA0015	श्री मुकेश भाई पुत्र श्री चुन्नीलाल नि.पांचला तह.सांचोर
144	RJ16/UA0056	श्री नागजीराम पुत्र श्री केहराराम नि.सुभाष कॉलोनी,सांचोर
145	RJ16/UA0060	श्री संतोषपुरी पुत्र श्री प्रेमपुरी नि.होलीगांव तह.सांचोर
146	RJ16/UA0098	श्री वीरसिंह पुत्र श्री हीरसिंह नि.निम्लाव पो.डेढवा तह.सांचोर
147	RJ16/UA0310	श्री चालूराम पुत्र श्री सांवलाजी नि.लूनावा तह.सांचोर
148	RJ16/UA0353	श्री गिरधारीदास पुत्र श्री उकाराम नि.वासन तह.सांचोर
149	RJ16/UA0446	श्री भगाराम पुत्र श्री थानाजी नि.जानवी तह.सांचोर जि.जालोर
150	RJ16GA3131	श्री भागनाथ पुत्र श्री मालाराम नि. फागोतरा तह. सांचोर
151	RJ-16/GA3118	श्री आसूराम पुत्र श्री रूपाराम नि.जाटो की ढाणी,सांचोर
152	RJ-16/GA3171	श्री गिरधारी पुत्र श्री ठाकराराम नि.सुथारों की गली,सांचोर
153	RJ-16/GA3817	श्री सूरजमल पुत्र श्री जेठमल नि.जैनों का वास,सांचोर
154	RJ-16/GA3876	मैसर्स एल.बी.सी.डिस्ट्रीब्यूटर,सांचोर रोड,रानीवाडा
155	RJ16/GA2065	श्री डूंगराराम पुत्र श्री निम्बाराम नि.वेडिया तह.सांचोर
156	RJ16/GA3022	श्री राजूराम पुत्र श्री सोनाराम नि.डांगरा तह.सांचोर
आहोर क्षेत्र		